(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 11] पंचम् विधान सभा के 11वे सत्र का 18वां दिवस [संख्या 14

बृहस्पतिवार,

दिनांक 25 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व. वित्त, कृषि, सहकारिता, सिंचाई, खनिज, भेड़ व ऊन, विद्युत, जन-स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, पुनर्वास, पशुपालन, सार्वजनिक निर्माण, नगर आयोजन, खाद्य, उपनिवेशन एवं वन-विभाग]

प्रश्न संख्या 344

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती निर्मलाकुमारी !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन !

सूखा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर जिले के लिये राशि का प्रावधान

345. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) [श्री भीमसेन (लूणकरणसर) की अनुपस्थिति में]: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूखा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला बीकानेर के लिये साढ़े चार करोड़ रुपये का पांचवीं योजना में प्रावधान किया गया है ? अगर हां, तो इस राशि में से किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान है तथा इसमें से अब तक कितनी-कितनी राशि किस कार्य में वास्तविक रूप में खर्च हुई है ?

(2) क्या उपरोक्त राशि में से राजस्थान मुख्य नहर के बायें किनारे के समानांतर कृषि भूमि पर गायों, भेड़ों के लिये चरागाह स्थापित करने एवं जंगल लगाने हेतु कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां । वर्षवार अनुमान निर्मित किये जा रहे हैं । वर्ष 1974-75 के व्यय के एवं 1975-76 के प्रावधान के आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं:—

मद	व्यय (1974-75)	लाख रुपये प्रावधान 1975-76
(1) कृषि	0.38	0.68
(2) वन विकास	11.57	18.87
(3) पशु एवं दुग्ध विकास	12.56	15.85
(4) विद्युत	—	48.00
(5) संस्थापन	—	2.48
	24.51	85.88

Page No 2

(2)

(श्री शिवचरण माथुर)

(2) जी हां। वर्ष 1976-77 में चरागाह व वृक्षारोपण द्वारा सेंड ड्यून स्टेबिलाइजैशन प्रस्तावित हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने पशुपालन में क्या काम किया है, इसके बारे में आपने इसमें नहीं बताया।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो 15.85 लाख रुपये रखे गये हैं वह पशुओं के लिये ही रखे गये हैं। इसमें बीकानेर के अन्दर डेयरी विकास के अन्दर सन् 74-75 में जहां 12.56 लाख रुपये थे वह 75-76 में हमने 15.85 लाख रुपये कर दिये हैं। डेयरी के सिवाय पशुओं के लिये चार चीजों का भी विकास इसमें किया जाता है इसमें आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन, एनीमल ब्रीडिंग का कार्य होता है। इस तरह से वहां पर काफी काम पशुओं के विकास के लिये किया गया है। वर्ष 76-77 में चरागाह, वृक्षारोपण द्वारा सेंड ड्यून स्टेबिलाइजैशन जो प्रस्तावित है वह किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री झाबरमल सुंडा !

सीकर वृत में बिजली की चोरी के मामले

346. श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बिजली बोर्ड ने एक सतर्कता दस्ता कायम किया है? यदि हां, तो सतर्कता दस्ते की अब तक की क्या उपलब्धियां हुई हैं? उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सतर्कता दस्ते ने एच० टी० लाइन के उपभोक्ताओं को भी चैक किया है? यदि हां, तो कितने उद्योगों में कितने यूनिट चोरी पकड़ी गई? अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सतर्कता दस्ते में पुलिस अफसर के अलावा तकनीकी व्यक्ति होता है? यदि हां, तो किस हैसियत का?

(4) सतर्कता दस्ते ने बिजली चोरी के कितने मेथड पकड़े?

(5) किस उपभोक्ता ने अमुक मात्रा में बिजली चोरी की इसका पता कैसे लगा व पता लगाने में क्या तरीका अपनाया गया?

(6) विद्युत अधिनियम की किस धारा के तहत बिजली के दुरुपयोग व चोरी की मात्रा तय करने का अधिकार बोर्ड के किस दर्जे के अधिकारी को मिला है? क्या आर० एम० ई० ओ० व सतर्कता दस्ता ने नियमों व धाराओं का उल्लंघन नहीं किया है? यदि नहीं, तो अनुपूरक बिल सीकर वृत के कृषि उपभोक्ताओं को किस अधिकारी ने कौन से नियमों के तहत दिये?

विद्युत मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, विद्युत मण्डल ने एक केन्द्रीय सतर्कता दस्ता कायम किया है, सतर्कता दस्ते की उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी हां, 28 ए० टी. उपभोक्ताओं को चेक किया गया है। विभिन्न टेरिफ पर उपयोग होने वाली बिजली

Page No 3

(3)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सम्बन्धी कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। चेक किये गये उपभोक्ताओं की सूचि 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, सतर्कता दस्ते में पुलिस ऑफिसर के अलावा एक तकनीकी अधिकारी सहायक अभियन्ता के स्तर का है।

(4) चोरी कई तरीके से की गई है। जिनकी सूची 'ग' संलग्न है।

(5) बिजली चोरी की मात्रा का अनुमान (एस्टीमेट) उस उपभोक्ता के पिछले वर्षों के उपभोग रिकार्ड को देख कर किया जाता है। यह देखा जाता है कि उपभोक्ता के यहां मीटर लगने के पश्चात् जितने समय मीटर ठीक चला उस समय काश्त के मौसम में क्या औसत (एवरेज) आया। उपभोक्ता से एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों से यह जानकारी भी ली जाती है कि सम्बन्धित उपभोक्ता कितने घंटे व कितने दिन महीने में बिजली का उपयोग करता है। इसके अलावा उस क्षेत्र के लगभग उसी प्रकार के अन्य उपभोक्ताओं के उपभोग अंकों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सम्बन्धित उपभोक्ता के मीटर रीडिंग में दिये गये रिकार्ड भी देखे जाते हैं। इन सब सूचनाओं के आधार पर बिजली चोरी की मात्रा का अनुमान बनाया जाता है।

(6) बिजली के दुरुपयोग व चोरी की मात्रा के बारे में अनुमान (एस्टीमेट) करने का अधिकार जनरल कण्डीशन्स आफ सप्लाई आफ इलेक्ट्रिसिटी एण्ड मिसलेनियस चार्जेज की धारा 29 'सी०' ii के तहत वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता का है। विद्युत् मण्डल व केन्द्रीय सतर्कता दस्ता नियमों के अन्तर्गत ही कार्य करता है। केन्द्रीय सतर्कता दल चोरी की मात्रा की अनुमानित तालिका बनाकर सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता को धारा 29 (सी) ii के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये भेजता है। अधीक्षक अभियन्ता के पश्चात् बिल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को जारी किये जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री झाबरमल सुण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो प्रश्न '6' में जवाब दिया 'केन्द्रीय सतर्कता दल चोरी की मात्रा की अनुमानित तालिका बनाकर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को धारा 29 (सी) ii के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये भेजता हैं। क्या इसके लिये गजट नोटिफिकेशन हो चुका है? अलग से उनके लिये हो चुका है क्या?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक्ट में प्रावधान है उसमें जो भी नियम बनाये जाते हैं वह सभी गजट में नोटिफाई होते हैं और उसके बाद ही यह किया जाता है फिर अलग से उनका गजट नोटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

श्री झाबरमल सुण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये अधिकारियों को जो पावर्स आपने नियमों के अनुसार दी हैं उन सभी का अलग से गजट नोटिफिकेशन होना चाहिये। नहीं तो दूसरे अधिकारियों को इसमें पावर्स नहीं होती हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, नियम जो बनाये जाते हैं वह पहले लॉ डिपार्टमेन्ट में एग्जामिन होते है और उन्हीं के अनुसार बाद में गजट नोटिफिकेशन होता है। तो जब सभी के लिये एक साथ गजट नोटिफिकेशन पूरे नियमों का ही हो जाता है फिर इनका अलग से नोटिफिकेशन कराने की क्या आवश्यकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें कितने व्यक्ति पकड़े गये, उसमें आपने कितनों का चालान किया है? कितनों पर आपने पेनेल्टी इम्पोज की है? क्या किसी का आपने चालान किया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है। अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते तो मैं आपको उनके भी जवाब देता।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया है उसका आज जवाब जब हो तब आप इसके बारे में भी पूछताछ कर लेना।

श्री झाबरमल सुण्डा : येफ्ट केसेज में कितने आदमी हैं जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब के लोग है? या इसमें कितने कमजोर वर्ग के लोग हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने यह अलग से पूछा है कितनों का चालान हुआ है। हालांकि फिगर्स अभी मेरे पास नहीं हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इसमें किसी न किसी का चालान जरूर हुआ है। अभी मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में जवाब दूंगा तब आपको मैं इसके बारे में जानकारी करके बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

जालोर जिले की पंचायत समितियों में न्यूट्रीशन कार्यक्रम

347. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचौर क्षेत्र में एप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम शीघ्र चालू करने के लिये राज्य सरकार का आश्वासन था? अगर हां, तो अब तक इस कार्यक्रम को क्यों नहीं चालू किया गया है? अब कब तक चालू करवा दिया जायेगा?

(2) जालोर जिले की अन्य पंचायत समितियों में कार्यक्रम को कब तक लागू करवा दिया जावेगा।

पंचायत मन्त्री (श्री रामनारायण चोधरी) : (1) पंचायत समिति सांचोर क्षेत्र में राज्य सरकार का एप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम शीघ्र चालू करने का आश्वासन नहीं था बल्कि मामला विचाराधीन था। इस पंचायत समिति को पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में लिये जाने पर विचार किया जावेगा।

(2) जालोर जिले की अन्य पंचायत समितियों में एप्लाईड न्यूट्रीशन प्रोग्राम चालू करने की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय यह विचाराधीन काम कितने समय तक कितने वर्षों तक चलता रहेगा? आखिर इसका कोई समय है कि नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्यक्रम धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो सकता है। वैसे राज्य सरकार ने कोई आश्वासन तो दिया नहीं था, सदन में राज्य सरकार ने सिर्फ विचाराधीन का कहा था। तो अब सन् 76–77 तक सांचौर पंचायत समिति इसमें शामिल करली जायेगी।

प्रश्न संख्या 348

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

बाड़मेर एवं जैसलमेर में भू-जल मण्डल द्वारा सर्वेक्षण

349. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज एवं बाड़मेर जिले के बोथिया, भाडखा, नोबला भीमड़ा, ऊंडू, कानासर एवं भीवाड-नल कूपों से कितने वर्षों तक सम्बन्धित जल प्रदाय योजनाओं के ग्रामों को पानी पहुंचाने की क्षमता है ?

(2) क्या इस बारे में भू-जल बोर्ड ने कोई सर्वे किया है ? यदि हां, तो सर्वे की रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) यदि नहीं, तो इस बारे में सर्वेक्षण कब शुरू होकर रिपोर्ट कब तक तैयार कर दी जायेगी ?

राज्य मन्त्री खनिज (श्री जुझारसिंह): (1) संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यू० एन० डी० पी०) के अन्तर्गत जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर लाठी सीरीज में किये गये मुल्यांकन के अनुसार 42 अतिरिक्त अधिक क्षमता वाले नलकूपों में से दो सौ वर्ष तक मीठा पानी देने की क्षमता है। बाड़मेर जिले में भू-जल विभाग द्वारा केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण ही किया गया है इसलिये निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज का विस्तृत सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यू० एन० डी० पी०) द्वारा किया गया था। बाड़मेर जिले का विस्तृत सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। अतः रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बाड़मेर जिले का विस्तृत भू–जल सर्वेक्षण इस वर्ष शुरू कर दिया जायेगा। जिसकी रिपोर्ट तीन वर्ष बाद प्राप्त हो सकेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि यह लाठी सीरीज कहां से आई है ? इसमें हमारे यहां के बाड़मेर जिले के बोथिया भाउडा नोबला, भीमड़ा, ऊंडू, कानासर एवं भीवाड़ में कब तक नल कूप लग जायेंगे और यह कितने साल तक इन ग्रामों को पानी पहुंचा सकेंगे ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बाड़मेर के बारे में पूछ रहे हैं मेरा यह निवेदन है कि अभी तक बाड़मेर जिले का पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह सर्वे का काम इस साल से शुरू हो जायेगा। इस लाठी

(श्री जुझारसिंह)

सीरीज का सर्वे 3292 जगह हुआ था, उस रिपोर्ट के अनुसार यू० एन० डी० पी० ने यह बताया है कि 28 हजार 680 मिलियन क्यूसेक्स पानी वहां पर मीठा प्राप्त होगा और इसके अलावा 22912 मिलियन क्यूसेक्स पानी ऐसा प्राप्त होगा, जो कि लवण युक्त है। यह जो पानी है, करीब दो सौ वर्ष तक चलने का इसका टाइम है। बिग साइज पम्प लगाये जावेंगे तो काम चलेगा और मीडियम साइज के पम्प लगाये जावेंगे तो दो सौ वर्ष तक पानी देने की क्षमता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नीमला, बाडका, सानासर, ऊडू ये लाठी सीरीज के ट्यूब वेल में आते हैं या नहीं ? सर्वे किया गया है या नहीं ?

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : लाठी सीरीज का पानी खत्म होने वाला है तो हर साल कितना खत्म होने वाला है ? क्या 200 वर्ष के बाद में बिल्कुल खत्म हो जावेगा ? क्या मायने हैं ?

श्री जुझारसिंह : इसका माइनिंग किया जावेगा। डिस्चार्ज होने वाला है। रिप्लेसमेन्ट का भी नहीं हैं। लाइफ इसकी उन्होंने बतायी है। एक बार निकालने के बाद रिप्लेस करने के चान्सेज नहीं हैं।

श्री भोपालसिंह : किस सोर्स से पानी इकट्ठा हुआ था ? या केवल आपका सरमाइज है ?

श्री जुझारसिंह : यूनाइटेड नेशन्स के द्वारा इसका सर्वे हुआ है। एक्युमुलेटेड वाटर है उसका डिस्चार्ज होने वाला है। 200 वर्ष तक चलने का है। एक बार निकल जाने के बाद रिप्लेस होने का सवाल नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जैसलमेर का है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है और उस समय डिटेल्स में जवाब आ जावेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यू. एन. डी. पी. ने सर्वे की रिपोर्ट दी है उसकी रिपोर्ट सदन को तो दें।

श्री जुझारसिंह : हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसको उपलब्ध करके प्रस्तुत करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : उपलब्ध हो जावेगी तो करवा दी जावेगी।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : बाड़मेर जिले के भू-तल में जलस्रोत उपलब्ध है या नहीं उसका सर्वे नहीं किया गया और ऐसे इलाके में किया गया जहां कि जल उपलब्ध है। ऐसे जिले के बारे में नहीं किया है उसके लिये क्या विचार है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बाड़मेर के लिये पूछ रही हैं। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया है उसमें माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया !

ढूंढ व बनास नदियों पर बांध बनाने की योजनायें

350. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(1) तहसील दौसा, बस्सी व जमुवा रामगढ़ के कितने क्षेत्र में 1974 तक बांधों से सिंचाई होती रही है ?

(2) उक्त क्षेत्र में सन् 1974-75 में बांधों द्वारा कितना क्षेत्र सिंचित हुआ ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र सन् 1947 के मुकाबले बढ़ा है ? यदि हां, तो कितना कितना ? क्या इस सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि राज्य के अन्य भागों की तुलना में समान है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इसकी पूर्ति कब तक करेगी ?

(4) क्या ढूंढ व बनास नदी पर बांध बनाने की योजनायें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का पूरा विवरण मय किये गये खर्चे के विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) राज्य सरकार इन योजनाओं को कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : (श्री हीरालाल देवपुरा, सिंचाई मंत्री के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर) इसको तो पहले मुंशीलालजी महावर को हैंड ओवर कर देते तो अच्छा होता।

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) तहसील दौसा व रामगढ़ में सन् 1947 तक 6084 एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी उस समय बस्सी तहसील अलग से नहीं थी।

(2) उक्त क्षेत्र में सन् 1974-75 में 13099 एकड़ भूमि सिंचित हुई।

(3) सन् 1947 के मुकाबले सिंचित क्षेत्र 1975-76 तक 18703 एकड़ बढ़ा है। राज्य की औसत बढ़ोत्तरी के मुकाबले में यह बढ़ोत्तरी अधिक है।

(4) (अ) ढूंढ नदी पर कानोता नामक स्थान के निकट बांध बनाने की योजना विचाराधीन है। इस योजना का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है और भारत सरकार व योजना आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। इस योजना के सर्वेक्षण पर रु० 0.99 लाख व्यय किया गया।

(ब) बनास नदी पर बीसलपुर नाम के स्थान पर बांध बनाने की योजना जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजी गयी है। यह योजना मुख्यत: जयपुर, अजमेर व अन्य शहरों की पेयजल व्यवस्था के लिये बनायी गयी है। इस योजना के सर्वेक्षण कार्य पर 60 हजार रु० व्यय किया गया है।

(5) इन योजनाओं में से बनास बांध का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है। ढूंढ नदी के बांध की योजना की स्वीकृति आने पर वह धन राशि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जावेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह सही है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं वे केजुअल्स हैं। जमुआरामगढ़ से जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने के बाद सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है जब कि सन् 1945 से पहले वस्तुस्थिति यह है कि वहां के पानी से सिंचाई होती थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक आंकड़े पूछे हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

75-76 के आंकड़े पूछे वह मैंने दिये । सन् 1947 के लिये पूछा वह भी मैंने दिये हैं। इस वर्ष में सिचाई कितनी हुई वह भी मैंने आंकड़े दिये हैं । यदि आपने यह पूछा होता कि कितना सिंचाई क्षेत्र आया है, तो मैं आपको बताता । यह बात सही है कि पेयजल के लिये उपलब्ध कराने के बाद अधिक पानी होता है तो ही सिंचाई के लिये काम में लाया जाता है । सन् 1961 के पूर्व यह सिचाई का बांध था । 1961 के बाद मुख्यत: इसको वाटर सप्लाई का बांध बना दिया गया । जन स्वास्थ्य विभाग को यह ट्रान्सफर कर दिया गया है। इस वर्ष बारिश अच्छी थी और गत वर्ष भी बारिश अच्छी थी । गत वर्ष भी इससे सिचाई की और इस वर्ष भी। यह फेक्ट है कि रामगढ़ बंधे से जयपुर वाटर सप्लाई में पानी अधिक उपलब्ध होता है।

श्री मूलचन्द शामरिया : चूंकि पानी ज्यादा आया तो आपके आंकड़े बड़े हो गये। वास्तविकता यह है कि जब से इस बांध को जन स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है, जमुआरामगढ़, बस्सी, दौसा के क्षेत्र की जो सिंचाई होती थी वह बिलकुल खत्म हो गयी और इसकी पूर्ति किसी दूसरे सोर्स से नहीं की गयी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि इस साल रामगढ़ बन्धे की दो तीन फीट चादर चली है और ऐसी घटना पहले भी हुई है ? क्या इसके केचमेन्ट एरिया को बढ़ाकर इसकी केपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और इससे अधिक सिंचाई की जा सकती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ बन्धे से सिचाई उन क्षेत्रों में होती थी, वह सिचाई रेगुलर वे में नियमित रूप से पहले होती थी। वह सिचाई अब नहीं हो सकती, यह सत्य है। इसकी वास्तविकता सब ही जानते हैं। रामगढ़ बन्धे को जयपुर को वाटर सप्लाई के लिये, पीने के पानी के लिये जन स्वास्थ्य विभाग को ट्रान्सफर किया जाना भी सब को मालूम है। रामगढ़ बांध के अलावा बांध बना कर सिचाई कर सकते हैं यह सम्भव नहीं है। जहां फिजिबल हो, वहां ही बांध बनाया जा सकता है। रामगढ़ में दो वर्ष से बराबर देख रहे हैं, पहले खतरा महसूस होता था कि पर्टीकुलर लेवल तक से ज्यादा लोग तो लेफ्ट हैण्ड साइड की पाल है, निकल जावेगी। इस बार भी देखा और गत वर्ष भी देखा कि पानी आया और वह पाल उसको रोक सकी, रेसिस्ट कर सकी। बांध में अधिक पानी रोकने की कोशिश की और उससे हमने सिचाई बढ़ायी माननीय सदस्यों को मालूम है कि 14 हजार एकड़ से अधिक भूमि की रामगढ़ के बन्धे से सिंचायी हुई। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पानी रोक कर इसका प्रयत्न किया जाय । जितना पानी आता है, वेस्ट वीयर इतने छोटे हैं कि जितना पानी आता है उसको न निकाल दें तो पाल टूटने का खतरा रहता है। इसलिये रेगुलेटर गेट बनावें जिससे पानी को रेगुलेट कर सकें और इतना पानी ले सकें कि जिससे सिचाई भी हो सके और पीने के पानी की समस्या पर भी असर न पड़े। बनास नदी के ऊपर बीसलपुर की योजना विचाराधीन है। अगर बनास नदी के ऊपर बीसलपुर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की योजना पूरी हो सकी और बांध बन गया तो निश्चित रूप से इस बंधे के ऊपर भी असर पड़ेगा और इससे सिंचाई के लिए पानी मिलना सम्भव हो सकेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) : मैं जानना चाहता था कि बीसलपुर की योजना कब भेजी गयी है और इसके एस्टीमेट्स क्या हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कहा है कि इससे सिंचाई विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने सिंचाई विभाग की तरफ से जवाब दिया तो मैं जानना चाहता था कि टोटल एस्टीमेट्स कितने हैं ? आपने कहा था कि यह योजना भेजी गयी तो यह कब भेजी गयी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा था कि प्रिलिमिनेरी सर्वे में 60 हजार रुपया खर्च हुआ है और आगे की योजना जन स्वास्थ्य विभाग वाले एस्टीमेट कर रहे हैं और वही स्वीकार करायेंगे, मैं नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या यह सही है कि पहले यह योजना सिंचाई विभाग के सहयोग से बनी थी और सिंचाई विभाग से एक करोड़ रुपया दिये जाने की बात तय की गई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो साफ कहा है कि सिंचाई विभाग ने इस योजना का सर्वे किया और जहां जहां सर्वे होते हैं वहां सिंचाई विभाग से ही होते हैं। क्योंकि सिंचाई विभाग वेल-इक्विप्ड है, इसलिए उससे ही सर्वे करवाते हैं। पहले योजना यह थी कि यह योजना ड्यूल परपज की योजना बने। इससे सिंचाई भी हो सके और पीने का पानी भी मिल सके, लेकिन जब ऊपर से पानी की आवक को देखा गया और जयपुर शहर के पीने के पानी की आवश्यकता को देखा तो सिंचाई के लिए बचने वाला पानी उससे नहीं मिलता है केवल वाटर सप्लाई की योजना ही बनती है। तो फिर सिंचाई विभाग इससे बैक-आउट हो गया। जब सिंचाई विभाग ने देखा कि इस योजना से सिंचाई विभाग के लिए पानी मिलेगा ही नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं था इस योजना में आगे बढ़ने का।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। बहुत अहम् प्रश्न है। आपने जमुवा रामगढ़ बांध पर एक गेट बना दिया है उससे यह शंका होती है कि शायद आप भविष्य में पानी को पूर्ण क्षमता तक रोकेंगे या फिर उस गेट तक पानी आने पर उसको खोल देंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि जब पेयजल से अधिक पानी आता है तो सरकार की यह क्लियर-कट पालिसी नहीं है कि अमुक मात्रा से अधिक पानी आने तक सिंचाई विभाग अपने आप सिंचाई के लिए पानी दे दे जिससे कि समय पर विभाग वाले पानी दे सकें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : गेट इसलिए बना रहे हैं कि पानी भराया जा सके तो शंका नहीं होनी चाहिए। गेट बनाने की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जरूरत ही नहीं होती अगर पानी का भराव नहीं करना होता। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस साल भी पानी सिंचाई के लिए दिया है और निश्चित रूप से सिंचाई विभाग यह चाहता है कि जो भी पानी है वह सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सके, यह तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप यह कह दें कि इतनी मात्रा से अधिक पानी होगा तो सिंचाई के लिए वितरित किया जावेगा। सिंचाई अब की से बहुत लेट हुई और किसानों को फायदा नहीं हुआ जो कि समय पर पानी पहुँचाने से होता। आप हमेशा के लिए यह तय करदें कि अमुक मात्रा से अधिक पानी होने पर सिंचाई के लिए दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामसिंह विश्नोई।

कृषि कार्यों में काम आने वाली वस्तुओं की कीमत

351. **श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि में काम आने वाली वस्तुओं की कीमत जैसे रासायनिक खाद, दवाइयां, बीज, ट्रेक्टर, ट्रेक्टर पार्ट्स, बिजली की दर, मजदूरी में पिछले दो वर्षों में कितना गुना वृद्धि हुई तथा कृषि पदार्थ जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, मूंग, मोठ, ग्वार, कपास, मिर्च, सौंफ, मेथी में कितनी गुना गिरावट आई ?

(2) क्या कृषि विभाग के पास दो वर्ष के आंकड़े हैं ? अगर हां, तो सूची मय आंकड़ों के प्रस्तुत करें व भविष्य में कृषि के काम में आने वाली वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत को रोकने में क्या प्रयत्न व कदम उठाये जा रहे हैं व भावों को गिरने से बचाने हेतु क्या कदम उठा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जून, 1974 में उर्वरक के मूल्यों में, यूरिया में 90 प्रतिशत व डी० ए० पी० में 135 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जुलाई, 1975 में यूरिया के मूल्यों में 7.5 प्रतिशत व डी० ए० पी० में 6 प्रतिशत की कमी की गयी। दुबारा दिसम्बर, 1975 में डी० ए० पी० के मूल्यों में 7 प्रतिशत की कमी की गयी। तीसरी बार मार्च, 1976 में यूरिया के मूल्यों में 5 प्रतिशत की और कमी की गयी। पोटाश के मूल्यों में जून, 1974 में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, इसके बाद जुलाई, 75 से मार्च, 76 तक तीन बार मूल्यों में 25 प्रतिशत की कमी की गयी।

कीटनाशक औषधियों में बी० एच० सी० के मूल्य 1973-74 के मुकाबले में वर्ष 1974-75 में तिगुने हुए थे। वर्ष 75 में इसमें 50 प्रतिशत की कमी की गयी है किन्तु अन्य कीटनाशक औषधियों के भावों में 50 से 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 74 के मुकाबले में वर्ष 75 में बीज के भावों में वृद्धि 33 प्रतिशत संकर मक्का, 65 प्रतिशत संकर बाजरा, 9 प्रतिशत रतना धान व 7.5 प्रतिशत जौ में हुई है, किन्तु भावों में कमी 5 प्रतिशत, नया

(श्री शिवचरण माथुर)

धान; 5 प्रतिशत संकर ज्वार, 5 प्रतिशत गेहूँ, व 17 प्रतिशत चने में की गयी है।

ट्रेक्टरों के भावों में वर्ष 1974 के मुकाबले में वर्ष 1975 में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बिजली की दरों में करीब 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पुरुषों व स्त्रियों की कृषि कार्यों की मजदूरी में वर्ष 1974 में 1973 के मुकाबले में सामान्य कार्यों के लिए 3 से 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। बच्चों को मजदूरी में यह वृद्धि 16 प्रतिशत तक की हुई है केवल सिंचाई व कपास बुनाई की मजदूरी में 9 से 20 प्रतिशत पुरुषों व स्त्रियों की 21 से 64 प्रतिशत बच्चों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी हुई है।

इसी समय में भावों की कमी गेहूँ में 33 प्रतिशत, बाजरा में 37 प्रतिशत, ज्वार में 32 प्रतिशत, मोठ में 20 प्रतिशत, मूंग में 31 प्रतिशत, धान में 11 प्रतिशत, मेथी में 33 प्रतिशत, ग्वार में 31 प्रतिशत व कपास में 28 प्रतिशत हुई है, केवल मिर्च के भावों में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(2) जी हां, तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है। कृषि उपज के भाव समर्थित मूल्य से नीचे गिरने से बचाने के लिए राज्य सरकार खाद्य निगम के माध्यम से खरीदने का प्रबंध कर रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय जब खाद्यान्न के भाव इतने ज्यादा बाजार में गिरे और किसान के काम आने वाली चीजों के भाव में कमी नहीं हुई बल्कि उनमें दुगनी और तिगुनी वृद्धि हुई है, तो आपने उसको कम करने के क्या उपाय किये? दूसरे, दिल्ली के अन्दर श्री जगजीवनरामजी की अध्यक्षता में बैठक हुई और कृषि मंत्रियों को वहां इसके लिए आमंत्रित किया था तो क्या यह सही है कि आपने यह राय दी थी कि 105 रुपये से ज्यादा भाव नहीं होंगे? हरियाणा और पंजाब में जब अपने से सस्ता गेहूँ पैदा होता है तो 105 रुपये से ज्यादा नहीं करने की आपने बात कही–क्या यह सही है?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज मेरे कटमोशन के समय में सारी बातें कह देते तो मैं विस्तार से उस समय जवाब दे देता; लेकिन क्योंकि सवाल आपने पूछा है इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने तालिका नम्बर 3 सबमिट की है उसको देखने से मालूम होता है कि प्राइसेज् के इन्क्रीज का ट्रेण्ड जून, 1974 से शुरू से हुआ और उसके बाद प्राइसेज् एकदम शूट-अप हुए। उस समय जो जून, 74 में भाव थे उस समय एग्रीकल्चर प्राइसेज् कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उस समय 105 रुपये के भाव निर्धारित किये गये 1974 के मुकाबले और यह माना गया था उसमें कुछ इन्क्रीज दे दी। उसके बाद एक साथ प्राइसेज् शूट-अप हुए और जुलाई, 74 में भाव 132 रुपये, अगस्त में 161 रुपये, सितम्बर में 208 रुपये और अक्टूबर में 194 रुपये और नवम्बर में 195 के भाव थे और यह क्रम अप्रेल; मई तक चलता रहा। उसके बाद इमर्जेन्सी लागू हुई तो सरकार ने एन्टी

(श्री शिवचरण माथुर)
इनफ्लेशनरी मेजर्स लिये सटोरियों को राउण्ड-अप करने की कोशिश की गयी और इकानामी के डिस्टोरशन को खत्म करने की कोशिश की गयी। तो जो वास्तविक भाव थे वह आ गये। आप स्वीकार करेंगे कि जो प्राइसेज़ में एकदम जम्प आया था वह आर्टीफिशियल जम्प था। उसको जम्प नहीं कह सकते।

रहा सवाल फर्टीलाइजर के प्राइसेज़ का। तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत राइस हुआ है लेकिन फर्टीलाइजर की प्राइज का मैं मानता हूं और आप भी स्वीकार करेंगे कि वह न तो मेरे हाथ की बात है और न भारत सरकार के हाथ की बात है। यह आइल प्राड्यूसिंग कन्ट्रीज हैं उनकी अपनी पालिटिक्स है और आप जानते हैं कि वर्ल्ड की आइल पालिटिक्स क्या है। उसका असर हम पर भी हुआ है, इसको आप मानते हैं। उसी का कारण है कि यूरिया के भाव बढ़े लेकिन जहां तक कृषि विभाग का संबंध है हमने किसानों को बताने की चेष्टा की और भाव बढ़ने के बाद भी यदि फर्टीलाइजर का समुचित उपयोग करना किसान सीख जायें तो फर्टीलाइजर की क्वान्टिटी में वह कमी कर सकते हैं और उससे वही परिणाम हासिल कर सकते हैं। फर्टीलाइजर के दाम बढ़ने के बावजूद भी इस साल फर्टीलाइजर का आफ-टेक अधिक बढ़ा है। इसलिए अब फर्टीलाइजर के कारण किसान के प्राडक्शन में जैसा मैं मानता हूं कि राइज आया था, उससे इकानामी में डिस्टोरशन पैदा हुआ था, कन्ट्री में इन्फ्लेशनरी ट्रेण्ड बन गया था, उसको चैक करना वाजिब बात थी। इसलिए यह कहना कि उस प्राइस से नीचे आया है, वह उचित नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब गवर्नमेन्ट ने सपोर्ट प्राइस तय की है उससे नीचे कहीं तो जाना होता है, 105 का भाव, लास्ट ईयर जब भाव बढ़े हुए थे उस समय यथा। और जब शायद 90 और 95 तक के भाव पहुंच गये तो उस समय 105 से अधिक भाव बढ़ना उचित नहीं लगता। हमने तो यह कहा कि न घटाइये और न बढ़ाइये क्योंकि इससे इकोनोमी डिसरप्ट होगी। हमने न घटाने की बात कही और न बढ़ाने की बात कही और जो पहले के भाव हैं 105 रु. क्विन्टल के, वही भाव रखने की बात कही है, जो आज के संदर्भ में मैं समझता हूं कि जो सपोर्ट प्राईसेज़ हैं वह ज्यादा ठीक मानी जानी चाहिए। और इन भावों पर बड़े पैमाने पर परचेज की स्थिति के बारे में मैं इस सदन में कई बार पहले कह चुका हूं कि 105 रु. में गेहूं की खरीद राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम से करवाना चाहेगी और बहुत सम्भव है कि एक दो दिनों में ही गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने पालिसी डिसिजन इन भावों के बारे में डिक्लेयर कर देगी और उसके बाद सरकार खरीद शुरू कर देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द बिश्नोई !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : ऐसा है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 45 से 47 या 45 से 50 हार्स पावर तक का ट्रैक्टर है उसके ऊपर 24 हजार रुपया आपका टैक्स है और आपने कारों की कीमत करीब पांच हजार घटा दी, किसी और में भी कम कर दी, लेकिन जो कृषि के काम में आने

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

वाले यंत्र हैं उन पर इतना बड़ा टैक्स लगाना क्या आप उचित समझते हैं या उसमें कोई कमी करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो तालिकायें दी हैं क्या उनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि सारे इनपुट्स की रेट्स में, नेप्था को आप छोड़िए वह आईल कण्ट्रीज से कण्ट्रोल होता है, लेकिन इसके अलावा बिजली, पानी, ट्रैक्टर की कोस्ट और दूसरे इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, इन सब की रेट्स, इन इन्पुट्स की रेट्स इन्क्रीज हुई हैं और सारा आउट राइट पैटर्न सारा इन्क्रीज हुआ है। आप मानते हैं कि इन्फ्लेशन इन जनरल चैक हुआ है और यह सही है कि चेक अप हुआ है, वास्तव में फाईव परसेंट रिडक्शन हुआ है तो क्या इससे, माननीय कृषि मंत्रीजी, यह नतीजा नहीं निकलता है कि सारी कैपिटलिस्टिक इकानोमी और कैपिटलस्टिक वर्ल्ड की लूट किसानों के सेक्टर पर पहले से कहीं ज्यादा, कई गुना गहरी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम !

श्री चेतराम (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि अनाज के भाव गिरे हैं उसमें 7 परसेन्ट से लेकर 27 परसेन्ट तक का हिसाब आता है। मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह मूल्य सूचकांक जो आंका है वह किस ईयर से आंका है और किस आधार पर आंका है और इसके अलावा जब कि व्यावहारिक रूप से इनके दाम जब कि 170–180 तक गए और वे 5-6 महीने तक, लास्ट ईयर रहे और उसके बाद अब पांच छः महीने से 70-80 रुपये क्विन्टल के भाव से गेहूं बिक रहा है। तो माननीय मन्त्रीजी ने जो यह मूल्य निकाले हैं वह किस आधार पर निकाले हैं और उसका बेसिज क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलपतसिंह !

श्री दलपतसिंह (खारची) : मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने समय-समय पर चेष्टा की है काश्तकारों को यह बतलाने की कि फर्टीलाइजर कम उपयोग करने से भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में कौन-कौन सी बातें आपने बताई और उनका क्या नतीजा हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह संधु।

श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर) : यह जो आपने रेट्स बताई हैं वह उस समय की रेट्स हैं जिस जमाने में गेहूं किसान के पास में नहीं होता और दूसरे स्टोर करने वालों के हाथ में चला जाता था और ऐसी हालत में मैं आपसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब फार्मर्स को अब कुछ मिलने वाला नहीं है रेट सब चीजों की बढ़ गई तो प्रोड्यूसर को, फार्मर को रिलीफ देने के लिए आपने क्या सोचा है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय यह फर्टीलाईजर के बारे में तो आपकी डिफिकल्टी है और वाकई में वह डिफिकल्टी जो है आपके लिए हल करना मुश्किल

(श्री वृद्धिचंद्र जैन)

हैं। परन्तु बीज के बारे में तो निर्णय ले सकते हैं। उसके बारे में तो निर्णय लेकर के आप किसानों को सेटिस्फाई कर सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के खडे होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : अब जवाब दिला देना चाहता हूँ, सप्लीमेन्ट्री और बाद में हो जायगा।

श्री शिवचरण माथुर : वैसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी खुद की आज डिमाण्ड है और माननीय सदस्य काफी बोलते और मैं भी रात को 12 बजे तक उनको जवाब देकर सेटिस्फाई करने की कोशिश करता। लेकिन माननीय सदस्य प्रश्न काल में यह सारी बातें पूछना चाहते हैं तो मैं इसके लिए अर्ज करूंगा.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं साहब; हमारे और प्रश्न रह जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनको मद्दे नजर रखते हुए डिमाण्ड पर कहें।

श्री झाबरमल सूंडा : बहुत थोड़े में मैं भी एक दो महत्वपूर्ण बातें कह दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसके लिए और भी सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड पर कह दीजिएगा।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के 25 मिनिट बाकी हैं और हमारे बहुत से प्रश्न हैं.......

श्री रामसिंह बिश्नोई : अगर इस देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं है और भाव गिरने का कारण वास्तव में यह है कि आप अनाज बाहर से भी मंगाते हैं और स्टोरेज की कैपेसिटी भी पूरी नहीं है, महाजन के पास जो अनाज नहीं रखते हैं और बाजार में भाव गिरते हैं तो फिर बाहर से अनाज क्यों मंगाते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री झाबरमल सूंडा : उपाध्यक्ष महोदय मेरा भी एक प्रश्न है........

श्री उपाध्यक्ष : पहले जवाब सुन लें, मैं नेक्स्ट सप्लीमेन्ट्री अलाउ कर दूंगा।

श्री झाबरमल सूंडा : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न है। जब चीजों के दाम आगे बढ़ रहे हैं और हर प्रान्त की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने भी पैदावार के हिसाब से और कई तरह से अलग अलग नार्म्स तय किये हैं जिससे कहीं भाव गिरते हैं और कहीं बढ़ते हैं। जो मार्केट में दूसरी कमोडिटिज हैं उनके भाव बढ़ते रहे और हमारे जो किसानों को पैदावार है उनके भाव गिरते रहे, इसके बारे में यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्टेट गवर्नमेन्ट ने क्या सोचा है कि जब किसानों की पैदावार के भाव गिरते हैं तो दूसरी चीजों के भाव गिरने चाहिए ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, अलग-अलग चीजों के जितने जितने भाव घटे उसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन की थी। एक बात यह पूछी गई कि मूल्य सूचक अंकों का आधार क्या है। यहां पर मूल्य सूचक अंकों का तो कोई प्रश्न नहीं है। वास्तविक जो बाजार के भाव थे, वही

Page No 15

(15)

(श्री शिवचरण माथुर)

बताया है जो प्राइसेज प्रिवेलिंग थी और जैसा माननीय सदस्य ने पूछा था कि एक वर्ष में कितने कितने भाव किस किस चीजों के गिरे हैं वह मैंने मन्थवाइज, महीनेवार बताई हैं, इसमें मूल्य सूचक अंकों का प्रश्न नहीं उठता है ।

दूसरा फर्टीलाइजर के बारे में पूछा गया । मैंने आपको निवेदन किया कि फर्टीलाईजर के यूज के बारे में मोटे तौर पर यह कहा गया है कि फर्टीलाइजर का घोल बना कर यदि यूरिया को फोलिएज स्प्रे किया जावे, जो जड़ों में, बेसड में स्प्रे करते हैं खाद देते हैं उससे अधिक फायदा होता है अगर उसको पत्तियों पर घोल को डालते हैं, स्प्रे करते हैं तो उतना ही फायदा होगा और इसमें फर्टीलाइजर कम लगेगा । यह मैंने खुद ने देखा है जहां पर फोलिएज स्प्रे किया गया है वहां पर फर्टीलाइजर का यूज कम हो गया है और उतना ही फायदा हुआ है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो डोज तो कम से कम जड़ों में देना ही पड़ेगा ।

श्री शिवचरण माथुर : यह ठीक है, शुरु में देना पड़ेगा, लेकिन इस फोलिएज यूज से फर्टीलाइजर का यूज कम होगा और परिणाम भी वही आएगा । जैसा मैंने निवेदन किया कि यह हमारे हाथ में है, हमने रिकमण्ड किया कि आप पहला जो डोज है वह बेस में दे दें और उसके बाद ऊपर पत्तियों में देने से काफी फर्टीलाइजर का यूज कम होगा....

श्री श्रीराम गोटेवाला : बाकी डिमाण्ड के टाइम में जवाब दे देना । हमारे प्रश्न रह जावेंगे साहब....

श्री उपाध्यक्ष : यह रिक्वेस्ट तो प्रश्नकर्ता की तरफसे आनी चाहिए ।

श्री शिवचरण माथुर : एक सवाल यह पूछा गया कि फार्मर्स को रिलीफ देने के लिए क्या फैसला कर रहे हैं । इस बारे में सरकार की बहुत डिक्लेयर्ड पालिसी है । सरकार का बहुत ही टेक्निकली क्वालीफाइड एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन बना हुआ है जो बहुत ही इम्पार्शिल कमीशन है और उसने सारी स्टेटों में जगह जगह जाकर अलग अलग भावों को तय किया है और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिंग प्राइसेज क्या होनी चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो सके यह नीति निर्धारित करते आए हैं । उसके बाद में सारे मुख्य मंत्रियों को और खाद्य मंत्रियों को वहां बुलाया जाता है और फिर भारत सरकार तय करती है । अलग से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से ब्राड बेस्ड पालिसी को तय कर दे आज के संदर्भ में वाजिब नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो 105 रु० गेहूं का भाव तय किया गया है वह किसानों को रिलीफ देने वाली बात है । 105 रु० के भाव अगर हम तय नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज की जो अच्छी फसल है उसके अन्दर एकदम और भी नीचे चले गए होते । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जब से हमने 105 रु० के भाव की, बात की उसके बाद से एक प्रकार से भाव ऊपर आए हैं और आज गेहूं के भाव मंडियों के 105 रु० के आस पास हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : बाकी उस समय जवाब दे देना साहब, हमारे सारे प्रश्न रह जायेंगे ।

प्रश्न संख्या 352

श्री उपाध्यक्ष ! नेशरट, श्री रणजीतसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा सिनेमा घर एवं आर. एस. ई. बी. को दी गई जमीन।

353. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा आर. एस. ई. बी. को जमीन दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी, किस दर से और कुल जमीन की कितनी राशि नगरपालिका आर. एस. ई. बी. से मांग रही है ? क्या यह राशि अदा की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन के पास ही नगरपालिका द्वारा एक सिनेमा घर के लिए जमीन दी गई है ? यदि हां तो कब कितनी जमीन किस भाव से और, सिनेमा घर का नाम तथा मालिकों का नाम क्या-क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि सिनेमा घर और आर. एस. ई. बी. को दी गई जमीन की दरों में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों और कितना ?

(4) उक्त रियायत का विशेष कारण क्या है ? क्या इस रियायत के लिये नगरपालिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

(5) क्या राज्य सरकार सिनेमा घर के लिये दिये गये प्लाट रद्द करने का विचार रखती है या उसके मालिकों से उचित मूल्य वसूल करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। आर. एस. ई. बी. को कुल 11000 वर्ग गज भूमि 30 रुपये प्रति वर्गगज की दर से दी गई है जिसके 3,30,000 रुपये नगरपालिका द्वारा मांगे जा रहे हैं। अभी तक कोई राशि अदा नहीं हुई है।

(2) जी हां। सिनेमा घर हेतु दिनांक 25-4-58 को कुल 35,652 वर्गफीट भूमि 50 पैसे प्रति वर्गगज दी गई। सिनेमाघर के मालिक का नाम अवतारसिंह पुत्र सन्तसिंह है तथा सिनेमा का नाम कंवल टाकिज है। यह जमीन अभी तक खाली पड़ी है।

(3) जी हां। इसका कारण सिनेमा के लिये भूमि सन् 1958 में व आर. एस. ई. बी. को 1969 में दिया जाना है। इतने समय में भूमि की दरों में काफी बढ़ोत्तरी होना ही है।

(4) प्रश्न 3 के उत्तर के बाद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(5) प्रश्न '3' के उत्तर के बाद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सिनेमाहाल के मालिक ने पैसा कब जमा कराया ?

श्री रामनारायण : सन् 1972 में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सन् 1958 में जमीन दी और सन् 1972 में पैसा जमा कराया और इसके बावजूद इस जमीन को कैन्सिल नहीं किया गया जबकि उसका उपयोग नहीं हुआ है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा इस नगरपालिका ने इतनी कम दर पर सिनेमा मालिक को जमीन दी है, तो क्या इस नगरपालिका के खिलाफ कोई एक्शन लेने का मंत्री महोदय विचार रखते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह 35,652 वर्ग फीट जमीन जो इस सिनेमा के लिए दी गयी है, यह नगरपालिका के द्वारा सन् 1958 में 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी गयी है। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है। इसलिए जहां तक नगरपालिका के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, वह नहीं उठता है। नगरपालिका ने इस पर राज्य सरकार से स्वीकृति ली है और राज्य सरकार ने सारी स्थिति को देख कर ही यह स्वीकृति दी होगी। इसलिए नगरपालिका का कोई दोष जाहिरा तौर पर नजर नहीं आता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1958 में स्वीकृति दी गयी और सन् 1972 में पैसा जमा कराया गया, याने 14 साल के वनवास के बाद यह पैसा जमा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो रेट नगरपालिका ने चार्ज की उसको तो आपने उचित समझा। उसके बाद सिनेमा को भी बढ़ी हुई रेट पर जमीन दी जानी चाहिये थी। इसके अलावा आपके यह नियम बने हुए हैं जो जमीन एलाट की जाती है उस पर दो साल के अन्दर-अन्दर निर्माण कार्य हो जाना चाहिए। यह जमीन बराबर खाली पड़ी है। तो इस मामले को क्यों टाला जा रहा है ?

श्री दीपंकर : यह विशेष रियायत नगरपालिका ने सिनेमा मालिक से मिलकर दी है। यह नगरपालिका इस काबिल है कि इस पर एक्शन लिया जाये। इतनी सस्ती रेट पर यह जमीन कैसे दे दी है ?

श्री बेगाराम (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में एक-दो प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है। वहां का जो चेयरमैन श्री महेन्द्रसिंह है, वह बड़े-बड़े भूपतियों को कारखानों और सिनेमा के लिये जमीन दे रहा है परन्तु वहां के जो हरिजन हैं, जिन्होंने तीन-तीन साल से नगरपालिका को दरख्वास्तें दे रखी हैं, उनको आज तक एलॉटमेन्ट जमीन का नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां के चेयरमैन को आपने पॉवर दे दी है कि वह एक प्लाट हरिजनों को नहीं दे और कारखानों, सिनेमा को जमीन दे सकता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न से यह स्पष्ट है और जो आपने सूचना दी है उससे भी यह स्पष्ट है कि 14 साल तक यह जमीन खाली पड़ी रही। मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि 14 साल से यह जमीन खाली पड़ी रही और नगरपालिका के पास इसका पैसा जमा नहीं कराया गया जबकि यह जमीन 6 लाख से ऊपर की है। 50 हजार रुपया रिश्वत का ऊपर-ऊपर दिया गया है, तब उसका पैसा जमा करवाया गया है। हर प्रश्न का आप लाइटली उत्तर दे रहे हैं। यह प्लाट 5 लाख से कम कीमत का नहीं था। एक प्रधान की भैंस वहां पर बन्धी रहती थी। यह किराये पर चलता था जिसकी कीमत 5 लाख रुपया है। यह रियायत इन सेठों को आप

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

क्यों दे रहे हैं ? अवतारसिंह इसका नाम सही नहीं है, यह वास्तव में सेठ ईसरदास प्यारेलाल है जिसने आज बीस लाख की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। आपने डिप्टी डायरेक्टर को भी तहकीकात के लिए भेजा था। उन्होंने जमीन की पैमाइश नहीं की है और वहां पर दो बीघा जमीन ज्यादा दबा रखी है। यह शर्मा साहब भी वहां से पैसा खाकर वापस आ गये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जमीन 18 साल से खाली पड़ी है। यह सही है कि 958 में स्वीकृति दी गयी और 1972 में इसका पैसा जमा हुआ। इन 14 साल के दरमियान क्या बातें रहीं, यह प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इसलिए इसकी जानकारी मेरे पास में नहीं है। मैं मानता हूं कि सन् 1958 में स्वीकृत जमीन का 14 साल तक रुपया जमा नहीं रहा, यह अपने आप में बहुत बड़ी अनियमितता नगरपालिका की ओर से हुई है। यही नहीं, 14 साल से आज तक इस जमीन के ऊपर कोई कन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है और 50 पैसा प्रति वर्गगज की रेट से नगरपालिका ने राज्य सरकार को सिफारिश की और इसकी राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। मैं नहीं कह सकता कि राज्य सरकार ने कैसे यह स्वीकृति जारी की। फिर भी इस सारे मामले की दुबारा जांच करवाई जा सकती है। दुबारा जांच होगी और मैं नगरपालिका को आदेश दे रहा हूं कि इस जमीन पर अभी किसी प्रकार का कन्स्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं दे और जो स्टेटस इस जमीन का है, वही बना रहने दे। इस मामले को पूरा एग्जामिन करा कर जो फेक्ट्स सामने आएंगे, उस पर राज्य सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश !

हलेना (पंचायत समिति वैर) में कस्टोडियन की भूमि का मामला

354. श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हलेना पंचायत समिति वैर, जिला भरतपुर में कस्टोडियन की भूमि को श्री रमेशचन्द्र भूतपूर्व सरपंच द्वारा स्वयं की बताकर किसी अन्य को बेचने के बारे में राज्य सरकार के समक्ष शिकायत की गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जब शिकायत की जांच की गयी तो यह शिकायत सही पायी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि कस्टोडियन द्वारा इस मामले में थाना वैर में शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो कब और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। दिनांक 4-8-73 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिस पर पुलिस विभाग कार्यवाही कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I have closed it. दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : इस मामले की जांच के लिए विधायकों की एक कमेटी बनायी जाये। अधिकारियों से इसकी जांच नहीं कराई जाकर हाउस की कमेटी से इसकी जांच करायी जाये।

श्रीमती उषा प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पुलिस विभाग से पूछा था फिर यह रेवेन्यू विभाग के पास कैसे आ गया ? मैं यह जानकारी करना चाहती थी ...

श्री उपाध्यक्ष : पुनर्वास विभाग के पास है; रेवेन्यू के पास नहीं है।

श्रीमती उषा प्रकाश : आपने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी 4-8-73 को। इसके बाद पुलिस ने क्या तहकीकात की है ? पुलिस ने इसके बारे में इन्फार्मेशन तहसीलदार से मांगी है वांछित फलां फलां कागज पुलिस को भेजे जायें। तो क्या जो सूचना पुलिस ने मांगी थी इन्क्वायरी के सिलसिले में, वह इन्फार्मेशन तहसीलदार ने पुलिस को दे दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास में नहीं है।

श्रीमती उषा प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहती हूँ कि तहसीलदार इस इन्क्वायरी में पुलिस को कोई सहकार नहीं कर रहा है, जो कागजात पुलिस इस सिलसिले में मांग रही है, वह कागजात तहसीलदार नहीं दे रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : सहकार की बात तो अलग है लेकिन जैसी कि मुझे जानकारी है, कागजात सारे दे दिये गये हैं। यहां पर मेरे पास यह आया था, एक्स सरपंच जो मिलम्बित है, की यह शिकायत आयी थी कि यह मेरी पुश्तैनी जमीन है, यह इनहैरिटेन्स से उनके पास चली आ रही है। मेरे विभाग को फरदर प्रोब करने के लिए मैंने कहा था और उनकी जो रिपोर्ट मुझे मिली है उससे ऐसा मालूम होता है कि ये तमाम कागजात पुलिस को दिये गये हैं. पुलिस ने इनका निरीक्षण किया है। इस समय ये कागजात पुलिस के पास में हैं या अन्य किसी के पास में, यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्रीमती उषा प्रकाश : मैं आपको यह जानकारी देती हूं कि पुलिस विभाग कहता है कि ये कागजात उनके पास में नहीं हैं, तहसीलदार भी कहता है कि इसके कागजात उनके पास नहीं हैं। तो आखिर ये कागजात हैं कहां ? मुझे अन्देशा है, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इस मामले को टाला जा रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। कस्टोडियन की जमीन को बेचने का सवाल है और एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की जांच से जब यह प्रूव हो चुका है तो इस मामले में अन्देशा हो रहा है, क्या मन्त्री महोदय इस मामले पर सजगता बरतेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : ऊपर की बात चलती है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूँ कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट ने इसके कागजात मंगवाये थे इन्वेस्टीगेशन करने के लिये।

(श्री परसराम मदेरणा)

एन्टीकरप्शन की इन्वेस्टीगेशन के बाद एडीशनल इन्सपेक्टर जनरल ने लिखा है कि कोई मिसएप्रोप्रियेशन का केस नहीं है। आप सुन लीजिये (माननीय सदस्यों के बैठे बैठे बोलने पर) यह लिखा है कि यह मिसएप्रोप्रियेशन का केस नहीं है। कलेक्टर चाहे तो इस पर कानूनी कार्यवाही कर सकता है कानूनी कार्यवाही करना चाहिये। कलेक्टर ने इन्डियन पीनल कोड की धारा 415,417 और 420 के अन्तर्गत केस रजिस्टर कराया है, चीटिंग के मामले पर। इस चीटिंग के मामले की पुलिस तफतीश कर रही है। तफतीश कराने में माननीय सदस्या कह रही हैं कि कागजात उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। मेरे असिस्टेन्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर मुझे यह जानकारी है कि पुलिस को कागजात दिये गये हैं। अब यह बात अलग है कि एण्टी करप्शन वालों के पास वे ही कागज हों या उन्होंने किसी और को वे कागजात दे दिये हों, या कलेक्टर के पास हों। हमारे पास अभी कागजात नहीं हैं। यह कहना कि जो कागजात हैं, वे इधर-उधर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं होगी। अगर एण्टीकरप्शन ने कलेक्टर को कागजात भेजे हैं, तो वे कागज पुलिस को भेज दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती जमुना सोलंकी !

नगरपालिका केकड़ी में आवासीय भू-खण्ड लेने का मामला

355. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरदार गुरुबक्षसिंह पुत्र दयालसिंह, जाति सिख, निवासी केकड़ी ने दिनांक 8-3-75 को नगरपालिका, केकड़ी से अपने निवास स्थान हेतु भूमि मुफ्त में लेने के लिए अपने आपको पंजाबी शरणार्थी घोषित करते हुए एक प्रार्थना-पत्र दिया था यदि हां, तो क्या उसे आवासीय भू-खण्ड दिया गया और क्या वह शरणार्थी है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री बलाई, श्री घासी रेगर व श्री विक्रमसिंह त्यागी तथा केकड़ी के नागरिकों ने जिला सतर्कता समिति अजमेर में सरदार गुरुबक्षसिंह के फर्जी शरणार्थी बनकर जमीन लेने के विरुद्ध जांच हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिया ?

(3) क्या यह सही है कि एक प्रार्थना-पत्र उप जिलाधिकारी, केकड़ी के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरदार गुरुबक्षसिंह के विरुद्ध फर्जी शरणार्थी का प्रमाण-पत्र देने के अपराध में कोई कार्यवाही हो रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) सरदार गुरुबक्षसिंह पुत्र दयालसिंह ने दिनांक 8-3-57 को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र शरणार्थी होने के नाते दिया था इसके पश्चात् इनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-9-60 पर बोर्ड ने दिनांक 9-10-60 को 338-1/3 वर्गगज भूमि 5) रु० प्रति वर्गगज की दर से विक्रय करने की स्वीकृति दे दी थी।

(2) दिनांक 18-3-76 को ऐसे ही एक प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर यहां से किसी अधिकारी को भेजकर जांच करवाई जा रही है। अतः

(श्री रामनारायण चौधरी)

जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जाना उपयुक्त रहेगा।

(3) प्रश्न के भाग (2) में दिये गये उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमती जमुना सोलंकी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि यह शरणार्थी के नाम पर कितनी जमीन, कितने पेट्रोल पम्प और सिनेमा हाउसेज के लिए जमीन दी जाती रहेगी? हर कर की चोरी के मामले में यह पकड़े गये हैं और चार मामले इनके खिलाफ अदालत में चल रहे हैं। पिछले साल 3 प्रश्न दिये हैं इसी मामले में और चेयरमैन जो है इन सरदार साहब की तरफदारी करता जा रहा है जब कि एक वर्गगज जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दी गई है। इस तरह से वह उनके सपोर्ट पर गलत कार्य कर रहे हैं जो कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार नहीं हैं, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाकर पनिशमेंट दी जाय ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह मामला 1960 का है, 16 वर्ष पुराना है, और 16 वर्ष पुराने मामले में आज जमीन की क्या स्थिति है, मान्यवर, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के भाग (2) में उत्तर दिया है, अधिकारी भेजकर जांच करवा रहे हैं। जांच में फेक्चुअल पोजीशन सामने आयेगी और कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं वह देखेंगे। अगर कुछ कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करेंगे पर जो कुछ होगा वह कानून के दायरे में Witbin the limits of law ही हो सकेगा। इसके अलावा कुछ भी करना सम्भव नहीं हो सकेगा। चूंकि मामला बहुत पुराना है, इसलिए मुझे जानकारी आज नहीं है कि भूमि की क्या स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 18-3-76

पाली तहसील के काश्तकारों से बकाया की वसूली

92. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के काश्तकारों से उनमें सभी तरह की सर्व बकाया एक साथ वसूल करने का अभियान राजस्व अधिकारियों द्वारा जनवरी व फरवरी सन् 76 में चलाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस अभियान के दरम्यान गावों में अधिकतर छोटे, गरीब व पिछड़े वर्ग के काश्तकारों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई और उनके बैल, गाय व खाने पीने की वस्तुओं तक को कुर्क किया गया व उनके साथ मारपीट तक की गई ?

(3) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश के समक्ष इस सम्बन्ध में कई शिकायतें समय समय पर आई ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पाली जिले के अधिकारियों को इस प्रकार वसूली करने के आदेश दिये गये थे ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा):

(1) जी नहीं, कोई वसूली अभियान नहीं चलाया गया। पूर्व वर्षों की तरह इस

(श्री मूलचन्द मीणा)

वर्ष भी नियमानुसार दो किश्तें–एक पुरानी व एक चालू वर्ष की वसूली की गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। मारपीट की कोई शिकायत नहीं आई। वसूली स्थगित करने तथा मोहलत देने के लिए प्रार्थना पत्र अवश्य प्राप्त हुए थे। राजस्व मंत्री को इस प्रकार की एक शिकायत अवश्य प्राप्त हुई जिसको बाद जांच के निराधार पाया गया।

(4) जी नहीं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले प्रश्न में यह बताया गया है कि जनवरी में अभियान नहीं चलाया गया और राजस्व विभाग की डिमाण्ड के दौरान मैंने जो एक जिलाधीश द्वारा परिपत्र जारी किया गया था वह पढ़कर सुनाया था जिसमें यह बताया गया है कि रेग्युलेराइजेशन और भू-अभिलेखों को ठीक करने के लिए अभियान चलाया जाय, और उसमें लिखा है अन्य विषय वसूली। तो वसूली के लिए अभियान किया गया, और मैंने प्रमाणित रूप से हाउस के समक्ष रख दिया था कि वसूली के लिए ही वह अभियान हुआ है और दूसरे अभियान कम हुए। मारपीट के बारे में मैंने सांवता कल्ला और डेड़ा के उदाहरण दिये थे। यह बात सही है कि आपने जांच करने के लिए आदेश दे दिये हैं।

यह बात मैं पूछना चाहता हूँ कि पाली जिले का टार्गेट क्या था वसूली का और दूसरे जिलों का क्या टार्गेट था? कितना टार्गेट आपने रखा और कितनी वसूली हुई? और दूसरे जिलों में कितनी हुई?

श्री मूलचन्द सामरिया : मारपीट और ज्यादतियां करने की शिकायतों की जांच किससे करवाई जा रही है?

श्री भाबरमल सुंडा : पाली जिले में पिछले साल कितनी रिकवरी हुई और इस साल कितनी रिकवरी हुई, डिफरेंस क्या रहा वसूली अभियान के रूप में कराई गई तो?

श्री परसराम मदेरणा (राजस्वमंत्री): पाली जिले का टार्गेट 1 करोड़ 40 लाख का है और पूरे राजस्थान की वसूली का टार्गेट इस वित्तीय वर्ष में, जो 4-5 दिन में समाप्त होने वाला है, 15 करोड़ का था। पाली जिले की शिकायत मेरे पास आई थी, मेम्बर आफ पार्लियामेंट ने मुझे दी थी और मैंने जांच करवाई थी। उसमें शिकायत मारपीट की निराधार पाई गई। मैंने उन्हें 2 मार्च, 1976 को अपने एक पत्र के द्वारा सूचित कर दिया है। आप भी चाहें तो मैं उसकी प्रतिलिपि आपको दे दूंगा।

आपने राजस्व की डिमाण्ड में जो 22 तारीख को हुई थी, दो व्यक्तियों के नाम दिये थे उसकी जांच कर रहा हूँ।

पाली जिले में पिछले साल क्या वसूली हुई उसके तुलनात्मक आंकड़े चाहे थे फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने। पिछले वर्ष अकाल की वजह से सितम्बर 75 तक वसूली रोकी गई थी। इसलिये जब वसूली रोकी जाती है अकाल की वजह से टार्गेट कम हो जाता है। जब अच्छी फसल होती है तो टार्गेट बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई तुलनात्मक ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने पूछा कि जांच किस से करायेंगे, तो एस० डी० ओ० से।

श्री शंकरलाल : यह आपके प्रश्न के उत्तर से प्रतीत होता है कि 1 करोड़ 40 लाख अकेले पाली जिले का टार्गेट था जब कि अकेले राजस्थान भर का 15 करोड़ का था तो पाली जिले का टार्गेट सबसे ज्यादा है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री शंकरलाल : टार्गेट जो रखा है तो क्या माननीय मन्त्रीजी यह महसूस नहीं करते हैं कि अकाल की वजह से और इस साल भी फसल में नुकसान हुआ है रोली हो गई है और टार्गेट जो था उसकी वसूली में ज्यादतियां हुई हैं ? जो सक्षम हों उनसे लें और जो सक्षम नहीं हैं उनसे मारपीट करके वसूली करना कहां तक उचित है ?

श्री परसराम मदेरणा : टार्गेट 1 करोड़ 40 लाख का था और 31 जनवरी तक जो वसूली हुई है वह 68,99,000 रुपया जो टार्गेट का 39.28 पर्सेन्ट है और पूरा टार्गेट एचीव नहीं कर सके हैं। टार्गेट टार्गेट की जगह रह गया और वसूली नहीं हुई।

श्री शंकरलाल : यह जो वसूली हुई है तो यह पता लगायें कि किन से हुई है ? वह छोटे लोगों से हुई है और बड़े लोगों में बाकी है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात आपने पहले कह दी है। आपको मेरी याददाश्त पर भरोसा कम हो गया है।

श्री शंकरलाल : आप पर पूरा भरोसा है तभी तो पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी याददाश्त इस उम्र में बहुत साफ हो रही है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुनीमजी की गोलियां तो नहीं खा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : छोटे लोगों से वसूलियां किस प्रकार हुई है उनमें किसी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं है। मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट की शिकायत आई थी तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा इस मामले में जांच करवायें और गरीबों के साथ में ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने 3-2-76 को सब जिलाधीशों को टेलिग्राम और वायरलेस मेसेज दिये कि छोटे काश्तकारों का किसी भी प्रकार से हैरसमेन्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद में राज्य सरकार ने अभी निर्णय लिया है 4 मार्च, 1976 को कि 20 एकड़ जमीन जिनके पास में है–20 एकड़ वाले भी छोटे काश्तकार नहीं हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं–जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आते हैं उनकी सब रिकवरीज केवल पम्पिग सेट्स और ट्रेक्टर की किश्तों के अलावा रोक दें। वह अभी तक रुकी हुई हैं जब तक कि रबी की क्राप हारवेस्ट न हो जाय। रबी के बाद में अगर खरीफ की फसल में अकाल हो जाय तो वसूली कैसे की जा सकती है बाद में।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि पाली जिले में भूतपूर्व महाराजा जोधपुर की जो जमीन है उस पर बकाया था ? . . . .

श्री परसराम मदेरणा : अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह इसी का प्रश्न है। 1 करोड़ 40 लाख की रकम में महाराजा की भी है कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से रूलिंग चाहता हूँ कि इन मामलों में माननीय सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज को ड्यूप में डाल देते हैं। क्वेश्चन के जितने प्रोबेबल सप्लीमेन्ट्रीज कह सकते हों वसूली के बारे में वह सप्लीमेन्ट्रीज नहीं पूछ रहे हैं। मुझे नोटिस होता तो मैं उसका जवाब देता। आज इस पोजिशन में नहीं हूँ। मुझे इन्डिविजुअल का मालूम नहीं है कि किसमें है और किस में नहीं है। जिनके ऊपर डिमाण्ड (वसूलियां) बाकी है; आगे आने वाले अभियान में उनको पढ़ कर सुनाया जाय, इस बात को एग्री कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

राज्य में प्रापर्टी टैक्स

357. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रापर्टी टैक्स (भवन एवं भूमि) से कुल कितनी आय गत वर्ष में हुई तथा विभागीय खर्च कुल कितना हुआ ?

(2) प्रापर्टी टैक्स (भवन एवं भूमि टैक्स) कार्यालय राजस्थान में कहां-कहां पर स्थित है ?

(3) प्रापर्टी (भूमि एवं भवन) असेसमेंट के क्या तरीके हैं ?

(4) उक्त समस्त कार्यालयों का रेकरिंग व नान-रेकरिंग कुल व्यय कितना है ? आय-व्यय के पूर्ण आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 357 आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मंत्रीजी इसका जवाब देने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में सीमेन्ट फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव

344. श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में लाइम स्टोन मुख्य रूप से कौन से स्थान पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ?

(2) इस लाइम स्टोन की मात्रा को देखते हुये कितनी सीमेंट फैक्ट्री और चल सकती हैं ?

(3) क्या निकट भविष्य में राजस्थान में अन्य और सीमेंट फैक्ट्री खुलने की संभावना है ?

(4) क्या सहकारी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री खोलने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकार करके केन्द्रीय सरकार को भेजा है ?

(खनिज मन्त्री)

उत्तर

(1) ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) आवश्यक सुविधा उपलब्ध होने पर पांच सीमेंट फैक्ट्री और चल सकती हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

ऊन की कीमत में गिरावट

348. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा-मालानी) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान में पिछले दो वर्षों से उत्पादक को मिलने वाली ऊन की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है जब कि ऊनी कपड़े की कीमतों में कोई गिरावट न आई है न ऊनी गलीचों की कीमत में गिरावट आई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा भेड़ पालकों की सहायतार्थ क्या कदम सरकार द्वारा उठाये गये ?

उत्तर

जी हां, यह स्थिति ऊन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी गिरावट आने के कारण है। वर्गीकृत ऊन के भारी स्टाक रुक जाने के बावजूद भी भेड़ पालकों से कुछ खरीद चालू रखी गयी।

भेड़ व ऊन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

352. श्री रणजीतसिंह (ओसियां): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

भेड़ व ऊन विभाग के किस-किस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच किन-किन मामलों में गत 5 साल से चल रही है और उन पर क्या क्या आरोप हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर चूरू जिले की पंचायत समितियों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

184. श्री लूणाराम (श्री डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा बिना पंचायत समितियों की सहमति लिये व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण किए गए जिनका पंचायत समितियों द्वारा लिखित विरोध अपने प्रस्तावों द्वारा जिला विकास अधिकारी एवं विकास विभाग को भेजा गया ?

(2) नियमों में संबन्धित पंचायत समिति की सहमति का जब प्रावधान है तो ऐसा न कर क्या जिला कर्मचारी वर्ग समिति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) पंचायत समितियों के इस संबन्ध में असहमति के प्रस्तावों के बावजूद भी जिलाधीश, चूरू ने अपने प्रभाव को विकास अधिकारियों पर काम में लेते हुए, विकास अधिकारियों को पंचायत समितियों के प्रस्ताव एवं आज्ञाओं को न मान कर विकास अधि-

Page No 26

(26)

(श्री लूणाराम)

कारियों द्वारा जबरदस्ती से कर्मचारियों को रिलीव करवाया तथा आगे समितियों में उन्हें ज्वाइन करवाया? क्या यह विकास अधिकारियों की अनुशासनहीनता नहीं हुई है? क्या राज्य सरकार अपने अधिकारियों के अन्तर्गत कार्य करने वाली समितियों के निर्णयों के खिलाफ काम कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

(4) क्या यह सही है कि अभी तक भी उक्त आदेश को गलत मान कर कुछ पंचायत समितियों ने पालना नहीं करवाई है, और अपने कर्मचारियों को न रिलीव किया है और न वहां पर लगाए कर्मचारियों को ज्वाइन करवाया, जिससे कई कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पर बैठा रखा है, और पूर्व की तरह उसी अनुचित तरीके से जहां से वे रिलीव हुए हैं, जिला विकास अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी को आदेश देकर उनको वेतन दिलवाया जा रहा है जब कि उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी लगा कर वेतन ले रहे हैं? तो ऐसी अनुचित कार्यवाही का उत्तरदायित्व किस पर है?

(5) क्या यह सही है कि विकास विभाग ने भी ऐसा कोई आदेश जिला कर्मचारी वर्ग समिति को भेजा है कि बिना पंचायत समितियों की सहमति के किए गए आदेश उचित नहीं हैं उन्हें क्रियान्वित न किए जाएं और अगर किए हों तो उन्हें निरस्त समझे जाएं तथा भविष्य में शीघ्र जिला कर्मचारी वर्ग समिति की बैठक बुला कर ही पंचायत समितियों की सहमति वाले कर्मचारियों का ही स्थानान्तरण किया जाये?

(6) यदि हां, तो क्या ऐसी बैठक बुला ली गई है और नहीं तो क्यों और कब तक बुलाई जायेगी? ऐसी बैठकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(7) इन स्थानान्तरणों से पंचायत समितियों एवं राज्य कोष पर कुछ मितव्ययता हुई है तथा कितना कार्य सफर हुआ है?

(8) क्या इस मामले में चाहे जिला-कर्मचारी वर्ग समिति हो या कोई प्राधिकारी अगर उनकी इस संबंध में अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायत सत्य होती है तो कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?

(स्थगित किया गया)

गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा ऋण

185. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य में अब तक कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं? जिलेवार सूची मय पंजीकरण तिथि के नाम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) पंजीकृत सहकारी समिति में किस किस सहकारी समिति को कितनी किश्तें ऋणों की दी जा चुकी हैं तथा अब तक कुल कितने भूमिहीन लोगों के आवास की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है? बांटे गये ऋण की रकम क्या है? पूर्ण सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि अब नये रूप से किसी सहकारी समिति का पंजीकरण करवाया जाना राज्य ने वित्तीय व्यवस्था के

(श्री दीपंकर)

अभाव में बन्द कर दिया है ? अगर हां, तो भूमिहीन लोगों को दिये गये भू-खण्डों पर मकान बनाने की रकम दिलवाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था क्या सोची जा रही है ?

(4) अब तक पंजीकृत समितियों को कहां-कहां कितनी भूमि राज्य सरकार ने किस-किस दरों पर अलाट की है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

लालसोट एवं चाकसू तहसीलों में लेवी के मुकदमे

186. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट व चाकसू तहसीलों में किसानों द्वारा लेवी ले लेने के पश्चात् भी उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमे वापिस लेने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक 17 (15) सा. वि. विधि(75)3024/42777 दिनांक 27-10-75 को प्रसारित किया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश प्रसारित होने के पश्चात् भी उक्त किसानों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे अभी तक संबंधित न्यायालयों से वापिस नहीं लिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक ले लिये जावेंगे ?

(3) दिनांक 23 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 183 के खंड (1) में उल्लिखित प्रश्न के उत्तर में जो किसानों की सूची पेश की है, क्या इन सभी के विरुद्ध में चल रहे मुकदमे वापिस लेने के संबंध में उक्त आदेश प्रसारित हुआ है अथवा उस सूची में से कुछ ही व्यक्तियों के संबंध में हुआ है तो वे कौन-कौन हैं तथा बाकी लोगों के मुकदमे कब तक वापिस लिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गृह विभाग में चाकसू तहसील के कृषकों के मुकदमे वापस लेने की आज्ञा दिनांक 23-1-76 को जिला रसद अधिकारी, जयपुर के कार्यालय में तथा लालसोट तहसील के मुकदमे वापिस लेने की आज्ञा 2-3-76 को जिला रसद अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में प्राप्त हुई है। न्यायालय में प्रचलित पद्धति के अनुसार जब जब मुकदमों की न्यायालय में तारीख पेशी आती हैं तभी ये मुकदमें वापिस किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। चाकसू तहसील के श्री उमरावसिंह का मुकदमा वापिस किया जाना शेष है क्योंकि उसकी तारीख पेशी न्यायालय में अभी आना बाकी है। इसी प्रकार लालसोट तहसील के 5 काश्तकारों के मुकदमे वापिस किये जा चुके हैं (सूची संलग्न है) शेष 10 काश्तकारों के मुकदमे तारीख पेशी आने पर वापिस कर लिये जायेंगे।

(3) 23 जनवरी, 1976 को अतारांकित प्रश्न संख्या 183 न होकर 9 था। 1 जनवरी के अ. ता. प्रश्न संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रेषित सूची में अंकित लेवी चुकाने वाले समस्त कृषकों के मुकदमे वापिस लेने की सहमति गृह विभाग से प्राप्त हो चुकी है। तहसील चाकसू के श्री उमरावसिंह एवं तहसील लालसोट के

Page No 28

(28)

(खाद्य मन्त्री)

10 काश्तकारों (सूची संलग्न है) के मुकदमे न्यायालय में पेशी की निश्चित तिथि को वापिस लिये जावेंगे, शेष के मामले वापिस लिये जा चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

खाद्य विभाग से हटाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी

187. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्ष 1974 में जिस उद्देश्य से जिला रसद अधिकारियों/प्रवर्तन कर्मचारियों को उनके कार्य से हटाया गया वह पूर्ण हो चुका है एवं अब कोई भी व्यक्ति डाउटफुल इन्टीग्रिटी का खाद्य विभाग में नहीं है ?

(2) क्या खाद्य विभाग ने वर्ष 74 में हटाये गये समस्त जिला रसद अधिकारियों व प्रवर्तन कर्मचारियों के मामले पर पुनः विचार का कार्य पूर्ण कर लिया है ? यदि हां, तो हटाये गये व्यक्तियों में से कितनों को कब कब किस पद पर वापिस लगा दिया गया व कितने व्यक्ति दोषी पाये गये ? यदि कुछ मामलों में पुनः विचार का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो कब तक होने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को खाद्य विभाग में वापस लिया गया उनकी अपेक्षा जो व्यक्ति वापस नहीं लिये गये उनकी वरिष्ठता व सेवा रिकार्ड अधिक अच्छा था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को वापस लेने के मामले में अस्थाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सेवा में स्थाई होना अयोग्यता है ?

(5) क्या यह सही है कि समस्त हटाये गये जिला रसद अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों को वापस लेने के मामले में समान नीति नहीं अपनाई गई उनके हटाने का कारण कुछ और था और वापस लेने का कारण कुछ और ? यदि हां तो क्यों?

(6) इन हटाये गये अधिकारियों में से कितनों को कितने अर्से तक अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर के नाम से रखा जाकर बिना कुछ कार्य लिये हुए वेतन आदि चुकाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग में 1973 तक कार्यरत अन्य विभागों से लिये गये स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों को सेवा नियमों में स्क्रीनिंग करने का प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या निर्धारित अवधि में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का स्क्रीनिंग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह स्क्रीनिंग निर्धारित अवधि के बाद किया गया और उसमें कुछ व्यक्तियों का स्क्रीनिंग नहीं किया गया ? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यदि किन्हीं व्यक्तियों की प्रामाणिकता पर शक होता है तो उन पर कड़ी निगाह रखी जाती है एवं कोई विशेष मामला ध्यान में आने पर उसकी

(खाद्य मन्त्री)

जांच कराई जाती है एवं यदि जांच द्वारा ठोस प्रमाण उसकी प्रामाणिकता के विरुद्ध मिलते हैं तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाया गया था, उन्हें विभाग से हटाये जाने के आदेश स्थगन कर दिये गये थे। अतः वे विभाग में ही कार्यरत हो सके। दिनांक 18-4-75 को 5 जिला रसद अधिकारियों तथा दिनांक 17-9-75 को 2 सहायक जिला रसद अधिकारी, 18 प्रवर्तन अधिकारी एवं 19 प्रवर्तन निरीक्षकों को विभाग से हटाये जाने के आदेश निरस्त किये गये। 3 व्यक्तियों का रिकार्ड ठीक न होने से उन्हें उनके पैतृक विभागों में वापिस भेज दिया गया। वर्ष 74 में हटाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामलों में पुनः विचार का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) सूची संलग्न है।

(7) जी हां। राजस्थान फूड एवं सिविल सप्लाईज (सबोर्डिनेट सर्विस इनिशियल कान्स्टीट्यूशन एण्ड इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट रूल्स 1973) में अन्य विभागों से लिये गये कर्मचारियों की सेवा नियमों में स्क्रीनिंग करने का प्रावधान था। उक्त नियम जून, 73 में लागू हुआ एवं 31-12-73 तक ही इनकी मयाद थी। चूंकि इस थोड़े समय में स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण नहीं हो सका, अतः इस स्क्रीनिंग के कार्य को पूरा करने के लिए राजस्थान फूड एण्ड सिविल सप्लाइज सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1974 में प्रावधान रखा गया स्क्रिनिंग का कार्य नियमों के अन्तर्गत अक्टूबर, 75 में पूर्ण कर लिया गया। विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का स्क्रिनिंग नियमों के अन्तर्गत कर लिया गया।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

विराट नगर तहसील में सड़कों का निर्माण

188. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील विराटनगर में किन-किन सड़कों के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विभाग के पास कब से विचाराधीन हैं?

(2) क्या यह सही है कि अनेकों सड़कों के कार्य विभिन्न विभिन्न मदों से प्रारम्भ किये गये थे, जो अधूरे हैं? यदि हां, तो कौन कौन सी सड़कें अधूरी हैं तथा कब से और कितनी कितनी राशि इन सड़कों पर कब कब व्यय की गई है?

(3) क्या यह सही है कि मैड से खोरा लाडखानी तथा बैराठ से मातेला (छीतोली) सड़क स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब और अब तक कितना-कितना कार्य हुआ है?

(4) कब तक इन सड़कों को पूरा कराने का विचार है?

(5) क्या सरकार निम्नांकित सड़कों का निर्माण किये जाने का तथा पूरा कराये जाने का विचार रखती है:—

1. अमरसर से जिलान्दरपुर वाया हनुतपुरा-कटीटी।

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

2. मनोहरपुरा से धानोता वाया माजीपुरा, शिवसिहपुरा, जगत-पुरा, गोनाकासर ।

3. शाहपुरा से रायपुरा-जागीर वाया जोजेकलां, रामपुरा, छापड़ा; रामचन्द्रपुरा ।

4. शाहपुरा से देवन ।

5. साहीवाड़ से धवली वाया विशन-गढ़ ।

उत्तर

(1) विराट नगर तहसील के नवीन सड़क निर्माण प्रस्ताव व अभाव के कारण विचाराधीन नहीं हैं ।

(2) वांछित सूचना संलग्न है ।

(3) मैड से खोरालाडखानी सड़क निर्माण की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यकता योजना के अन्तर्गत वर्ष 74-75 में दी गई थी । बैराठ से आंतेला रोड का अकाल राहत कार्यों में वर्ष 1973 तथा 1975 में कार्य कराया गया है। मेड़ से खोरा लाडखानी रोड पर 1 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य तथा 5 किलोमीटर सोलिंग साइट् व खान पर एकत्रित हुआ है विराट नगर से आंतेला सड़क 3 किलोमीटर मेटल रोड़ बनाई गई है व 3 से 7 किलोमीटर में सोलिंग कट चुकी है ?

(4) मेड से खोरालाडखानी सड़क का कार्य अभी पुन: आरम्भ नहीं हुआ है। टेन्डर आमान्त्रित किये हैं, जो विचाराधीन हैं। बैराठ से आंतेला सड़क का कार्य अभी धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

(5) धनाभाव के कारण इन सड़कों पर कार्य अभी सम्भव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बेलदारों की पदोन्नति

189. श्री जयकिशनलाल सोलावड़ा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सूजाराम पुत्र श्री बोदुराम (अनुसूचित जाति) सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) नगर खण्ड प्रथम, जयपुर में बेल-दार के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब से ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि श्री गोपी-राम बेलदार श्री सूजाराम बेलदार से काफी जूनियर है ? यदि हां, तो कितने वर्ष तथा उसको कारीगर के पद पर कब पदोन्नत किया गया ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री सूजा-राम बेलदार का केस कारीगर के पद पर पदोन्नति हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के कार्यालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा अब तक क्या निर्णय लिया गया ? निर्णय की प्रति सदन मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या राज्य सरकार 28 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण को ध्यान में रखते हुए श्री सूजाराम बेलदार को कारीगर के पद पर पदोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) श्री सूजाराम पुत्र बोदू बेलदार नगर खण्ड प्रथम, जयपुर में कार्यरत नहीं है, बल्कि अधिशाषी अभियन्ता, भवन व पथ, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड 2 में दिनांक 14-12-71 से कार्यरत है।

(2) बेलदारों की वरिष्ठता एवं योग्यता उप खण्डवार रखी जाती है, श्री सूजाराम तथा श्री गोपीराम बेलदार अलग-अलग उपखण्डों में कार्यरत है। गोपी पुत्र रामदेव बेलदार की मेसन के पद पर पदोन्नति 15-7-72 को की गई थी। आदेश की प्रति संलग्न है, जबकि श्री सूजाराम पुत्र बोदू बेलदार का स्थानान्तरण 14-12-71 को ही राष्ट्रीय मार्ग खण्ड 2 जयपुर में हो चुका था और उसकी वरिष्ठता नगर खण्ड जयपुर में समाप्त हो गई थी।

(3) श्री सूजाराम के आवेदन पत्र पर विचार किया गया एवं उपरोक्त तथ्यों के कारण उसको पदोन्नति संभव नहीं है।

(4) अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राज्य पथ खण्ड 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के अधीनस्थ कारीगर का स्थान रिक्त नहीं है। नियमों के अनुसार रिक्त स्थान होने पर इनकी पदोन्नति की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जिला झालावाड़ की लघु सिंचाई योजना

190. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में राजपुरा, सामरिया, अलावा हिम्मतगढ़ में लघु सिंचाई की योजनाएँ अधूरी पड़ी हैं? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) उपरोक्त योजनाओं पर कितना कितना खर्चा हो चुका है और कितना-कितना खर्चा होने पर इनका कार्य पूरा होगा? ये पूरी होंगी या नहीं?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि यह चारों लिफ्ट सिंचाई योजनाएं वर्ष 1972-73 से धनराशि के अभाव में अधूरी पड़ी हैं।

(2) इन चारों लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर निम्नानुसार व्यय हुआ है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि निम्न प्रकार है:—

योजनाओं का नाम	खर्चा 1972 तक किया गया	धनराशि जो पूर्ण करने को चाहिए।
1. राजपुरा	0.25 लाख	2.34 लाख
2. सामरिया	1.50 लाख	2.24 लाख
3. अलावा	1.19 लाख	0.70 लाख
4. हिम्मतगढ़	0.05 लाख	2.43 लाख

पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य पूरा कराया जा सकेगा।

जयपुर जिले की सड़कों की मरम्मत

191. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की:—

(क) दौसा-लालसोट,

(श्री मोठालाल मीणा)

(ख) लालसोट - गंगापुर (मण्डावरी तक)

(ग) लालसोट सवाई माधोपुर (मोरेले नदी तक),

(घ) लालसोट-कैथून,

(1) सड़कें अत्यन्त खराब हो रही हैं जिसमें विशेषकर लालसोट-मण्डावरी सड़क पर तो प्रायः वाहनों का आवागमन ही बन्द है तथा वाहन सड़क से नीचे कच्चे रास्ते से आते जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों पर कार्य करने वाले बारहमासी मजदूरों के पास सड़क सुधारने के लिए बजरी व डामर आदि आवश्यक सामान आवश्यकतानुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों पर जिला कार्यालय की फाइलों में तो सुधार खर्चा दिखाया जाता रहा है किन्तु मौके पर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? भविष्य में उक्त सड़कों की कब तक पूर्ण मरम्मत करवा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा-लालसोट, लालसोट-गंगापुर, लालसोट-सवाई माधोपुर (मोरले नदी) तक एवं लालसोट कोथू--सड़कें वर्ष 1975 की वर्षा से क्षति ग्रस्त हुई हैं, लालसोट मण्डावरी सड़क के उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत की गई है और वाहनों का यातायात सड़क मार्ग द्वारा चल रहा है।

(2) विभागीय गैंग को बजरी व अन्य सामान उपलब्ध धनराशि अनुसार दिया जा रहा है।

(3) दौसा-लालसोट, लालसोट-गंगापुर (मण्डावरी) तक तथा लालसोट सवाई माधोपुर (मोरेल नदी तक) की सड़कों की पैच रिपेयर्स विभागीय गैंगों द्वारा की गई है।

उपलब्ध धनराशि अनुसार दौसा-सवाई माधोपुर, लालसोट-गंगापुर रोड पर विशेष मरम्मत कार्य फरवरी 1976 को आवंटित कर दिया गया है। धनाभाव के कारण शेष सड़कों की विशेष मरम्मत अभी संभव नहीं हो रही है।

ब्यावर गोला मार्ग पर रपटों का कार्य

192. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से गोला जाने वाले मार्ग पर सुन्दरी नदी में और ब्यावर से काबरा देवाता मार्ग पर थूनी थाक गांव के पास दो रपटों को नये सिरे से बांधा गया या उनकी पाल को ऊंचा किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये कार्य भू-संरक्षण विभाग ने कराया था ? यदि हां, तो क्या इस कार्य को शुरू करने से पूर्व इसके पानी भराव का एरिया जांचा गया ? यदि हां, तो दोनों रपटों का पानी भराव का एरिया सड़कों के ऊपर से दूर तक भराव कैसे करता है ?

(3) क्या यह सही है कि आज उक्त दोनों रपटों का पानी सड़क पर भर गया और

(श्री केशरी मल)

आने-जाने में भारी बाधा उपस्थित हो गई? क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें भी आई हैं कि आये दिन ब्यावर-गोला सड़क पर गाड़ियां पानी में उलट जाती हैं, बैलों के पांव टूट जाते हैं? क्या इस सड़क को ऊंचा करना अति-आवश्यक नहीं है? यदि है, तो अब तक इस सड़क को ऊंचा क्यों नहीं किया गया और अब कब तक इस सड़क पर और कोटरा देवता रोड़ की सड़क पर काम लगाया जायेगा और इस सड़क को ऊंचा किया जायगा?

उत्तर

(1) ब्यावर-गोला मार्ग पर सुन्दरी नदी तथा ब्यावर से काबरा-देवाता मार्ग पर थूनीथाक ग्राम के निकट रपटें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई बनाई गई हैं।

(2) यह रपटें भू-संरक्षण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई हैं। उक्त रपटें निर्माण से पूर्व पानी भराव के एरिया जांच का सम्बन्ध भू-संरक्षण विभाग व सिंचाई विभाग से है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं पूछा गया।

(3) रपट निर्माण से सड़क पर पानी भर जाता है, तथा आवागमन में कठिनाई स्वाभाविक है। ब्यावर गोला सड़क पर गाड़ियों के उलटने व बैलों के पांव टूटने की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। इस रपट को ऊंचा करने के लिये सिंचाई एवं भू-संरक्षण विभाग से सम्पर्क किया जा रहा है।

तहसील सांचोर की आबादियों का नियमन

193. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में कई गांवों की गोचर में बसी आबादियों को अभी तक नियमित की जाकर रिकार्ड में अमल बरामद नहीं किया गया है? अगर हां तो तहसील सांचोर में ऐसी कुल कितनी आबादियां हैं जिनका नियमन करना शेष है? ऐसी नियमन की कार्यवाही कब से चल रही है एवं इतना समय लगने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि ऐसी आबादियों में से कुछ आबादियों के लैण्ड रैवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत मामले तहसील में चल रहे हैं? अगर हां, तो कब से और उनका नियमन कब तक कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सत्य है कि सरकार काश्तकारों के सामुहिक लाटों एवं बाडों का नियमन करने का विचार रखती है? अगर हां, तो तहसील सांचोर के काश्तकारों के लाटे एवं बाड़े कब तक नियमित कर दिए जावेंगे? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील सांचोर में कुल 6 ग्रामों में गोचर-भूमि में बसी आबादियों का नियमन करने के मामले विचाराधीन हैं। जो वर्षवार निम्न प्रकार हैं:—

1970	1974	1975	कुल
1	2	2	5

(राजस्व मंत्री)

इन मामलों में सम्बन्धित पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है।

(2) ऐसे कोई मामले तहसील सांचोर में विचाराधीन नहीं हैं।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश प्रचलित किये हुए हैं।

तहसील अनूपगढ़ में भूमि का आवंटन

194. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में बिना किसी कारण सिक्खों के भूमि आवन्टन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र खारिज किये जा रहे हैं? श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री शेरसिंह जिसे चक 11 बी.डी.जो. उपनिवेशन तहसील अनूपगढ़ में अस्थाई भूमि का आवन्टन था उसको खारिज कर दिया गया। श्री रणजीतसिंह ने सबूत में 1947 से राजस्थान में आने का रिफ्यूजी कार्ड 71 जी. बी. में 1950 तक की गिरदावरी 1951-52 की माल गुजारी चक फतहसिंह वाला, 1951-52 का राशन कार्ड सम्वत् 2008 से 2011 तक की गिरदावरी, 1955 का आबादी भूमि का पट्टा, 1970 उपनिवेशन तहसील नोरंगदेसर द्वारा भूमिहीन प्रमाणित किये जाने का पत्र पेश किया तो भी वह भूमि पाने में असमर्थ रहा इसी तरह श्री कोरसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह तथा श्री मिलखीसिंह ने अपने सबूत पेश किए किन्तु उन्हें सिक्ख होने के नाते भूमि नहीं मिली? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी? यदि हां, और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

चक 44 एल. एन. पी. की भूमि का आवंटन

195. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 44 एल० एन० पी० आबादी भूमि को, जिसमें पिछले करीब दस पन्द्रह वर्षों से मकान बने हुए हैं किस आधार पर कृषि भूमि में परिवर्तन किया गया और वह भूमि किस भूमिहीन को आवंटित की गई?

(2) क्या यह सच है कि जिस भूमिहीन को भूमि आवंटन की गई वह उस गांव का रहने वाला नहीं तथा भूमि पाने का हकदार नहीं है? उसके पास गांव लालेवाला, राजस्थान नहर क्षेत्र में पहले से आवंटित भूमि है और वह इस भूमि को स्वयं काश्त नहीं करता है?

(3) क्या सच है कि उपरोक्त भूमि का तबादला किसी राजनैतिक नेता तथा उनके किसी लड़के के नाम हो चुका है वे उस पर काश्त करते है? क्या सरकार उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच करायेगी यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चक 44 एल० एन० पी० की आबादी भूमि में कोई मकान आदि नहीं बने हैं। आबादी न बनने तथा

(राजस्व मंत्री)

आबादी हेतु रकबा ज्यादा होने के कारण इसमें से काबिले काश्त भूमि को उप जिलाधीश, करनपुर द्वारा दिनांक-25-8-70 को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया और वह भूमि श्री श्योकरण पुत्र हमीरा राम साकिन 59 एल० एन० पी० व श्री पारीराम पुत्र श्री सहीराम सा० 42 एल० एन० पी० को पुख्ता आवंटित की गई।

(2) जी हां। राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटित भूमि के बारे में जानकारी की जा रही है। तथा गांव लालेवाला में उन्हें कोई भूमि आवंटित नहीं है।

(3) जी हां। भूमि का तबादले श्री भागीरथ पुत्र सुरजराम जाट साकिन 42 एल० एन० पी० के नाम किया गया। इस तबादले को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। वास्तविकता का पता जांच के पश्चात् ही लग सकेगा।

गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, तहसील रायसिंह नगर में सिक्खों का ऐतिहासक स्थान

196. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, तहसील रायसिंह नगर, जिला श्री गंगानगर जो सिखों का ऐतिहासिक स्थान है, उसकी वार्षिक आय लाखों रुपयों की होने के कारण कुछ लोगों ने अपने मनमाने ढंग से और गैर कानूनी तरीके से एक ट्रस्ट बना रखा है जिसके चुनाव नहीं हुए हैं?

(2) इस गुरुद्वारे में जो लाख रुपये से अधिक की गेहूं हर साल इकट्ठी होती है उसका कोई हिसाब नहीं है, और यह मामला राज्य सरकार के समक्ष बराबर पेश होने पर भी न तो कोई हिसाब का आडिट करवाया जा रहा है और न ही वहां पर किसी चुनाव का प्रबन्ध किया जारहा है। उस गुरुद्वारे में रह रहे जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध चरित्र पर सन्देह होने के कारण सरकार ऐसी संस्था के हिसाब का आडिट कब तक करवायेगी और उसकी व्यवस्था के लिये कोई कानून कब तक बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 1-10-75 को यह गुरुद्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है। ट्रस्टियों की नियुक्ति ट्रस्ट में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होती है।

(2) आय के दुरुपयोग के बारे में देवस्थान विभाग के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

गांव जीवनदेसर (तहसील पदमपुर में पंचायत द्वारा ग्रामीणों को भू-खण्ड

197. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चक 44 एल. एन. पी. गांव जीवन-देसर, तहसील पदमपुर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को कितने-कितने भू-खण्ड पिछले वर्षों में आवंटित किये गये हैं और उनमें कितने ऐसे भूखण्ड हैं जिन्हें राज्य सरकार ने कृषि भूमि में परिवर्तित करके भूमिहीनों को आवंटित किये हैं जब कि मौके पर मकान बने हुए हैं? सरकार उन बने हुए

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

मकानों को किस आधार पर उठाएगी जब कि उन लोगों ने आबादी भूमि की कीमत दे रखी है और मौके पर मकान बना रखे हैं ?

(स्थगित किया गया)

विराटनगर तहसील में अलॉट की गई भूमि पर कब्जे

198. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील विराटनगर जिला जयपुर में अलॉट की गई भूमि पर अभी तक कब्जे नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया सन् 1961 से अब तक किस-किस व्यक्ति को कब-कब कितनी-कितनी भूमि अलॉट की गई तथा कब कब्जे दिलाए गए तथा वर्तमान में अलॉटमेंट शुदा भूमि किस-किस के कब्जे में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1965 से अब तक अनेकों ग्रामों की सिवाय चक, गोचर तथा वन भूमि पर अनेकों लोगों के कब्जे काश्त है ? यदि हां, तो सन् 1965 से अब तक किस को रेगुलराइज किया गया और किस-किस को नहीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। रेगुलराइज नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर निवास गृह तथा व्यवसायिक दुकानें निर्माण करली गई है ? यदि हां, तो किस किस ग्राम में और किस-किस ने निर्माण किया है ? क्या यह सही है कि अभी तक इन निर्माण कार्यों को स्वीकृति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार के निर्माण कार्य को नियमित किए जाने हेतु सरकार द्वारा नियम बना दिए गए हैं ? यदि हां, तो इन नियमों के अन्तर्गत नियमित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अब नियमित किए जाने हेतु कार्यवाही करने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर स्थित दिगम्बर जैन मंदिरों का रजिस्ट्रेशन

199. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या निम्न सार्वजनिक दिगम्बर जैन मंदिरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है:—

1. मुनी बाडी (घाट दरवाजे के बाहर)।

2. श्री दि. जैन मंदिर आदिनाथ भगवान् अलमशुहूर नसियां दीवान उदयलाल जो सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने।

3. श्री दि. जैन मंदिर आदिनाथ भगवान अलमशहूर नसियां खजांचियान संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

4. श्री दि. जैन मंदिर सरावगियान अलमशहूर पंचायत दि. जैन मंदिर बगरू वालान, स्टेशन रोड, जयपुर।

5. श्री दि. जैन मंदिर आदिनाथ भगवान् अलमशहूर नसियां जतीजी, होस्पीटल रोड, राम बाग चौराहे के पास, जयपुर।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

6. श्री दि. जैन मन्दिर आदिनाथ भगवान अलमशहूर नसियां राणाजी पुराना घाट।

7. श्री दि. जैन मंदिर आदिनाथ भगवान, दुर्गापुरा।

8. श्री दि. जैन मंदिर आदिनाथ भगवान (तीन नसियां) आमेर दरवाजे के बाहर टंकियों के नीचे।

9. जैन धर्मशाला अलमशहूर धर्मशाला माली राम जी एम. आई. रोड, जयपुर।

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त सभी सार्वजनिक धार्मिक प्रतिष्ठानों का तत्कालीन जयपुर स्टेट द्वारा धार्मिक व वृहद हित में नि: शुल्क प्रदान की हुई प्रतिया राज्य भूमि पर निर्माण किया गया है ? जिनकी सम्पति आज करोड़ों रुपयों की है तथा इनके धर्मस्वों से होने वाले आय लाखों रुपये प्रति वर्ष की आंकी गई है और इन दि. जैन. मंदिरों के धर्मस्वों का (जिनका कोई मालिक सेवायत अथवा पुजारी नहीं होता) भारी दुरुपयोग (मिसएप्रोप्रियेशन) किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

(3) क्या उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निर्मित दि. जैन मंदिरों के धर्मस्वों को व्यापारिक अथवा निजी काम में नहीं लिया जा सकता ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन विशाल अमूल्य सम्पत्तियों के दुरुपयोग (मिसएप्रोप्रियेशन) के संबंध में तत्काल प्रभावशाली कदम उठाने का विचार रखती है जिससे कथित धुनीन्दा समाजद्रोही व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली लूट को समाप्त किया जा सके व उनको अपने दुष्कृत्यों के लिये उचित दंड भुगतना पड़े ?

उत्तर

(1) 1. नहीं हुआ।
2. हो गया।
3. नहीं हुआ।
4. हो गया।
5. नहीं हुआ।
6. हो गया।
7. नहीं हुआ।
8. नहीं हुआ।
9. हो गया।

इनके बाबत पंजीयन के कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) उक्त सभी प्रन्यासों को भूतपूर्व जयपुर स्टेट द्वारा नि: शुल्क भूमि दी गई हो, यह इस विभाग की जानकारी में नहीं है। इन प्रन्यासों की आय का दुरुपयोग होने की कोई शिकायत विभाग के नोटिस में नहीं है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 39 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(3) किसी भी सार्वजनिक प्रन्यास की सम्पत्ति का निजी काम में उपयोग नहीं किया जा सकता किन्तु सम्पत्ति का विनियोजन (इन्वेस्टमेंट) किया जा सकता है। यदि सम्पत्ति के दुरुपयोग की कोई शिकायत आती है तो पब्लिक ट्रस्ट, एक्ट की धारा 38 के तहत कार्यवाही की जाती है।

Page No 38

(38)

श्री गंगानगर तहसील के भूमिहीन व्यक्ति

200. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर तहसील में कुल कितने व्यक्तियों को भूमिहीन घोषित किया और कितनों को जमीन अलॉट की गई ?

उत्तर

गंगानगर तहसील में 17709 व्यक्तियों को भूमिहीन घोषित किया गया है तथा 605 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है।

नागौर एवं अजमेर जिलों में बाढ़ से क्षति

201. **श्री राम सिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष नागौर व अजमेर जिलों में बाढ़ से शेष अन्य जिलों की अपेक्षा सिंचाई कार्यों, सड़कों व भवनों को अधिक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो जिलेवार क्षति ग्रस्त सड़कों एवं भवनों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में 1975-76 में बाढ़ सहायता के लिये किस-किस जिले को तारीख 28-2-76 तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? कितनी-कितनी राशि अब तक किस-किस जिले में व्यय कर दी गई है ?

उत्तर

(1) नागौर एवं अजमेर जिलों में इस वर्ष बाढ़ से भवन व सड़कों का नुकसान हुआ है।

(2) बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार हेतु वर्ष 1975-76 में जिलेवार आवंटित धनराशि की सूची (अ) तथा जनवरी 1976 तक जिन जिलों में धनराशि व्यय हुई है, उसकी सूची (ब) संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राज्य के गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य

202. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पिछले पांच वर्ष में कितना-कितना बिजली का उत्पादन रहा ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में कितने गांवों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था और किन-किन गांवों में बिजली पहुँचाई गई ? क्या लक्ष्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में बिजली का कुल उत्पादन इस प्रकार रहा:—

वर्ष	मिलीयन के. डब्लू. एच.
1970-71	1504.835
1971-72	1683.505
1972-73	2002.972
1973-74	2149.099
1974-75	2131.550

(विद्युत् मंत्री)

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना में 3000 गांवों को विद्युतकृत करने का लक्ष्य था। इस योजना काल में 3716 गांवों का विद्युतिकरण किया गया। 5 वीं योजना के प्रथम दो वर्षों में क्रमशः 548 व 523 ग्रामों का विद्युतिकरण हुआ।

पंचायत समिति बकानी की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

203. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति बकानी (जिला झालावाड़) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना कब से शुरू हुई, इस पर कितना रुपया लगना है तथा कितने समय में कार्य पूरा होगा ?

(2) 31 दिसम्बर, 75 तक उक्त योजना में कितने और कौन-कौन से ग्राम बिजली से जोड़े जा चुके हैं और कितने तथा कौन-कौन से ग्राम बाकी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जोड़े हुए उक्त ग्रामों में कितने-कितने कनेक्शन एग्रोकल्चर व दीगर पावर के कहां-कहां हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़ की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना पर कार्य वर्ष 1973-74 में प्रारम्भ हुआ है। इस योजना की अनुमानित लागत 58.275 लाख रुपये है। योजना का कार्य 3 वर्षों में पूरा किया जाना है।

(2) अब तक उक्त योजना में 52 गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। विद्युतिकृत गांवों की व जो विद्युतिकरण होने शेष हैं, उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विद्युतिकृत गांवों में जो कनेक्शन दिये जा चुके हैं उनकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

[कृपया परिशिष्ट 9 देखिये]

कालीसिंध व अहरनियां नदियों पर पुल

204. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में कालीसिंध व अहरनियां नदी के पुल बहुत नीचे हैं जिससे बरसात में रास्ता कई दिनों तक बंद रहा करता है और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिले का अकलेरा, खानपुर, बकानी, असनावर मनोहर थाने से संबंध कई दिनों टूट जाता है ? यदि हां, तो दोनों नदियों के पुलों को कब ऊंचा किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) वर्षा ऋतु में कालीसिंध व अहरनियां नदी में अधिक पानी आने पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है, जिससे यात्रियों को परेशानी स्वाभाविक है।

Page No 40

(५०)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) अधिक वर्षा होने पर अकलेरा खानपुर, बकानी, असनावर, मनोहर थाना आदि का यातायात सम्बन्ध इस मार्ग से 7-8 दिन के लिये अवरुद्ध हो जाता है। विभाग इन पुलों को ऊंचा कराना चाहता है जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई है, किन्तु अर्थाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है।

राज्य में बेकार विद्युत इन्जीनियरों को रोजगार

205. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य में सभी बेरोजगार विद्युत इंजीनियरों को रोजगार प्रदान कर सरकार ने बेरोजगार इंजीनियर्स पूल को समाप्त करने का निर्णय लिया है ?

(2) राजस्थान में कितने बेरोजगार विद्युत इंजीनियर हैं ?

(3) कुल कितने बेरोजगार इंजीनियरों को अभी तक स्थायी रूप से रोजगार प्रदान कर दिया गया है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने किसी निश्चित तिथि तक इंजीनियरों को रोजगार देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इसके विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु जनशक्ति विभाग के रोस्टर पर दिनांक 20-3-76 तक 166 विद्युत् अभियांत्रिकी स्नातक एवं 450 डिप्लोमाधारी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत हैं।

(3) जनशक्ति विभाग के रोस्टर पर पंजीकृत व्यक्तियों में से वर्ष 1973-74 से अब तक 1162 सिविल विद्युत एवं यांत्रिक अभियांत्रिकी स्नातक एवं डिप्लोमाधारियों को नियमित रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जिसमें से विद्युत श्रेणी के 341 हैं।

(4) जी नहीं। परन्तु इंजीनियर्स को शीघ्रातिशीघ्र रोजगार दिलाने हेतु राज्य सरकार यथा संभव प्रयत्नशील है।

समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री भीखाभाई : अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति का चौथा प्रतिवेदन।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय मैं, सभापति, अनुसूचित जन-जाति कल्याण, समिति, 1975-76, छात्रवृत्ति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति का चौथा प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिनेश डांगी।

श्री दिनेश डांगी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1975-76, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्डों का आवंटन करने सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विद्युत दर व विद्युत् कनेक्शन काटने व अधिक राशि के बिल देने में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव; श्री झाबरमल सूण्डा।

श्री झाबरमल सून्डा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 131 के अन्तर्गत राज्य में विद्युत् की दरों, कुओं से विद्युत् कनेक्शन काटने व अधिक राशि के बिल देने तथा विभाग में कनेक्शन देने में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विद्युत् मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विद्युत् मंत्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य सर्व श्री झाबरमल सूण्डा, योगेन्द्रनाथ हांडा, केशरीमल, मूलचन्द सामरिया, रतीराम यादव, मालाराम, राजेन्द्र भारतीय, गोपालसिंह, अजीतसिंह, इन माननीय सदस्यों ने तीन विभिन्न ध्यान आकर्षण प्रस्तावों द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के बिजली उपभोक्ताओं को कठिनाइयों, बिजली की पूरी सप्लाई न होने व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अणुशक्ति पावर स्टेशन का विद्युत उत्पादन अस्थिर एवं अनिश्चित होने के कारण राज्य को मिलने वाली बिजली के सप्लाई में कमी होने के कारण काफी परेशानी इस वर्ष रबी की फसल के दौरान रही है। यद्यपि मण्डल ने पड़ोसी राज्यों से काफी बिजली चाहे गये दामों पर खरीद कर राज्य की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न किया है, तथापि मांग के अनुसार बिजली न मिलने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में काफी तादाद में 'लोड शेडिंग' करना आवश्यक रहा है। मण्डल ने प्रयत्न इस बात के लिये किया है कि किसानों को मिलने वाली बिजली में कमी न हो। कई स्थानों पर 33 के० वी० के ट्रान्सफार्मरों पर अतिरिक्त भार होने के कारण 11 के० वी० के फीडर्स को कुछ समय के लिये प्रतिदिन बन्द रखकर मांग की पूर्ति करने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार आमतौर पर किसानों को बिजली दिन में औसतन 8 घंटे के करीब सप्लाई करने का पूर्ण प्रयत्न रहा है। इसके अतिरिक्त रात्रि में 10 बजे के बाद बिजली के उपयोग पर प्रातः काल 6/7 बजे तक कोई रोक नहीं है। यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में 'ट्रिपिंग्स' काफी तादाद में होती रही है। परन्तु इसका मुख्य कारण 'फीडर्स' पर 'लोड शेडिंग' के पश्चात् एकदम पूरा भार आना भी रहा है। कोटा अणु शक्ति पावर स्टेशन दिनांक 20-2-76 से बिल्कुल बन्द है और पिछले महीनों में कुछ ही दिन चलकर यकायक बन्द होता रहा है। इस अवधि में (अक्टूबर, 75) करीब 7.23 करोड़ यूनिट बिजली मण्डल ने विभिन्न पड़ोसी राज्यों से खरीदी थी। भाखरा बिजली घर से अपने हिस्से से करीब 2.33 करोड़ यूनिट अधिक ड्रा करके राज्य की मांग की पूर्ति करने की चेष्टा की गई। इस प्रयत्न के फलस्वरूप ही सिंचित फसल की दशा काफी सन्तोषप्रद पूरे राज्य में है।

Page No 42

(४२)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कोटा अणु शक्ति पावर स्टेशन के बन्द होने के कारण उत्तर ग्रिड में 200 मेगावाट की जो कमी आई उसके फलस्वरूप 'पीक-लोड' के समय सिस्टम में काफी भार आ जाने के कारण भी गड़बड़ी होती रही है। इस भार को सीमित रखने के लिए कई स्थानों पर फीडर्स को काटने के लिए 'अन्डर फ्रिक्वेन्सी रिलेज' लगाने भी आवश्यक समझे गये।

उपरोक्त बातों को देखते हुए माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मण्डल ने काफी खर्च उठाकर किसानों को समय पर बिजली पहुँचाने का प्रयत्न किया है।

उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मण्डल द्वारा चलाये गये सतर्कता अभियान की ओर भी ध्यान खींचा गया है। आमतौर पर बिजली के उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता तक पहुँचाने में बिजली की कुछ हानि होती है। पिछले कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि राजस्थान में होने वाली ऐसी ऊर्जा हानि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। इसके विश्लेषण के बाद यह बात जानकारी में आई कि विभिन्न तरीकों को अपनाकर बिजली की चोरी काफी बड़ी तादाद में होती रही है। इस प्रकार की चोरी के फलस्वरूप मण्डल को बहुत बड़ी मात्रा में 'राजस्व' का घाटा होता रहा है। इस सम्बन्ध में कई बार मण्डल के घाटे को लेकर इसी सदन में चर्चाएं भी हुई हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है बिजली के प्रसार में निश्चित रूप से कुछ ऊर्जा हानि तो अवश्य ही होती है, परन्तु चोरी से होने वाली हानि को रोकने का प्रयास भी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मण्डल ने एक विशिष्ट सतर्कता दस्ते का गठन माह दिसम्बर 1974 में किया और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की सेवायें भी इस कार्य के लिये प्राप्त की गईं। सतर्कता दस्ते मण्डल के वृत्त स्तर पर भी कायम किये गये हैं। अभियान के रूप में इन सतर्कता दस्तों ने इस वर्ष रबी सीजन में कार्य किया है। इन दस्तों के कार्य-कलाप से यह सिद्ध हुआ है कि काफी तादाद में बिजली के मीटर के साथ गड़बड़ी की जाती है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। सतर्कता दस्तों द्वारा चैकिंग के पश्चात् जिन उपभोक्ताओं के मीटर संदिग्ध अवस्था में मिले हैं उन उपभोक्ताओं के पिछले वर्षों के विद्युत उपभोग के आधार पर अवश्य ही नये बिल बनाये गये हैं और वसूली की कार्यवाही को गई है और कुछ कनेक्शन भी काटे गये हैं। जिन उपभोक्ताओं के यहां सीधी चोरी पकड़ी गई है उनके भी बिजली कनेक्शन विच्छेद किये गये हैं और इस प्रकार के मामले पुलिस में दे दिये गये हैं। इस प्रकार राज्य में जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किये गये हैं उनके द्वारा बताये गये चार्जेज जमा करा दिये जाने पर कनेक्शन पुनः चालू भी कर दिये गये हैं, यद्यपि कनेक्शन विच्छेद होने पर और पुनः चालू होने में कहीं-कहीं कुछ देरी अवश्य हुई है।

फसल के समय कनेक्शन काटने पर निश्चित रूप से फसल का नुकसान हो सकता है। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य मुझ से मिले थे और उनके द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने मण्डल को ऐसे आदेश दिये हैं कि फसल की संभावित क्षति

(श्री हीरालाल देवपुरा)

को बचाने के लिए फसल के समय कनेक्शन काटे न जायं और ऐसे उपभोक्ता, जिनके विरुद्ध कोई मामला बनता है, यदि इस बात की अन्डरटेकिंग व जमानत दें कि वे मण्डल द्वारा तय किए गए बिजली के चार्जेज 31 मई, 76 तक जमा करा देंगे तो उनका कनेक्शन फिर से जोड़ दिया जायेगा। ये आदेश आज भी चालू हैं।

यहां मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक समझता हूं कि रबी की फसल के समय में बड़ी भारी संख्या में कुओं के कनेक्शन काटे जाने की बात आधारहीन प्रतीत होती है। राज्य में कुल 92,000 कुओं पर विद्युत कनेक्शन हैं इनमें सतर्कता दस्तों ने चैकिंग द्वारा 813 कनेक्शन काटे गये हैं। 92,000 कनेक्शनों के अनुपात में अधिक नहीं कहे जा सकते हैं जो केवल 0.877% हैं। इन 813 कनेक्शनों में से 702 कनेक्शन तो वापिस भी जोड़े जा चुके हैं। इस प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि सतर्कता दस्ते के कार्यकलापों के फलस्वरूप काफी संख्या में कनेक्शन काटे गये हैं।

माननीय सदस्य उपरोक्त तथ्यों को देख कर स्वयं ही विचार करेंगे कि मण्डल ने अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी संख्या में कनेक्शन नहीं काटे हैं। मण्डल द्वारा सप्लाई की गई बिजली का पूरा मूल्य मण्डल को मिले इस विचार से माननीय सदस्य सहमत होंगे। बिजली की चोरी में कुछ असामाजिक तत्वों ने बढ़ावा दिया है और उसे रोकने का प्रयत्न निश्चित रूप से आपकी सहायता एवं सहयोग से राज्य सरकार व मण्डल को करना चाहिए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि मण्डल में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और कनेक्शन देने में काफी अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी शिकायतें मण्डल को प्राप्त हुई हैं तथा होती हैं उनकी आवश्यक जांच की जाती है और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले इस सदन में माननीय सदस्यों से निवेदन किया गया था कि मैं माननीय सदस्यों का सहयोग इस दिशा में चाहूंगा कि वे मण्डल के किसी भी स्तर के भ्रष्टाचार के बारे में स्पेसिफिक मामला मुझे देंगे तो उन्हीं माननीय सदस्यों की सामलात से जांच कराऊंगा और यदि अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये तो मण्डल में उनके लिये कोई स्थान नहीं होगा। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा। इस सन्दर्भ में मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस समय भी विभिन्न अनियमितताओं के आरोप में मण्डल ने 2 अधिशाषी अभियन्ता, 8 सहायक अभियन्ता, एवं 16 कनिष्ठ अभियन्ताओं को निलम्बित किया हुआ है जिनकी जांच चालू है और 133 को आरोप पत्र दिये गये हैं। राज्य सरकार व मण्डल इन बुराइयों को दूर करने में प्रयत्नशील है। मैं यहां पर, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इसी सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार आज के सन्दर्भ में एक सामाजिक बुराई के रूप में है उसको दूर करने का प्रयत्न हम सभी को मिल कर करना होगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में इस बात की भी चर्चा की गई है कि कम वोल्टेज

Page No 44

(५५)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मिलने के कारण कई कुओं की मोटरें जल जाती हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डल अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करता है कि किसानों को उचित वोल्टेज पर बिजली मिले। वोल्टेज कम मिलने के कई कारण होते हैं जिनमें से एक मोटरों का पावर फेक्टर कम होना भी है। बिजली के पम्प मोटरों की स्वाभाविक परिस्थिति के कारण उनके पावर फेक्टर निर्धारित सीमा से काफी कम रहते हैं। इसके कारण लाइनों में करेन्ट काफी बढ़ जाता है जिससे भी वाल्टेज काफी कम हो जाता है। इसको दूर करने के लिये उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वह अपनी मोटरों का पावर फेक्टर सही रखने के लिये आवश्यक संयंत्र लगायें। केपेसिटर लगाने के लिये मण्डल ने कई बार निर्देश भी दिये हैं परन्तु इस प्रावधान पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने इस प्रकार के संयंत्र लगाये हैं जिससे उनकी वोल्टेज की कमी की शिकायत बहुत बड़ी मात्रा में कम हुई है। मण्डल ने इस प्रकार के केपेसिटर उपलब्ध कराने का प्रयत्न भी किया है। कुछ केपेसिटर आ भी गये हैं उपभोक्ता उनकी कीमत देकर यह संयंत्र मण्डल से खरीद कर अपनी मोटरों पर लगवा सकते हैं।

33 के. वी. लाइनों में ट्रान्सफार्मर की कमी के कारण भी कई क्षेत्रों में वोल्टेज कम मिलता है इसको दूर करने के लिये राज्य सरकार ने अगले वर्ष के बजट में करीब 3.2 करोड़ रुपयों की राशि का प्रावधान किया है।

गत वर्षों में जो मांग एकदम बढ़ी है उसके लिये आवश्यक 33 के. वी. लाइनों का प्रावधान धन की अत्यधिक कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका है। जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जा रहा है इस ओर प्रयत्न जारी है। इसी प्रकार 132 के. वी. की कुछ नई लाइनें बनाने के लिये भी वर्ष 1976–77 के बजट में प्रावधान किया है जिससे स्थिति में काफी सुधार होगा, ऐसी आशा की जा सकती है।

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में टेरिफ का प्रश्न भी उठाया गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य विद्युत मण्डल ने टेरिफ पहली बार 10 वर्षों के बाद में बदली है। इन 10 वर्षों में सामान की कीमतों में व मजदूरी में असाधारण वृद्धि हुई है। ग्रामीण विद्युतिकरण का प्रसार भी तेजी से होने के कारण मण्डल को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए टेरिफ बढ़ाना नितान्त आवश्यक समझा गया है। टेरिफ की नई दरें जो सन् 1974 के जुलाई माह से लागू की गई हैं; पड़ोसी राज्यों के समकक्ष ही हैं। मण्डल की हानि इन दरों के लागू हो जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकेगी।

नई टेरिफ लगाने पर मिनिमम चार्ज की दरें बढ़ा दी गई हैं? मण्डल के पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि अमुक श्रेणी के उपभोक्ता कुछ सीमा तक बिजली का उपयोग अवश्य ही करें। यदि निर्धारित सीमा तक बिजली का उपयोग नहीं होता है तभी मिनिमम चार्ज वसूल किया जाता है। जो उपभोक्ता इस सीमा से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, उनसे कोई मिनिमम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चार्ज नहीं लिये जाते हैं। मिनिमम चार्ज निर्धारित करते समय यह ध्यान में रखा गया है कि जो अधिक हार्स पावर की मोटर का उपयोग करते हैं और जिनको बिजली सप्लाई करने के लिये मण्डल को तुलनात्मक तौर पर अधिक धन खर्च करना पड़ता है अधिक पैसा लिया जाता है। आमतौर पर छोटी जोत वाले किसान जो अधिकांशतः 3 और 5 हार्सपावर, की मोटर लगाते हैं, के लिये मिनिमम चार्ज उसी अनुपात से बढ़ाये गये हैं जिस अनुपात में टेरिफ बढ़ाई गई है।

जैसा मैंने पहले कहा है, औसत चार्ज केवल उन्हीं उपभोक्ताओं से मांगे गये हैं जिन मीटरों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई हो। तो औसत चार्ज लेने का नियम बोर्ड में पहले से ही है और यह केवल उन्हीं लोगों से लिया जा रहा है जिनके मीटरों में गड़बड़ी हो या जिनके मीटर बन्द हो। औसत चार्ज के बिल पिछले वर्षों की खपत के अनुसार ही बनाये जाते हैं।

जहां तक नये कनेक्शन देने का प्रश्न है, इसमें माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 2-3 वर्षों से नोन आर० ई० सी० एरियाज में कनेक्शन देने के लिये बहुत ही कम धनराशि का प्रावधान किया जा सका है। जिसके कारण कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दिये जा सके। कनेक्शन देने की एक प्रक्रिया निश्चित की हुई है और कनेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर ही दिये जाते हैं। यदि ये तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य हों। मौजूदा हालत में जब कि अधिकांश क्षेत्र में 33 के० वी० के ट्रान्सफार्मर अपनी क्षमता से ऊपर लोड उठा रहे हैं और अधिक कनेक्शन देने में अवश्य ही बाधायें आई हैं। जिसको दूर करने का प्रयत्न मण्डल कर रहा है। 11 हजार वोल्टेज के ट्रान्सफार्मर भी पूरा पूरा लोड उठा रहे है और इन पर अधिक लोड डालना सम्भव नहीं है। इन कारणों से नान आर० ई० सी० क्षेत्रों में नये कनेक्शन देने में कुछ कठिनाई अवश्य रही है। मण्डल की निश्चित प्रक्रिया के विरुद्ध यदि कहीं किसी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है तो उसकी निश्चित सूचना मिलने पर निश्चित रूप से उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। आमतौर पर तकनीकी दृष्टि से साध्य न होने पर जो कनेक्शन चालू किये गये हैं उनके सम्बन्ध में रिश्वत की शिकायत बताई जाती है परन्तु पूरे सबूत न मिलने पर कार्यवाही करना कठिन होता है। जहां पूरे सबूत मिल जाते हैं मण्डल अवश्य कार्यवाही करता है और भविष्य में भी करता रहेगा।

श्री झाबरमल सुण्डा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया दो तीन मिनिट में अपनी बात कह दीजिये। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से आठ नौ माननीय सदस्य सम्बन्धित हैं। सभी को दो तीन मिनिट कहना है। आप संक्षेप में कह दीजिये।

श्री झाबरमल सुण्डा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में और बिजली के कन्ज्यूमर्स की कठिनाइयों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो बयान दिया है वह काफी सन्तोषजनक है-इसमें दो राय नहीं हैं। जो कुछ कार्य-

(श्री झाबरमल सूण्डा)

वाही बोर्ड से हुई है उससे भी बहुत संतोष है। मौजूदा चेयरमेन ने जो उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रक्रिया अपनाई है वह भी संतोषजनक है। इसके बावजूद हम यह और चाहते हैं कि उपभोक्ता, बोर्ड और राज्य सरकार के बीच में संतुलन बना रहे, बिजली लोगों को मुहैय्या हो सके- वसूली करने की प्रक्रिया है उससे सबसे ज्यादा परेशानी है । एक सबेश्चन मेरा है, वह यह है कि गांवों में ड्राइव चल रहा है उससे उपभोक्ता परेशान हैं चाहें बड़े-बड़े लेंड होल्डर हैं, व्यापारी हैं। यह ख्याल कर ड्राइव इसका शुरू कर दिया कि सब उपभोक्ता चोर हैं। जैसे व्यापारी हैं, साहूकार हैं, वैसे बोर्ड अपने को साहूकार मानता है, और उपभोक्ता छोटा हो, बड़ा हो, उन्हें चोर मानता है। यह प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। बिजली की चोरी का मामला हो, किसी का मामला हो, इस देश, किसी देश की कोई संस्कृति उसे अलाऊ नहीं करती है। किसी मामले में चोरी उचित नहीं है। यह नियम बना था कि बिजली के मामले में कम से कम चोरी हो। इसलिए टेरीफ रिवाइज होता रहा। मैं इस संगठन के बारे में निवेदन करूंगा, यह जो बिजली बोर्ड का संगठन है इसमें कन्ज्यूमर की तरफ से कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। एक चेअरमैन होता है, छः- सदस्य होते हैं। हमने चाहा था कि उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी की तरफ से आश्वासन भी मिला था। लेकिन हो सकता है कि उनके सामने डिफिकल्टी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अन्तर्गत आती हो। अगर ऐसा है तो मैं मानता हूँ कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला जा सकता है और उपभोक्ता को भी शामिल किया जा सकता है। यह सवाल हो सकता है कि बिजली के उपभोक्ता एग्रीकल्चरिस्ट हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स भी तो दोनों को स्थान कैसे दें। मेरा मानना है कि सात के बजाय नौ मेम्बर भी हो सकते हैं। आपने समस्या के निवारण के लिए कई कोर्पोरेशन बनाये हैं, तो उपभोक्ताओं की समस्या को सुलझाने के लिए भी उन्हें इसमें स्थान दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने भी यह माना है कि उपभो- क्ताओं की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने उपभोक्ताओं का सहयोग चाहा है। लेकिन सहयोग चाहने से ही सहयोग नहीं मिलता है। चोरी के मामले में दो चीजें हमारे सामने आती हैं। पहले क्वेश्चन आया था, तब आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में बाद में पूछ लेना। लेकिन आपने जो तरीके चोरी के बताये हैं, उसमें एक मोटर का सिस्टम बताया है, उससे चोरी होती है। मेरा कहना है कि हर कन्ज्यूमर का मीटर ठीक रखना है। यह बोर्ड और कन्ज्यूमर दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन होता यह है कि मीटर अगर ठीक नहीं है तो बोर्ड कन्ज्यूमर की गलती मानता है। मीटर खराब है और बाइण्डर में शिकायत होती है तो मीटर कन्ज्यूमर के पजेशन में है लेकिन वह छिपा हुआ नहीं होता। दूसरे बाइण्डर में जिन लोगों के खिलाफ रिमार्क्स हैं उनसे पैसा वसूल कर लीजिये । किसी

(श्री झावरमल सूण्डा)

सूरत में ठीक मीटर नहीं हैं, तो उसमें छः महीने से पीछे का एवरेज नहीं ले सकते। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान है वह छः महीने का है। लेकिन छः महीने के बजाय, तीन साल, दस साल- पन्द्रह साल, जब से बिजली ली है तब से एरियर लिया जाना चालू हो गया। यह नेचरल जस्टिस से सही नहीं है। बिजली का कन्जम्पशन जो होता है, वह बिजली खेती के काम में ही लेता है, इसमें यह हो सकता है कि पहले कम ली हो, घरेलू परिस्थिति की वजह से पहले नहीं पैदा कर सका हो, या कभी-कभी जैसा होता है, उसने फसल चेंज कर ली हो इसलिए 6 महीने से पीछे जाकर एवरेज इस तरह से लगाना वाजिब नहीं होगा। मिनिमम चार्जेज के लिए मेरा निवेदन है कि सीकर में एक गांव है जहां 2॥ से 3 घंटे तक मोटर नहीं चल सकती और फिर भी आप मिनिमम चार्जेज लें यह कहां का न्याय है? जब पानी अवेलेबल नहीं है, मोटर नहीं चल सकती तो एवरेज नहीं लेना चाहिए। विद्युत् मंडल की गल्ती से यदि एरियर लिया गया है तो वापस करना चाहिए। अब तक अंधाधुंध श्रीमाधोपुर में 9–9 हजार के बिल आए हैं। मीटर की गड़बड़ी जो बोर्ड की वजह से रह गई उसमें किसी आदमी से 6 महीने के पीछे नहीं लिया जाए। मेरे पड़ोस में दो तीन मिलें लगीं तो मैंने उनसे पूछा कि सील लगी? तो बताया, नहीं। मीटर को जैसे इन्सटाल करते हैं तो न पोजीशन देखते हैं न यह कि सील है या नहीं। मीटर को करेक्ट करें। करेक्ट होता नहीं है। अब तो किसान इतने निराश हो गए हैं किसी की बिजली लेने में दिलचस्पी ही नहीं रह गई। जब कोई किसी से कहता है कि मैं कनेक्शन ले रहा हूं तो दूसरा कहता है कि मेरा कनेक्शन ले लो। हम नहीं चाहते हैं कि चोरों को बिजली दी जाए। कुछ मामले ऐसे हैं, ऐसे केसेज पकड़े गए जो मंत्री महोदय के जानकार आदमी थे। उन गांवों में मैं परसों भी गया हूं। देखा तो उस गांव में उसी मात्रा में चोरी हो रही है। वहां दिन में भी चोरी होती है रात को भी होती है। मैं चोरों को बख्सने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन सब को चोर समझा जाए, यह उचित नहीं।

अगर इस तरह से बिल दिये जायेंगे तो हम मारे जायेंगे। इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर को हम बीच में लाना चाहते हैं। चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं उन्होंने कहा था कि मीटर कई बार शुरू से ही बदला जाता है तो उस हालत में टेम्पर किया हुआ है उसको देखकर नहीं कहा जा सकता कि मीटर की सील वगैरह सही है। उनके मामले में ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए।

जो मीटर जल गए हैं, 90 प्रतिशत केसेज में बोर्ड की गलती से जलते हैं, तो बोर्ड को चेंज करने चाहिए। इसके बावजूद जिन लोगों ने साल डेढ़ साल से मीटर के पैसे जमा करा दिए और कई केसेज में तो तीन-तीन बार जमा करा दिए तो भी मीटर चेंज नहीं किया गया। तो जिन्होंने रिपोर्ट कर दी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए और मिनिमम चार्जेज से ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि गलती तो बोर्ड की तरफ से है। अगर किसी तरह से बोर्ड सक्षम नहीं है क्योंकि मैं लगातार 6 महीने से कहता आया हूं कि मीटर

(श्री झाबरमल सूण्डा)

को बदला जाए फिर भी नहीं बदलता है तो किसान क्यों भुगते ? बोर्ड ने खराब मीटर दिया है तो उसको सही करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मीटर सिस्टम को छोड़ दिया जाए लेकिन किसान कितनी पिलाई कितनी वाटरिंग करता है, उसको मानना चाहिए। जो वास्तव में बिजली का उपयोग करते है उसको असेस करने के लिए या तो पिलाई के हिसाब से बिल लगावें या आपको मीटर ठीक करना पड़ेगा। अगर मीटर सही नहीं है तो बोर्ड को अधिकार नहीं है कि उपभोक्ताओं से 3-3 साल के पुराने एरियर्स लें। इस तरह से लेंगे तो इस इमर्जेंसी में केआस खड़ा हो जाएगा।

आज गांवों में 20 सूत्री कार्यक्रम दे रखा है लेकिन गांवों में जो हालत है वह एकदम सरकार के पक्ष में नहीं है, बिजली की वजह से या दूसरी बातों की वजह से क्योंकि इसमें एक लाख उपभोक्ता लिप्त हैं। इसके अलावा दूसरे उपभोक्ता भी हैं। एक लाख का मतलब 5 लाख व्यक्ति।

इसके अलावा जो रजिस्टर बनाया है, उसको भी ठीक करें। जब मीटर नहीं चलता है तो ए० ई० एन० को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि मनमाना बिल लगाए। वे ऐसे मामले हैं जिनमें कर्मचारी सस्पेंड हो गए, मीटर रीडर्स सस्पेंड हो गए क्योंकि रीडिंग ठीक नहीं थी। न बिल ही उनका करेक्ट होता है न रीडिंग ही सही होती है। जो बिजली सप्लाई का सिस्टम है वह उनके बस का मामला है। इसलिए सप्लाई के मामले में थर्मल स्टेशन्स कायम करने चाहिए उसमें लागत भी कम आएगी।

(12.29 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, सप्लाई को सही ढंग से रखने के लिए अपने खुद के थर्मल स्टेशन्स कायम करने चाहिए। मैं कनेक्शन देने के बारे में कहना चाहता हूं। ट्रांसफार्मर्स के बारे में कहा गया है, हरियाणा राज्य आपके नजदीक है। वहां 2–3 करोड़ की लागत से बनाते हैं। हमारे पास 10 करोड़ के ट्रांसफार्मर्स पड़े रहे, इस कारण हम बिजली नहीं दे सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना खुद का वर्कशाप हो जिसमें ट्रांसफार्मर्स रिपेयर होकर उपभोक्ता को दिए जा सकें। जहां तक कनेक्शन का सवाल है, एक डेजर्ट एरिया है, एक सेमी डेजर्ट एरिया है, मार्जिनल फार्मर को भी आपको देखना पड़ेगा।

जहां तक सभापति महोदय, कनेक्शन देने में भ्रष्टाचार का प्रश्न है यहां पर बुरी तरह से भ्रष्टाचार छाया हुआ है। इसके बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी था। यहां पर आपने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। इसलिये मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं कहते हुए थोड़ा ही निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां जयपुर जिले में स्माल फार्मर्स के नाम पर और शिड्यूल्ड-कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के नाम पर इस जिले में बिजली बोर्ड के सहायक इन्जीनियर आमेर ने जयपुर के कलेक्टर श्री-जी० आर० रामचन्द्रन के पुत्र श्री यज्ञ मित्र को बिजली का कनेक्शन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति को 12-9-75 को बिजली का कनेक्शन दिया। इसके पहले उस व्यक्ति ने डेढ़ माह पहले ही जमीन खरीदी थी और उस व्यक्ति के लिये 50

(श्री भावरमल सूंडा)

के० वी० का ट्रान्सफार्मर डेढ़ मील लम्बी लाइन खींच कर आपने उसके फार्म पर बिजली दी है। उस व्यक्ति ने कलेक्टर के लड़के होने के नाते अपनी पावर्स का मिस-यूज किया है। अगर आप उनको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स या कमजोर वर्ग के नाम पर ही बिजली देते हैं तो आपको गरीब लोग जहां पर रहते हैं उनके एरिया में बिजली पहुँचानी चाहिये। जो लोग सक्षम हैं और जिन लोगों के परिवार वाले लोग बड़े पद पर हैं उनको आप कमजोर वर्ग के नाम से बिजली देते हैं। इस प्रकार जो लोग अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये, उन्हें आपको दण्ड देना चाहिये। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय ···

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर; ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, इस सदन में कुओं, और दूसरी जगह कनेक्शन देने के सम्बन्ध में तथा कुओं आदि में कमजोर वर्ग के नाम पर बिजली देने के संबंध में जो वक्तव्य में मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया है उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ है। यह ठीक है कि राजस्थान में बिजली की बहुत ही दारुण स्थिति है। हमारे यहां पर 7 करोड़ 22 लाख यूनिट मध्यप्रदेश से और 2.33 लाख यूनिट बिजली आपने भाखरा से खरीद ली और बिजली सप्लाई कर दी। पर आपने जो बिजली हमें सप्लाई की है उसकी रेट बहुत ही ऊंची है। आपने हमारे यहां के जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं और जो छोटे कन्ज्यूमर्स हैं उन पर आपने बहुत भारी टेरिफ लगा दिया है। इसका विपरीत असर हाईटेन्शन कन्ज्यूमर्स पर पड़ता है। इसलिये मैं मन्त्रीजी को इसका क्रेडिट बिलकुल देने को तैयार नहीं हूं कि राज्य सरकार ने बिजली की सुविधायें हमारे यहां के जो छोटे-छोटे कन्ज्यूमर्स हैं उनको दी हैं। क्योंकि आज भी सारे के सारे प्रिवीलेजेज आपके जो बड़े-बड़े बिड़ला और शाहू जैन जैसे व्यक्ति है वह एन्जोय करते हैं। आज राज्य सरकार ने वही की वही रियायतें चरतराम और भरतराम, बिड़ला और शाहू जैन को दी हैं, उन ही रियायती दरों पर बिजली दे रखी है। उनकी आपने कोई रियायतें कम नहीं की हैं। एक तरफ तो आपने मिनिमम इरेटिक स्लेब कायम किया है, दूसरी तरफ आपने छोटे-छोटे कन्ज्यूमर्स पर टेरिफ बढ़ा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय खुद जानते हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आडिट रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 7 करोड़ 14 लाख की बकाया इन धनी सेठों और राजाओं में बाकी है। इनको वसूल करने की आपने अगर कार्यवाही की होती तो मैं आपको इसका क्रेडिट देता। आज, उपाध्यक्ष महोदय, इन हाईटेन्शन कन्ज्यूमर्स में आपके 3 करोड़ 38 लाख रुपया बिड़ला और शाहू जैन और चरतराम में बाकी हैं और 1 करोड़ रुपया आपका इन 66 राजाओं में बाकी है। लेकिन आज सीकर, झुंझुनू के इलाके के

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

लोगों में थोड़ा बहुत बाकी होता है तो उनके आप कनेक्शन काट देते हैं। इस कारण मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता में बहुत बड़ा रोष फैला हुआ है। आज अकेले बिड़ला में, पिलानी में बिजली के सिर्फ 55 हजार रुपया बकाया है, लेकिन आपने उनके कनेक्शन तो काटे नहीं, लेकिन इन बेचारे छोटे-छोटे कन्ज्यूमर्स के आपने कनेक्शन काट दिये। यह कहां तक जस्टिफाईड स्टेप है? आपने अपने फ्लाइंग स्क्वेड के जरिये रोंग कनेक्शन के नाम से यह कारगुजारी दिखायी कि इन छोटे-छोटे लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिये। लेकिन आप जो बिड़लाजी को पांच नये पैसे में बिजली देते हैं उनकी बिजली नहीं काटी। आज आपने गंगानगर के इलाके में बिजली की रेट्स यह कह कर बढ़ा दी कि यहां पर बिजली का ज्यादा उपयोग होता है और उनके लिये भारी ट्रांसफार्मर्स की जरूरत होती है। आज आपने यह कह दिया कि कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिये हमें बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ते हैं, इसलिये बिजली का पैसा ज्यादा लेना पड़ता है। इसके अलावा जगह-जगह करीब 52 हजार कुओं पर कम्प्रेसर लगाये और दो फीडर, एक तो मुक्तसर से गंगानगर और दूसरा फीडर हिसार सरसा राजियासर और गंगानगर तक जाता है लेकिन आपका आर. ए. पी. पी. बन्द हो जाता है तो भी आप के इस जयपुर के शहर की लाइटें तो जलती, हैं बड़े बड़े करोड़पतियों के मकानों में बिजली जलती रहती है लेकिन उस वक्त हमारे सीकर और झुंझुनू के इलाके की बिजली कोलेप्स हो जाती है। आप सारी की सारी बिजली को शहरों की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अब आपका सेकन्ड फीडर, जो पंजाब से आता है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक हमारे गंगानगर झुंझुनू में 19.5 एम. वी. के ऊपर के ट्रान्सफार्मर की मांग है उस जगह आप 6 एम. वी. का ट्रान्सफार्मर लगाते हैं इसके अलावा आपने जो मिनिमम चार्ज लगाये हैं वह बहुत ही ज्यादा लगाये हैं। यह बहुत ही इरेटिक डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है पांच हार्स पावर की मोटर पर आपने 75 रुपये लगाये हैं, साढ़े सात हार्स पावर की मोटर पर आप ने 85 रुपये रखे, दस हार्स पावर की मोटर पर आपने 115 रुपये रखे हैं और 10 हार्स पावर की मोटर से ऊपर वाले के लिये आपने 165 रुपये रखे हैं। और छोटे-छोटे कन्ज्यूमर्स पर आपने अधिक पैसा लगाया है। आप ने जो जयपुर में तीन हार्स पावर की मोटर पर मिनिमम चार्जेज लगाये हैं वह बहुत कम है और गंगानगर के अन्दर जो दस हार्स पावर की मोटर लगाई हुई है उसके आपने मिनिमम चार्जेज अलग लगाये हैं, और दूसरे राजस्थान के हिस्सों में जो दस हार्स पावर की मोटर के पैसे लगाये वह ज्यादा है, यह आपका जस्टिफिकेशन कहां तक सही है। जहां 24 घन्टे बिजली जले वहां पर तो आप पैसे अधिक लें तो कोई बात नहीं लेकिन जहां पर 24 घन्टे बिजली जल नहीं सकती वहां बिजली है तो आप कैसे ज्यादा मिनिमम चार्ज करते हैं। हां जहां पर 148 बड़ी-बड़ी होल्डिंग हैं वहां पर मिनिमम चार्जेज एनफोर्स करते हैं तो कोई आपका जस्टिफिकेशन होता।

श्री सभापति : श्री केशरीमल!

श्री केशरीमल (ब्यावर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कनेक्शन

(श्री केशरीमल)

देने की जो नीति है वह ऐसी नीति है कि जितनी देर से कनेक्शन दिये जायं उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है। कनेक्शन देने की नीति ठीक प्रकार की नहीं है। मंत्री महोदय इसमें सुधार करें। जिसकी एप्लीकेशन पहले उसको कनेक्शन पहले। लेकिन एप्लीकेशन पहले वाली नीचे हो जाती और नीचे वाली ऊपर हो जाती है और इस प्रकार नीचे ऊपर का तरीका मनमाने ढंग से चलता रहता है। इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। नम्बरिंग का सिस्टम है वह गलत है और इसमें परिवर्तन करके इसको ठीक करना चाहिये।

कनेक्शन देने के बाद मिनिमम चार्ज वसूल करने के बाद, सप्लाई हम पूरी नहीं दे सकते, कुए में बिजली जा नहीं रही है, कारखाना चल नहीं रहा है, मिनिमम पैसा चार्ज कर रहे हैं। किस आधार पर आप मिनिमम चार्जेज वसूल करेंगे जब कि चलाया ही नहीं उसने। आपने सप्लाई की हो पावर तो आपको चार्ज करने का हक है। जिसको मोटर स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला उससे आप चार्ज कर रहे हैं। उसको चार्ज करने का आपको कोई हक नहीं है।

कुछ इलाकों को छोड़ कर दो दो, चार-चार, पांच-पांच बीघा में पिलाई की जाती है। उस छोटे किसान से न्यूनतम प्राइस चार्ज करेंगे, जिसके पास तीन बीघा जमीन है, जमीन कम है तो वह मोटर कम चलायेगा, मजबूर है वह कि उसके पास जमीन कम है और कुए में पानी भी कम है। ऐसे लोगों से, जिनके पास जमीन छोटी है, न्यूनतम चार्ज करना अनुचित है।

सभापति महोदय, हमारे यहां हिसाब है वह भी गलत है। एक दफा न्यूनतम चार्ज का बिल आयेगा और दूसरी बार दूसरा बिल आयेगा। ब्यावर गांव में विद्युत इन्सपेक्टर को हर साल जो पैसा देना है, दे दिया, चुका दिया, रसीद उसकी आ गयी फिर भी बाकी निकाल रहे हैं। सदन में प्रश्न भेजा लेकिन आया नहीं। पैसा लिया भी जा रहा है और तंग भी किया जा रहा है कनेक्शन देने के बाद, मिनिमम चार्ज के बाद भी चाहे कनेक्शन कुए का हो या घर का हो, बगैर पैसा खाये कनेक्शन दिये जाते नहीं। मेरा सुझाव है कि कनेक्शन देने के लिये कमेटीज होनी चाहियें। शिकायतें आयें तो उनके सामने जांय और वे कमेटियां उन बातों को देखें कि किस कारण से देर हुई और किस कारण से उनको कनेक्शन दिया नहीं गया। ठेकेदारों से मिल कर कनेक्शन दिलाने में गड़बड़ियां होती हैं उनको रोका जाय। इसलिये जन प्रतिनिधियों, वहां के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिला कर कमेटियां मुकर्रर की जायं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने जहां खत्म किया मैं वहां से ही शुरू करता हूं। कनेक्शन के मामले में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिद्धान्त होना चाहिये। बहुत छोटे लोग हैं उनको पहले प्रिफरेन्स दें, बजाय बड़ी होल्डिंग्स वालों के। यदि सार्वजनिक कार्यकर्ता और अधिकारी बैठकर कनेक्शन के मामले तय करेंगे तो मनमाने तरीके से किसी की प्रायोरिटी को समाप्त करने का

Page No 52

(52)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

किसी को मौका नहीं मिलेगा और करप्शन के जो चार्जेज लगते हैं वे भी कम लगेंगे।

विद्युत् मंत्रीजी जवाब देते समय इस बारे में फर्मायेंगे कि क्या कारण है, बहुत से कनेक्शन का एक बार क्या एस्टीमेट बनाया जाता है और दूसरी बार क्या बना दिया जाता है? एक बार एस्टीमेट ज्यादा बनता है और दूसरी बार वह ही कम हो जाता है। इतना बड़ा भारी अन्तर हो जाता है कि जिसको देखने के बाद आश्चर्य होता है। एक बार पांच हजार का एस्टीमेट बना और दूसरी बार दो हजार का एस्टीमेट आ जाता है। क्या कारण है? शुरू से आखिर तक कनेक्शन देने की व्यवस्था में इस प्रकार का सुधार किया जाय, इस प्रकार इसको नियन्त्रित किया जाय कि व्यवस्था ठीक हो सके और कनेक्शन सही ढंग से मिल जाया करें।

कनेक्शन के बाद एक प्रोफार्मा होता है उस पर आर. एस. ई. बी. का जो भी व्यक्ति कनेक्शन करके आता है जितने दस्तखत करने वाले लोग हैं उनसे दस्तखत करवा लेता है। वे पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं। न ही उनको पढ़ कर सुनाया जाता है। वह ही कर्मचारी दो, चार-पांच महीने के बाद रिपोर्ट कर देगा और कह देगा कि टरमिनल नहीं है। मेरे क्षेत्र में सैंकड़ों लोगों से 15 रु० टरमिनल के वसूल हुए हैं। अपनी लापरवाही के कारण, लोगों के अशिक्षित होने के कारण और विद्युत मंडल पर भरोसा करने के कारण इस प्रकार से उनसे नाजायज फायदा उठाया जाता है।

सभापति महोदय, इसके बाद यह होता है कि मीटर का रीडिंग नहीं करते हैं तो मिनिमम चार्जेज का बिल आता है। वह बिल आने के बाद कन्जम्पशन कम दिखाते हैं। लम्बे समय के बाद 100-100, 150 रुपये के बिल आ जाते हैं। मिनिमम चार्ज नहीं होते हैं। इसलिये जब भी मीटर रीडिंग करके जायं तो शिक्षित आदमी से सर्टिफाई करवा कर ले जायं। मीटर लगता है और उसके बाद चार्जेज चल रहे हैं और ऊंची रकम आती है।

लाइन जल जाती है। कन्ज्यूमर दरख्वास्त देता है कि लाइन जल गयी है, डिस्कनेक्ट कर दें। वह किया नहीं जाता है। अच्छे मीटर होते हैं, एक महीने के बाद कनेक्शन कट जाना चाहिये। कन्ज्यूमर कहता है लाइन जल चुकी है डिस्कनेक्ट कर दो, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि जिस समय आपके यहां से बिल बन कर चले जायेंगे और एकाउन्टेन्ट दस्तखत कर देगा तो उस बिल को लेकर जब असिस्टेन्ट इन्जीनियर के पास जाते हैं तो वह जवाब देता है कि क्योंकि बिल इश्यू करने वाली अथोरिटी मैं हूं इसलिए एक की जगह हजार का भी बना सकता हूं लेकिन उसमें करेक्शन का अधिकार मुझको नहीं है और उसमें करेक्शन एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ही कर सकता है। अब आप, सभापति महोदय, एक साधारण किसान की दिक्कत देखिये कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास इस काम के लिए जयपुर आने में उसको कितनी दिक्कतें होंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा, सभापति महोदय, जो एवरेज बिल जाता है इसमें किसी भी कारण से गयी साल किसी कन्ज्यूमर ने ज्यादा बिजली जलाई लेकिन इस साल किसी भी कारण से बिजली कम जलती

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं तो मीटर भी ठीक है, सील भी ठीक है; आप चाहें तो उसको टेस्ट कर लें, फिर क्या कारण है कि आप किसान को इसके लिए बाध्य करते हैं कि लास्ट ईयर जितना बिल दिया वह तो देना ही पड़ेगा। यह मैं समझता हूं कि अनुचित होगा और इस तरह के बिल बना कर देते हैं तो यह किसानों को बहुत परेशानी होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं मिसाल के तौर पर कहता लेकिन आपका इस प्रकार का आदेश हो रहा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दस, बीस रुपये के मीटर के चार्जेज आते हैं उनके कन्जम्पशन के चार्जेज 1000 और 900 रुपये के होते हैं। मीटर सही है, रीडिंग इतनी नहीं है, लाइन सही है लेकिन यह कह देना कि लास्ट ईयर इतना था इसलिए इतना ही देना पड़ेगा तो यह न्यायोचित नहीं है। इसलिए आप न्यायोचित तरीके से किसानों और कन्ज्यूमर्स के साथ न्याय करें, नहीं तो सब लोग कनेक्शन कटवा लेंगे और इससे उनको तो परेशानी होगी ही, और साथ ही आर० एस० ई० बी० को भी एबालिश करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अगर राजस्थान में जनता सबसे ज्यादा दुखी है तो इस विद्युत विभाग से परेशान है। इसलिए इसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस इतना ही निवेदन मुझे करना है।

श्री सभापति : श्री गोपालसिंह!

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति जी, बिजली की गड़बड़ियों के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट यहां हाउस में दिया उससे लगता है कि मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी पूरी रखते हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी आभास होता है कि सारी परिस्थिति सरकार के कन्ट्रोल से कुछ बाहर–होती जा रही है और यदि इसको कन्ट्रोल में लेना है तो कुछ कदम आपको उठाने पड़ेंगे।

माननीय सभापति जी, इस बिजली बोर्ड के बारे में लोग जानते हैं कारण कुछ भी रहा हो लेकिन यह बोर्ड एकदम थोथा है और इसमें ऊंचे के स्तर पर जमकर बेईमानी और घोटाले हुए हैं। हम बैलेन्स शीट और दूसरी चीजों को देखते हैं तो यह रिकार्ड प्रस्तुत करने में बोर्ड सरकार के सामने आने में हिचकिचाता है और उसके ऊपर जो लांछन आ रहे हैं उनसे बचने के लिए कहां कहां किसानों ने, लोगों ने चोरियां की हैं उनके नाम पर रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बेगुनाह लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में कहां किस ने चोरी की, हम चोरी करने वालों की हिमायत नहीं करते, उनके साथ सख्ती का बर्ताव होना चाहिए, हुआ भी है और आगे भी होना चाहिए। लेकिन जो घोटाले हुए हैं उनकी पूर्ति करने के लिए बेगुनाह लोगों को फंसाने की साजिश की जा रही है और वह मंत्री महोदय के ध्यान में आती भी है और मंत्री महोदय कन्ट्रोल भी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मौके पर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, बिजली बोर्ड की खुद की जिम्मेदारी है राजस्थान के

(श्री गोपालसिंह)

किसानों को कमिटेड लाइबिलिटी है उसको बिजली बोर्ड पूरा नहीं कर पा रहा है। सभापति जी, 1973 तक बिजली बोर्ड ने सिक्योरिटी ले ली और उसके लिए राजस्थान सरकार ने कहा है कि बिजली देंगे। वह चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे नीम-का-थाना का गांव नामड़ी हो जहां एक-एक किसान ने 8000 रुपये सिक्योरिटी का दे रखा है। उन्होंने एल फार्म दे दिया और आज तीन साल से 70-80 हजार रुपया उनका फंसा पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान के पास इतना पैसा नहीं है, वह गरीब तबका है। वह बोर्ड के भरोसे पर पैसे का इन्तजाम करता है और बोर्ड तीन-तीन साल बिजली नहीं दे पा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी की और बात नहीं हो सकती। माननीय सभापति, यह कहा जाता है कि मीटरों में डिफेक्ट आने से एवरेज चार्ज लिया जाता है। इस बारे में मेरे साथी सदस्यों ने बहुत कुछ बताया है। मीटर देना बोर्ड की जिम्मेदारी है और मीटर को संभालना भी बोर्ड की जिम्मेदारी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनिट का समय और दे दें।

श्री सभापति : नहीं मिल सकता।

श्री गोपालसिंह : और बातों को छोड़ देता हूं, मुख्य बात निवेदन कर देता हूं। सभापतिजी, आज किसानों को सताया जा रहा है। मीटर खराब नहीं है, लाइन खराब नहीं है लेकिन इन्जीनियर के दिमाग में आ गया कि हमको तो पैसा ज्यादा लेना है इसलिए यह अधिकार उन्होंने अपने पास ले लिया। यह चालू रहा तो मैं कहूंगा कि बोर्ड के ऊपर इसका बहुत धब्बा आने वाला है। यह बोर्ड किसानों को बरबाद कर देगा। जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी मोटरें हैं उनको आप पावर पूरी नहीं दे पा रहे हैं और अपने रजिस्टर में दिखाकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। बिजली बहुत कम समय के लिए दी गयी है और मिनिमम चार्ज लिया है। मोटरें चालू नहीं हैं, कन्जम्पशन होता ही नहीं है फिर भी आप बिल भेज देते हैं। तो, सभापतिजी, आपके मार्फत मैं मन्त्री महोदय को कहूंगा कि घाटा घोटाला करके जो पूरा किया जा रहा है वह उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मैं तो कुछ मुद्दे की बातें ही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सभापति महोदय, और डिपार्टमेन्ट्स में भी भ्रष्टाचार होता है, चोरियां भी होती हैं लेकिन हमारे बिजली विभाग को चोर की तो क्या डाकू की संज्ञा दी जाये तो भी बुरी बात नहीं होगी। सभापति महोदय, मैं अभी मालपुरा से आ रहा था, वहां इस डिपार्टमेन्ट के लोग कुछ जांच करने हेतु गये थे, आप ताज्जुब करेंगे कि जब ऑडिट पार्टी ऑडिट करके वापिस आ रही थी तो इनके आदमियों के कागज जबरदस्ती छीन कर मोटर में से इन्हीं के आदमी भाग गये। यह तो हालत है। इसके बाद में एक बात और बताऊं कि निवाई से टोंक की चलती हुई लाइन को इन्होंने काट दिया। चलती हुई लाइन को और कोई नहीं काट सकता सिवाय इन्हीं के विभाग के आदमियों के।

Page No 55

55

(श्री अजीतसिंह)

उसकी रिपोर्ट पुलिस में हुई। एक बार मैं देवली गया था तो पुलिस में रिपोर्ट इसी डिपार्टमेंट के चपरासी ने की। उसने कहा कि रात को ट्रक आया था ट्रान्सफार्मर्स में आइल डालने को। उनके आफिसर्स ही वहां पर गये होंगे, वह ट्रक को लेकर चले गये। उन्होंने चपरासी को पूछा नहीं और ट्रक लेकर चले गये। यह रिपोर्ट इसी विभाग के चपरासी ने पुलिस में दर्ज कराई। यह चोरी हुई कैसे? डिपार्टमेंट खुद चोरी करता है सारे के सारे यह लोग ही चोरियों में इतने लिप्त हैं और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती है। सभापति महोदय, इनके डिपार्टमेंट के आदमी खुद ही जाकर जबरदस्ती कनेक्शन काट देते हैं भ्रष्टाचार करते हैं और पैसे लिये बिना फिर कनेक्शन करते नहीं। मेरे यहां सतर्कता कमेटी में लोग आये। कलेक्टर को रिपोर्ट की। कलेक्टर ने इन्क्वायरी की और उन्होंने बिजली विभाग को डांट फटकार की चिट्ठी भी लिखी। हमारे यहां टोंक में कलेक्टर साहब के यहां हो शादी थी तो उनको ही 500 रुपये का बिल थेप दिया। कलेक्टर खुद परेशान। कलेक्टर को ही नहीं छोड़ा तो और लोगों को क्या छोड़ेंगे? इस प्रकार जबरदस्ती यह लोग करते हैं।

श्री शंकरलाल: कलेक्टर को नहीं छोड़ा यह तो निष्पक्षता का नमूना है।

श्री अजीतसिंह: आप इन्क्वायरी करके देख लीजिए। टोंक का केस है और वह प्रहलाद राय कलेक्टर था। उनको 500 रुपये का बिल थेप दिया तो, सभापति महोदय, यह हालत है।

इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मिनिमम चार्जेज जो हैं, करेंट तो पूरा मिलता नहीं है और मिनिमम चार्जेज ज्यादा आते हैं। करेंट दिए बगैर ही पैसा वसूल करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन टाइम कम है, इसलिए ज्यादा नहीं कह कर जो दिक्कतें बताई हैं उनकी आप इंक्वायरी करायें, जो दो-तीन केसेज बताये हैं उनकी जांच करायें।

श्री सभापति : श्री मालाराम

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय!

(अनुपस्थित)

श्री रतीराम यादव!

श्री रतीराम यादव (तिजारा): सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना उत्तर दिया है, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्रीजी ने केवल एक बात कही कि कनेक्शन फसल पकने के समय भविष्य में नहीं काटे जायेंगे। इसके अलावा और कोई उन्होंने ऐसी दलील नहीं दी कि जो हमारे ओब्जेक्शन्स हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं, हमने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। उससे कोई हमको किसी प्रकार का सन्तोष मिल सके ऐसा मैं कुछ भी नहीं देखता। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि सारा स्टेटमेंट जो है वह इस बात पर निर्भर है कि विभाग की बिजली की चोरी भारी मात्रा में होती है इस वजह से भारी घाटा होता है, उस घाटे की पूर्ति के लिए माननीय मंत्रीजी ने जो तरीका अपनाया है वह

(श्री रघीराम यादव)

तरीका ऐसा है कि मैं समझता हूं कि कम से कम ऐसे वक्त में जब यह बीस सूत्री प्रोग्राम चल रहा है वह इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। जहां तक बिजली की दरें बढ़ा कर घाटा पूरा करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि अभी भी जो बड़े लोग हैं, जो मिल ओनर्स हैं उनकी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई हैं, वह अभी भी रियायती दर पर पांच पैसे में उपयोग कर रहे हैं जब कि और किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी दरें बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि जहां तक चोरियों का प्रश्न है, जो उपभोक्ताओं के द्वारा चोरी करने का प्रश्न है, उनके ऊपर उन्होंने लादा है। मैं समझता हूं कि जहां तक बिजली की चोरी का प्रश्न है यह भी बड़े बड़े मिल ओनर्स के द्वारा ही चोरियां की जाती हैं, जो छोटे किसान हैं वह इस चोरी के कार्य की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। अब जहां तक मिनिमम चार्जेज की बात है, उन्होंने कही है, मैं समझता हूं कि जब वे स्वयं इस बात को मानते हैं कि बिजली हमारे पास इतनी है नहीं, हम दूसरों से उधार लेकर भी पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं तो, सभापति महोदय, मिनिमम चार्जेज किस आधार पर न्याय संगत हो सकते हैं? फिर जहां तक मैं समझता हूं बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत, चाहे छोटे किसान हों, चाहे मंझले किसान हों अथवा भूमिहीन लोग हों अभी थोड़े-थोड़े भू-खण्ड आवंटित करके उनको जीविकोपार्जन का साधन दिया है। अगर हम ऐसे लोगों के ऊपर मिनिमम चार्जेज रखेंगे वह भी ऐसी स्थिति में जब हम बिजली पूरी दे नहीं पाते, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि फिर ऐसे वर्गों के साथ हम न्याय नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यह मिनिमम चार्जेज की बात जो कमजोर वर्ग हैं अथवा जो छोटे किसान हैं, जो मंझले किसान हैं कम से कम उनके ऊपर से हटा दीजिए और आप मिनिमम चार्जेज की बात रखना चाहते हैं, तो दूसरों के ऊपर भी मैं समझता हूं कि उसको आप ग्रेडेड ढंग से रखिए। जो जितनी पिलाई करता है, आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। जिस चीज में औसतन जितने पानी की जरूरत होती है उस हिसाब से रखें तो यह आपका घाटा पूरा हो सकता है। उसके बजाय आप यह न करके जो बहुत न्यायसंगत बात है, सारे मिनिमम चार्जेज उसके ऊपर लाद देते हैं, यह न्याय संगत नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, जहां तक कनेक्शन देने की बात है, मैं कम से कम अपने जिले की बात कहूं तो मैंने वहां पर देखा है, इस मामले में बड़ा पक्षपात होता है। बड़ा भ्रष्टाचार है। बिना हजार दो हजार रुपये लिए कोई कनेक्शन दिया ही नहीं गया है। इसके अलावा क्या हुआ कि एप्लीकेशन की प्रायोरिटी काट दी जाती है। तीसरी बात यह भी देखने में आती है कि पास के गांव में बिजली आ रही है और बराबर गांव की सीमा में लगती है लेकिन उनके अन्दर बिजली नहीं आती है। बल्कि यह भी देखने में आता है कि गांव की सीमा के एक तरफ बिजली दी जाती है और दूसरी तरफ नहीं दी जाती है। इस तरह की जो अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है विद्युत विभाग में, मेरा सुझाव उसके रोकने का है इसका बहुत सीधा तरीका है

Page No 57

(57)

(श्री रतीराम यादव)

कि हर लेवल पर जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दीजिए। उसमें इस बिजली विभाग के आफिसर्स भी रहें, जन प्रतिनिधि रहें और उपभोक्ता के प्रतिनिधि भी रहें तो फिर न तो आपके इस तरह के चार्जेज का प्रश्न पैदा होगा न कनेक्शन देने में भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने आयेंगे। तो यह मेरा सुझाव है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतीराम यादव : एक मिनिट में समाप्त करता हूं। इसी तरह से कनेक्शन देने के सम्बन्ध में मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आप ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दीजिए जिनको अभी आपने इस भू-आवंटन में, जमीन देने में, बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रायोरिटी दी है जो कमजोर वर्ग से सम्बन्धित रहते हैं ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद छोटे किसान हैं, जो मंझले किसान हैं ऐसों को प्रायोरिटी दी जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो बड़े किसान हैं, जो बड़े भूपति हैं वे तो दूसरे ढंग से समय पर साधन जुटा सकते हैं, वह अपने पम्पिंग सेट लगा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतीराम यादव : तो इसलिए यह मेरा निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, यह दिक्कत हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आपके सामने रखी है इनका हल एक मात्र यह है कि आप उपभोक्ताओं को अपने इस बिजली बोर्ड में प्रतिनिधित्व दे और जन प्रतिनिधियों को नीचे के स्तर पर प्रतिनिधित्व दें तो मैं समझता हूं कि न तो बिजली विभाग को घाटा होगा और न किसानों को आये दिन कनेक्शन काटने से परेशानी होगी और आपको बिजली देने में दूसरी दिक्कतें होती हैं, इस तरह की दिक्कत आएगी।

श्री मोहनराज (वाली) : सभापति महोदय, एक मिनिट।

श्री सभापति : No, No.

श्री मोहनराज : एक आवश्यक बात रह गई इस सम्बन्ध में। एक मिनिट के लिए।

श्री सभापति : No, No please.

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, मैंने जो इस सम्बन्ध में अपनी बात कही थी उस पर कुछ शंकायें व्यक्त की हैं, कुछ अपने विचार व्यक्त किए और कुछ सुझाव दिए। जहां तक सुझावों का प्रश्न है मैं उनका स्वागत करता हूं। कुछ सुझाव ऐसे हैं कि जिन पर मैंने स्वयं ने विचार किया है जब माननीय सदस्य मुझ से मिले थे तब मैंने उनसे कहा था कि आपके सुझावों पर हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई न कोई रास्ता निकल सके। रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे। मैंने जो कुछ भी बातें अपने वक्तव्य में कही हैं, उनमें स्पष्ट बताया है, जो वस्तु स्थिति है जो वास्तविकता है उसको दृष्टिगत रखते हुए बिजली बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों को बताया है और यह बताया है कि किस तरह से वर्क करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के मन में सम्भवतः यह बात बैठी कि बिजली बोर्ड का घाटा है इसलिए घाटे की पूर्ति यह चोरी पकड़ कर विशेष आमदनी करके करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बात बिजली बोर्ड के मन में कतई नहीं है कि चोरी पकड़ कर घाटे की पूर्ति करें। माननीय सदस्य स्वयं मानते हैं कि चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी पकड़ी जानी चाहिए। माननीय झाबरमलजी बोल रहे थे तो उन्होंने स्वयं ने कहा था कि उनके जिले में इस प्रकार की एक चोरी हो रही है जो पकड़ी नहीं गई है, पकड़ी जानी चाहिए। यह तो माननीय सदस्य भी मानते है कि चोरी पकड़ी जानी चाहिए और इसीलिए सतर्कता दस्ता कायम करके चोरी पकड़ने का अभियान चलाया गया उसमें भी माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है जैसे कि सारी की सारी चोरियां पकड़ने में सारे के सारे किसान इन्वोल्व्ड है और सारे किसानों के कनेक्शन काट दिए हैं जिनसे वे परेशान हैं। मैंने स्पष्ट बताया था कि हमारे कुल 92,000 कनेक्शन हैं उनमें से कुल मिला कर 813 कनेक्शनों में चोरी के केसेज मिले हैं जिनको पकड़ा है और कनेक्शन काटे हैं। उनमें से भी 702 कनेक्शन आज की तारीख में और अब तो नम्बर और भी आगे बढ़ गया होगा, 702 को वापिस री कनेक्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने डिमाण्ड का पैसा जमा करा दिया है और वे मानते हैं कि गलती हुई। अब केवल 111 कनेक्शन बाकी रह जाते हैं और केवल इन 111 कनेक्शन के लिए सारे किसान परेशान हैं, सारे हाउस को इस सदन को परेशान किया हुआ है, सारे राजस्थान को परेशान किया हुआ है। बिजली बोर्ड पर यह आरोप है कि बिजली बोर्ड ने सारे राजस्थान के किसानों को परेशान कर दिया। मैंने जैसा निवेदन किया कि 813 जो मामले थे उनका 0.877 प्रतिशत है। बाकी छोटे किसानों की बिजली काटने की बात नहीं है। माननीय सदस्य गोपालसिंह जी दो दिन पहले मुझसे मिले थे। दो दिन पहले ही मेरे पास एक शिकायत लेकर आये थे और उस पर मैंने एक्शन लिया। वे स्वयं जानते हैं हम कितने तत्पर हैं ऐसे मामलों के ऊपर। जहां कहीं भी स्पेसिफिक बात बताएंगे भ्रष्टाचार की कोई स्पेसिफिक बात बताएंगे वहां पर सख्त कार्यवाही करने में कोई ढिलाई नही की जाएगी। आपने लिख कर दिया कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर ज्यादती करता है, मैंने तत्काल उसको सस्पेन्ड कर दिया। बिजली बोर्ड इसके लिए कटिबद्ध है जहां कहीं भी माननीय सदस्य स्पेसिफिक बात बतायेंगे वहां पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी। यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहां पर बदमाशी की जा रही है, यह बतायेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। अभी दो दिन पहले का ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं कि चोरी पकड़ी जाये इसके लिए मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इसके लिए हम सब को सहयोग करना पड़ेगा तब तो चोरी पकड़ी जायेगी। जनरली कहें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए मुझे स्पेसिफिक केस दें जिससे कि यह स्थिति सुधरे। यह कौन पसन्द करेगा कि आप बार-बार यह कहें कि भ्रष्टाचार बढ़ता

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जा रहा है। यह मुझे बुरा लगता है। मैं चाहता हूं कि इसको मिटाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक केसेज लाइये और उनको पकड़ावें, सजा दिलावें। अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और कोई बात उसको टालने के लिए नहीं होगी। उन केसेज का जहां का तहां जांच कर के फैसला करेंगे।

यहां पर एक मूल बात जो कही गयी, वह है मिनिमम चार्जेज और टेरिफ के सम्बन्ध में। सभापति महोदय, टेरिफ को हमने बदला सन् 74 में और अगर हम टेरिफ का हमारे पड़ोसी प्रान्तों के टेरिफ से मुकाबला करें तो वह इससे भी ज्यादा है। हरियाणा में किसानों को जो बिजली दी जाती है वह 21 पाइन्ट कुछ पैसा है प्रति यूनिट, पन्जाब में भी यह 21 पाइन्ट कुछ पैसा प्रति यूनिट है जब कि यहां पर, राजस्थान में यह 21 पैसा प्रति यूनिट ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हरियाणा और पन्जाब जो हमारे पड़ोसी प्रान्त हैं, जहां पर कि हमारे बिजली के प्रिंसिस भी हैं, उनसे कम्पेयर करते हैं तो हमारा टेरिफ कहीं पर भी उनसे ज्यादा नहीं है; आपको केवल यह एक भ्रान्ति है कि हमारा जो टैरिफ है, वह बहुत है। और उद्योगपतियों का जो टेरिफ है उसमें बहुत फर्क है।

सभापति महोदय, दो दिन पहले ही यहां पर एक सवाल आया था। उस वक्त मैंने यहां पर निवेदन किया था। किसानों को जो बिजली दी जा रही है उसका खर्चा बोर्ड पर 34 पैसा प्रति यूनिट आ रहा है और उद्योगपतियों को जो बिजली दी जाती है, वह 8 पैसे प्रति यूनिट पर दी है। यह टेरिफ बनाया जाता है यह अलग-अलग पाइन्ट पर बिजली पहुँचे तो उसके खर्च के हिसाब से बनाया जाता है और दर लगाई जाती है न केवल राजस्थान में बल्कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के अन्दर यही टेरिफ है। माननीय हांडा जी का कहना था कि चाहे किसी भी भाव में बिजली पहुँचे, उद्योगपतियों को अगर देने को क्षमता है तो उनसे ज्यादा लिया जावे। उनका यह कहना बिल्कुल सही है। किसी की ज्यादा पैसा देने की क्षमता है और उससे फायदा मिलता है तो लिया जाना चाहिये परन्तु दूसरी तरफ राजस्थान के औद्योगिक विकास की बात को भी हमें सोचना होगा। कहीं बिजली की दर अधिक लेने से इसका असर उद्योगों पर पड़ा और वे दूसरे प्रान्तों को चले गये तो क्या होगा? इसके साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि दूसरे प्रान्तों में उद्योगों के लिए क्या टेरिफ बना है और वहां की टेरिफ से हम आगे निकलेंगे तो कोई उद्योगपति हमारे यहां पर उद्योग लगाने के लिये नहीं आयगा। उद्योग लगने से कोई एक ही फायदा नहीं होता है। उससे कई तरह के फायदे राजस्थान को होते हैं। उद्योगों से राजस्थान का विकास होता है, एम्पलायमेंट जनरेट होता है, उससे जो प्रोडक्शन होता है, उस पर लगने वाले टैक्सेज से सरकार को आय होती है। हमारे यहां का मेटेरियल उसमें काम आता है, इसी तरह कई दूसरी तरह से कई चीजें काम में आती है और उनसे कई लोगों को लाभ मिलता है और राज्य सरकार को उद्योगों के लगने से

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बाद बिजली की टेरिफ से ही आमदनी नहीं होती है, दूसरे टैक्सेज की आमदनी भी इन उद्योगों से होती है। हम यह देखें कि जिसकी हैसियत है, वह दे सकता है। वह दे सकता है परन्तु ज्यादा टेरिफ लगा कर क्या हम उसको राजस्थान से बाहर जाने के लिए तो प्रेरित नहीं कर रहे हैं? यह भी साथ ही साथ सोचना पड़ता है। उद्योगों का जो टेरिफ है, इसको फिजीकल आधार पर, आंकड़ों के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें बड़ा फर्क दिखाई देता है। 21 पैसा और 14 पैसा छोटे किसानों से हम 21 पैसा प्रति यूनिट लेते हैं, बड़ा फर्क लगता है लेकिन इससे कितना फायदा है और यह कितना आवश्यक है राजस्थान के विकास के लिये इस पर विचार करेंगे तो यह मानेंगे कि उद्योगों को बढ़ाने के लिए इस तरह का टेरिफ देना चाहिये जिससे राजस्थान का औद्योगिक विकास हो सके। श्रीराम केमिकल्स और डी. सी. एम. को तीन पैसा यूनिट और चार पैसा यूनिट में बिजली दी जाती है, कई माननीय सदस्यों का यह कहना सही है। बिड़ला एजूकेशन इन्स्टीट्यूट को 5 पैसा पर यूनिट बिजली मिलती थी मैं मानता हूं कि एक हिसाब से इस तरह बिजली नहीं दी जा सकती है। हमने इनके खिलाफ केसेज भी बनाये परन्तु हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, कि पैसा वसूल नहीं करेंगे। यह सही है कि कई बार ऐसा हो चुका है। कुछ ही दिनों पहले एक आर्डिनेन्स निकला है जिसके द्वारा इनके एग्रीमेंट को खत्म किया गया है और अब हम इनसे ज्यादा पैसा जिस टेरिफ में वे आते हैं, उस टेरिफ के अनुसार वसूल करेंगे। वह बिल मैं सदन में प्रस्तुत कर चुका हूं और 31 तारीख को माननीय सदस्य उस पर विचार करेंगे और उस बिल को एक्ट के रूप में वे इस सदन में देखेंगे। जो तीन पैसे, चार पैसे की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बिजली बोर्ड की तरफ से कोई आंख मीची हुई हो, ऐसी बात नहीं है। बिजली बोर्ड ने एक्शन लिया है और जो टेरिफ आयेगा उसके अनुसार ही उनसे पैसा वसूल किया जायेगा। कोई विशेष रियायत उनको नहीं दी जा रही है।

मिनिमम चार्जेज के बारे में बात कही गयी है। इसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम चार्जेज जहां भी लिये जा रहे हैं, हमारा यह दृष्टिकोण नहीं है कि हमको कोई विशेष आमदनी हो, जिस क्षमता की मोटर कुए पर नहीं हो, मोटर इकोनोमिकल हो, जितनी केपिटल इनवेस्ट हुई है, उतनी बिजली को काम में नहीं लेंगे, उतना काम उस मोटर से नहीं लेंगे तो वह मोटर उसको इकोनोमिकल नहीं होगी। इसी आधार पर यह मानते हैं कि यह मोटर चली, तो कितनी चली, ये आंकड़े इकट्ठे किये गये और जितने भी छोटे किसान हैं, तीन, चार, पांच हार्स पावर की मोटर वाले उनके लिए 65 रुपया मिनिमम चार्जेज तय किये गये हैं और कहीं भी वे मिनिमम चार्जेज पे नहीं कर रहे हैं बल्कि रियल बिल को पे कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर रेट क्यों लगाई है?

श्री हीरालाल देवपुरा : फिर यूनिफोर्मिटी नहीं रहेगी। परन्तु इससे जो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दूसरी बड़ी मोटरें हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ा है। इसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्या रास्ता हो? बड़ी मोटर ज्यादा काम करती है ज्यादा पानी निकालती है। उसका कुआ गहरा है इसलिए बड़ी मोटर लगानी पड़ी। पानी आपको देना है, केवल सप्लीमेंट करने के लिए उसके लिए मोटर लगानी पड़ी। उसको हैसियत है लेकिन इसको हमें देखना है कि इस सम्बन्ध में क्या रास्ता निकल सकता है। मैं यह कह चुका हूं कि इस पर हम विचार कर रहे हैं जिससे कोई रास्ता निकले, उनके मिनिमम चार्जेज के बारे में कोई दूसरा रास्ता सोचा जा सके जिससे उनको भी नुकसान न हो और बोर्ड को भी नुकसान न हो। अब तक मिनिमम चार्जेज थे, आम तौर पर लोगों ने मिनिमम चार्जेज पे किये हैं और यह मीटर को खराब करने की आदत है, इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है—इसको सिखाने वाले भी हमारे टेक्निकल आदमी हैं और हो सकता है उन्होंने ही सिखाया हो। मैं नहीं कहता कि नहीं सिखाया क्योंकि किसान तो एक ले मैन है, वह कैसे उसको सीखे जब तक कि कोई टेक्निकल आदमी उसको नहीं सिखाये। यह उनकी आदत हो गई कि मीटर को ज्यादा रीडिंग न हो। मिनिमम चार्जेज में पहले यह बहुत कम होता था। इस चीज को, इस प्रक्रिया को रोकने के लिये जो वास्तविक है. उसको लेने के लिए ही यह किया है। इसके पीछे यह मन्शा नहीं है मिनिमम चार्जेज की वजह से ज्यादा इनकम हो। परन्तु हम यह चाहते हैं कि बिजली की चोरी न हो जो वाजिब बिजली जले, उसका बराबर पूरा पैसा बोर्ड को मिले। और इसके लिये माननीय सदस्य भी मानते हैं कि बिजली की चोरी रोकनी चाहिये।

कनेक्शन देने के बारे में भी यहाँ पर कहा गया। प्रायोरिटी का जहां तक सवाल है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : एवरेज ले लें।

श्री हीरालाल देवपुरा : कनेक्शन की प्रायोरिटीज का सवाल है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रायोरिटीज तय की हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को पहले कनेक्शन देते हैं। इसके बाद स्माल फार्मर मार्जिनल फार्मर को प्रायोरिटी कनेक्शन के लिए देते हैं और इसके बाद प्रायोरिटी के आधार पर जिसकी एप्लीकेशन पहले आई है, उसको पहले देकर के आगे बढ़ते हैं। मैंने स्पष्ट स्वीकार किया है अपने स्टेटमेंट में कि कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि हम नान—आर० ई० सी० एरिया को कनेक्शन नहीं दे पाये। कुछ हमारी क्षमता का सवाल था कि ट्रान्समिशन लाइन्स पर ज्यादा लोड नहीं दे सकते थे, इतनी दक्षता नहीं रह पाई। हमने प्रयास किये हैं कि अगले साल यह दिक्कत न रहे, कि नान—आर० ई० सी० एरिया को कनेक्शन नहीं दे सकें।

वोल्टेज की जो प्राब्लम है, जिसके बारे में जिक्र किया है, बहुत हद तक अगर हम अपनी क्षमता लाइन्स की सुधार लेंगे तो सुधर जायगी। लेकिन उसके साथ-साथ कैपेसिटर्स की बात कही है। जिन उपभोक्ताओं ने कैपेसिटर्स लगा लिये हैं उनको वोल्टेज का लाभ मालूम हुआ है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

और मोटरें जलने की शिकायत जो पहले हुआ करती थी वह नहीं रही। वह वोल्टेज को कन्ट्रोल करता है। जहां तक बोर्ड के कैपेसिटर्स लगाने का सवाल है—यह मैंने कन्ज्यूमर्स द्वारा कैपेसिटर्स लगाने वाली बात कही थी—बोर्ड के लगाने वाली बात के लिये मैंने पहले निवेदन किया था सदन में कि हीरापुरा का जो हमारा ग्रिड स्टेशन सबसे बड़ा है, 220 और 133 के. वी. का, वहां पर सैन्ट्रल कन्डेन्सर्स 2 बोई 20 की एवरेज के दो इन्सटाल किये गये हैं जिससे काफी फर्क वोल्टेज के अन्दर चम्बल ग्रिड से मिलने वाली बिजली के अन्दर आया है। यहां पर 33 और 11 के. वी. लाइनों पर सारे कैपेसिटर्स लगा रहे हैं। काफी जगह लगा दिये हैं और बहुत सी जगह बाकी हैं। वहां पर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे राहत वोल्टेज की दृष्टि से मिलेगी। फिर ओवरलोड होने का कारण यह है कि हमारे यहां बिजली की मांग बढ़ती गई और इतने प्रेशर हम पर आते रहे हैं कि कनेक्शन नहीं दे सकने की स्थिति में थे किन्तु फिर भी कनेक्शन दिये गये। तो यह स्थिति बनी है। अगर उस समय कनेक्शन नहीं दिये जाते तो मैं समझता हूं यह स्थिति नहीं आती। लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता था। अगले वर्ष जो कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं एम० टी० 132 के स्टेशन्स के निर्माण, 33 और 11 के स्टेशन्स के निर्माण का उसमें वह समस्या नहीं रहेगी।

एक प्रश्न यह आया है कि एवरेज बिलिंग का तरीका क्या है। आम तौर पर एवरेज बिलिंग केवल उन्हीं जगहों पर किया गया है जहां कि मीटर बन्द था, मीटर चालू नहीं था और बिजली चालू थी तो उसका बिलिंग कैसे करें? तो इसी महीने में लास्ट ईयर कितनी थी खपत और पिछले दिनों में कितनी खपत रही और क्या एवरेज रहा। जहां कहीं ऐसी स्थिति आई है, किया है। जहां कहीं उन्होंने अपनी बात रखी है जिसमें यह लगता है कि ज्यादती हुई है तो इसकी रेमेडी भी दी है। ऐसे मामले में एवरेज बिलिंग किया है, आम तौर पर नहीं किया है। वहां पर टेक्निकल आफिसर ए० ई० एन० रहता है जिसके दस्तखतों से बिल बन कर जाते हैं। उसने शिकायत नहीं की और मीटर रीडर ने भी शिकायत नहीं की लेकिन आडिट पार्टी ने यह देखा कि इस पर्टीकुलर व्यक्ति के जो पुराने बिल हैं उस हिसाब से गड़बड़ हुई है और बिलिंग ठीक नहीं हुआ है तो उन्होंने आडिट एतराज किया है वहां पर यह एवरेज बिलिंग हुआ है। उनके बारे में यह शिकायतें आई हैं कि काफी ऊंचे बिल दो तीन साल के इकट्ठे बन गये। उसको मैं ठीक नहीं मानता हूं। उसके लिए मैंने एक्जामिन करने के लिए कहा है कि इतने बड़े-बड़े एमाउन्ट के बिल हैं तो वह नहीं चुका सकते हैं। उसकी स्थिति यह नहीं है तो उसको एक्जामिन करके क्या तरीका निकाला जाय। चोरी पकड़ी जाती है तो उनको कितने लम्बे समय का एवरेज निकालना चाहिए और एक निश्चित अवधि से परे जाने का सवाल नहीं है। इसलिए नीचे के लेवल पर डिस्क्रीशन रहता है वह नहीं रहे। मतलब यह है कि हर तरह से हमारा यह विचार है कि जिन कठिनाइयों के बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है किस हद तक वह दिक्कतें और कठिनाइयां थी वह मैंने बताई हैं, लेकिन उनका मतलब यह हो कि किसानों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की दिक्कतें और कठिनाइयां बढ़ी हैं यह मैं समझता हूं कि अतिशयोक्ति है। ज्यादतियां हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं की होगी। तो मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करके चलता हूं कि वस्तुस्थिति को समझें और उसके आधार पर कहें। बोर्ड हमेशा रेमेडी देने को तैयार है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कमेटीज के बारे में।

श्री हीरालाल देवपुरा : कमेटी के बारे में सुझाव आया था उसके सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं। बोर्ड के अन्दर एक मेम्बर कन्ज्यूमर्स का लिया जाय। बोर्ड के अन्दर नान-आफिशियल मेम्बर होते हैं, जो एम्पलाइज हैं उनकी तरफ से और दूसरे मेम्बर्स भी होते हैं वह कन्ज्यूमर्स की बात देखते हैं। कन्ज्यूमर्स एसोशियेशन के नाम से किसी को लेना यह सम्भव नहीं है। एब्सोल्यूटली जिनको बाहर से लेते हैं वह उपभोक्ताओं के रूप में बैठते हैं। फिर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सलाहकार समितियां बनी हैं उनमें यह सोचा है कि हम नान-आफिशियल को इन्वाल्व करें जिसकी वजह से वह सारी चर्चाएं वहां पर कर सकें और स्थानीय समस्याओं को वहां पर सुलझा सकें जिससे कोई दिक्कत माननीय सदस्यों को महसूस करने की आवश्यकता न हो।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 36,38 व 39 का उपस्थापन

श्री सभापति : आय-व्ययक 1976-77 पर अनुदानों की मांगों पर विचार।

मांग संख्या 36

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7, 58, 69, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 38

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5, 56, 08, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 39

समापति महोदय; मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 29, 47, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 36, 38 एवं 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) :

मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फर्टीलाइजर के महंगे होने के बावजूद नगरों में उपलब्ध कम्पोस्ट मेन्योर के उत्पादन के संबंध में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं) :

मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री दीपंकर)

कम कर दिया जाय (कृषि विकास हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

3. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय को कृषि पर रिसर्च का कार्य न सौंपने पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कृषि फार्मों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों के अनुसंधान में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

6. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को प्रशिक्षण देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं के रोगों को चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

8. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों में दवाई की कमी के बारे में चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 10. रुपया कम कर दिया जाय (उन्नत किस्म के सांडों के लिए ग्राम पंचायतों को ऋण उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाकलिया भेड़ फार्म तहसील लाडनूं के विस्तार हेतु चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मत्स्य उद्योग के विस्तार हेतु चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ों के रोगों की रोकथाम करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311-डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी योजनायें पंचायत समिति स्तरों पर लागू करने हेतु चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311-डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र में चिलिंग प्लांट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री दीपकर)

15. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेग्ररी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेग्ररी विकास हेतु सहकारी संस्थाओं को ऋण आसान शर्तों पर देने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

16. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देशी गेहूं तथा जौ की फसल में रोलो की बीमारी की रोकथाम के स्थाई हल निकालने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आगामी रबी फसल एवं खरीफ की फसल को संक्रामक रोगों से बचाने की योजना बनाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन से भावों में गिरावट आने पर कृषि साधनों को सस्ती दर पर कृषकों को उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक–310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन के बचाव हेतु संक्रामक रोगों के बचाव के समय पर दवाइयों आदि का प्रबन्ध करने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेग्ररी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में दुग्ध वितरण योजना लागू कर वहां की जनता को लाभ देने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग):

21. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज):

22. मांग संख्या 36; मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने में सरकार की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेग्ररी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में डेग्ररी विकास योजना सघन रूप से लागू कराने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़):

25. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

(श्रीमती निर्मलाकुमरी शक्तावत)

26. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की उपज बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु सुविधा दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक—310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन व्यवसाय को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक—311—डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में डेअरी विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़):

30. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक—305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालबहादुर शास्त्री बीज की असफलता एवं इस बीज के पैदा करने और वितरण में हुये गबन घोटालों पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

31. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में रोली की रोकथाम की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक—305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद और बीज किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक—305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को कृषि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

34 मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक—310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिन प्रतिदिन पशुधन जो नष्ट होता जा रहा है इसके संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक—311—डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (डेअरी उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग):

36. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक—305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि साधनों का ग्रामीण कृषकों को अधिक लाभ दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक—310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री करणसिंह)

38, मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-498-सहकारिता पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी विकास हेतु दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):

39. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील की काश्त की जमीनों के क्षार ग्रस्त होने के कारण नाकाबिल काश्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की ओर से गोबर गेस प्लान्ट लगाये जाने के लिये प्रोत्साहन न दिये जाने से गोबर गेस प्लान्ट स्कीम असफल हो जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोबर कूड़ा आदि से गांवों में कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये सरकार द्वारा प्रोत्साहन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):

42. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के भाव लागत को देखकर तय किये जाने हेतु एवं भावों में सोचनीय गिरावट आ जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फर्टीलाइजर एवं कृषि औजारों एवं उन्नत बीजों की कीमत कम किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

44. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि कार्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं एवं बाजरा के संकर बीज के भावों में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में छोटे काश्तकारों को कृषि उत्पादन के लिये आसान ब्याज पर समुचित ऋण की व्यवस्था कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [असिं-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

टैन्ट डिलूर (सप्तम दल) के लिये जिन कर्मचारियों ने जुलाई, 72 से 73 तक ट्रेनिंग प्राप्त की थी और उनसे बांड पांच साल की सेवा अनिवार्यता का लिखाया था उसके उपरान्त भी अभी तक किसी की नियुक्ति न करने के कारण उनमें व्याप्त असंतोष के विषय पर चर्चा के लिये]।

48. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ड्राई फार्मिंग प्रोजैक्ट लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में डी. पी.ए.पी. कार्यक्रम के प्रावधान करने और क्रियान्वन करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में फोडर बैंकों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला-कृषि उपज मण्डी द्वारा महावीर कालोनी बाड़मेर के समीप जमीन को राज्य सरकार द्वारा अवाप्त न करके अधिक राशि में खरीद कर कृषि उपज मण्डी को भारी नुकसान पहुंचाने पर भी पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कदम न उठाने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्रों बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में लघु और सीमान्त कृषकों को राज्य की ओर से जो सुविधायें दूसरे जिलों में दी जा रही हैं उनसे वंचित हैं जिस के कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की धोरीमना पंचायत समिति में इस वर्ष खराब संकर बीज के वितरण से किसानों की फसलें नष्ट हो गई, उन्हें कोई हर्जाना नहीं दिलाया गया जिसके कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य में भारी गिरावट के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में सन् 1976-77 में चिलिंग प्लान्ट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

57. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सघन पशु विकास योजना को चालू करने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन हेतु पशुपालकों को ऋण की कोई योजना नहीं होने पर उनमें व्याप्त असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पशुपालन विभाग की ओर से राजकीय थरपारकर ब्रीड का फार्म स्थापित करने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विख्यात पशुमेला तिलवाड़ा जिला बाड़मेर के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ पालन एवं ऊन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार द्वारा निगम की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

62. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन में कृषि उपज मंडी न होने से किसानों को नुकसान होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

63. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनाज के भाव गिरने से उत्पादन पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) :

64. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कृषि विपणन अधिनियम को सख्ती से लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

65. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के क्षेत्र में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी विकास के लिए बजट में प्रावधान नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

Page No 70

(70)

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

68. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में चने एवं गेहूं की फसल में लगी बीमारी की समय पर रोक थाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की गन्ने की फसल पर समय पर दवाइयां नहीं छिड़कने से होने वाली स्थिति पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जिला बून्दी से समय पर खाद बीज की वितरण व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवरायपाटन में चम्बल व मेज नदी को ऊबड़ खाबड़ भूमि को अब तक समतल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशुओं की देख-भाल के लिये उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्राम पंचायतों को दिये गये नस्ल सुधार सांडों की उचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशवराय पाटन में काप्रेन व लाखेरी में पशु चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311-डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में अब तक डेअरी फार्म नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311- डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में दुग्ध वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) :

77. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को सस्ता खाद, सस्ता डीजल, सस्ता बीज, सस्ता लोहा और सस्ता सीमेन्ट उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्रीविजयसिंह राठौड़)

रुपया कम कर दिया जाय (गेहूँ की फसल में रोली के रोग पर नियन्त्रण नहीं कर पाने पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करेड़ा तहसील मान्डल, जिला भीलवाड़ा में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदोरा)।

80. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिला में कृषि उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को उचित प्रकार से लागू नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र में पशुपालन हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिला के आदिवासी क्षेत्र में डेयरी खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर)।

83. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुधरे हुए बीजों का संवर्धन और वितरण उचित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषक प्रशिक्षण को उचित प्रोत्साहन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा को और व्यापक बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी विकास की आवश्यकता के लिये डेयरी विकास निगम को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम को स्पेयर हैड टीम्स हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

श्री रावतराम (छापर)।

89. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रावतराम)

रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन का उचित मूल्य काश्तकारों को दिलाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन का उचित तरीके से विकास करने हेतु पशुपालकों को आवश्यक सुविधायें प्रदान नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर):

92. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को खाद व बीज उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इम्पलीमेन्ट्स खरीदने के लिये जो ऋण दिया जाता है उसके औचित्य पर चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ों की नस्लें सुधारने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

95. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी विकास निगम को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

96. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु राजस्थान केनाल क्षेत्र के अधिकारियों में वितरित किये गये पारितोषिक नीति चंबल नहर क्षेत्र में उसी आधार पर नहीं अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा सप्लाई किये गये गेहूं के बीज खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की पैदावार के लगातार गिर रहे भावों को रोकने में विभाग को असफलता पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेती को बीमारी से बचाने हेतु दवाओं की पूरी व्यवस्था न करने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं की फसल

(श्री केशरीमल)

में लगी रोली की बीमारी और उपचार में रही कमी पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310- पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा जैसे इलाके में जहां लगातार अकाल पड़ता है वहां के किसानों को भेड़ों की खरीद हेतु रकम की पूरी व्यवस्था न कर पाने पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ों में फैली बीमारी को रोक पाने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311- डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में लगे चिलिंग प्लान्ट से तैयार दूध के ब्यावर शहर में बिकने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन):

104. मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की कीमतें घटी हैं परन्तु कृषि के लिये आवश्यक खाद दवाइयों आदि चीजों की कीमतें ज्यों की त्यों हैं इस पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्वेत क्रान्ति को सफल बनाने के लिये पशु नस्ल को सुधारने और कृषकों को प्रशिक्षण देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर):

106. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305- कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रमाणित बीज के खरीद मूल्य व बिक्री मूल्य में जो बहुत बड़ा फर्क है उस पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

107. मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक 305- कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसलों एवं सब्जियों में लगने वाली बीमारियों को रोकने में सरकार की असफलताओं एवं खराब बीजों की सप्लाई पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गई सावण बाजरे की फसल में लगे 'अरगट' रोग के इलाज एवं हाल ही में रबी फसल में लगी गेरू की बीमारी की जिला जालोर में रोकथाम पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि मण्डियों की स्थापना एवं मंडी क्षेत्रों के अलावा काश्तकारों की उपज पर एक रुपया कर वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पुनः "की विलेज" स्कीम एवं "कांकरेज" सांचोर नस्ल के विकास हेतु केटल ब्रीडिंग फार्म की स्थापना पर चर्चा के लिये) ।

111. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर के मोबाइल यूनिट को विशेष व्यवस्था कराने एवं पशु चिकित्सा पर चर्चा के लिये) ।

112. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पशुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु घोर उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये) ।

113. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में डेयरी विकास के बारे में घोर उपेक्षा एवं आइडियल डेयरी रानीवाड़ा की प्रगति पर चर्चा के लिये) ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

114. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [फसल खरीफ बाजरा में अरगट, बेमल, रूखड़ी, करबा की रोकथाम व मोठों में पावरी (पिला) होने की बीमारी की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये] ।

115. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थली क्षेत्र में काला मोठ, ग्वार के अलावा और जो फसल हो सकती है उस पर चर्चा के लिये) ।

116. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को हर किस्म का बीज उपलब्ध सस्ते दामों पर कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

117. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305- कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों की पैदावार जो बिक नहीं रही है या बहुत सस्ती बिक रही है उसको रोकने में सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये) ।

118. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305- कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ तहसील के किसानों को किसी सेन्ट्रल बैंक से कर्ज मिलने की व्यवस्था कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

119. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310- पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा बूढ़े सांडों को गो- सदन में भिजवाने की व्यवस्था न कराने पर चर्चा के लिये) ।

120. मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा श्री डूंगरगढ़ में तेजाजी का पशु मेला भराने में योगदान देने हेतु चर्चा के लिये) ।

Page No 75

(75)

(श्री लूणाराम)

121. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310- पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुरसर में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310- पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की ओर से चूरू जिले के ऊंट पालकों को सांड, ऊंट न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310- पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भोमासर में पशु अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310- पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बिग्गा में पशु अस्पताल की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ में चिलिंग प्लॉट स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

126. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर में कृषि अनुसंधान व प्रदर्शन क्षेत्र में उत्पादन प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) :

127. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को ठीक समय पर बीज और खाद उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

128. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में कृषकों को उचित समय पर उन्नत बीज और खाद नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक; 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों की उत्पादन लागत से अनाज के भाव निरन्तर बाजारों में गिरने की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 38; मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ और ऊन विकास पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

131. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310— पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में पशुपालन करने वाले व्यक्तियों को अच्छे किस्म के पशु और कर्जा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

132. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर

Page No 76

(76)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जिले में गौ-शालाओं के लिए अधिक सहायतार्थ अनुदान अभी तक नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक 311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेअरी सहकारी समितियों को कर्जा कठिनाई और विलम्ब से मिलने पर चर्चा के लिए) ।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

134. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305 –कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में कृषि साधनों वाले खाद का समय पर न मिलने तथा किसानों को सुविधायें न मिलने पर चर्चा के लिए) ।

135. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह कस्बे में अलग से कृषि उपज मण्डी समिति खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

136. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पशुपालन प्रान्त है परन्तु पशुधन को चिकित्सा हेतु विशेषकर सवाईमाधोपुर जिले में सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिए) ।

137. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में डेअरी स्थापित करने तथा भरतपुर से स्वीकृत डेअरी स्टॉक को हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

138. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन में कृषि की पैदावार बढ़ाने में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिए)।

139 मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र हिण्डौन की जनता को डेअरी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

140. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305— कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उपज के घटते हुये भावों को मद्देनजर रख कर काश्तकार की फसल को उचित भावों में सरकार खरीदे इस पर चर्चा के लिए) ।

141. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग द्वारा उन क्षेत्रों में, जहां पशुपालन मुख्य धन्धा है, पूरा ध्यान न देने पर चर्चा के लिए) ।

श्री झाबरमल सुन्डा (फतेहपुर) :

142. मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुधरे बीज उपलब्ध कराये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):

143. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर के द्वारा एक-एक ही वस्तु जैसे मूंगफली पर, मूंगफली के दाने पर एवंम् तेल पर तीन बार टैक्स लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

144. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु जिला सवाई माधोपुर में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना हेतु चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी जिले के मध्य में होने के कारण डेयरी गंगापुर में खोली जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह राठोड़ (चूरु) :

146. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सूखी खेती कार्यक्रम की कमी पर शोध की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी):

147. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में देशी गेहूं में लगे रोली रोग से जनहित व कृषि को होने वाली हानि का राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में गेहूं, चावल व गन्ना की पैदावार में हर वर्ष बढ़ोतरी होने एवं राज्य सरकार द्वारा खरीद न करने व भण्डार व्यवस्था की कमी से उत्पन्न विषम स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में विश्व बैंक सहायता योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले में डेयरी की व्यवस्था के विकास कार्य की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पशुओं की सुरक्षा व इनके नस्ल सुधार में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

151. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में गांव झाडोल में पशुओं का औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

152. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा-लालसोट क्षेत्रों के किसानों को खाद बीज आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य व

(78)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उचित समय पर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

153. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक–305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा लालसोट क्षेत्रों में रोली के रोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेअरी विकास से अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा-लालसोठ क्षेत्र मे डेअरी विकास हेतु चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में जिला पशुपालन अधिकारी कार्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू):

156. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक–305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसलों की बीमारियों को रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक–310–पशुपालन के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रास ब्रीड जानवरों की उचित देख-भाल के अभाव पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक–311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू शहर में लगने वाले चिलिंग प्लान्ट के लगने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 39; मुख्य शीर्षक–311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुग्ध उत्पादकों को चिकनाई के प्रतिशत पर दूध की कीमत का चुकारा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई):

160. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक–305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक–311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर में डेअरी अभी तक चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर):

163. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक–305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की बिक्री हेतु भावों की असंतुलित

(श्री मोहरसिंह)

बेहद गिरावट से किसान को बचाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक–305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थलीय इलाके में बाजरे की फसल में लगने वाली लबड़ी की बीमारी को विभाग द्वारा रोकने में असफलता रही इस पर चर्चा के लिये) ।

165. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीजों के वितरण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

166. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु कृषकों को अधिकाधिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

167. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु-नस्ल सुधारने हेतु अधिकाधिक प्रयत्नों को आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

168. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु-चिकित्सलायों की अव्यवस्था सुधारने हेतु चर्चा के लिये) ।

169. मांग संख्या 39; मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ में दूध बिक्री को बढ़ावा देने हेतु चिलिंग प्लान्ट इसी साल से खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

170. मांग संख्या 39; मुख्य शीर्षक-698–सहकारी समितियों को ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूध उत्पादन व बिक्री को बढ़ाने हेतु अधिकाधिक ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिये चर्चा के लिये) ।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) :

171. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर खाद व बीज उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

172. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं के संकर प्रजनन को ग्रामों तक पहुँचाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (पाली) :

173. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु समुचित कदम नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

174. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से

(श्री शंकरलाल)

100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली व रोहट पंचायत समितियों में बीज की किस्म घटिया सप्लाई करने से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिला कृषि कार्यालय द्वारा कृषि उपज में लग रही बीमारियों का निराकरण करने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर व तहसील की कृषि भूमि को फैक्ट्रियों के विषैले पानी से नष्ट होने से बचाने हेतु चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली कृषि उपज मण्डी शुल्क के विवाद को समाप्त करने व मण्डी निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 311-डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में डेयरी योजना के तहत संतोषजनक प्रगति न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामां):

179. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर व भरतपुर जिलों में कृषि कालेज खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन के लिए पर्याप्त कर्जा व सहायता देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये):

श्री भैरूंलाल (अकलेरा):

181. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही से झालावाड़ जिला में अफीम की फसल में लगे हुए रोग पर काबू पाने हेतु दवाओं के अभाव से नुकसान होने पर चर्चा के लिए)।

182. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति बकानी और मनोहरथाना क्षेत्र में पशुपालकों की बहुतायत के उपरान्त भी पशु चिकित्सालयों एवं दवाइयों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु तादाद को ध्यान में रखते हुए झालावाड़ जिले की पंचायत समिति क्षेत्र बकानी और मनोहरथाना आदि के क्षेत्र में चलता-फिरता पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रतीराम यादव (तिजारा):

184. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रतीराम यादव)

100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को बोहरों की लूट से बचाने के लिये सरकार द्वारा समय पर सस्ता बीज न दे पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गेहूं, बाजरा और सरसों की फसलों को कीड़े व अन्य रोगों से बचाने के लिये कृषि विभाग द्वारा समय पर कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलाभकारी कृषि जोतों में सहकारी एवं संयुक्त-कृषि करने के लिये किसानों को साधन व प्रोत्साहन देने में कृषि विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक जैसे उर्वरकों को कम कीमत पर उपलब्ध कराने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 36, मुख्य, शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को उन्नत किस्म के बीज प्रदान करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि पैदावार के दिनोंदिन गिरते भावों को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की बीमारियों की रोक-थाम के लिये तथा उनकी जीवन रक्षा के लिये पशु-चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा उनकी बिक्री का उचित प्रबन्ध करने के लिए पंचायत समिति स्तर पर मेलों का आयोजन कराने हेतु चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं के लिये जल व चारे की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा न कर पाने से पशु-धन का दिन प्रतिदिन ह्रास होने पर चर्चा के लिए)।

193. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये उत्तम नस्ल के सांडों का गांवों में अभाव होने पर चर्चा के लिए)।

194. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (डेयरी विकास के लिये किसानों को दुधारू गाय-

(श्री रतीराम यादव)

भैंस खरीदने के लिये सस्ते ब्याज पर और सरल किश्तों में सरकार द्वारा ऋण की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) ।

195. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में आदिवासी क्षेत्र के खेती से सम्बन्धित काश्तकारों की सहायता नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

196. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा, गांव झाड़ोल में पशुओं की डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिए) ।

197. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में डेयरी योजना को लागू कराने पर चर्चा के लिए) ।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर) :

198. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले से देशी खाद गुजरात ले जाने से जिले को कृषि को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए) ।

श्री शिवनारायण (बारां) ।

199. मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक, 305 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रासायनिक खाद की कीमतें कम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

200. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेक्टर व अन्य कृषि में उपयोगी औजारों की कीमतें नहीं घटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

201. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक, 305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खरीफ की पैदावार न होने व भावों में कमी होने से किसानों की शोचनीय स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

202. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक, 310—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अच्छी नस्ल के सांड पंचायतों के हैड क्वार्टर पर विभाग द्वारा व पंचायत समितियों द्वारा दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) :

203. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक—305—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में हर वर्ष एक किसान मेले का आयोजन विभाग द्वारा आयोजित कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

204. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक—305-कृषि के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में प्रत्येक वर्ष कृषकों को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

Page No 83

(83)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

205. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [गंगानगर जिले की मण्डियों में कृषि विभाग द्वारा (कम्पोस्ट) खाद तैयार कराये जाने हेतु चर्चा के लिये]।

206. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में बागवानी सम्बन्धी प्रशिक्षण कैम्प हर वर्ष लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक- 305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में वनस्पति बीज वितरण योजना लागू करने हेतु चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में फसलों के लिये कीटनाशक दवाइयों पर सहायक व अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को कृषि यन्त्रों सहायक व अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा गंगानगर जिले में जिन कृषकों को गन्ने के बीज दिये गये उनको गन्ने की खरीद का प्रबन्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर की नई धान मण्डी का आज तक विकास न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर मण्डी में आज तक नाजायज कब्जे समाप्त नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कार्य कर रहे कृषि अनुसंधान को उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा कपास का कोई नया बीज तैयार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के किसानों को गांवों में निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

पदमपुर में अनाज स्टोर करने हेतु गोदामों के निर्माण हेतु किसान द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक–305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को खेती की उपज का समुचित मूल्य प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक–305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (गंगानगर जिले में किसानों को कपास का उचित मूल्य दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर के किसानों को सुअर पालन हेतु विभाग द्वारा सुअर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर पशुपालन चिकित्सालय में गाय की नस्ल सुधार हेतु सीमेन बेंक खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुर्गी-पालन हेतु जिला गंगानगर में किसानों को सस्ती दर पर मुर्गियां उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में राजकीय कुक्कुट शाला खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 10 रु. कम कर दिया जाय (मण्डी पदमपुर में अगले वर्ष के लिये कपास की खरीद का उचित प्रबन्ध करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हाजी खान मोहम्मद खां(पिड़ावा):

224. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ के किसानों को कृषि में ट्रैक्टर सस्ते दामों पर दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ में व तहसील पचपहाड़ में पशुओं के चिकित्सालयों पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में डेयरी की स्कीम चालू करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

227. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडी समितियों के संचालक मंडल

Page No 85

(85)

(श्री गोपालसिंह)

में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खण्डेला क्षेत्र में कृषि के विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु-पालन को धन्धे के रूप में पनपाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले को भी डेअरी विकास योजनाओं में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री हरीकिशन (राजगढ़):

231. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज के भाव गिरने से किसानों की आर्थिक स्थिति डावांडोल होती जा रही है, इसलिये सरकार द्वारा कृषि उपज की वैज्ञानिक आधार पर कीमत कायम की जाकर उचित मूल्य दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के खेती में काम आने वाली वस्तुएं बीज, दवाइयां व मशीन, पम्प, ट्रैक्टर व उसके पार्ट्स सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के स्तर पर खेती की नई पद्धति व खेती के काम आने वाली मशीनों के आवश्यक परीक्षण की व्यवस्था नहीं करने के बारे में चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में डेअरी योजना का समयानुसार क्रियान्वयन नहीं करने तथा उसमें ढिलाई करने के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

235. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुधरे बीजों व उनके रोगों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोबर, खाद के लिए प्रचार एवं प्रसार हेतु विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक-305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग का विद्युत विभाग के साथ समन्वय न होने से हो रहे किसानों को नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

238. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ पालकों को विभाग द्वारा उचित प्रोत्साहन नहीं देने से भेड़ों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में दुधारू मवेशी के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 310– पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (नागौर जिले के पशु मेलों के विकास एवं व्यवस्था में विभाग का सक्रिय सहयोग उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशु-पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मत्स्य उद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशु-पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में नागौरी नस्ल के बड़े पैमाने पर सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेअरी विकास में फैल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

244. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेअरी हेतु बनी बावला दुग्ध सहकारी समिति को तंग किया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शोभाराम (रामगढ़) :

245. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 305–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के कार्य-कलाप व कृषि अधिकारियों के कार्य-प्रणाली में सुधार के बारे में चर्चा के लिए)।

246. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेअरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेअरी विकास निगम को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

247. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कुरज जिला (उदयपुर) में पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

श्री अजीतसिंह (टौंक) :

248. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक मुर्गी पालन फार्म को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री प्रजोतसिंह)

249. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिलिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले को डेयरी योजना के अन्तर्गत लिये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ):

251. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 710–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम गौड़, मनोहरपुरा, प्रीतेला, राड़ावास में पशु चिकित्सालय की स्थापना किये जाने पर चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये.)।

253. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [शाहपुरा (जयपुर) में डेयरी विकास हेतु डेयरी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

श्री मोहनराज जैन (पाली) :

524. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली क्षेत्र के ग्राम बेड़ा में पशु चिकित्सालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर):

255. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम भकरी में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311–डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर कस्बे में डेयरी स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा):

257. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर भादरा तहसीलों में पशुधन के विकास के लिए 'की विलेज स्कीम' की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री चतरभुज (टोडारायसिंह)

258. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पचालिया, तहसील टोडारायसिंह में पशु चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना):

259. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से

(श्री भीमाराम चौधरी)

100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौरी नस्ल के सुधार करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

260. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु प्रधान जिलों में चरागाहों के लिये भूमि उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु प्रधान जिलों में पर्याप्त चरागाह नहीं होने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से सम्बन्धित विषय पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा की सुविधाओं के नितान्त अभाव पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट नस्ल के पशुओं के प्रजनन और सुधार की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों को पशु खरीदने हेतु कर्ज दिलाने की विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक-310-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उपयोगी और श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं की बीमा योजना न होने से सम्बन्धित समस्या पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311-डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिलिंग प्लांट बालोतरा को फीड करने वाले गांवों की सड़कों के निर्माण करवाये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311-डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर चिलिंग प्लांट की स्वीकृति में विलम्ब से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)

268. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक-311-डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में डेयरी के विकास पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

269. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर कस्बा में चिलिंग प्लांट की स्थापना न करने से वहां के दुग्ध उत्पादकों में व्याप्त घोर असंतोष पर चर्चा के लिए)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :

270. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से

(श्री प्रतापसिंह)

100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अजमेर डेयरी को पर्याप्त अनुदान स्वीकृत न होने पर चर्चा के लिए)।

271 मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक, 311—डेयरी विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुग्ध की दर निश्चित करने की प्रक्रिया गलत होने से उत्पादक को हुई हानि पर चर्चा के लिए)।

अनुदानों की मांग संख्या 36, 38 एवं 39 पर विचार एवं पारण

श्री सभापति : श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (रामगढ़) : सभापतिजी, मैं सबसे पहले डेयरी के बारे में कहना चाहता हूं। रिपोर्ट में लिखा है कि गवर्नमेंट को इस धन्धे में लगातार घाटा होता रहा था इसलिए इस धन्धे को निगम को सुपुर्द करना चाहते हैं। जब निगम के पास यह जायगा तो बजट किस बात के लिए मन्जूर कराना चाहते हैं? यह एक प्रश्न हमारे सामने आता है? मैं समझता हूं कि जो कार्मशियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, वह व्यापारिक ढंग से नहीं चलेंगे। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि कोई भी कार्य राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा नहीं चल सकता है। मैंने पहले भी जानने की कोशिश की, आपका धन्धा जब घाटे में चल रहा था और दो रुपये किलो दूध बेच रहे थे तो खर्चा कितना पड़ता था? मेरा यह ख्याल है कि चार रुपये किलो का खर्चा पड़ता था। यह खर्चा कैसे घटकर निगम के अन्दर चार रुपये की जगह 3 रुपये पर आयेगा? क्या हम इस बात को मान कर चलते हैं कि यह पर्मानेन्ट लास होगा? कृषि मंत्रीजी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दो-तीन साल के घाटे के बारे में कुछ प्रतिशत किस प्रकार से बढ़ा है या घटा है, उसके बारे में घोषणा करें। यह कहा गया है कि 76-77 में 15 पर्सेन्ट घाटा बरदाश्त होगा। उसके बाद में 10 पर्सेन्ट होगा और उसके बाद में 5 पर्सेन्ट होगा। तीन साल के बाद में यह निगम कोई घाटा न करे, यह आश्वासन मिलना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो एसेट्स एण्ड लायबिलिटीज जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम की थी वह क्या निगम के सुपुर्द को गई? आपने एसेट्स का ही प्रावधान किया है या लायबिलिटीज का भी प्रावधान किया है? एसेट्स का ही किया है तो एक तरीके से उसके बारे में राज्य सरकार को नुकसान हो गया है-उसके लिए किस तरीके से सोचा है?

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, एक बड़ी स्कीम के तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरफ तवज्जह दी है। बड़े पैमाने पर निगम बनाकर दूध की व्यवस्था की एक चर्चा चलाई गई। मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यह फैसला किया है कि जितनी सहकारी समितियाँ दूध की बनेंगी उनसे दूध खरीदा जायगा। सहकारी समितियों के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़ा कटु अनुभव है सहकारी समितियों के बारे में। जहां पर हमने इस प्रकार की सहकारी समितियां बनाई हैं वहां पर गड़बड़ होने का अन्देशा है। तो मैं

(श्री शोभाराम)

समझता हूं कायदे-कानून और जो रूल्स हैं उनमें इस प्रकार का संशोधन कर लिया जाय ताकि ये जो दुग्ध सहकारी समितियां हैं, वे घाटे की तरफ नहीं जायं। मैं समझता हूं कि महीने में एक बार या तीन महीने में एक बार निगम के माध्यम से सरकार को यह जानकारी मिलती रहे कि घाटा नहीं हो रहा है, तो ठीक रहेगा।

कृषि के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर तीन प्रकार के इलाके हैं उनमें से एक किस्म है फर्टीलाइज जोन की जिसमें जयपुर डिवीजन, टोंक का कुछ हिस्सा, कोटा डिवीजन का कुछ हिस्सा आता है। इनकी समस्या दूसरी प्रकार की है और जो हिल्ली एरियाज हैं जिनमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह आते हैं उनकी समस्या दूसरी प्रकार की है। तो मैं यहां पर फर्टीलाइज जोन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जहां पर कृषि की उपज ज्यादा होती है। ज्यादा चिन्ता इसलिए है कि हमने देखा कि 1974 में 200 रुपये क्विन्टल और 210 रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं का भाव बाजार में था, आज के हालात देखने से मालूम पड़ता है कि 100 रु० या 110 रुपये प्रति क्विन्टल से ज्यादा भाव मई के महीने में नहीं रहने वाले हैं। मैंने यह वर्क आउट करके देखा है कि इस प्रकार से तो किसान का खर्चा भी नहीं निकल पायेगा। एक हमारे लिये सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जावे। इस सम्बन्ध में एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने पहले बीज और खाद करोड़ों रुपयों का एक तरह से पंचायत समितियों को दिया था, उसके लिये यह तो ठीक है कि आज उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें से कितना रुपया उन्होंने हैण्ड ओवर किया और कितना रुपया वसूल हुआ। मेरा ख्याल है कि उसमें से 20–25 प्रतिशत रुपया ही वसूल हो पाया और 75 प्रतिशत रुपया वह वसूल नहीं कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले उस रुपये को वसूल किया जाय तो उससे हमको चार-पांच करोड़ रुपया मिल सकता है और यदि यह रुपया वसूल हो जाता है तो ज्यादा अच्छी बात है।

लेकिन सवाल इस बात का आता है कि कृषि की तरक्की के लिये बिजली और पानी की जरूरत पड़ेगी, इसके साधन हम किसानों को किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं। छोटे किसानों के पास ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए और बड़े किसानों के पास कम सुविधायें। यह एक नीति की बात हो सकती है, मैं इस पर अधिक चर्चा नहीं करना चाहता।

ए. आर. सी. स्कीम्स जब तक तैयार करेंगे, मुझे जानकारी मिली है कि 142 के करीब स्कीम्स तैयार हो कर उनका सर्वे किया जा चुका है। यह तीन चार महीने पुरानी बात है, मौजूदा का मुझे ख्याल नहीं, कुछ और ज्यादा स्कीम्स का सर्वे हो चुका हो और कितनी स्कीम डिपार्टमेन्ट द्वारा मान ली गई हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि स्टेट के वित्तीय साधन अच्छे

(श्री शोभाराम)

होंगे तो आप जानते हैं कि ए० आर० सी० स्कीम्स काम करेंगी। जब आप उनको वित्तीय साधन उपलब्ध करायोगे तभी यह संभव हो सकेगा। फिर भी रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के निर्देशन में ये स्कीम्स काम करेंगी और स्टेट गारन्टी कितनी हो सकेगी यह इस बात पर निर्भर है कि स्टेट के जो फाइनेन्सिग साधन हैं, वे कितनी अच्छी प्रकार से चलते हैं। जितने अच्छे साधन होंगे उसी हिसाब से रिजर्व बैंक स्टेट गारंटी की लिमिट बढ़ा सकता है और जब तक यह लिमिट नहीं बढ़ती है तब तक ए. आर. सी. की स्कीम्स में फायदा नहीं होगा। मुझे यह जानकारी मिली है कि 12 स्कीम्स तो करीब करीब क्लोज हो चुकी हैं और मैं यह मानकर चलता हूं कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास स्कीम्स नहीं आयेंगी। तो कम से कम 76–77 में लक्ष्य निर्धारित करें। 142 स्कीम्स का तो सर्वे कर लिया गया है और जितनी स्कीम्स बचें वह करीब 90 या 85 के करीब होंगी, इनमें से कितनी स्कीम्स आप इस साल 76–77 के अन्दर लेना चाहते हैं और उन स्कीम्स के लिये 25 पर्सेन्ट स्टेट गवर्नमेन्ट और 25 पर्सेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट बरदाश्त करेगी। तो 25 पर्सेन्ट उपलब्ध कराने के लिये जितनी स्कीम्स आपके पास हैं जिनको आप लागू करना चाहते हैं उनके साधनों को जुटाने के लिये आपने क्या काम किया? क्योंकि ए. आर. सी. स्कीम्स के बारे में अगर आपने ज्यादा मुस्तैदी से काम नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है।

जहां तक बाकी रहे 50 प्रतिशत साधनों की जरूरत है, तो उसके लिये कामर्शियल बैंक भी आयेंगे, कोपरेटिव बैंक भी आयेंगे और इतनी रकम के डिबेन्चर्स फ्लोट होते हैं, उनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।

मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक के किसी आफिसर या किसी रिप्रेजेन्टेटिव के साथ तीन महीने के अन्दर इस काम को किया जाय, जो हमारी स्कीम्स हैं उनके बारे में उनके साथ चर्चा की जाय, चाहे जयपुर में करें चाहे बम्बई में करें तो मैं समझता हूं कि बहुत सी स्कीम हमारे यहां पर सर्वे होकर लागू हो सकती है और जिन इलाकों में इनको लागू किया जायगा उनसे बहुत लाभ मिलने की आशा है।

आर. ए. सी. स्कीम में ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि जो उसमें खर्चा होता है वह स्टेट प्लान लिमिट और सेन्ट्रल प्लान लिमिट में नहीं होता, वह आउट साइड प्लान लिमिट से होता है और वर्ल्ड बैंक से मिलता है और मैं समझता हूं कि वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी है इसमें वर्ल्ड बैंक कोई कोताही नही करता है। खेती के लिये करोड़ों रुपया वर्ल्ड बैंक दे सकता है बशर्ते कि ए. आर. सी. स्कीम बनाकर आर. ए. सी. स्कीम्स के साथ उनको लिंक किया जाय। तो ऐसी हालत में स्टेट प्लान और सेन्ट्रल प्लान लिमिट की भी जरूरत नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि कोटा में जो सरकारी फार्म

(श्री शोभाराम)

है कृषि का वह लगभग 596 हेक्टेयर का चल रहा है। उसमें से 286 हेक्टेयर में ही कृषि कार्य हो रहा है सरकार की तरफ से बाकी जो 310 हेक्टेयर है वह काम में नहीं लिया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनइकानामिक है और मेहरबानी करके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी तरक्की के लिये इस भूमि को आवंटित कर दिया जाय ताकि वे इस पर अपना गुजर-बसर कर सकें। इसी तरह से 44 फार्म और भी मुझे बताये गये हैं जिनमें से 20–22 के लगभग अनइकनामिक हैं और बन्द कर रखे हैं और उनका आवंटन भी किसी को नहीं किया गया है, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, गवर्नमेन्ट उन पर खेती नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि यह 2000 एकड़ के करीब जमीन है इसको गरीब किसानों को आप वितरित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिन इकानामिक यूनिट के बारे में आप कहते हैं, ऐसे 20 या 22 फार्म हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आप कोटा फार्म की बात करें या और किसी फार्म की आपने व्हीट का कितना प्रोडक्शन किया, चावल का कितना प्रोडक्शन किया ? आपका क्रोप पैटर्न एक्सपर्ट्स के आधार पर होता है, उसका कुछ माप दण्ड होता है क्या उस स्टेन्डर्ड से देखना पड़ेगा कि इकानामिक तरीके से आपका फार्म चल रहा है। कोटा में जो फार्म चल रहा है उसमें 286 हेक्टेयर में खेती होती है, तो क्या जो माप दण्ड निश्चित किया गया है उसके मुताबिक हमारे पास ईल्ड आती है या नहीं, उसके मुताबिक अनाज पैदा होता है या नहीं ? यह आप बताने को कोशिश करेंगे। यह भी बताने की कृपा करें कि उसमें कितनी डेफिशियेन्सी या कमी रह जाती है ? यह भी एक देखने की बात है।

आखिर में मैं रिवाइन्स के बारे में जोर देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के अन्दर बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर छोटे-छोटे रिवाइन्स और गड्ढे पड़े हुए हैं वहां पर सोइल कन्जर्वेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। जितनी भी रिवाइन्स हैं, हजारों हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है, इसमें सोइल कन्जर्वेशन या लेवलिंग का काम करवाया जाय तो बहुत सी जमीन, मेरा ऐसा ख्याल है, हजारों हेक्टेयर जमीन, आपके पास आ सकती है। और छोटे किसानों के लिए एक तरह आवंटन हो सकता है इतनी जमीन रेवाइन्स के अन्दर है। उसके आंकड़े मुझे पता नहीं हैं रेवाइन्स का सर्वे करायें तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। अगर कीमत पर, कामर्शियल बसिस पर जमीन बेची जाय तो कर्ज के रूप में गरीब आदमियों का कोस्ट निकालने के लिए, जैसा मैंने बताया, बहुत आदमी रेवाइन्स में हैं बहुत से वीकर सेक्शन हैं, उसको पन्द्रह साल का लोन दिया जाय, तो रेवाइन्स के लेण्ड की कोस्ट बर्दाश्त करने को तैयार हैं। ऐसे बहुत से काश्तकार आये मेरे पास, वह चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जमीन का उपयोग मिले और ज्यादा से ज्यादा खेती पर आश्रित होकर खाने-कमाने का एक तरह जरीया कर सकें।

एक चीज जैसे शुरू में कही थी, सवाल अब फर्टीलाइज के बारे में है। कितना रुपया है, यह आप बतायेंगे, लेकिन इस नीति से मैं इत्तफाक नहीं करता

(श्री शोभाराम)

कि आज वसूली हो रही है तो छोटे किसानों के गाय और बैल कुर्क हो रहे हैं। लेकिन, सभापति जी, आपको हमको सोचना चाहिए, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि हमारे अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार की तरफ 46-47 लाख रुपया बकाया के तौर पर था। मैं जिलाधीश अलवर को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने एक मुकदमा सुना, उनके खिलाफ डिग्री की। लेकिन जब वसूली का काम शुरू होने लगा तो राजस्थान की सरकार ने स्टे आर्डर दे दिया। कृषि मंत्री जी विचारधारा से बड़े प्रगतिशील हैं, मंत्रिमण्डल में बैठते हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बकाया है, वह मंत्रिमण्डल में जाकर कहें कि किस भूतपूर्व नरेश की तरफ कितनी बकाया है इंक्वेज की, अगर वह रकम वसूल कर ली जाती है तो मैं समझता हूं कि 25-30 करोड़ रुपया इस प्रकार का बकाया होगा, वह वसूल हो जाता है तो ए. आर. सी. की स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट को 15 लाख सर्वे की लागत लगानी पड़ी है, 142 जगह का सर्वे किया है, इस स्कीम को आप अगले साल में ले सकते हैं, बशर्ते कि हम फैसला करें कि आपको किनके साथ में रियायत करनी है। जब वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो वीकर सेक्शन की परिभाषा की है, आर्टिजन की परिभाषा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जहां कृषि की तरक्की की बात करें तो वहां ऐसे जो लोग हैं दस्तकार, उनके लिए कृषि से सम्बन्धित कौन कौनसी चीज ऐसी हो सकती है, जो उनको आय एक प्रकार से दे सकती है। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग से प्रत्यक्ष रूप से ताल्लुक नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से हम देहाती क्षेत्र में किस तरह तरक्की करें और उनमें 80-85 परसेन्ट गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए रोजगार किस तरह दे सकते हैं, उसकी काम्प्रीहेंसिव स्कीम जब तक नहीं बनाते हैं तब तक वह लोग बेरोजगार रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम रूरल बैंक की बात कहें, तो हम उस तरफ जा रहे हैं ? मैं समझता हूं, देहाती क्षेत्र की तरक्की के लिए रूरल बैंक की स्थापना ज्यादा से ज्यादा की जाय। यह राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है कि देहाती क्षेत्र में ऐसे बैंक्स खोलें। यह स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेन्सेज के जरिये से होगा। अगर ज्यादा साधन की जरूरत हो तो जो बकाया रकम है बड़े आदमियों के खिलाफ उस रकम को मुस्तैदी के साथ, तेजी के साथ, वसूल कर सकते हैं। रूरल बैंक के अन्दर ऐसे जिलों के अन्दर, जो उपजाऊ है, देहाती क्षेत्र जिन्हें एक तरह से मान कर चलते हैं, वहां के जो लोग हैं वह आपको कुछ कन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, रूरल बैंक खोल कर चाहें लोगों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने हैं तो उसको भी आकर उपलब्ध करायेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ कृषि की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ किसान की जितनी जरूरत है, वह उन रूरल बैंक्स के जरिये से किसी तरह पूरी की जाय रूरल बैंक की स्थापना के लिए भी हमें तवज्जोह देनी चाहिए। हम एग्रीकल्चर को आइसोलेशन के तरीके से देखेंगे तो उसका महत्व नहीं होगा। हम सोचें कि देहाती क्षेत्र में बसने वाले कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी माली हालत को किस तरह सुधारें। अभी हमने प्रधान मंत्री की

(श्री शोभाराम)

तकरीर को सुना। उन्होंने कहा कि फासिस्ट फोर्सेज, जो इस देश में काम कर रही हैं, का मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि हम कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति को किसी तरह सुदृढ़ बनायें। जब तक वह सुदृढ़ नहीं बनेगी तब तक देश को उनकी तरफ से खतरा ही बना रहेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कमजोर वर्ग के बारे में हम सोचें, आखिरकार किस तरह से हम उनके लिए रूरल बैंक्स के माध्यम से जहां सप्लाई करने का सवाल है, कौन-कौनसी चीजों को सप्लाई करना चाहते हैं। सबको एक तरह से रूरल बैंक को वितरण व्यवस्था में शामिल होगा-इस चीज को देखना पड़ेगा। मंत्री महोदय कम से कम इस बात का विचार करें कि हर जिले में फर्टीलाइजर देना पड़ता है तो वहां पर रूरल बैंक्स की स्थापना होनी चाहिए और उनके माध्यम से यह किया जाना चाहिए इससे लोगों के अन्दर एक विश्वास पैदा होगा। मुझे कोआपरेटिव बैंक के बारे में कहना है कि गलत ढंग से कर्ज वितरित हुआ है। मेरे ख्याल में कई जगह बुक एडजस्टमेंट, एन्ट्री में गलती होती है। असल व्याज वसूल होने के बाद भी बहुत सी रकम का लोट फेर होता रहता है उसको हम देखते हैं। दूसरे डिस्बर्समेंट की स्थिति यह है कि वह बड़े लोगों तक ही होता है। कई सोसाइटी में निर्देश दिया है कि 40 पर्सेन्ट गरीब लोग हैं उन तक कर्ज नहीं पहुचा है। मैं कृषि मंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप जो कुछ भी करें, चाहें अलग से वितरण सहकारी समिति हो, या किसी प्रकार की सहकारी समिति बनायें, आप इस बात को मद्दे नजर रख कर चलें। आखिरकार जो लोग हैं उन सबको बराबर के तरीके से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो खतरा पैदा हो सकता है। मैं चेतावनी तो नहीं देता, एक बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि अगर हमने सहकारी समितियों को ठीक ढंग से नहीं चलाया, भले ही आपने निगम की बात कही है, निगम में भी देश का रुपया लगेगा, अगर उसमें भी घाटा पहुंचेगा तो वह देश को पहुंचेगा, इसलिए आप निगम को ढंग से चलायें, प्रशासन को ढंग से चलायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने फैसला फरवरी, मार्च में किया कि निगम के माध्यम से दुग्ध वितरित किया जाय और दुग्ध की सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से दूध को खरीदेंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि निगम में जो काम करें उनके ऊपर पूरी निगरानी होनी चाहिए। नहीं तो हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां आयेंगी।

मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मेरा जो तजुर्बा है, उसको मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि महरबानी करके जो कुछ भी आप काम करें, जितनी दूध की सहकारी समितियों से आप दूध लेंगे, यह जरूर उनको यकीन दिलायें कि इतने दिन के अन्दर उनका पेमेन्ट होगा। मैं तो यह पसन्द करता हूं कि वह पेमेन्ट अगर केश पेमेन्ट होता है तो आपकी लोगों में साख एक तरह जमेगी। आप इस रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाकर गांव वालों से दूध खरीदें लेकिन वक्त पर पेमेन्ट नहीं

(श्री शीशाराम)

हों तो मुझे खतरा लगता है कि जिन सहकारी समितियों की आप बात करते हैं उनका विश्वास आप पर नहीं रहेगा। जो दूध बेचने वाले हैं, पशु पालक हैं, वह आपके साथ नहीं चल पायेंगे। वह किस ढंग से नजदीक आयें, इसके लिए केश पेमेन्ट की जरूरत है।

दो तीन बातें मैंने कही हैं. ए. आर. सी. की, कैश पेमेन्ट की रेवाइन्स के बारे में यह कुछ मुद्दे आपके सामने रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्री जी खास तौर से इन मुद्दों की तरफ ध्यान रख कर काम करेंगे, सोचेंगे, सब मिल कर तो ज्यादा अच्छा होगा। सभापति जी, आज देश में अन्न संकट है तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अन्न पैदा करने वाले लोग यदि कमजोर होंगे तो संकट कभी दूर होने वाला नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा, सरकार को चाहिए कि यदि वह चाहती है कि देश में अन्न ज्यादा पैदा हो तो अन्न की बिक्री, मार्केट को स्टेबल रखने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों में यह बात हुई थी, आज भी यही बात चल रही थी भावों की, पिछले दो महीने में जो अनाज के भाव गिरे हैं, राज्य सरकार ने किसान को सपोर्ट प्राइस देने के कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। आज देखते हैं कि जहां राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जो का भाव इस समय 40-45 है, गंगानगर में 35 में बिक रहा है और गेहूं 90 रु० के आसपास बिक रहा है। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी यह बात हुई थी कि वह जो 105 की रेट है, वाजिब है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमीशन्स भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं वे वही करते हैं जो भारत सरकार का इशारा होता है। अगर आप चाहें तो आप लुधियाना के वाइस चांसलर महेन्द्रसिंह की रिपोर्ट देखें। उन्होंने पिछले वर्ष 115 रु० के ऊपर गेहूं की पैदावार पर खर्चा होना बताया था लेकिन इस वर्ष उससे भी ज्यादा खर्चा हुआ है। आमदनी उसके मुकाबले में कम है। यहां पर गेहूं का खर्चा पंजाब की तुलना में ज्यादा आ रहा है। आस-पास के राज्यों के कृषि विभाग किसानों को रियायतें देते हैं। आप देखेंगे कि यहीं बढ़े हुए वाटर रेट्स की बात आती तो उसके मुकाबले में पंजाब में खाद पर कर न लगाकर, वहां पर सस्ता हल सबसिडी देकर और दूसरी चीजें सस्ती देकर सारी कमी को पूरा कर देते हैं। मैं इरिगेशन रेट्स की बात नहीं करता। मैं कह रहा था कि वहां पर खाद सस्ती मिलती है और आपके इलाके में खाद हमेशा ब्लेक में मिलती है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष की बात है। जहां सरकारी संस्थाओं द्वारा 14-8-75 को 106.35 में खाद बेची गई रसीद है मेरे पास। दूसरा, 19-8-74 को वही खाद 96.75 में बिकी, इसलिए कि कुछ डीलर्स के भाव आपने मंगा लिए गंगानगर में और बाद में आपने उनको रोक दिया। उसके बाद वही खाद फिर 106 में बिकी। वहां पर लेट वेट है, आपका ग्रोस वेट है। आपने सड़ी-गली, जमीन से मिट्टी वाली खाद दी जब कि हरियाणा व पंजाब में खाद पर कमीशन मिलता है और उस कमीशन की दर चाहे वह शहर में बिके चाहे गांव में बिके, उसकी प्राइस एक ही होती है। यहां पर शहर में तो वह रेट है जो भारत सरकार ने फिक्स की है और देहातों में एक्सेस खर्चा

(श्री शोभाराम)

लगाते हैं करीब 2.50 रु० बोरी पर। तो आपको इसको रोकना चाहिए। यहां खाद किसान को महंगी दी जा रही है, सहकारी समितियों के मार्फत बेच कर एक्स्ट्रा खर्चा किसान पर डाला जा रहा है, उसको रोकिए और भारत सरकार के जो निश्चित भाव हैं उन पर बेचने की कोशिश करें। पंजाब में छोटे किसान को 5-6 महीने के बाद हल मिलेगा, 50 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड है। ड्रिल 900 की 450 में मिलेगी। इतनी बड़ी रियायतें वहां पर हैं। वहां पर किसान को और धंधा करने का मौका देते हैं जब कि यहां पर नहीं है। किसान चाहता है कि आफ सीजन में दूसरा काम करूं लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। पंजाब व हरियाणा में चले जाइए, किसानों ने पोल्ट्री फार्म खोल दिए हैं उन पर 50 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड मिलती है। वहां पर सीमेन बैंक्स हैं जहां पर अच्छी गायों की नसल सुधारने के लिए प्रबन्ध है। आप सीमेन बैंक हर इलाके में नहीं खोल सकते। आप किसान को वह राहत नहीं दे पाए जो पड़ोसी राज्यों में मिल रही है। आप वैसे तो हर बात में उन प्रान्तों की नकल करना चाहते हैं। वहां सिंचाई की दरें बढ़ा दीं तो उसकी मिसाल आप यहां देते हो लेकिन वहां जो अच्छे काम हुए हैं उनकी मिसाल कभी नहीं दी।

मैंने यहां यह कहा था कि पिछले वर्ष गंगानगर में आपके विभाग द्वारा गन्ने का बीज दिया गया लेकिन शुगर मिल ने इस साल वह देने से इन्कार कर दिया। आप किसान को गन्ने की पूरी कीमत नहीं दिला सके। गन्ने पर पिछले साल किसान को 75 पैसे मिले और आप आज तक 75 पैसे नहीं दिला सके। तो जहां तक गेहूं के बीज का प्रश्न है, राजस्थान में आपने एक भी गेहूं का बीज तैयार नहीं किया और आप तैयार करते हैं तो जयपुर में बैठ कर तैयार करते हैं। राजस्थान की क्लाइमेट कई हिस्सों में दूसरी है तो हर सोइल में जाकर उस क्षेत्र के वायु मंडल के अनुसार बीज तैयार करें। गेहूं का बीज ऐसा है कि कहते हैं कि एक गेहूं दो साल तक किसी जगह बोया जाए तो उत्पादन कम हो जाता है। जो फाउन्डेशन सीड दिया जाता है वह कम मात्रा में और समय बाद दिया जाता है। मेरा प्रश्न भी था। पंचायत समिति, पदमपुर को फाउन्डेशन सीड दिसम्बर में दिया गया जब कि नवम्बर में गेहूं की काश्त हो चुकी थी। तो फाउन्डेशन सीड देने में भी आप पीछे रहे। आपको चाहिए था कॉटन-320 का बीज देना, लेकिन कोई काटन का बीज अच्छा नहीं दे पाए। तो आप किसान को बीज देने में असमर्थ रहे हैं और आप चाहते हैं कि पड़ोसी राज्यों से लेकर बीज दिया जाए तो हमारे वायुमंडल में वह ठीक नहीं बैठता, वह ठीक नहीं है और हमें मजबूर होकर बार-बार 320-काटन बोनी पड़ रही है। आप नया बीज तैयार नहीं कर पाए हैं। तो मेरी यह अर्ज है राज्य सरकार को चाहिये कि अच्छा फोडर काश्तकारों को दिया जाना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर राज्य सरकार को काश्तकारों की हालत अपलिफ्ट करनी है अगर आप काश्तकारों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि किसानों को आप सुविधायें दें। आपको चाहिये कि काश्तकारों को हर मामले में ग्रान्ट-इन-एड देनी चाहिये। चाहे वह फोडर हो चाहे और खेती के कुछ भी इनपुट्स हों।

(श्री शोभाराम)

आपको चाहिये कि काश्तकारों को जो आप खाद देते हैं उसमें सेल्स टैक्स नहीं लगाया जावे। इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं और ट्रैक्टर्स के इम्पलीमेंट्स है वह भी सस्ती दरों में मिलने चाहिये। आपको ट्रैक्टर्स की रेट में कमी करनी चाहिये और ट्रैक्टर्स की बिक्री पर सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

सभापति महोदय, अगर आप काश्तकारों को इन्सेन्टिव्स नहीं देंगे तो काश्तकार अब इन हालात में कभी ऊंचा उठने वाला नहीं है। इसके अलावा आज काश्तकार को अच्छा बीज नहीं मिलता है, उन्हें अच्छे सीड दिलाये जावें। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि फार्मर्स वगैरह जो हमारे यहां के हैं, खास तौर से मार्जिनल फार्मर्स हैं और छोटे फार्मर्स हैं आपको चाहिये आप उनको ट्रेनिंग दें और उनके लिये मेले लगायें, अलग-अलग पोईन्ट्स पर अलग होर्टीकल्चर के मेले बड़े-बड़े लगाये जावें ताकि लोग इससे कुछ सीखें। दूसरे प्रान्तों में भी पंजाब आदि में मेले होर्टीकल्चर्स के लगाये जाते हैं। अच्छे बीजों के आपको मेले लगाने चाहियें। वह भी अलग-अलग स्थानों पर लगाये जायें। इसके अलावा आपको इन काश्तकारों के पक्के खाले बनाने चाहियें।

सभापति महोदय, आज पंजाब हमारे गंगानगर में पड़ोसी प्रदेश लगता है, आज वहां पर किसानों को पक्की ईंटे 74 रुपये हजार पर देते हैं, ऐसी व्यवस्था आपको भी पक्के खाले बनाने के लिये करनी चाहिये। यह सभी प्रकार की जो आज सहूलियतें काश्तकार को नहीं मिलती हैं वह मिलनी चाहिये। अगर नहीं मिलेंगी तो किसान बरबाद हो जावेगा। राज्य सरकार को चाहिये कि इस ओर ध्यान दे। मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि आपको चाहिये कि गंगानगर जो आपकी ग्रेनरी है वहां पर आपको सीड कमेटी बनानी चाहिये, जिससे कि वहां के काश्तकारों को बहुत अच्छे सीड मिलें जिससे उत्पादन अच्छा हो। दूसरे सीड सस्ते दिलाये जाने चाहियें समय पर दिलाये जाने चाहिये। सभापति महोदय, पहले गंगानगर में सन 1963-64 में हमारे वहां पर बीज दिया गया था, आपने उनको जिस भाव से दिया था उन्हीं लोगों से एग्रीमेंट के करने के बाद आप उनसे वापिस अधिक कीमत पुराने बीजों के लिये मांग रहे हैं यह कहां तक उचित है। गंगानगर का एक बोर्डर एरिया है आपको वहां के किसानों को कन्सेशन देना चाहिये और आपको उन्हें मुआवजा देना चाहिये। वसूल नहीं करना चाहिये। जो बीजों के भाव थे, तीन और पौने तीन भाव से आपने किसान को गेहूं बेचे थे, एग्रीमेन्ट किया था और अब आप पैसे की रिकवरी निकालें तो कहां का न्याय आप काश्तकारों के साथ कर रहे हैं? इसके अलावा आपको राजस्थान में सोइल का रिसर्च करना चाहिये। हालांकि आपने रिसर्च इन्स्टीट्यूट एग्रीकल्चर के लिये बनाया है पर वहां पर कोई रिसर्च का काम नहीं हो रहा है। इतना जरूर है कि वहां पर रिसर्च इन्स्टीट्यूट में एक आदमी को एडजस्ट करने के लिये आप वहां से पोस्ट को उदयपुर में रिसर्च इन्स्टीट्यूट में ट्रांसफर कर रहे हैं। यह है मिस्टर आर० एल० माथुर उसको एडजस्ट करने के लिये, चूंकि वह तीन महीने के बाद ही रिटायर हो रहे।

(श्री शोभाराम)

हैं, इसलिये उन्हें एडजस्ट करने के लिये उदयपुर ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि उन्हें पेन्शन ग्रेच्युटी में फायदा हो जावे। इससे दो नुकसान होंगे, एक तो दूसरे लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेंगे और दूसरे बेचारे लोगों का नुकसान होगा। राज्य सरकार को एक व्यक्ति विशेष के लिये दखल नहीं करना चाहिये। एक व्यक्ति को आप कृषि विभाग में ज्यादा चलाना चाहते हैं यह कहां तक जस्टिफाइड है। इसलिये अब अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हर मामले में चाहे खाद हो, बीज हो, चाहे ट्रैक्टर हो, सीमेन्ट हो, बिजली हो, राज्य सरकार को किसानों को ग्रान्ट इन एड देनी चाहिये। सभापति महोदय, हमने लेवी के वक्त बहुत ही खुशी खुशी लेवी दी थी राज्य सरकार को। गांव गांव में जाकर लेवी इकट्ठी करके दी, हालांकि कई जगह पर ओले भी पड़े थे, तो भी हमने 105 रुपये क्विन्टल के भाव से लेवी दी लेकिन राज्य सरकार ने जो बोनस देने की घोषणा की थी वह हमारे यहां पर काश्तकारों को नहीं दी। वह आपको हमारे यहां के किसानों को जल्दी से जल्दी देना चाहिये। हम लेवी के विरोध में नहीं हैं लेकिन जब गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने बोनस की व्यवस्था की तो आप किसानों को बोनस देकर उत्साहित क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमेटियां बनायी हैं लेकिन जब तक आप किसानों को बोनस नहीं देंगे, खाद और बीज में ग्रान्ट-इन एड नहीं देंगे तब तक किसान की हालत नहीं सुधर सकती है। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि किसानों की हालत सुधारे और उनको लाभ पहुँचाने के उपाय करें ताकि किसान जो बरबाद हो रहा है वह बच सके।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, आज की मांगों के सिलसिले में जो दो तीन मांगें कृषि, पशुपालन, और डेयरी विभाग की हैं, मैं संक्षेप में इन तीनों विभागों पर मेरे कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, हमारे देश भारतवर्ष की बहुत बड़ी संख्या में जन संख्या है, वह कृषि के धन्धे पर निर्भर करती। सभापति महोदय, हमारे यहां पर भी 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। सभापति महोदय, खेती दो-तीन तरीकों से होती है, पहली जो कि सिंचाई के माध्यम से नहरों द्वारा होती है, दूसरी खेती कुओं से बैलों की मदद से या बिजली लगाकर मोटर चलाकर कुओं से पानी निकाल कर तो होती है और तीसरी खेती होती है उस इलाके में जहां पर कि यह दोनों ही साधन नहीं हों। सभापति महोदय, मैं ऐसे इलाके से आता हूं जो इलाका खेती के लिये बरसात पर ही निर्भर करता है। दूसरे इलाके, जहां नहरों से खेती होती है और कुओं से पानी निकाल कर खेती होती है, उस इलाके की क्या कठिनाइयां हैं उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसके मेरी जानकारी नहीं है। उसके मुतल्लिक में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। उनकी जो कठिनाईयां है, उसको तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन

(श्री दीपंकर)

मैं आपके सामने अपने इलाके की समस्याओं के बारे में, जो कि सिर्फ बारिश के ऊपर ही मुनहसिर है, काश्तकारों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, सिर्फ जब बरसात आती है, तब फसल होती है और जब बरसात नहीं आती है तो कोई फसल उस क्षेत्र में नहीं होती है-वह लोग सरकार की तरफ देखते हैं, और एक प्रकार से सरकार की मदद पर ही उस वक्त जिन्दा रहते हैं। आज आप कृषि के बारे में कई तरह के प्रचार करते हैं और करीब करीब सभी क्षेत्रों में यह प्रचार हो रहा है कि राज्य सरकार कितनी काश्तकारों को सहूलियत देती है। इससे आप उस क्षेत्र में चाहे कोई काम न करायें लेकिन वहां के काश्तकार भी उस प्रचार और प्रसार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसमें कोई शक नहीं कि इन वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने से पैदावार बढ़ती है लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से साधन उपलब्ध हों तभी पैदावार बढ़ सकती है। उनके बिना आपको कोई उपलब्धि वहां नजर नहीं आयेगी-उदाहरण के तौर पर आपने संकर बाजरे बीज की किस्म लाकर बोने के लिये दी। सभापति महोदय, हमारे नागौर जिले में मोटा अनाज ही खाते हैं दूसरे प्रकार का अनाज हमारे यहां पर खाने में कम काम आता है। उस बाजरे के अलावा हमारे यहां पर मूंग और मोठ पैदा होती है। इसके अलावा ग्वार पैदा होता है जो कि जानवरों के लिये खाने के काम आता है। सभापति महोदय, हमारे इलाके की मुख्य पैदावार यह है। इस पैदावार में आपने अपनी तरफ से उन्नत बीज के नाम से जो संकर बीज दिया उस संकर बीज से यह हुआ कि न केवल वह काश्त बिगाड़ी, बल्कि मनुष्यों की नस्ल में भी संकरपना आने लगा। आप किस प्रकार संकर बीज पैदा करते हैं, किस प्रकार संरक्षण करते हैं और किस प्रकार से डिस्ट्रिब्यूट करते हैं। समय पर बीज देते नहीं। यह सही बात है कि समय पर बीज मिलता नहीं। हमारे यहां पर थोड़ा बहुत सिंचित एरिया बना है, नखलिस्तान में जिस प्रकार थोड़ा बहुत सिंचित एरिया बन जाता है, उसी प्रकार हमारे यहां बना है। पंचायत समिति से बीज देते हैं। हमारा यह अनुभव है कि बाजार से खरीद कर बीज बड़े महंगे भाव से दिया जाता है जब कि काश्तकार अपनी इच्छानुसार परम्परागत तरीके से खेती करता आया है। यह भी जानता है कि उसको कौनसा बीज रखना है। यह उसी पर छोड़ दिया जाय। प्रचार यह किया जाता है कि अच्छा बीज देंगे और काश्तकार इन्तजार करता रहता है लेकिन मिलता नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई पंचायत समितियों में इस प्रकार के केसेज चल रहे हैं, इन्क्वायरी चल रही है और आपके बीज के स्टाक को केवल खाने के काम में ले लिया। इन्क्वायरी रिपोर्ट में आता है कि भरा हुआ है, ग्राम सेवकों के जरिए से वापिस मंगा लें और काम में ले लें।

बीज की वितरण की प्रणाली भी व्यवस्थित नहीं है और समय पर बीज नहीं दे रहे हैं। आपको यह खुले रूप में स्वीकार करना चाहिये कि राजस्थान जैसे प्रान्त में जितने बीज की आवश्यकता है उतना बीज संग्रहित नहीं हो पाता है।

Page No 100

(100)

(श्री दीपंकर)

किसी किस्म का बीज हो, संग्रहित नहीं कर पाते है और न अच्छी किस्म आपके पास है। इसलिये इस हाउस में आपके विभाग पर यह आरोप लगता है कि इस तरह का रोग लगा आपके बीज से लगा। यह विभाग पर आरोप रहता है। वह कैसे संग्रहित होगा और कैसे उसका वितरण होगा? या तो अच्छा बीज दें, उपयोगी बीज दें, समय पर दें वरना काश्तकार को अपने भाग्य पर छोड़ दीजिये। आज से नहीं; परम्परा से काश्त होती आयी है, काश्तकार बीज रखता आया है और काम में लेता आया है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटा अनाज पैदा होता है उसमें कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जो भी रोली का रोग है, रूंखड़ी का रोग है, कहां सुनते थे पहले? अब तो हम देखते हैं कि रूंखड़ी बाजरे के साथ, छोटा पौधा होता है, रूंखड़ी बाजरे को थोड़े से फैलाव के बाद फैलने नहीं देता और जला देता है। संकर बाजरा है इसमें एक सिट्टा निकलता है, दाने ज्यादा होते हैं और वजनी होता है संकर बाजरा। देशी बाजरा होता है उसके ऊपर कई सिट्टे होते हैं, चालीस पचास निकलते हैं वह स्वास्थ्य वर्धक और अधिक तादाद में पैदा होता है। इसलिये तमाम उपज को बीमारियां खराब कर देती हैं। बीमारियों की रोक थाम के लिये समय पर विभाग की ओर से कुछ करना चाहिये। पंचायत समितियां को बीमारियों की रोकथाम की बातें समय पर नहीं बतायी जातीं। हरएक गांव में जहां तहां लोग कहते हैं कि रूंखड़ी हो गयी है। इस तरह की बीमारी हो जाती है तो लाजमी बात है कि उसको रोकने की कोशिश करें। चने में भी एक तरह की बीमारी हो जाती है। उपज का कोई तरीका नहीं रह गया है। बीमारी न लगे, रोकथाम बीमारी की हो सकती है तो उसको रोकना चाहिये।

पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारी का पद रखा है बीमारियों की रोकथाम करने के लिये। ग्राम सेवकों के जरिए प्रचार किया जाय। ग्राम सेवकों को आपने ले लिया है, कृषि विभाग में। पंचायतें बिलकुल पंगू हो गयी है। अब तक वह ही काम करते थे। पंचायत समितियों में यह प्रचार हो गया है कि हमारा काम छीन लिया है। ग्राम सेवकों से सामाजिक शिक्षा और अन्य काम ले सकते थे। अब सारे के सारे ग्राम-सेवकों को लेकर, कृषि विभाग काम करवायेगा, इसलिये अब वे हमारे काम में नहीं लिये जा सकेंगे, उनका उपयोग हमारे अपने कामों के लिये नहीं कर सकते आप उनसे क्या काम लेना चाहते हैं? यह आम साधारण मामला दिखता लेकिन आप इसको स्पष्ट करने की कृपा करें कितने समय तक आप उनका उपयोग करेंगे, कितने दायरे में करेंगे, बीमारियों की रोकथाम के लिये ग्राम सेवकों का क्या उपयोग किया जा सकता है? यह मैं आपकी निगाह में लाना चाहता हूं, आशा है आप इस ओर ध्यान देंगे।

खाद का जहां तक सवाल है, खाद आता है। हमारे एरिया में कम तादाद में आता है। वह आता है तो जिला अधिकारी मांग करते हैं पंचायत समितियों से। जितनी मांग करते हैं उतना बीज भेज दिया जाता है। उसके लिये एक तारीख

(श्री दीपंकर)

बाद में देते हैं कि इस तारीख को वितरण करेंगे। फिर कहा जाता है कि इस समय नहीं दिया जायगा। सो बाद में आइये। इस प्रकार से समय पर खाद नहीं मिलता। स्टाक तो पड़ा है लेकिन वितरण नहीं हो पाता। खरीद लिया जाता है खाद तो और पंचायत समितियों की रकम बेकार जाती है। ग्राम सेवकों के जिम्मे रकम निकलती है। मैं मांग करता हूं कि समय पर खाद दें। देना है तो उनको दे दें। दो फसली इलाका है तो समय पर खाद देनी चाहिये।

एक मेरा निवेदन यह है कि बहुत सी पंचायत समितियों का सर्वे करवाने के बाद लघु सिचायी योजनाएं बनाईं। हमारे जिले में तीन लघु सिचायी योजनाएं आपने स्वीकार कीं। कृषि निगम और कृषि वित्त निगम। लाडनूं और डीडवाना को कृषि विभाग ने मान्यता दिलाने की कोशिश को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो-ढाई साल का अर्सा हो गया यह कहूं कि चार साल का अर्सा हो गया तो कोई गलत नहीं होगा, मैं प्रधान था तो मैंने स्कीम बनवाई थी। यह कहा था कि यूजफूल स्कीम है जल्दी से जल्दी लागू करनी चाहिये। बीज में कृषि ट्यूब वैल स्कीम लागू कर दी। काश्तकार जिसके पास पचास-साठ बीघा जमीन है, वैरा खोद कर किश्तों में रकम अदा कर देगा, वह पानी का उपयोग करले। जब से आपने यह स्कीम बनाई है वह कुआ खुदा हुआ पड़ा है, बिजली लग नहीं सकी, सिचाई हो नहीं सकी, उत्पादन हो नहीं सका, नीचे से बेरा गिर गया। अकाल राहत में यह रकम लगाते तो अच्छा रहता। उस स्कीम के तहत आपने लघु सिचाई योजनाओं को ताके में रखा हुआ है और दीमक खा रही है। इसलिए अच्छा हो कि ऐसी लघु सिचाई योजनायें जो बने वह चाहे किसी भी पंचायत समिति की हों उनको आप कार्य रूप दीजिए ताकि लघु सिचाई योजना काम में आ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जहां तक काश्तकारों के ऊपर भार बढ़ाने का सवाल है मेरे पूर्ववर्ती सदस्य ने बता दिया कि किस तरह से टैक्स का असर उनके ऊपर है क्योंकि अमूमन लोगों ने माना है कि पशु घर में रखने से काश्तकार का समय बरबाद होता है। तो एक-एक तहसील हेडक्वार्टर पर सौ, सौ ट्रैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो काश्तकार घन्टे दो घन्टे में अपनी बिजाई करा लेते हैं तो ट्रैक्टर्स के जरिये आज कल लोग काश्त करवा रहे हैं और नई नीति आप अपना रहे हैं और यह नई शुरुआत है। अच्छी बात है लेकिन समय के ऊपर बिजाई हो नहीं पाती है क्यों कि समय पर ट्रैक्टर्स नहीं मिलते हैं और जिस तरह से उनके ऊपर आपका टैक्स का भार आता है उसको देखते हुए यहां से भी ज्यादा दाम लेते हैं। प्रति वर्ष टैक्स बढ़ता ही जा रहा है तो जो ट्रैक्टरों के चार्जेज बढ़ते जा रहे हैं। यह भी चर्चा का विषय है उनको समय पर बिजाई हो सके उसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप टेक्टर ज्यादा से ज्यादा सस्ती दर पर मुहैय्या कराने की कोशिश करें या फिर कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर उनके जरिये करायें या आपका कृषि विभाग है या आपकी पंचायत समितियां हैं उनको आप ट्रैक्टर दीजिए और उनके

(श्री दीपंकर)

जरिये सस्ती दरों पर बिजाई करवा सकें तो अच्छा काम हो सकता है।

जहां तक सब्जियों का सवाल है, सब्जियां काफी तादाद में लोग अब खाने लगे हैं और उनकी पैदावार भी बढ़ी है और उपज बढ़ी है और इस तरह का प्रोग्राम भी है। संतुलित आहार का काम भी पंचायत समितियों में चल रहा है। इसके अन्तर्गत कुछ पंचायत समितियों के स्कूलों के जरिये, और कुछ पंचायतों के जरिये इस तरह की बाड़ी लगाई गई हैं लेकिन समय पर उनको बीज नहीं मिलता है। उनको बीज लेने के लिए जयपुर राजधानी आना पड़ता है। इसलिए आप जिला स्तर पर बीज मुहय्या करा सकें या पंचायत समिति स्तर पर मुहैय्या करा सकें तो मैं समझता हूं कि यह सरल तरीका रहेगा और लोगों को समय पर बीज मिल जायेगा तो एक तरह से जो संतुलित आहार बढ़ाना चाहते हैं, अन्न लोग खाते थे, उसके साथ में सब्जी का मिश्रण करना चाहते हैं तो यह पद्धति आपकी कारगर हो सकती है अगर समय पर वहीं पर उनको बीज मिल जाये तो।

अब मैं थोड़ा पशुपालन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिए यह निवेदन है कि उनमें भी कई तरह की बीमारियां लगती हैं। आपको क्या निवेदन करूं कि एक-एक तहसील और पंचायत स्तर पर बहुत सी तो ऐसी बीमारियां चलती हैं कि हजारों की तादाद में भेड़ें मर जाती हैं, कितनी ही दुधारू गायें मर जाती हैं, और हमारे यहां खारा पानी है उस खारे पानी को पीकर भी पशु मर जाते हैं और कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो तमाम बीमारियों की रोक थाम के लिए जो आपका पशुपालन विभाग है उसमें आप अधिकारी पंचायत स्तर पर रखते हैं उनको बहुत सी जगह विकास अधिकारी बना दिया गया। इसलिए आपके विभाग की ट्रेनिंग तो फेल हो गई उसके अन्तर्गत आपके दो कम्पाउण्डर्स केवल वहां पर रहते हैं। वह उनकी हाजरी में खड़े रहते हैं और कोई आदमी कोई खास रिपोर्ट लेकर आये कि यह बीमारी है। तो वह केवल जाकर आ जाते हैं यह दवाई हमारे पास नहीं है. यह बाजार से ले आओ और जो दवाइयां पंचायत समितियों की मार्फत जाती हैं वह काश्तकारों के लिए नाकुछ है क्योंकि कम तादाद में पहुंचती हैं। इसलिए आपके द्वारा सर्वे होनी चाहिए जिला वाइज और पंचायत समिति वाइज की इस नस्ल के पशु कहां और किस-किस मौसम में किस-किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और उनके रोक-थाम के लिए क्या दवा चाहिए, वह समय पर उपलब्ध कराये ताकि वह बच सकें।

हमारे नागौर जिले के पशु उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में जाते हैं। यहां से बैल जाते हैं और उनसे लोग अपना काम करते हैं। उस नस्ल को बचाने के लिए, नागौरी नस्ल को बचाने के लिए कोई सेन्टर नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने यह कर रखा है कि अकाल पड़ने पर सांड को बचाने के लिए, उसको खिलाने के लिए जरूर सरकार से दिलवाते हैं लेकिन अच्छी नस्ल के सांड आप दे सकें इसकी व्यवस्था नहीं है। हर जिला स्तर पर जिला पशु पालन अधिकारी की देख-रेख में

(श्री दीपंकर)

आपके फार्म हैं वहां पर छोटे बछड़ों को पाला जाता है उसको सांड नहीं कहा जा सकता। सिर्फ छोटे बछड़ों को पाला जाता है, गांव वाले लोग वहां जायें और फिर दो-तीन साल उन बछड़ों को खिला कर काम में ले सकते हैं। तो यह हर नस्ल को सुधारने के लिए बछड़े या भैंसे के बच्चे हैं इनको सुरक्षित रखें और समय पर वितरित कर सकें, गांव की आवश्यकता पर वितरित कर सकें—इसकी आवश्यकता है। ऐसा समय पर नहीं होता है तो गांव वालों को इससे कोई लाभ नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, जहां तक बैंकों से सहायता का प्रश्न है, काश्तकार को समय पर नालियों के लिए, बैरों के लिए या बैलों के खरीदने के लिए आपका राष्ट्रीयकृत बैंक लोन नहीं देता है। इन बैंकों की शाखायें खोली गयी हैं और उनके एजेन्ट्स बैठे हुए हैं। यह सत्य बात है; आप इसकी निगरानी करवा लीजिए। वह यही कह देते हैं कि आठ-दस मील के एरिया में ही हम पैसा देते हैं। तो या तो ऐसा कीजिए कि हर विधान सभाई क्षेत्र में आप उन बैंकों को शाखायें खुलवायें जिन बैंकों ने काम करना तय किया है; ताकि लोगों को काम मिल सके, जिनको अब ना कह दिया जाता है। तो कैसे काश्तकारों को पैसा मिलेगा? मिलता कुछ नहीं है। जब बैंकों को कहा जाता है तो कहा जाता है कि आप दायरे के बाहर हैं, प्रोजेक्ट के बाहर हैं और इतना खर्चा होता है। आप बैल खरीदना चाहते हैं, भैंस खरीदना चाहते हैं, बैरा खुदवाना चाहते हैं तो बैंक के लोगों को गाड़ी में बैठा कर मौका दिखाइये। तो बैंक वालों को लाना और छोड़ना पड़ता है। फिर काश्तकार को पता ही नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं लेकिन पहले ही सौ-दो सौ रुपया उसको खर्च करना पड़ता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार बैंक वाले नहीं करते हैं। इसके सिवाय दूसरी कोई एजन्सी है नहीं। जहां तक भूमि विकास बैंक हैं, वह सीमित दायरे में काम करते हैं और हमारे यहां तो डिफाल्टर्स हैं। इसलिए उनका काम नहीं होता है। इसलिए जरूरी है, हम आपके माध्यम से चाहेंगे, आप ऐसी व्यवस्था करें कि इनका विस्तार हो, इसका सरलीकरण आप करें। लोगों को यह मालूम करायें कि इस काम के लिए इतनी-इतनी तादाद में एक-एक काश्तकार, जिसकी इतनी भूमि होगी, जो इतनी फसल बढ़ायेगा तो इतना पैसा मिल सकेगा। इसकी साफ जानकारी लोगों को होनी चाहिए। यह जब तक नहीं होगा तब तक लोगों को पता नहीं होगा कि कृषि विभाग इतना बड़ा है और जिसके ऊपर देश मुनहसिर करता है, इस विभाग के जरिये हमको क्या मिलने वाला है। इसकी जानकारी आप समय पर उनको दे सकें तो अच्छा रहेगा। और इन पंचायत समितियों की मार्फत और ग्राम सेवकों की मार्फत, जिला विकास बैंक अधिकारियों की मार्फत सिर्फ गाड़ी में कब वह आयें और देख कर चले जायें और रिपोर्ट कर दें कि यह बीमारी हो गयी है तो इससे कोई बीमारी दूर होने वाली नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत जरूरी बात है।

एक निवेदन और है लास्ट में सभापति महोदय, वह है डेयरी के बारे में। यह

(श्री दीपंकर)

डेयरी योजना आपकी बड़ी कारगर योजना है, इससे काश्तकारों के पास काश्त के अलावा दूसरा अगर कोई जीविकोपार्जन का साधन है तो वह पशु पालन है। पशुपालकों की स्थिति सुधारने के लिए आपको यह गारन्टी देनी चाहिए कि आप पशुपालन के लिए अच्छे ढंग के पशु देंगे, दुधारू पशु देंगे, उनके दूध को खरीदेंगे और उसके बदले में पशु पालेंगे तो पशुपालन से आय बढ़ेगी। यह बहुत कल्याणकारी योजना है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस वक्त में जब कि बीस सूत्री प्रोग्राम दिया है; जो साधारण व्यक्ति हैं जिसको आप जमीन नहीं दे सकते, जिसको आप और कोई तरह का साधन नहीं दे सकते, एक अच्छी भैंस, एक अच्छी दुधारु गाय अगर आप दिला देते हैं तो मैं समझता हूं कि उसके जीवन को आप बचा लेते हैं। समाज के अन्दर उसकी एक अच्छी हैसियत बन जाती है। परन्तु यह जरूर है कि····

श्री उम्मेदलाल : कर्जा नहीं मिलता है।

श्री दीपंकर : कर्जा भी मिलेगा। योजना है, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। यह योजना आपकी बहुत अच्छी है मैं इसकी सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं। परन्तु यह जरूरी है कि पशु आप उनको दें। योजनाबद्ध तरीके से एक जिलेवार कोई आप गणना करवायें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी किस्म के पशु पालने का शौक है। कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो परम्परागत तरीके से गोवर्धन की पूजा करते हैं और गाय को ही रखना पसन्द करते हैं। हमारे यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भैंस को ही रखना पसन्द करते हैं। क्योंकि भैंस दुधारू पशु है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, घी ज्यादा निकलता है; इस तरह से भैंस को मानते हैं। जिस स्थिति में भी हैं, जिस तरह से वे चाहते हैं उसी तरह से पशु वितरित करना चाहिए। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि जो आपकी डेयरी योजना है, हमारे जिले में आपने दो जगह चिलिंग प्लान्ट लगाने की बात की है, एक मेड़ता और दूसरा नागौर में। तो क्या हमारे पूरे नागौर जिले में पशुपालन की दो तहसीलें ही हैं, और जगह पशुपालन नहीं होता है? होता है, परन्तु मुश्किल यह है कि रिकमण्डेशन करने वाले महाशय हैं उनकी नुक्ते निगाह दो जगहों पर ही जाकर टिक गई लेकिन आपके सामने तो सारे राजस्थान का नक्शा है, आप सारे राजस्थान को देखते है, आप पूरे राजस्थान के कर्ता-धर्ता हैं, मैं आपकी निगाह में लाना चाहता हूँ कि जिस जिले में आपने लागू कर दिया, मेहरबानी करके इसका विस्तार पंचायत समिति स्तर पर करें और वहां पर गरीब को इस तरह के पशुओं का वितरण करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी मैं समाप्त करता हूं। यह जरूरी है कि आप दुधारू पशुओं का वितरण उनमें करें। और डेयरी के लिए जगह-जगह पर जो भी समितियां बनाने जा रहे हैं उन समितियों के बारे में इस प्रकार का निवेदन है कि इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि जो साधन सम्पन्न व्यक्ति है केवल वही कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं बना लें। जिस तरह से आपने कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके यह कर दिया कि प्रार्थना पत्र देने मात्र से सदस्य बन जाएगा, उसी तरह से यह

(श्री दीपंकर)

कोशिश करें एक परीक्षण के तौर पर कि हर गांव में इन लोगों की कोग्रापरेटिव सोसाइटीज बनावें जो स्थान-स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, जो अल्प आय के लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जो बिल्कुल लैंडलेस हैं, ऐसे लोगों की सोसायटी बनायें और उन लोगों को पशु दें, दूध खरीदें ताकि उनकी आमदनी बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि यह आपके विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बीस सूत्री कार्यक्रम में चाहे उनको जमीन मिले या न मिले, उनको जो भूखण्ड दिए हैं उन भूखण्डों पर कभी भूमि पर मकान बने या नहीं बनें, दूसरे विभाग कुछ करें, या नहीं करें परन्तु आपकी डायरेक्ट अप्रोच उनके साथ हो सकता है। आपकी डायरेक्ट सहानुभूति उनके साथ हो सकती है। उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में असरदार साबित हो सकते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे इलाकों में मेहरबानी करके उन लोगों की गांव वाइज कोआपरेटिव सोसायटी बनाई जावे और ऐसे लोगों को उसमें लिया जावे और उनको एक-एक पशु निश्चित तौर पर दिया जावे, और पशु देकर उनका दूध लिया जावे ताकि उनका जीवन उन्नत हो सके और इस दिशा में आगे कदम बढ़ सके। यह हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम में ग्रौसतन व्यक्ति के पास पहुंचने का पहला कदम होगा, सरल कदम होगा, यह मेरा आपके जरिये, सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को सुझाव है। आपने बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी गाड़ियां लगा रखी हैं और बोतलों में बन्द करके दूध देते है इनको मेहरबानी करके बदलिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत।

(2.36 म. प.)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई, सभापति, पीठासीन)

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में आप सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और राजस्थान तो कम से कम इससे भी ज्यादा है। यहां पर पशुपालन और कृषि से सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में आज दो चार चीजों की आवश्यकता होती है, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी खाद हो, जुताई के अच्छे साधन हों, सिंचाई के साधन हों। तो मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां तक उन्नत बीज का सवाल है, कृषि विभाग ने सर्व प्रथम अच्छे-अच्छे फार्म के उन्नत बीज किसानों को दिलाने के लिए कभी कृषि प्रसार की योजना हाथ में ली और उसके लिए अपने फार्म भी बनाए। मैं, सभापति महोदय, कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अजमेर जिले में एक तबीजी फार्म है. वह उस वक्त बहुत जरूरी था क्योंकि एक्सपेरीमेंट के लिए उन्नत बीज, खाद पैदा करने के लिए फार्म की आवश्यकता थी लेकिन आज हमारे यहां रजिस्टर्ड सीड ग्रोग्रर, उन्नत बीज पैदा करने वाले लोगों की संख्या काफी हो गई है जो अपने ही फार्म के अन्दर बीज तैयार करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे कृषि फार्मों की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। वहां पर काफी खर्चा होता है और वह आखिर किसानों पर ही पड़ता है। इस खर्चे को कम करके ज्यादा अच्छी पैदावार कर सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में मेरा कृषि

(श्री शंकरसिंह रावत)

मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो तबीजी फार्म है अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब यदि रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर से यह काम करायें तो वे अच्छा बीज आपको दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इन फार्मों में खर्चा आता है वह कृषि विभाग के ऊपर ही खर्चा आता है, जनता पर ही आता है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ, सभापति महोदय, आज खाद के सम्बन्ध में आपने पहले किसानों से लेवी ली और लेवी के आधार पर खाद का वितरण करना चाहा। एक नियम बनाया था क्योंकि खाद बड़ा महंगा था। अब मैं समझता हूं कि इमर्जेंसी के बाद में थोड़ी सी पांच सात दस रुपये की गिरावट आई है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, मुझे खुद को मेरे खेत के लिए आवश्यकता थी यूरिया की लेकिन सी. एन. एक्स. उस वक्त नहीं मिल सका। एक तरफ हम कृषि उत्पादकों को समय पर खाद देना नहीं चाहते हैं दूसरी तरफ हम कहें कि हमारी काश्तकारों के साथ सहानुभूति है। यह कैसे हो सकता है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृषि मंत्रीजी, कि किसानों को जैसे ही जरूरत हो, खाद की, बीज की, पहले ही समय के पूर्व, प्रबन्ध होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि खाद के सम्बन्ध में अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में फरमाया था कि खाद का सवाल विदेशों से जुड़ा हुआ है और समस्या है। मैं मानता हूँ कि यह समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह के साधारण खाद की आवश्यकता होती है तो समझता हूँ कि उस तरह से खाद का प्रबन्ध तो होना चाहिए।

उर्वरक के साथ-साथ जहाँ औजारों का सवाल है, अभी आपने बताया था कि ट्रैक्टरों पर टैक्स इतना बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहां पर इस प्रकार के कृषि औजार बनाए थे जिनके आधार पर कृषि उत्पादन करना चाहते थे, लेकिन पंचायत समितियों में कई जगह ऐसे औजार उपलब्ध हैं, काश्तकारों के पास ऐसे औजार पड़े हैं जिनका प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार के औजार बना लेना ठीक नहीं है। पहले लैफ्ट हैंड का बनाया है, दूसरी तरह के औजार बनाये, ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, लेकिन उनके ठीक तरह से नहीं बनने के कारण मैं समझता हूं उनका उपयोग नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि ऐसे औजार बनाने चाहिए जिनमें लोगों की दिलचस्पी हो। आज अगर मंत्री महोदय पंचायत समितियों में देखें तो जो हम उन्नत औजार देकर कृषि उत्पादन करना चाहते थे उनको किसानों ने नहीं अपनाया तो कहीं न कहीं कमजोरी है। तो इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए।

जहाँ तक सिंचाई के साधनों को हम देखें, विद्युत् के सम्बन्ध में बात कही गई, क्योंकि किसानों का सम्बन्ध विद्युत् से पड़ता है, उनके कनेक्शन के बारे में बात कही गई लेकिन कई जगह मैं आपसे निवेदन करूं, सभापति महोदय, अभी भी कई किसान, कई ऐसे लोग तारों को बेचने वाले पकड़े गए। होता क्या है कि इधर लोग लाइनमेन से मिल जाते हैं और इधर लाइन काट लेते हैं और उधर तार काट लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से कई कनेक्शन बन्द हो गए। एक तरफ तो

(श्री शंकरसिंह रावत)

इतने ट्रांसफार्मर नहीं होने से कइयों को कनेक्शन रात को देंगे और उधर कनेक्शन नहीं रहने की वजह से रात को भी पिलाई नहीं होती है तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। यहीं नहीं, सभापति महोदय, दवाइयों के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि दवाइयों से पौध संरक्षण होता है। इस बार रोली बहुत लगी है। जब आपको मालूम है कि ज्यादा वर्षा से यह चीज आ सकती है, यह जो सोना कल्याण और मेक्सीकन गेहूं है इनमें प्राय: नहीं होती लेकिन यह जो देशी गेहूं है उसमें बहुत ज्यादा होती है...

श्रीमती सुमित्रासिंह: इस बार तो सोना कल्याण में भी हो गई है।

श्री शंकरसिंह रावत: इतनी नहीं होती है। देशी गेहूं में होती है। यह तो हम जानते ही हैं कि ज्यादा बरसात होती है तो मलेरिया का प्रकोप होता है और मच्छरों से बचने का प्रबन्ध हम करते हैं। मैं समझता हूं कि उसी तरह कृषि विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है–ज्यादा वर्षा होती है तो गेहूं में भी रोग होता है। वहां के ग्राम सेवक, ए. ई. ओ. द्वारा किसानों को यह नहीं बताया गया कि इस वर्ष ज्यादा बारिश हुई है और शायद रोली का प्रकोप हो सकता है। प्रचार के जरिए उनको इसका संकेत करना चाहिये था। कृषि विभाग के पास आज क्या काम है? किसान उन्नत बीज स्वयं ले आता है। खाद आप उसको देते नहीं हैं। खाद को भी वह स्वयं ही ले आता है। खाद को भी वे स्वयं ही स्प्रे करते है। तो फिर आपके पास क्या काम है? इतना बीज वितरण कर दिया-परन्तु बीज वितरण समय पर करें नहीं तो मैं समझता हूं यह आंकड़ों का विभाग है, और है क्या? आप खुद सोचें, मन्त्री महोदय, आपके जरिए किसान क्या पाते हैं? आप एडवाइजर हैं। केवल यह एक सलाहकार विभाग है। अब वह समय नहीं रहा, किसान आगे निकल चुका है। आपकी गाइडेन्स की अब उसको उतनी जरूरत नहीं रही। स्वर्गीय नेहरू जी ने एक बार कृषि मन्त्री से पूछा था–पंचायत समिति में खाद वितरण के बाद कितनी पैदावार बढ़ी? तो उनको यह बताया गया कि 18 मन बीघा उत्पादन होने लगा है। जब कि उस समय 8 मन बीघा ही उत्पादन होता था, उसकी जगह 18 मन बीघा बताया गया। तो यह अनाज बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? इसका क्या कारण है? यह सही बात है कि अब आप आंकड़ों में नहीं जाते हैं। आज आंकड़े जरूरी नहीं हैं बल्कि उत्पादन जरूरी है। उत्पादन अवश्य होता है।

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आज आप कम से कम एक सलाहकार हैं। आपने अभी एक पेपर निकाला है–उसमें प्रधान मन्त्री को किसानों के बीच में दिखाया गया है। प्रधान मन्त्री को बहुत लगाव है किसानों से। वे जानती हैं कि किसान देश के आधार हैं, देश को खड़ा करने वाले हैं, इसलिए किसानों के उत्पादन की योजना बनायी। वे दिलचस्पी लेकर राजस्थान में आईं और एक योजना बनी। उन्होंने राजस्थान की समस्याओं पर विचार किया। लेकिन, सभापति महोदय, अभी जो प्रगति विवरण दिया गया है, उसमें बीस सूत्री कार्यक्रम में इतना लिखा है "भारत सरकार एवं कृषि विभाग के सौजन्य से जयपुर में 'कृषि उन्नति की

(श्री शंकरसिंह रावत)

और अग्रसर' शीर्षक से एक प्रदर्शनी लगाई है" । इस प्रदर्शनी को देखने के लिए मैं खुद गया था, शायद मन्त्री महोदय यह कह दें कि आप तो यहां पर बैठे हैं, आपको क्या मालूम ? मैं प्रदर्शनी देखने गया हूं । वहां पर सिर्फ प्रधान मन्त्री की फोटो है । उत्पादन के लिए क्या योजना बनायी है, यह नहीं है । 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए आपकी क्या योजना है, क्या प्लान है इस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, यह नहीं है । इसलिए मन्त्री महोदय आपको देखना चाहिए, आपका विभाग क्या करता है । उत्पादन के लिए कितनी भूमि एलाट होती है । 5–10 बीघा जमीन एक किसान को आप देते हैं । उस पर किसान स्वयं कुआ खोदता है और उत्पादन करता है । आपका क्या प्रयास है ? अगर एक हजार एकड़ का बीड़ है; अच्छी जमीन है तो मैं समझता हूं कि कृषि विभाग को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को यह कहना चाहिये कि इसके जरिये हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं । उसको चार हिस्सों में बांटें या उसके लिए कोई जोइन्ट कोआपरेटिव सोसाइटी बनावें और उत्पादन करावें । इस दिशा की ओर आपका कोई प्रयास नहीं है । रबी की फसल में होने वाले रोगों, संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी देने का भी आपकी ओर से कोई प्रयास नहीं है ।

मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि देश की प्रधान मन्त्री राजस्थान की उत्पादन योजना में शरीक हुईं । बीस सूत्री कार्यक्रम में भी यह रखा है । प्रदर्शनी को जाकर देख लीजिये, न तो उससे आप संतुष्ट होंगे और न देखने वाला ही उससे सन्तुष्ट होगा । आपने, क्या नये प्रोग्राम लिये हैं, यह बताना चाहिये । एक जरूर नया प्रोग्राम आपने लिया है–यह कृषि प्रसार कार्यक्रम है । ग्राम सेवक को 320 से लेकर 500 किसानों के लिए जिम्मेदार 8 गांवों में बनाया है । प्रत्येक गांव में जाकर वह किसानों से सम्पर्क करेगा और यह भी निश्चित किया है कि वह प्रत्येक दिन कम से कम 6 किसानों से सम्पर्क करेगा । मैं यह निवेदन करूंगा कि वह 6 किसानों से सम्पर्क करने की बात घर बैठे ही डायरी में भर लेगा । उसमें आपने यह उल्लेख नहीं किया कि ग्राम सेवक किसानों से यह अपनी डायरी में लिखावें । ऐसी एक पुस्तक किसानों के पास हो और उसमें वह लिखे कि आज ग्राम सेवक आये और उनसे तकनीकी यह राय ली और किसानों सम्बन्धी जो समस्याएं हैं उनके उपाय लेकर वे आये । वहां पर इसकी एन्ट्री हो और वह पास बुक या डायरी किसान के पास ही हो । जिला कृषि अधिकारी जायें तो वह इस बात को देखें कि ग्राम सेवक बराबर किसानों से सम्पर्क करता है । पंचायत समिति में आपके ए. ई. ओज. हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है । ग्राम सेवक और ए. ई. ओज. को आप प्रशिक्षण देते हैं किन्तु व्यवहारिक तौर पर उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है । एनीमल हस्बैन्डरी के डाक्टर को यह भी पता नहीं होता कि घोड़ी के कितने थन होते हैं । वह नहीं बता सकता है । ऐसे कितने ही कैसेज हैं·····

एक माननीय सदस्य : कृषि मंत्री महोदय बता देंगे ।

श्री शंकरसिंह रावत : गये साल मैंने पूछा था, इसलिए बता देंगे ।

(श्री शंकरसिंह रावत)

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, मेरा यह तात्पर्य है, सभापति महोदय, कि आपके इन टैक्निकल व्यक्तियों, कर्मचारियों के पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनके पास किताबी ज्ञान तो जरूर है। उन्हें कम से कम व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिये। इसके लिए यह जरूरी है कि वे किसानों के साथ उठें बैठें। यह जो स्कीम है, अच्छी है, 6 किसानों के साथ सम्पर्क करने की। इस सम्पर्क के जरिए उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा।

एक मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट अनाज के भावों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में, कहना चाहता हूं चूंकि अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि 25 तारीख को कृषि मंत्री महोदय जवाब देंगे, उस समय बोल लेना। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसानों की जो पैदावार है उसके भाव गिर रहे हैं और आपके जो साधन हैं वे महंगे हैं, दवाइयां महंगी हैं। एक एकड़ के अन्दर, मैं कृषि मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम 40 किलो बीज चाहिये। उसकी कीमत कम से कम 100/- रुपये होगी। फर्टीलाइजर वह देगा तो उसके लिए 100/-रुपये चाहिये। इसके अलावा बीस गाड़ी देशी खाद उसको देना होगा जिसकी कीमत कम से कम 300/-रुपये होगी। अब आप आइये जुताई पर तो इसमें भी 125/-रुपये की जुताई होगी। अब उसको पानी देना है कम से कम पांच पानी उसको देना लाजमी है। मैं समझता हूं कि 300 रुपयों की पिलाई होगी। एक एकड़ फसल की कटाई के लिए कम से कम 15 मजदूर चाहिये और न्यूनतम मजदूरी आपने 5/-रुपये रखी है तो कम से कम 75/-रुपये एक एकड़ की कटाई के होंगे। इस प्रकार एक एकड़ पर 1000/-रुपये का खर्चा आता है। अब उसकी पैदावार को लीजिये। आज 40 मन होता है याने 16 क्विन्टल अनाज होता है। 200/-, 150/-के भाव को आज छोड़ दीजिये। आज मानों उसकी पैदावार 80/-रुपये क्विन्टल के भाव से बिकती है तो उसका अनाज 1300/-रुपये का होता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस किसान के पास 300/-400/-रुपया हो बचेगा। उसको आज हमें ऊंचा करना है तो उसके साधन सस्ते कीजिये यह सरकार का उत्तरदायित्व है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत करते हुए कूलर एवं अन्य लग्जरी गुड्स पर करों में छूट दी है और किसान से आप चाहते हैं कि वह 500 रुपयों में ही गुजारा कर ले। आप यह चाहते हैं कि आगे की फसल के लिए वह कड़ाके की धूप में हल चलावे ? इस ओर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी ओर सिंचाई की दर बढ़ा दी गई है। उनके जो साधन हैं वे सस्ते नहीं है। इस बिना पर आप किसानों का और देश का विकास करना चाहते हैं जिनकी मेहनत पर यह देश टिका हुआ है, जो हमारे देश की बुनियाद हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। तो कृषि मंत्री होने के नाते आपकी यह जिम्मेवारी है और आशा है आप इस पर जरूर गौर करेंगे, क्योंकि जब अनाज के ज्यादा भाव थे तो आपने उनसे लेवी वसूल की थी। लेवी बहुत से

(श्री शंकरसिंह रावत)

किसानों ने 105/–रुपये के भाव से देना पसन्द नहीं किया लेकिन, सभापति महोदय, आज अगर आप लेवी लेना चाहें तो अभी बाजार में गेहूं के भाव 80 रुपये क्विन्टल हैं और 105 में सरकार लेना चाहे तो मैं समझता हूं कि सारा अनाज गवर्नमेंट के पास आ जायेगा। अभी अनाज मण्डी में अनाज आ रहा है और आपने भाव तय नहीं किया है। आप कहते हैं कि 105 रुपये का भाव निर्धारित करेंगे। जिस दिन किसान को पैदावार को 80 रुपये क्विन्टल के बजाय आप 105 रुपये में ले लेंगे तो किसान आपका बड़ा आभारी होगा। राजस्थान सरकार ने जैसा कि प्रण लिया है और भारत सरकार के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के सारे प्रोडक्शन को इस भाव पर ले लेंगे तो इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

अधिक नहीं कहते हुए एक मिनिट में डेयरी की बात कहना चाहता हूं। डेयरी जो खोल रहे हैं उनमें अजमेर की डेयरी बहुत अच्छी है और उसका दूध भी काफी बढ़िया है। लेकिन मैं पशु-पालन के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कनाडा सरकार ने एक सीमन बैंक के लिए प्रस्ताव रखा था। उसके लिए कनाडा सरकार ने भीलवाड़ा और अजमेर का चयन किया था। फिर आपने उसको बस्सी में खोल दिया : वह जब आये थे तो उन्होंने साफ लिखा था कि सीमन बैंक यहां अजमेर में होना चाहिये। मैं समझता हूं कि आप उसको अजमेर में खोल रहे हैं या ए.बी.सी. के जरिये चल रहे हैं तो अजमेर का पहले नम्बर आना चाहिए था। उन्होंने अच्छा चयन किया था। उन्होंने ए.बी.सी. से चयन नहीं किया था। वह अगर वहां पर खोलते तो वहां पर पशु-पालन का स्कोप बढ़ता। आपने वहां पर सीमन बैंक नहीं खोला है तो किस कारण से ? जवाब देते हुए आप हमें सन्तुष्ट करेंगे।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना है मुझे....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना ही निवेदन करना है कि आज मैंने यहां पर डेयरी का सुबह दूध लिया था। उसका नमूना मैं कृषि मंत्रीजी को बताने के लिए लाया हूं। मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कई जगहों पर आप दूध में पाउडर मिलाते हैं तो कम से कम दूध और पाउडर को इस तरह से मिलायें कि गर्म करने पर वह अलग-अलग न दिखाई पड़े। दूध और पाउडर का जब मिलान अच्छी तरह से हो जाता है तो वह अलग अलग नहीं होता है, लेकिन जब उसमें पुराना पाउडर डाल देते हैं तो वह अलग-अलग दिखता है।

श्री शिवचरण माथुर : दूध में आजकल पाउडर नहीं मिलाते हैं।

श्री शंकरसिंह रावत: लोगों के पास में पाउडर होता है तो मिला देते हैं। इसकी आप लेबोरेट्री में जांच करवायेंगे तो हमें सन्तोष हो जायगा। लोगों ने दूध में पाउडर मिलाते हुए देखा है। अगर नहीं मिलाते हैं तो मेरा भ्रम था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा। हलवाई के यहां दूध

(श्री शंकरसिंह रावत)

में पानी आता है तो हलवाई उस दूध वाले के पैसे काट लेता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मेरा और निवेदन है। आप भूमिहीन लोगों को भैंस दिलाते हैं तो वह हरियाणा की दिलाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा की भैंस अजमेर में नहीं चल सकती हैं। वहां की आबहवा और खुराक में बड़ा अन्तर है। यहां पर लाने के बाद वह ज्यादा दूध नहीं दे पाती हैं। इसलिए उनको लोकल भैंस ही दिलानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि आपका अधिक समय नहीं लेते हुए जो बातें और मुद्दे रखे हैं, कृषि मंत्री महोदय इन पर ध्यान देंगे। कृषि का बड़ा स्कोप है। 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, आपको नई योजनाएं बनानी हैं। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने मुद्दे रखे हैं उनके लिए निवेदन करूंगा कि आप विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभापति महोदय, आज कृषि और पशु-पालन की मांगों पर विचार हो रहा है। उस सम्बन्ध में मैं भी कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी राजस्थान सरकार ने डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम को अपनाया है, और उसमें सोइल और वाटर कन्जर्वेशन, एफारेस्टेशन, ग्रेजिंग ग्राउण्ड्स, इरिगेशन इनके कामों को हाथ में लिया जायगा। यह मरुस्थली जिलों की तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सिद्ध हो सकता है यदि इस काम को हम ध्यान देकर कार्यान्वित करें। मैंने कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया और अभी एक रिपोर्ट दी है उसमें भी निवेदन किया गया है राज्य सरकार को। इसमें मेरा सुझाव यह है कि डी.पी.ए.पी. के कार्यक्रम को आप पूरे क्षेत्रों के लिए बनायें, खास तौर से वाटर शेड या एन्केचमेंट एरिया हैं, जैसे अरावली का पश्चिमी ढाल है या आबू पर्वत या उसके आसपास की पहाड़ियों की ढाल है, इस सब पूरे क्षेत्र का एक प्लान बनाये, एक योजना बनाये उसके बाद में हरएक अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट में सोइल कन्जर्वेशन ऑफिसर लगे हुए हैं, हरएक सब-डिविजन के अन्दर उनकी जिम्मेदारी यह रहे कि उस डाइरेक्शन के अन्तर्गत उनको कार्य करना है। वाटर कन्जर्वेशन और सोइल कन्जर्वेशन का काम है यह अलग-अलग हिस्सों में कभी नहीं किया जा सकता। किन्हीं दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में जहां काम किया है उससे कुछ सीख तो सकते हैं, लेकिन हरएक प्रदेश की अलग-अलग स्थिति होती है। इसलिए वहां पर कार्य किये गये हैं वह यहां पर भी उपयोगी सिद्ध हों भविष्य में ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जैसे लूनी और उसकी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में पहले राज्य सरकार को उच्च स्तर पर किसी एक्सपर्ट को इस काम पर लगा कर उसके लिए एक बड़ा प्लान बनाना चाहिये। मिसाल के तौर पर लूनी नदी को जब हम ले लेते हैं तो अजमेर के पास से वह निकलती है। उसके बाद में उस पर बहुत से कुए हैं, पिच्चा का बाम्ध आता है, उसके बाद में जब तक दूसरी नदी उससे मिलती है उससे पहले

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

बहुत से कुए हैं। हरएक नदी पर कुए और बान्ध भी हैं और तालाब भी हैं, और खेती के काम में आने वाले कुए का पानी नदी के बहाव पर निर्भर करता है। डेगाना, जैतारण तहसील के पश्चिमी हिस्से, सोजत तहसील के उत्तरी हिस्से, पंचायत समिति रोहट और पाली का करीब-करीब पूरा क्षेत्र, नीचे माहोर पंचायत समितियां तहसील के नीचे का पूरा हिस्सा, सिवाना का कुछ हिस्सा, सांचोर तहसील का कुछ हिस्सा, पचपदरा तहसील का कुछ हिस्सा, यह इलाका ऐसा है जिसमें बारानी रबी भी होती है और उसमें पानी ऊपर से आता है। कुछ बान्ध भी बने हुए हैं और कुछ तालाब भी हैं। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग किस्म की जमीनें भी हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह के ओवरहाल प्लान के अन्दर पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितना पानी कितने क्षेत्रफल में से निकलता है। उसमें से नदियों में कितना आता है, उसमें सिंचाई के कुए कितने हैं। उनसे इनंनडेट धरती होती है उसमें बारानी रबी कितनी होती है। कौन-कौन से बन्धे और तालाब हैं, उनमें कितना पानी आता है, उनसे कितने कमान्ड एरिया के अन्दर खेतीबाड़ी हो जाती है। यह जब तक डिटेल्ड प्लान ओवरहाल नहीं बनता है तब तक केवल सब-डिविजन के स्तर पर अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट सोइल कन्जर्वेशन उनके जिम्मे सोइल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन का काम दे दिया तो यह गलती होना सम्भावित है कि उस डिविजन से जो पानी बचकर आगे निकलता है, उस पानी का उपयोग नीचे होता है इस बात को वह नजरअन्दाज कर दें। सोइल कन्जर्वेशन की दृष्टि यह है कि उपजाऊ जमीन बहे नहीं, उपजाऊ जमीन कटे नहीं और वाटर कन्जर्वेशन यह होता है कि जितना पानी बरसात में आता है उस पानी के जितने हिस्से की वहां पर जरूरत हो उतने पानी को वहां पर दिया जाय।

तो किसी एक व्यक्ति के ध्यान में, एक स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के ध्यान में यह बात आ नहीं सकती और डिस्ट्रिक्ट सोइल कन्जर्वेशन आफिसर को इस बात का अनुभव नहीं है. वह जानता ही नहीं है कि कहां पर किस प्रकार से खेती हो सकती है। उनका काम तो इतना है कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, केवल यह उनके देखने की बात है। सरकारी अधिकारी बैठे हुए देखते रह जाते हैं और कई नदियां और नाले बहुत कीमती जमीन को काट जाते हैं लाखों करोड़ों की कोस्ट होती है उनको, उस पर मिट्टी डाल देते हैं। उनको किस तरह से बचाया जा सकता है, इसके लिये कोई ठोस काम किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया है कि पांच-छः साल में एक बार अच्छी बरसात हो जाती है तो वहां पर बाढ़ आ जाती है और सारा पानी रन कच्छ में चला जाता है। इसके लिये कोई उपाय किये जाने चाहिए। आज विज्ञान और टेक्नोलोजी, साइन्स के जरिये यह मालूम कर रखा है कि कुछ जमीनों के अन्दर पानी को अच्छी तरह से रोका जा सकता है और उसको हम चाहें उस वक्त काम में ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नदियों के पानी को या बाढ़ के पानी को, नदियों के आस-पास या अन्य स्थानों में ऐसे कौनसे क्षेत्र हो सकते हैं, जहां पर जमीन के अन्दर भी रोका जा सकता है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

आज बहुत से वैज्ञानिकों की यह राय है कि खेती बाड़ी करने के लिये पानी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पानी को जमीन के अन्दर ही रोक कर रखा जाय। इससे न तो बांध बनाने पड़ेंगे, न कुए खोदने पड़ेंगे, न नहरें बनानी पड़ेंगी और न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज होंगे। बहुत से देशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इस तरह सोचने लगे हैं, उन्होंने इस दिशा में कई प्रयोग भी किये हैं, और उन्होंने इसमें सफलता भी हांसिल की है। इससे अच्छी पानी को रोकने की कोई दूसरी एजेन्सी हो नहीं सकती जो उस क्षेत्र की भूमि की बनावट के अन्दर बाढ़ के पानी को सुरक्षित रख सके, क्योंकि इस प्रकार से बहकर पानी चला जायगा तो भूमि में कटाव पैदा हो जायगा और खेती के लायक नहीं रहेगी। इसलिए कुछ सिंचित एरियाज का इस तरह से एक बड़ा प्लान बनाया जाना चाहिए और जो जिला लेवल के अधिकारी हैं उनको उसकी नकल दी जाय। वे इसको एग्जीक्यूट करें तो काफी फायदा हो सकता है। वैज्ञानिक तरीके से पैदावार भी बढ़ेगी और लाभ भी मिलेगा। वरना अभी जो काम हो रहा है, कहीं जमीन ऊंची है, कहीं पर नीची है, कौनसा काम कहां पर होना चाहिए यह काम तो हाथ में लिया जाय लेकिन जितना पानी आगे जा रहा है, उसको रोकने के लिये काम होना चाहिए जब तक प्लान नहीं बनता है और कोर्डिनेशन करने वाली एजेन्सी सब डिविजन लेवल पर नहीं होगी, मैं समझता हूं हमको इस कार्य में पूरी सफलता नहीं मिल सकती और हो सकता है हमारे करोड़ों रुपये यूं ही व्यर्थ हो जायं।

दूसरा प्रश्न जो है, जिसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि डेजर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे देश में और दूसरे कई देशों में चाहे इजराइल हो, चाहे मध्य पूर्व के देश हों, चाहे उत्तरी अफ्रीका के देश हों और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कुछ प्रदेश हों वहां पर उन्नत तरीकों से खेती कैसे हो, किस प्रकार से और कौनसा खाद और बीज काम में लाया जाय उसके बारे में प्रयोग हुए हैं। हमारे यहां पर सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट और दूसरी कई संस्थाओं में, कम पानी में कैसे खेती करें, फसलों का क्रम क्या हो, कितनी फसलें किस क्रम में ली जा सकती हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं; इसके बारे में बहुत काम हुआ है, बारिश कम होती है तो कौनसी फसल उगाई जा सकती है। हमारे सरकारी अधिकारी भी बहुत से यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने और मन्त्री महोदय ने भी देखा होगा कि जलाऊ लकड़ी और घास वगैरह किस प्रकार पैदा की जा सकती है, साथ में लेगुम्स भी बो सकते हैं। डिफरेन्ट टेक्नोलॉजी के जरिए से काफी सफलता इसमें मिली है और काफी एडवान्स कार्य हुआ है मरुस्थल की भूमि को काम में लाने के लिए। मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर जो भूमि है उसमें 50 प्रतिशत से अधिक मरुस्थली भूमि है। इसके लिये कृषि प्रसार की सेवाएं भी काफी सहायक हो सकती हैं। काफी बड़ा अमला आपका है, ग्राम सेवक से लेकर डाइरेक्टर तक और एनीमल हस्बैन्ड्री में भी काफी बड़ा अमला काम करता है। होता क्या है, जैसा अभी शंकरसिंहजी ने भी कहा कि अच्छी बरसात हो

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

गई तो अनाज पैदा हो जायगा। यह बात तो चलती है लेकिन खाद और बीज का उपयोग किस तरह से किया जाय जिससे हमको अच्छी फसल मिल सके और नई विधियां किस प्रकार से अपनाई जा सकती हैं, पशुपालन के बारे में किस प्रकार से उन्नति हो सकती है यह सब बातें इसमें सहायक हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी जो ट्रेनिंग है वह काफी पुरानी हो चुकी है और ऐसा है जो ए. ई. ओ., कोटा में काम करेगा वह भी वही विधियां बतायेगा और जो जैसलमेर में काम करेगा वह भी उसी खाद, बीज और जमीन की बनावट की बात करेगा। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं जमीन कम उपजाऊ है, उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और काम करना चाहिए। कम बारिश वाले इलाकों में नई पद्धतियों का प्रयोग कैसे हो सकता है, किस विधि से करना चाहिए, कौनसे कृषि-यन्त्र होने चाहिए, इसके बारे में कृषि प्रसार सेवा आपकी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर पंचायत समिति के पास कृषि फार्म है लेकिन उसी तरह से बताया नहीं जाता। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मरुस्थली जिलो के लिए डिप्टी-डाइरेक्टर के स्तर का या पंचायत समिति के स्तर का अधिकारी हो, इन सबका प्रशिक्षण होना चाहिए डेजर्ट टेक्नोलॉजी के लिये उसके अन्दर इस बात का प्रशिक्षण होना चाहिए कि कृषि की आधुनिकतम विधियां क्या हैं। इस तरह की उनकी दुबारा ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसमें सारी जानकारी उनको दी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि साधारण किसान भी, ग्रामीण किसान भी पढ़ सके ऐसा साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। गेहूं और चने के बारे में ठीक है कुछ साहित्य है। लेकिन मरुस्थली इलाकों में कौनसी विधि अपनाई जानी चाहिए यह अभी तक जनता तक और किसान तक नहीं पहुंच पायी है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि आधुनिकतम ढंग से मरुस्थली इलाकों में किस प्रकार से खेती की जा सकती है इसके लिये साहित्य का सृजन होना चाहिए। लोगों ने बहुत सी किताबें लिखी भी हैं लेकिन उन किताबों का लाभ बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग हैं वे ही उठा सकते हैं। वह रिसर्च का विषय है, लेकिन ग्राम ग्रामीण को किस प्रकार से लाभ हो इस प्रकार का साहित्य उपलब्ध होना चाहिए।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह रेडियो की है, और आज कल तो राजस्थान में टेलिवीजन भी आ गया है, कृषि का कार्य किस प्रकार से ठीक हो सकता है, ज्यादा पैदावार किस प्रकार से हो, यह सूचना तो दी जाती है लेकिन गहराई से, मरुस्थली इलाकों की जो समस्यायें हैं उनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिए रेडियो इसका सक्षम माध्यम है। इसके लिये केन्द्रीय अधिकारियों से वार्ता करके इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। आपकी तरफ से भी सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस तरह से प्रचार होता रहे तो उससे जनता को काफी फायदा हो सकता है। हमेशा इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जो वास्तव में बहुत ही उपयोगी हों, मरुस्थली इलाकों के लिये।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

तीसरी बात चल रही थी ट्रैक्टर की, खेती बाड़ी की मशीनरी की, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई वगैरह को।'' मंत्री महोदय, यह खास तौर से अपन लोगों के समझने की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर यह दुर्भावना सी बन गई है, अरे भाई ट्रैक्टर का फायदा किसको मिलता है? अमीर किसान को मिलता है। रासायनिक खाद अरे भाई महंगा है, बड़े लोग हैं वे फायदा ले सकते हैं। पम्पिंग सेट का सोचें तो बड़े काश्तकार को लेना है। छोटे काश्तकार को क्या लेना देना है। सबमें सम्पन्न, मालदार काश्तकार का लेना देना है। छोटे काश्तकार को क्या लेना देना है। इसमें सम्पन्न; मालदार काश्तकार का लेना देना है। क्या यह नीति बन गई है कि कभी छोटा किसान सम्पन्न बने नहीं और साधारण से साधारण, गरीब से गरीब किसान है वह ट्रैक्टर नहीं तो दूसरी मशीनरी, पम्पिंग सेट, कीटनाशक दवाई, दूसरे आधुनिक यंत्र काम में न ले–ऐसी इच्छा है क्या? आप इनकी कीमत बढ़ा रहे हैं दिन पर दिन, यह सब चीजें उसकी पहुंच के बाहर जा रही हैं। ट्रैक्टर जिन अमीर किसानों को खरीदने थे, उन्होंने खरीद लिये। अब कोई खरीदना चाहता है तो दस किसान मिल कर खरीदना चाहें तो ही उनकी क्षमता की बात है। रासायनिक खाद की बात के सम्बन्ध में कहता हूं कि मेंगनी और गोबर की खाद के मुकाबले में रासायनिक खाद की कीमत नहीं बनती है। यह सही है, आज आठ सौ रुपये लगते हैं मेंगनी और गोबर की खाद के एक ट्रक के अब खेतों में खाद कितनी काम आती है। आप रिकमन्ड करते हैं कि इतने बीघा में दो ट्रक खाद डाली जाय। इस दृष्टि से रासायनिक खाद सबसे सस्ती है और गरीब किसान का कोई उद्धार कर सकता है तो वह रासायनिक खाद कर सकती है। देशी खाद है यह गरीब किसान के बूते के बाहर है। यह बात आपको समझनी चाहिए और यह इच्छा होनी चाहिए, राज्य सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि आधुनिकतम कृषि यंत्र हैं आधुनिक बीज है, आधुनिक खाद है, आधुनिक विधियां–यह सब मामूली से मामूली काश्तकार तक पहुँच जायं। इस ओर हमारी कोशिश होनी चाहिए। गरीब किसान हैं, वह हमेशा से इन चीजों से वंचित रहे हैं और जब तक इन चीजों से, अच्छे बीज से, अच्छी खाद से, अच्छे यंत्रों से, दूर रहेंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकते हैं। पहले जमीन नई थी तब भी वे तरक्की नहीं कर सके तो इस युग में जब हर साल जमीन बोयी जाती है, तो वे कैसे तरक्की कर सकते हैं। यह आपको समझना है। ट्रैक्टर की बात कहता हूं, सुबह प्रश्न उठा था कि ट्रैक्टर अमीर का साधन है। आप सोचें, बैल हैं इनकी ऊंची से ऊंची कीमत क्या है। भीलवाड़ा के पशु मेले में पधारेंगे तो मालूम होगा कि छः हजार की बैल जोड़ी है। बैल की जोड़ी दिन भर में चार बीघा की जुताई कर सकती है। इसके अलावा मरुस्थली क्षेत्र है, उसमें दो साल अकाल पड़ता है। इस साल गरीब किसान छः हजार की बैल जोड़ी ले ले, दो साल अकाल पड़े तो आप सोचें, बैलों को खिलाने पिलाने में कितना खर्च पड़ता है। आज मोस्ट अनइकानामिक प्रोब्लम है पशुओं को रखना। मरुस्थली क्षेत्र में जमीन समतल है, वहां ट्रैक्टर से जोतते हैं, जो कि सरकार के कर्जे से पहले बड़े किसानों ने ले लिये है ट्रैक्टर से एक दिन में दो सौ बीघा जमीन जोत सकते हैं जब कि बैल की

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जोड़ी से चार बीघा जोतते हैं। इस तरह ट्रैक्टर काम में लें तो पचास गुना अधिक जमीन में काश्त हो सकती है। अगर इतनी जमीन पर काश्त करनी है तो सात आठ बैल की जोड़ी चाहिए, सात आठ ऊंट चाहिए उनकी कीमत पचास हजार हो जाती है। लेकिन अगर किसी साल बरसात नहीं हो तो वह चारा चरते हैं, उनको बांटा देना पड़ता है, रकम का ब्याज देना पड़ता है। लोगों ने क्या किया ? उन्होंने सोचा पांच छः ने मिल कर, दस-दस हजार रुपये देकर ऊंट और बैल जोड़ी रखनी पड़ती है, सब मिल जाय तो पचास साठ हजार हो जाय, लेकिन जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदे हैं उन्होंने पचास साठ हजार में नहीं खरीदे, 20 हजार, 25 हजार में खरीदे हैं। आज सरकार ने कार, रेफ्रिजरेटर की कीमत कम की है, लेकिन पैंतालीस से पचास हार्स पावर का ट्रैक्टर है उसकी कुल मिलाकर कीमत 57-58 हजार है। उस पर 45 पर्सेन्ट टैक्स है वह 25 हजार का टैक्स है। कोई सीमा होती है, आपने तीन चार गुनी कीमत बढ़ा दी है। जो गरीब आदमी है उस गरीब को आप पन्द्रह बीघा धरती अलाट कर रहे हैं। आपके आंकड़े बताते होंगे कि बड़ी-बड़ी होल्डिंग वाले कितने किसान हैं और छोटी होल्डिंग वाले कितने हैं। यह भी आंकड़े मौजूद है तो पन्द्रह बीघा वाला किसान क्या बीस बीघा वाला किसान भी बैल की जोड़ी या ऊंट रख सकता है ? क्या यह उसके लाभ का सौदा है ? पन्द्रह बीघा में काश्त करने के लिए मरुस्थली क्षेत्र में केवल दो घण्टे के लिए ट्रैक्टर चाहिए, जिसके ज्यादा से ज्यादा सत्तर रुपये लगते हैं। मान लो कि झपट गई या पानी आ गया तो उसके सत्तर रुपये और लग सकते हैं। लेकिन वह बैल की जोड़ी नहीं रख सकता है। आपको चाहिए, सरकार को और देश के नेताओं को यह दृष्टिकोण रखना चाहिए कि जो मशीनरी है वह अमीर किसान है उसको नहीं मिले। वह तो कोशिश करके खरीद लेगा लेकिन यह गरीब के बूते के बाहर की बात है। आप कृषि यंत्र गरीब को उपलब्ध कराने की नीति बनायें नहीं तो वह खेती बाड़ी में तरक्की नहीं कर सकता है।

इसी तरह आपने यह किया कि तीन साल से जो किसान कीमत देता था एल.डी.ओ. की, उसमें साढ़े सात पर्सेन्ट की छूट दी है। मरुस्थली क्षेत्र में तीन आना, चार आना, पांच आना जमीन की बीघोड़ी है। इतनी बीघोड़ी है तो साल में बीस, तीस, चालीस रुपये बीघोड़ी आती है। उन्होंने कहीं, पानी या जमीन के अन्दर, तो कुआ........

एक माननीय सदस्य : बीघोड़ी क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लगान।

कुआ खोद कर इंजन लगा दिया, तो आपको मालूम है, कि एल. डी. ओ. का एक ड्रम 280 रुपये में आता है, बीघोड़ी का कई गुना। सोलह रुपये दो बैल के पीछे अकेले म्यूनीसिपैलिटी में जमा कराने होते हैं। बैल की जोड़ी है वह गन्दगी करती है, उसकी सफाई करते हैं—इसलिए यह उन पर भार होना चाहिए। कोई ट्रक वाला है, उस पर क्या भार डाल रखा है? और यह कहें कि गन्दगी करते हो तो सफाई भी करो, तो हम शहर के लोग हैं, हम पर ज्यादा भार होना चाहिए। इसके अलावा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

एल. डी. ओ. के ऊपर, डीजल के ऊपर चुंगी देनी पड़ती है। एल. डी. ओ.. सस्ता है, उस पर पन्द्रह रुपये हैं। मेरा निवेदन है कि खेती के लिए आवश्यक चीजें हैं इनपुट्स है इनको सस्ता करना चाहिए ताकि गरीब किसानों को फायदा हो सके।

कई दफा यह चलता है कि गेहूँ और दूसरी चीजें सस्ती हो गई तो अमीर किसान को नुकसान पहुँच रहा है। क्या नुकसान है? आप नहीं जानते, गरीब को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तीन साल की वसूली एक साथ हो रही है उससे। दरवाजे पर वसूली करने वाले खड़े हैं। किसी के दस बीस क्विन्टल ग्वार या मोठ हो गई तो आज की आज बेचनी पड़ रही है। पिछली साल 220 का भाव था, आज उसको 50 में बेचनी पड़ रही है। गरीब किसान को कोई बचाने वाला है? अगर बरसात अगले साल नहीं हुई तो आप कह देंगे, यह दुर्भाग्य की बात है। आज कह रहें हैं कि 144 मिलियन टन उत्पादन कर देंगे। उत्पादन बरसात से होता है। जिस दिन यह हो गया कि बरसात नहीं हुई तो आप सस्ते भाव पर धान गरीब किसान को नहीं दिला सकेंगे। आज वह सस्ते भाव पर बेच देगा और अगली साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर उसको 220 के भाव में खरीदना पड़ेगा। आप कहते हैं कि कीमत गिरी हैं। कीमत गिर रही हैं क्योंकि आपने तरह तरह की बंदिशें लगा रखी हैं, तहसील बंदी जिलाबन्दी, अन्तर जिला बन्दी, रीजन बन्दी इसलिए भाव गिरते हैं। आप जोन हटा कर खुला कर दें। दूसरे, पैसा बैंक से उपलब्ध कराया नहीं जाता है, तो भाव गिरेंगे ही। रुई के व्यापार के लिए आठ सौ रुपये चाहिए, उसके लिए अस्सी करोड़ रुपये ही देंगे, ज्यादा देंगे नहीं तो भाव गिरेंगे। यह चीज आपको देखनी चाहिए गरीबी से काश्तकार का पिण्ड छुड़ाने की बात है तो उसका यह तरीका नहीं है। इससे आप उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे। गरीबी से इस तरह देश को मुक्ति प्राप्त हो जाय यह सम्भव नहीं है इसलिए यह सब विभाग है, इन्हें यह जो गरीब हैं उनके लिए सोचना होगा। कृषि के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए कि सबसे गरीब और निस्सहाय व्यक्ति हैं वह काश्तकार हैं। यह भावना छोड़ दीजिये कि जिसके पास दस एकड़, बीस एकड़ जमीन है वह गरीब है। आपने अमीर और गरीब के बड़े भेद को नहीं समझा है। यह मैं अर्ज कर देना चाहता हूं।

इसके बाद आता है कृषि यंत्र का प्रश्न! मेरा निवेदन है, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, खास तौर से पशुओं से चलाये जाने वाले या हाथ से चलाये जाने वाले कृषि यंत्रों के मामले में इन पड़ोसी प्रदेशों ने बहुत उन्नति की है। लेकिन कुछ क्षेत्र को छोड़ कर कृषि यंत्र के मामलों में, मंत्री महोदय, आज भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। बण्ड फार्मर, यह जरूर देखने में आता है। बाकी निराई का है, गुड़ाई का है, बोने के समय तीन चार कतार एक साथ बो सकें, वह हो चाहे खाद डालने का यंत्र हो, तरह-तरह की खुरपियां हों, पचासों तरह के यंत्र हैं पड़ोसी दूसरे प्रदेशों के अन्दर। गुजरात में बनास कांठा है, उसमें भी अपने से ज्यादा हैं, नये-नये यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए खास तौर से आपको प्रयत्न करना चाहिए कि मैनुअली आपरेटेड जो एग्रीक-

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

ल्चरल इम्पलीमेंट्स हैं वे जब निर्मित कराये जायें उनके लिए प्रशासनिक अधिकारियों व ग्राम सेवकों को बाध्य करना चाहिए, कम से कम इतने यंत्र जरूर बिकवायें, ताकि पहले की तरह पड़े नहीं रहें। अपने बहुत से नए इलाके हैं जो कृषि के नीचे आए हैं, पानी नीचे उपलब्ध हुआ है जैसे सीकर में झुंझुनू, जालोर, जोधपुर, को दो/तीन पंचायत समितियां, भूपालगढ़ हो, चाहे मन्डोरहो चोहटन, पचपदरा, सिराबना पंचायतसमिति, जहां पर पुराने समय के कुए हैं, भूमि भी समतल है, नालियां भी बनी हुई हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में भूमि समतल करने की बात काश्तकारों की समझ में नहीं आई। नतीजा यह हो रहा है कि भूमि का कटाव दिनों दिन हो रहा है, उपज कम होती है उन जमीनों पर। इसलिए इन क्षेत्रों में सघन कार्यक्रम अपनाते हैं तो खास तौर से ये मरुस्थली जिले हैं यहां कृषि लाभदायक हो सकती है। इसलिए समतल कराने की योजना आपको बनानी चाहिए और इसके लिए यदि आप सरकार की ओर से कोई मशीनरी या स्टेशन्स कायम करें तो लाभ की चीज होगी।

ये मेरे सुझाव थे जो मैंने निवेदन किए। ये जो 3-4 बातें हैं, मैं समझता हूँ, इन पर जरूर गौर करेंगे ताकि मरुस्थलीय क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ा सकें।

श्री सभापति : श्री राम प्रसाद बोहरा !

श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : आज कृषि व पशुपालन की मांग है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहां 75 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए, पानी, बिजली, खाद और अच्छे बीजों की आवश्यकता होती है; तब खेती का उत्पादन सही हो सकता है। वैसे राज्य सरकार की ओर से हर जिले में इनकी व्यवस्था की गई है और की जा रही है। हमारे यहां माइनर इर्रिगेशन की डेढ़ करोड़ रुपये की योजना है, जिसको दो साल हो गए चालू हुए, परन्तु जो उसमें रोड़ा अटकाने वाले लोग बैठे हैं उसके लिए मैंने कृषि मंत्री से भी निवेदन किया था। वहां पर ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा फार्म भरने के बाद भी साल भर में नंबर नहीं आता। कहते हैं मौका देखेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। ऐसी शिकायतें भी की गई कि वहां का जो प्रोजेक्ट अधिकारी है वह भूमि विकास बैंक का सचिव भी है। वह दोनों जगह काम करता है, उसकी इच्छा होती है तो लोन दे देता है, नहीं तो नहीं। इस प्रकार की सूची मेरे पास लंबी चौड़ी थी, मैं नहीं लाया; बाकी लोगों को 50 लाख रुपये ढाई साल में प्राप्त हो सके हैं जब कि उनका पीरियड केवल तीन साल का था। एक करोड़ और बाकी लोगों को देने हैं तो उस अधिकारी को या तो प्रोजेक्ट आफिसर करके रखें या भूमि विकास बैंक का सचिव करके रखें। दोनों जगह काम करने वाला आदमी अपनी सुविधा के अनुसार काम करता है। सहकारिता मंत्री से भी मैंने कहा था कि आप वहां कोई दूसरा आदमी भेजें।

दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति बकानी की माइनर इर्रिगेशन की योजना दो साल से मंजूर नहीं की गई है, पानी नहीं है ऐसा कहते हैं। ग्रामीण विद्युतिकरण योजना दो साल से चालू है, लोगों को

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

बिजली लगाने के लिए पैसा मिलना चाहिए, वे उससे महरूम हो गए हैं जब कि दूसरी जगह काम शुरू हो चुके हैं।

तीसरी बात कृषि उपज मंडी के लिए दो साल से ज्यादा हो गए, मैं कहता आया हूं कि जो भी पाटन में बहुत बड़ी मण्डी हैं वहां पर 200 गाड़ियां रोज फसल के दिनों में उपज की आती हैं और लोग 40 किलो के बजाए किसान से 43 किलो लेते हैं, इस तरह किसानों की पिटाई हो रही है। किसान परेशान होते हैं। गत वर्ष भी मैंने निवेदन किया था लोग वहां आढ़त, दलाली और 40 किलो पर तीन किलो ज्यादा लेते हैं इस तरह से 40 किलो पर 5 किलो किसान के और चले जाते हैं। आपको कृषि उपज मंडी की शुरुआत करानी चाहिए। काश्तकार किस प्रकार मेहनत करके अपनी उपज को बाजार में लाता है और उसको मार्केट में बेचता है। मंत्री महोदय ने फर्माया कि गत वर्ष के मुकाबले में 33 प्रतिशत गेहूं का भाव घटा है लेकिन वास्तव में 66 प्रतिशत घट गया तो ऐसी हालत में किस तरह से किसान जिंदा रहेगा। 60–70 रु० में गेहूं बिक रहा है, 80 तक बिक रहा है। ऐसी हालत में उन लोगों की क्या हालत होगी जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया है। वे वापस नहीं दे पायेंगे। इसलिए कम से कम उनकी उपज जो पैदा हो, सरकार को खरीदनी चाहिए। आप केवल लेवी के तौर पर 32 किलो, 64 किलो खरीदेंगे, वह जितना गेहूं लाए मंडी में खुले बाजार में बेचे। इस समय कपड़ा महंगा है, डीजल महंगा है, खाद महंगा है, दवाइयों उनको महंगी मिलती हैं, डाक्टर महंगा मिलता है तो वह जीवन निर्वाह कैसे करेगा? कम से कम राहत पहुँचाने के लिए; उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान का उत्साह बढ़ाने के लिए, मार्केट को डाउन नहीं होने देने के लिए आपको आदेश देने चाहिए कि जो भी माल मंडी में आए, लिया जाए वरना किसान कैसे बेच सकेगा, उसकी हालत पहले ही खस्ता है। जो का भाव 33) है जबकि वह 100) से ऊपर था।

झालरापाटन में दो सरकारी कृषि फार्म्स हैं, उनमें घास भी पैदा नहीं होती तो गरीबों को क्यों नहीं देते जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को? आपके आदमी रहते हैं, हजारों रुपये खर्च होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, बड़े फार्म्स हैं दोनों जगह, इनके लिए तो कुछ करिए। आप उनको बतायें कि इस प्रकार फसल पैदा होती है वरना गरीबों को जमीन बांट दें ताकि गरीबों को कुछ मिले।

पशुपालन विभाग हमारे यहां बिल्कुल एक्टिव नहीं है। शफाखाने में जो काश्तकार अपना मवेशी लेकर आता है तो उसको दवाई भी नसीब नहीं होती। साल भर पहले मैंने शिकायत की थी। कम्पाऊंडर दवाई लेने के लिए झालावाड़ गया, डाक्टर ने कहा कि यह दवाई लगेगी। इस बीच में 136 भैंसे मर गई। उसकी शिकायत मैंने की लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ न होने वाला है। डाक्टर व कम्पाउन्डर वहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं? इन लोगों को कम से कम आप यह तो बतायें कि आपका यह कर्त्तव्य है।

सभापति महोदय, असनावर में होस्पीटल पर कोई डाक्टर नहीं रहता है, सिर्फ

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

एक कम्पाउन्डर बैठा रहता है जो अपनी मर्जी माफिक काम करता रहता है। वहां पर पशुओं को दवाई देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की लापरवाही बरतने से वहां के 136 मवेशी मर गये थे। मैंने इसके बारे में राज्य सरकार को शिकायत भी की थी लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनके खिलाफ में आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि वहां के डाक्टर के खिलाफ में कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण था? इसकी जो मैंने शिकायत की थी कि डाक्टर लोग वहां पर नहीं रहते हैं जांच की जानी चाहिये और दोषी लोगों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये। आपने एक अस्पताल सौ गांवों के ऊपर पशुओं के लिये रखा है लेकिन असनावर में अस्पताल होते हुए डाक्टर नहीं रहता है इसका नतीजा यह होता है कि पशुओं को दवा नहीं मिलती है इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि सौ गांवों के ऊपर जो आप पशुओं के लिए चिकित्सालय बनावें वहां पर डाक्टरों के लिए मकान भी बनाये जाने चाहिये। जो शिकायत मैंने आपसे की है उसकी जांच कराई जावे। ऐसी उन पशु चिकित्सालय में व्यवस्था हो कि जिससे पशुओं की रक्षा हो। अन्त में यही कहूंगा कि मैंने काश्तकारों के बारे में और पशुओं के चिकित्सालय पशुओं को सुविधा के बारे में जो निवेदन किया है उस पर आप विचार करें।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर !

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, पशुपालन हमारे प्रदेश के अर्थ तन्त्र का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। सभापति महोदय, हमारे देश के काश्तकार के पास खेती के साथ पशु पालन का धन्धा है। ऐसा लगता है कि एक तरह से खेती और पशुपालन व्यवसाय दोनों ही आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार ने पिछले कुछ समय से पशु पालन व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिये कुछ कार्यक्रम अपने हाथ में लिये हैं। सरकार का विचार है कि हमारे यहां राज्य सरकार की श्वेत क्रान्ति का जो स्वप्न है उसको साकार किया जाय। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर में जहां दूध अधिक होता है; वहां दूध की डेयरीज की स्थापना की है। इसके अलावा मेड़ता, बालोतरा, पोकरन, इन स्थानों पर डेयरीज के नये चिलिंग प्लान्ट लगाने की व्यवस्था की गयी है। यह चिलिंग प्लान्ट वहां पर इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पर इन डेयरीज की वजह से पशु पालकों को उनके दूध का बाजार मिलेगा। इसके अलावा इन इलाकों में जहां दूध अधिक होता है, उसके आसपास के गावों से भी दूध वहां आ सकता हैं। इसलिये इन इलाकों के आसपास के जितने गांव हैं वहां के लोगों ने भी अपने पशुओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देना शुरू कर दिया है। मैं समझती हूं कि इसका निश्चित रूप से उन इलाकों के गांवों के लोगों को और वहां के पशुओं को इसका लाभ होगा। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन चिलिंग प्लान्टों के आसपास के गांवों के नजदीक सड़कें बहुत ही कम हैं इससे उन लोगों के लिये एक चिन्ता का विषय हो जाता है कि वह लोग अपने दूध को चिलिंग प्लान्ट तक कैसे ले जावें। मैं राज्य सरकार से यह

(श्रीमती मदन कौर)

निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप वहां पर सड़कें बना दें तो वहां के किसानों को दूध लाने के लिए सुविधा प्रदान हो जावे। इसके अलावा मैं यह भी राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि आप उन किसानों को दूध की अच्छी कीमत भी दिलावें। इसके साथ-साथ वहां जो सड़कों का अभाव है, जिसके कारण कि दूध आस-पास के गांवों से लाने में उन लोगों को दिक्कत आती है, उसको भी दूर कराया जावे।

सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह अपेक्षा नहीं करती कि राज्य सरकार उन गांवों से चिलिंग प्लान्ट के स्टेशन तक डामर सड़कें पक्की बनावे या ऐसी सड़कें बनायी जावें जैसे आपके नेशनल हाईवे वगैरह की सड़कें पक्की बनी हुई है। मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी सड़कें आप बना दें जिससे कि वहां पर वाहन आ-जा सकें। सभापति महोदय, पशुपालन का धन्धा करने वाले लोगों को पिछले कुछ समय से बड़ा ही नुकसान हुआ है। राज्य सरकार पिछले कुछ समय से सिर्फ खेती पर ही जोर दे रही है। सिर्फ अभी भू-आवन्टन का कार्यक्रम ही चल रहा है। साल दर साल इस बात के लिये गुजर गये हैं, भू-आवन्टन का अभियान चलाने से सारी जमीन पर ज्यादातर खेती होने लग गयी है। इतना ही नहीं सारी राजस्व की भूमि और जो भी पड़त की जमीन है उसको और चरागाह की बहुत बड़ी जमीनों को, और गोचर की जमीनों को भी ले लिया गया है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, तालाबों के केचमेन्ट की जमीनों पर काश्त होने लग गयी है। इन सबका पशु-पालन पर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन लोगों को इससे बहुत नुकसान हुआ है बहुत कम चरागाह पशुओं के लिये बचे हैं। इसके साथ-साथ मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इन वर्षों में पशुओं के चरागाहों का बुरी तरह से एक्सप्लोइटेशन हुआ है। जहां घास वगैरह होती थी वहां खेल-कूद के स्थान और चहल कदमी के स्थान हो गये हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगी कि वह इस ओर ध्यान दे, अन्यथा आपने जो डेयरी बनायी हैं वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगी। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह भी कहना चाहती हूं कि आप पशु पालकों को इम्पीट्स के रूप में विशेष कार्यक्रम बनावें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपने श्वेत क्रान्ति का स्वप्न जो साकार करने का देखा है वह असफल हो जावेगा। सभापति महोदय, हमारे मरुस्थल के जिले नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और जैसलमेर, यहां पर पशु बहुत ही अच्छा है। वहां पर बहुत ही अच्छी नस्लों के पशु पाये जाते हैं। अगर आपने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो यह पशुधन आप का नष्ट हो जावेगा। आज हमारे मरुस्थल के पशुओं की जो नस्ल है, वह धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि वह पशुओं के चरागाहों के विकास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम अपने हाथ में ले। सभापति महोदय, आज हालात यह हैं चारागाहों के बारे में कि चारागाहों का काम वन विभाग देखता है, पशुपालन विभाग भी चारागाहों का काम देखता है, राजस्थान सरकार का राजस्व विभाग भी चरागाहों के काम को देखता है। इसके अलावा आप का एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट भी चरागाहों में अपनी दखल रखता है। इन

(श्रीमती मदनकौर)
चारों विभागों के इन्टरवेन्शन करने से कोई भी विभाग उनको अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा है और यह चरागाह समाप्त हो रहे हैं। इन चारों की वजह से चरागाहों का विकास बराबर नहीं हो रहा है। यहां मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं, राज्य सरकार को चाहिये कि इन चरागाहों के विकास के लिये एक समुचित कार्यक्रम बनाया जावे। उसमें इन चारों विभागों को शामिल किया जाय। अगर हो सके तो चरागाहों के विकास के लिये एक सेपरेट एजेन्सी कायम की जानी चाहिये। अगर आप इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे तो आपके यह डेअरी के बड़े-बड़े प्रोग्राम सफल नहीं हो पायेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर के ऐसे जिले है जहां पर पशुपालन बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है यह जिले पशुपालन के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इन जिलों में कांकरेल, थरपारकर, नागौरी, और सांचोरी किस्म की अच्छी-अच्छी नस्लें उपलब्ध हैं। कुदरत से उन इलाकों में बहुत अच्छी किस्म का पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी पैदा होता है। लेकिन, सभापति महोदय, वह इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पर हर साल अकाल पड़ता है। वहां सालों साल सूखा पड़ता रहता है। इस कारण वहां पर पानी की उपलब्धि नहीं होती। पानी की उपलब्धि नहीं होने से वहां हर साल बहुत बड़ी संख्या में हजारों ही नहीं अपितु लाखों की तादाद में पशु निष्क्रमण होते हैं और हजारों की तादाद में पशु मर जाते हैं। सभापति महोदय, इन इलाकों में पशु तो क्या, हजारों की संख्या में इन्सान भी भूख प्यास से मर जाते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, पशुपालन विभाग और डेअरी विभाग को इस बात के लिये राज्य सरकार को विशेष बल देना चाहिये। इन क्षेत्रों में कहां-कहां पर पानी मिल सकता है उसके लिये सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये। जहां भी पानी का स्रोत हो वहां पर राज्य सरकार को चाहिये कि पशु पालकों की कोलोनीज बसाए ताकि इस पशुपालन व्यवसाय को लाभ पहुंचे। इसके साथ-साथ मैं राज्य सरकार से यह और निवेदन करना चाहूंगी कि जो आपका जन-स्वास्थ्य विभाग है वह जनसंख्या के आधार पर नल योजनायें बनाता है। शहरों में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, सभापति महोदय, जो नल कूप लगाये गये हैं या जो जल पीने के स्थान हैं, वहां पर हालत ऐसी है कि मनुष्यों और पशुओं के लिये पीने के पानी की एक ही जगह होती है। वहां पर चाहे कुए हों चाहे तालाब हों, वहां पर दोनों के पीने के पानी की एक ही जगह है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि अब जब जन-स्वास्थ्य विभाग नल योजनायें बनाये उसमें मनुष्यों की जनसंख्या के साथ-साथ पशुओं की जनसंख्या को भी जोड़ा जाय और उसी के आधार पर नल योजनायें बनाई जानी चाहिये।

हाल ही में जन-स्वास्थ्य विभाग में एक विचार चल रहा है कि पशुओं को भी पानी नल योजना से दिया जाय। मैं जानकारी देना चाहती हूं कि जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 10 गैलन पानी और उसके अतिरिक्त 5 गैलन प्रति व्यक्ति वह प्रावधान रखना चाहते हैं जो पशुओं के लिये होगा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं

(श्रीमती मदन कौर)

कि प्रत्येक गांव में जनसंख्या से कहीं अधिक पशु धन की संख्या होती है। बाड़मेर में जनसंख्या 8 लाख है. वहां आठ लाख तो गायें हैं। उसके बाद भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े बैल, भैंस, ये सारे जानवर इसके अलावा हैं। इसलिए बाड़मेर जिले में जहां 8 लाख की जनसंख्या है उससे कहीं अधिक पशुओं की संख्या है। इसलिये नल योजनाओं के द्वारा जो प्रावधान किया जाय, जनसंख्या का आधा हिस्सा पशु संख्या के लिये दे दिया जाय। पशुपालकों से जन-स्वास्थ्य विभाग को सम्पर्क करके पशुओं के लिये पूरा पानी उपलब्ध कराना चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती थी कि मेरे क्षेत्र में किसानों से अलग ऐसे पशुपालक हैं जो केवल पशुपालक ही हैं, खेती नहीं करते हैं। उनके पास खेती की जमीन नहीं है। अकाल के समय सबसे अधिक आर्थिक हालत यदि किसी की खराब हुई है तो वह पशुपालकों की हुई है। उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ तो उनके पास जमीन नहीं और दूसरी तरफ अकाल की मार। ऐसे पशुपालकों के पुनर्वास की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। भेड़ बकरी, ऊंट, बहुत बढ़िया नस्ल के काफी संख्या में हैं। चरागाह नहीं, और न पड़त जमीन है। अपनी जमीन वे रखते नहीं। अब वे पशुओं को चरायें तो कहां चरायें। ऐसी स्थिति में उनके पुनर्वास की कोई बड़ी योजना हाथ में लेनी चाहिये। उसके लिये सुझाव देना चाहती हूं कि उन पशुपालकों को सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज दिलाया जाए और उसके साथ ही उनके जो अच्छे पशु हैं, बढ़िया पशु है, उनके लिए बीमा योजना भी लागू करनी चाहिये। आज हमारे यहां फसल का बीमा, कार का बीमा, स्कूटर का बीमा, इन्सान का बीमा होता है। आखिर बीमा योजना का मकसद यह रहता है कि यदि किसी कारण वश समाप्त हो जाय तो उसका मुआवजा मालिक को मिलना चाहिये। मशीनरी का बीमा होता है। पशुपालकों को अपने पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी और अधिक साधन उपलब्ध हों, इस दृष्टि से भी उनके लिये एक बीमा योजना लागू करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिये।

इसके अलावा, पशुपालन का धन्धा तो हम विकसित कर रहे हैं किन्तु इसकी चिकित्सा का बहुत अभाव है। मीलों तक चले जायं तो पशु की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार देखने में यह आया है कि भयानक रोग महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। डाक्टर पहुँच नहीं पाता है और पहुँचा भी तो उसने जो दवाई लिखी, उसने जो दवाई प्रेस्काइब की वह बाजार में उपलब्ध नहीं। इस प्रकार इन गांवों में पशुओं के टोले-टोले खत्म हो जाते हैं और किसान बेचारा असहाय होकर भगवान के सामने देखता रहता है। राज्य सरकार को कम से कम दस मील के क्षेत्र में पशु चिकित्सा की व्यवस्था करने के बारे में सोचना चाहिये।

इसके अलावा, डेअरी का इतना बड़ा प्रोग्राम हाथ में ले रहे हैं तो पशुओं की नस्ल सुधार के कार्य को भी निश्चित रूप से करना होगा। विदेशी स्रोतों से हम प्राप्त करें वह अलग कार्यक्रम है। लेकिन साथ-साथ अच्छी नस्ल के पशुओं के क्षेत्र उपलब्ध हैं और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां

(श्रीमती मदन कौर)

वे पशु अच्छे समझे गये हैं उनके प्रजनन और विकास की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। चार साल पहले बाड़मेर में कांकरेज नस्ल के पशुओं का फार्म बनाने की बात कही गई थी। क्या स्थिति है मैं कह नहीं सकती। बाड़मेर में कांकरेज नस्ल सुधार की बात सरकार को करनी चाहिये।

एक मेरा कटौती प्रस्ताव तिलवाड़ा मेले के सम्बन्ध में था। तिलवाड़ा मेला हर साल राज्य सरकार को काफी अच्छी आमदनी देता है। आज ही मेरा एक सवाल था। माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि सन् 1971 में 82,772 और 1972 में 1.5 लाख की आमदनी हुई, 1972-73 में 1 लाख 4 हजार की आमदनी हुई, 73-74 में 1 लाख 62 हजार की आमदनी हुई और 74-75 में पिछले साल अकाल के कारण 73 हजार की आमदनी हुई। यह आमदनी तो पशु विभाग को हुई। इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज से राज्य कोष में पैसा आया है वह अलग है। तिलवाड़ा पशु मेले के स्थल के विकास के लिये नहीं के बराबर खर्चा किया गया है। जानवरों के ठहरने और उनकी सुविधायें देने की ओर आपने ध्यान नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस मेले से बहुत बड़ी आय का साधन बनता है और तिलवाड़ा पशु मेला तो जोधपुर डिविजन का बहुत बड़ा मेला है। लाखों की संख्या में पशु आते हैं। उस क्षेत्र के लिये पानी की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिये, स्थान के विद्युतिकरण के लिये राज्य सरकार को सोचना चाहिये और ऐसी योजना बनायें जिससे उस क्षेत्र का विस्तार और विकास हो सके।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पशुधन को विकसित करने के लिए, डेयरी प्लान्ट पर जो पूंजी का बड़ा भारी नियोजन किया गया है अकाल पड़ने पर चिलिंग प्लान्ट कहीं बन्द न हो जाय, और इतनी बड़ी पूंजी लगायी है वह खतरे में न पड़ने लगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे चुनाव क्षेत्र की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि मेरे यहां चुनाव क्षेत्र बानसूर में बहुत सी जमीन पानी का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण खार में आ गयी है, इसलिये काश्त की जमीन बेकार हो गयी है।

सभापति महोदय, मैंने सवाल दिया था तो मंत्री महोदय ने कहा कि जांच करवायी तो 30 पर्सेन्ट में खार पाया गया। इसी तरह से दुबारा एक सवाल किया था उसका भी यह जवाब आया कि जमीन को खार से बचाने का कार्यक्रम भू-संरक्षण विभाग से सम्बन्धित है। भू-संरक्षण विभाग जोधपुर पूर्ण रूप से जानकारी देगा। सभापति महोदय, मैं कई सालों से लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि यह जमीन जो हमारे यहां कम से कम 2 हजार बीघा होगी और आराजी होगी और कुछ सिंचाई की जमीन है वह बेकार होती जा रही है। मैं लगातार इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता जा रहा हूं लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ और वह शिकायत बढ़ती ही

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जा रही है। इसलिये इसकी ओर मंत्री महोदय, को कुछ सक्रिय कदम उठाने चाहिए कि इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। एक ड्रेन की बात कही गयी है। वह खोदी भी गयी है लेकिन वह बेकार है। उससे भी काम नहीं चलता बानसूर के इलाके में पानी का लेवल ऊंचा होने के कारण, यह चिन्ता की बात है। एक तरफ तो हम बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की बात करते हैं, हम उस तरफ बढ़े भी हैं और दूसरी ओर इस तरह से जमीन हमारी बेकार जायेगी तो वह इलाका ही बरबाद हो जायेगा और दूसरी कई समस्याएँ पैदा हो जायेंगी। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय, इस ओर थोड़ी चिन्ता करें और उसको ठीक करने का कष्ट करें।

मैं इसके अलावा दो बातें और कहूंगा। एक मेरा कटमोशन है कम्पोस्ट के लिए, गांवों में कम्पोस्ट बनाने के बारे में और दूसरा कटमोशन है गोबर से खाद बनाने के लिए। इसके बाद में डेयरी के बारे में भी बात कहूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां पर हम बहुत सा फर्टीलाइजर विदेशों से मंगाते हैं और उस पर काफी रुपया खर्च करते हैं। हर रोज इसकी शिकायत आती है कि फर्टीलाइजर की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और अनाज की कीमतें कम हो रही हैं। इसलिए किसान बड़ा परेशान है। सभापति महोदय, मैं नम्रता से यह बात कहना चाहता हूं कि हम अपने यहां पर कूड़े से, गोबर से और टट्टी से याने मैले से जो खाद बनाते थे उसको नहीं बनाकर अब फर्टीलाइजर डालते हैं। मेरे पास एक किताब है 'खुराक की कमी और खेती'। यह गांधीजी की लिखी हुई है और इसमें बहुत से एक्सपर्ट्स की राय है जिसमें इस बात को लिखा है कि देशी खाद जो है, जो गोबर से और कूड़े से बनती है या मैले से बनती है वह जमीन में सोने का काम करती है, उससे ज्यादा अनाज पैदा होता है और उसके गुण ज्यादा हैं। समय ज्यादा नहीं है लेकिन मैं पढ़कर सुनाऊंगा। दूसरी बात जो इसी पुस्तक में लिखी हुई है वह यह है कि मनुष्य के मैले का जो खाद बनता है वह बड़ा उपयोगी है। तो गांधीजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है।

"जी०आई०फाउलर नाम के एक लेखक ने 'संपत्ति तथा दुर्व्यय' (Wealth and waste) नाम की एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है कि मनुष्य का मैला अच्छी तरह ठिकाने लगाया जाये तो प्रति मनुष्य के मैले से हर साल 2 रुपये की आमदनी हो सकती है। अनेक जगहों में तो आज सोने जैसा खाद यों ही पड़ा-पड़ा नष्ट हो जाता है और उल्टे उससे बीमारियां फैलती हैं। उक्त लेखक ने प्रोफेसर अलटीनी की 'कूड़े कचरे का उपयोग (The Use of Waste Material) नामक पुस्तक से जो उदाहरण दिया है उसमें कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले 2,82,000 मनुष्यों के मैले में से जो नाइट्रोजन पैदा होता है उससे कम से कम दस हजार और अधिक से अधिक 95 हजार एकड़ जमीन को पर्याप्त खाद मिल सकता है।"

अगर हम उसका सदुपयोग करें तो डाक्टर फाउलर के हिसाब से भारत में 30 करोड़ की आबादी से साल में 60 करोड़ रुपये का खाद मिल सकता है। एक मनुष्य का 2 रुपये का खाद साल में बनता है।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है। हमारी 60 करोड़ की आबादी बढ़ गई है तो 120 करोड़ की खाद हम इससे बना सकते हैं।

सभापति महोदय, जब मैं बम्बई गया तो वहां के हैल्थ मिनिस्टर से मैं मिला और उन्होंने मुझे कारखाना दिखाया था। वहां पर गैस प्लान्ट भी लगाया हुआ है। सारी बम्बई में गैस सप्लाई की जाती है बाकी जो बच जाता है वह खाद के काम में आता है। इसी तरह से उन्होंने गोबर गैस का प्लान्ट दिखाया। यह सन् 1960 की बात है जब मैं हैल्थ मिनिस्टर था। उस गोबर प्लान्ट से बहुत अच्छा खाद बनता था। हमें भी इन दोनों की ओर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। अभी तो भारत सरकार इसको एनकरेज भी कर रही है कि गोबर गैस प्लान्ट लगाया जाये। अभी चण्डीगढ़ में हमारी मीटिंग हुई थी तो हमारे रक्षा मंत्री ने इस बात पर बहुत अच्छा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि सब सरकारों को इस बारे में विचार करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि भारत सरकार इसके लिए काफी सहायता भी दे रही है। जब मैं म्युनिसिपल प्रेसीडेन्ट था तो मैंने भी इस टट्टी से खाद बनवाने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। लोग उस समय नफरत करते थे लेकिन अब इसकी बहुत ज्यादा मांग है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक मिस्टर रे हैं उनकी भी राय इसमें है और भी बहुत से लोगों की राय है कि कूड़ा और करकट और टट्टी से खाद काफी अच्छा खाद बनता है हम इसमें 25 करोड़ का खाद यहां बना सकते हैं मनुष्य के मैले से और कूड़ा करकट से भी। इसलिए सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

अब मैं, सभापति महोदय, डेअरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। डेअरी स्कीम हमारे अलवर में भी चालू है। मैंने कई बार देखा कि उस दूध में और जो गाय और भैंस का दूध होता है उनके टेस्ट में फर्क है। पता नहीं यह डेअरी वाले कैसे तैयार करते हैं। शहर में हमारे यहां सवा दो रुपये किलो दूध बिकता है और लोग उसको ज्यादा पसन्द करते हैं और जो सस्ता डेअरी का दूध मिलता है उसको पसन्द नहीं करते। मैं दूध के गुण के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक अमेरिकन डाक्टर ने किताब लिखी है 'Miracles of Milk' उन्होंने अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर किताब लिखी है कि गाय का दूध अमृत है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको गाय के दूध के उपयोग से दूर नहीं किया जा सकता सभापति महोदय, मैंने भी इसका उपयोग किया था तो मेरा भी 36 किलो वजन बढ़ गया था, जब मेरे पांव में दर्द हो गया था। तो गाय का दूध तो अमृत है और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है······

एक माननीय सदस्य : आप जब मिनिस्टर थे तब की बहुत बातें याद आ जाती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो अनुभव के आधार पर निवेदन कर रहा हूं और इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उसका कितना उपयोग है। हमारे देश में हम गाय को भूल गये, गंगा को भूल गये, गीता को भूल गये, गांव को भूल गये और सबसे ज्यादा गांधीजी को भूल गये। सब "ग"

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ही "ग" हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे गांव बरबाद हो गए। गांवों की पैदावार को बढ़ाना है, आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है तो गांवों में खाद बनाने का तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने संक्षेप में आपको निवेदन किया है। मैंने मोटी-मोटी बातें कही हैं, मेरा ख्याल है मंत्री महोदय, इनके ऊपर विचार करेंगे। मेरे इलाके में जो जमीन खराब हो गयी है उस ओर मंत्री महोदय गम्भीरता से ध्यान देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। –धन्यवाद

श्री सभापति : श्री रतीराम यादव।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसके पहले ही घोषणा कर दी थी आपने मेरे लिये।

श्री उम्मेदीलाल : मैं सिर्फ पांच मिनिट में ही अर्ज कर दूंगा।

श्री रतीराम यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, सदन में कृषि, पशुपालन और डेयरी की मांग पर विचार चल रहा है, जिस पर मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी द्वारा जो कृषि विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें कृषि पैदावार के क्षेत्र का विस्तार, कृषि उत्पादन गत वर्षों की अपेक्षा काफी बढ़ा है। इसके अलावा जो अधिक उपज देने वाले पैदावार हैं उनके क्षेत्रों का भी काफी विस्तार और विकास हुआ है, यह स्वागत योग्य बात है। इसके साथ-साथ किसानों को कृषि के बारे में टेक्निकल प्रशिक्षण देने के लिए, कृषि के आधुनिक नए-नए जो आविष्कार इस क्षेत्र में हो रहे हैं उस सम्बन्ध में वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे संस्थान भी खुले हुए हैं। उनका विस्तार और प्रसार भी हो रहा है यह स्वागत की बात है।

सभापतिजी, इसके साथ-साथ भू-संरक्षण कार्य, प्रदेश के अन्दर काफी हुए हैं उसके लिए भी 12 इकाइयां राज्य में काम कर रही हैं और इसमें किसानों को 10 से 15 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। यह बात भी किसानों को प्रोत्साहन देने के योग्य है। इसके अलावा गन्ने और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सघन प्रोग्राम है, वह भी अपने प्रदेश में चल रहा है। विशेष रूप से जो गन्ना प्रोडक्शन एरियाज हैं जैसे श्री गंगानगर, भोपालसागर, इनके अन्दर और जो कपास के एरियाज हैं उनमें और इसके अलावा जो विशेष बात है वह कृषि विभाग की तरफ से चुकन्दर के जरिये खांड चीनी, शक्कर आदि का प्रोडक्शन करना है। जो श्री गंगानगर जिले के अन्दर मुख्य रूप से सर्व प्रथम प्रारम्भ की गई और बारह सौ हैक्टर क्षेत्र में इसकी पैदावार इस वर्ष चल रही है। यह भी एक विशेष उपलब्धि इस क्षेत्र को है जिसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

सभापतिजी, जहां कृषि क्षेत्र में आजादी मिलने के बाद जो उपलब्धियां और प्रगति हमने राजस्थान के अन्दर की हैं वहां मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केवल इससे ही हम संतोष कर लें कि हमने स्वतंत्र देश के अन्दर और स्वतंत्र देश में जिनकी सबसे अधिक आबादी है उस किसान वर्ग को राहत देने के लिए या उनकी हालत सुधारने के लिए बहुत कुछ कर लिया तो मैं समझता हूं कि यह अतिशयोक्ति होगी और आगे बढ़ने की दिशा में हमारी गलतफहमी होगी। चाहे हमने कितनी भी कृषि

(श्री रतीराम यादव)

पैदावार बढ़ा ली लेकिन आज हालत क्या है? आज हम यह देखते हैं कि किसान की पैदावार पहले के मुकाबले में दुगुनी होने पर भी उसकी हालत पिछले एक साल के अन्दर बदतर हुई है। उसकी पैदावार के भाव दिनों-दिन गिरे हैं और उसके मुकाबले में उसको अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए जिन साधनों की जरूरत पड़ी, वह चाहे ट्रैक्टर के रूप में साधन हों, चाहे वह साधन उर्वरको के रूप में हों, चाहे वह साधन बिजली के रूप में हों अथवा दूसरे जो साधन उसको खेती की पैदावार बढ़ाने में चाहिए उन सबके अन्दर हम एक आनुपातिक रूप से विषमता ही देखते हैं। अनाज के भाव पिछले साल के मुकाबले आधे रह गए और खाद के भाव डीजल के भाव अथवा बिजली की रेट और दूसरे जो मशीनरी के पुर्जे हैं उनकी रेट, इन सबकी रेट या तो अपनी जगह पर कायम है अथवा उससे भी ज्यादा बढ़ गए। तो इस विषम परिस्थिति के अन्दर किसान को गुजरना पड़ रहा है और इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि गत वर्ष पुरानी वसूलियों को बड़ी तेजी के साथ हाथ में लिया। जो मुद्दत से सरकार सोई हुई थी, नाम नहीं वसूली का, किसान भी भूल गया था कि मेरे पर कौन-कौन सी वसूलियां हैं, कौन-कौन कर्जे सरकार से लिए हुए हैं लेकिन एक साथ सारी वसूलियों की बात तेजी से लागू की गई और पुलिस के डण्डे के बल पर किसानों के यहां जा करके उनके ट्रैक्टर को. हल-बैल को नीलाम किया गया। किसानों ने जो अपने यहां पम्पिंग सेट लगा रखे थे उनके पुर्जे निकाल ले गए और उनकी पकी हुई फसल बिना पानी के रह गई। यहां तक हुआ कि उनके मवेशी नीलाम कराये। यह सारे काम किसानों पर लादे गए और इस विषम परिस्थिति, इस बुरी हालत में से किसान को गुजरना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसान की पैदावार बढ़ गई लेकिन उसके मुकाबले में जो पैदावार बढ़ाने में उसको लागत लगानी पड़ रही है वह लागत नहीं मिल पा रही है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो मेरे को यह उत्तर मिला था, इस समय इस बात को उठाया जा सकता है। तो माननीय मंत्रीजी को नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी नई फसल के भाव तय होने हैं इसलिए आपको इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये कि किसान को उसकी लागत का मूल्य मिलना चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह तो केवल गेहूं के मूल्य आप लागू करने जा रहे हैं लेकिन दूसरे अनाज के बारे में क्या होगा? किसान तो बहुत सारी चीजें पैदा करता है उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका एक मात्र हल केवल है तो वह यह है कि अगर आप किसान को राहत देना चाहते हैं, अगर किसान के अलावा जो अनाज का, किसान की पैदावार का उपभोग करते हैं, चाहे वह कारखाने का मजदूर हो अथवा सरकारी कर्मचारी हो अगर आप उसको भी ठीक रेट पर किसान की पैदावारों को मुहैय्या कराना चाहते हैं तो आपको केवल यही करना चाहिये कि आप अनाज और किसानों की पैदावार के थोक व्यापार को अपने हाथ

(श्री रतीराम यादव)

में जितना जल्दी ले सकें उतना जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। आप यह कहें कि यह राष्ट्रीय पैमाने की बात है, भारत सरकार के अधिकार की बात है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को शीघ्र से शीघ्र इस तरह का प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश करनी चाहिए कि तुरन्त राष्ट्रीय व्यापार अनाज के बारे में लागू किया जावे।

माननीय सभापतिजी, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह ट्वन्टी पोइन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत हमने भू-आवंटन किया और गरीब लोगों को जमीनें दी हैं। गरीबों ने अपनी मेहनत करके उस पर अनाज पैदा किया है। उनकी फसलें कटने के लिए तैयार पड़ी हैं लेकिन उसके अन्दर एक भारी समस्या आई हुई है। अलबत्ता तो पहले बहुत जगह उनको कब्जा नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी-ऐसी जमीन रह गई हमारे राज्य में जिसके ऊपर मेहनत करके अनाज पैदा करना चाहते थे लेकिन महरूम रह गए। इस प्रदेश में अनाज की करीब 75 लाख टन की पैदावार आपकी अनुमानित है उससे कहीं ज्यादा पैदावार हो सकती थी, वह नहीं हो पाई। अब जिन्होंने उसके ऊपर फसल बो दी है अब यह समस्या आ रही है और मेरे जिले के अन्दर तो विशेष रूप से है जहां कि 88 हजार बीघा जमीन का अलाटमेंट हुआ है, गरीबों के अन्दर वहां यह समस्या विशेष रूप से है। पकी हुई फसल खड़ी है और उनकी पकी हुई फसल को जो गांव के बड़े जमीदार लोग हैं वे काटने नहीं देना चाहते। परसों की घटना है। मैं मजबूर होकर आया हूं इसी वजह से। मेरे क्षेत्र के अन्दर दूसरे क्षेत्र के अन्दर और अलवर जिले में जगह जगह घटनाएं हो रही हैं कि उनकी पकी फसल को गांव के लोग इकट्ठे होकर काट रहे हैं। पुलिस को रिपोर्ट की जाती है तो पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। होता यह है कि पुलिस बड़े किसानों से मिलकर हरिजन अथवा अन्य कमजोर तबकों के गरीब, जिनको भू-आवंटन हुआ है, के ऊपर कोई भी जुर्म कायम कर देते हैं। अभी मेरे क्षेत्र में बड़-गुजाब गांव की घटना है। बीसों परिवार हरिजनों के और दूसरे किसानों के मिल कर तीन रोज से मय अपने बच्चों के जिलाधीश और एस. पी. साहब के यहां पर धरना दिये हुए बैठे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक आप संरक्षण नहीं देंगे, उनके साथ स्पेशल फोर्स नहीं भेजेंगे, हम गांव में नहीं जाएंगे। वे लोग वहां गये हुए हैं और पुलिस विभाग के राइफलधारी खड़े रहे और उनके सामने इन लोगों को पीटते रहें इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक घटना का उदाहरण मैंने दिया है। ऐसी कई घटनाएं राजस्थान में बड़े पैमाने पर हुई हैं फसल काटने के समय दूसरी जगहों से भी आपके सामने आई होंगी। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिये। कृषि पैदावार को बढ़ाने में जो रुकावट बड़े लोगों को तरफ से आ रही है उसको भी अभी से ध्यान में रखने की जरूरत है।

एक बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने चम्बल और राजस्थान कमांड एरिया में कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया। एक प्रोजेक्ट डाइरेक्टर वहां पर नियुक्त किये गये। कृषि पैदावार बढ़ाने के तौर पर आपने उनको पारितोषिक दिया है। मैं समझता हूं देना भी कोई गुनाह नहीं है। इससे प्रोत्साहन बढ़ता है,

(श्री रतीराम यादव)

लेकिन जो तरीका अपनाया गया है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डाइरेक्टर जो राजस्थान के लिए हैं उनको पारितोषिक दिया गया, जो प्रोजेक्ट डाइरेक्टर और जितने अधीनस्थ कर्मचारी थे, उनको उनके हिस्से के मुताबिक पारितोषिक मिला। यह अच्छी बात है। मैं इससे सहमत हूं लेकिन साथ-साथ दूसरे प्रोजेक्ट आफिसर कोटा में रहते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह कोटा से 30/40 मील की दूरी पर है। डाइरेक्टर साहब वहां पर दर्शन देने जायं तो जायं वरना जाना भी वे अपना कर्त्तव्य नहीं मानते हैं। कोटा के अन्दर जो पारितोषिक दिया गया वह केवल डाइरेक्टर साहब को और बाकी जितने काम करने वाले लोग हैं। वास्तव में जिन्होंने पैदावार बढ़ा कर दी है वे छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनको एक पैसा पारितोषिक का नहीं मिला। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी नालेज में बात है? और अगर है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस गंभीर घटना की इन्क्वायरी होनी चाहिये। इसके अन्दर कमी है, एक डाइरेक्टर को इनाम मिला और दूसरों को नहीं मिला, दूसरी तरफ सबको मिला है तो यहां भी वही नियम लागू होना चाहिये। यह गंभीर घटना है। मंत्री महोदय, जहां कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं संक्षेप के अन्दर क्योंकि समय की कमी है, मुझे दूसरी चीजों पर भी बोलना है, मैं संक्षेप में सुझाव देना ठीक समझता हूं।

एक तो यह देखने में आता है कि किसानों को ठीक समय पर आपका बढ़िया किस्म का बीज सस्ती रेट पर मुहैया नहीं होता है। कम से कम अपने जिले का मुझे तजुर्बा है। कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, फसल हो जाती है और उसके बाद आपका बीज पहुंचता है। मुझे याद है, गये साल की घटना, कोट कासिम पंचायत समिति में चने की भारी कमी थी, राज्य सरकार की तरफ से चने का बीज भेजा जाना था और चना बड़ा हो गया उस समय किसानों को चने का बीज बांटा गया। जबरदस्ती ग्राम सेवक ने ले जाकर किसानों के घर में पटक दिया और उसका ब्याज सहित पैसा किसानों को चुकाना पड़ा। यही स्थिति हर साल होती है। जब किसान मारा-मारा फिरता है बीज के लिये, तो उसको बीज नहीं मिलता है और बाद में आप बीज पहुंचाते हैं ग्राम सेवक के माध्यम से विकास अधिकारी ग्राम सेवक के गले पटक देता है और उसका ब्याज चुकाना पड़ता है किसान को।

दूसरी दिक्कत है, जो फसल में कीड़ा लगता है उससे विशेष रूप से अलवर भरतपुर में जो कीड़ा लगता है उसके बारे में मेरा अनुभव है। अलवर-भरतपुर को आप सरसों के विकास के लिए सघन कार्यक्रम का एरिया बना रहे हैं। गन्ने और कपास के लिए आपने दूसरे एरिया को सघन कार्यक्रम के लिए बनाया है लेकिन इन फसलों के अन्दर जो कीड़ा लगता है, जो गेहूं में रोली लगती है कपास और गन्ना में जो कीड़ा लगता है, सरसों में जो चेपा लगता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? मैं अपने तजुर्बे की बात बताता हूं, जब कीड़ा लगने से फसल खतम हो जाती है, उस समय आपके हवाई जहाज चलते हैं कृषि विभाग की तरफ से, उस समय कृषि विभाग की नींद खुलती है और उस समय दवाइयां ले

(श्री रतीराम यादव)

जाकर इधर-उधर छिड़क कर अपने कर्त्तव्य की इति श्री समझ लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने शिकायत की थी अपने जिले के अन्दर परन्तु आज तक कार्यवाही नहीं हुई। नकली दवाइयां किसानों को दे दी गई, इस बारे में शिकायत की गई, जिला कृषि अधिकारी को, कलेक्टर को, आपके विभाग को, परन्तु इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह बहुत ही गंभीर बात है और किसान इसको इस तरह से आंख मींचकर नहीं देखते रह सकते। उसकी फसल बरबाद होती है और आपका महकमा उनकी बात नहीं सुने, वक्त पर कार्यवाही नहीं करे तो मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वक्त आयेगा, आपकी इमर्जेन्सी धरी रह जायेगी और किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए खड़ा होगा और आपके साथ में संघर्ष में उतरेगा। आज किसान आपके कार्यक्रम और देश की समस्याओं के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके प्रोग्राम पर वह ईमानदारी से अमल कर रहा है। पैदावार को बढ़ा रहा है। फिर किसान के साथ ऐसा क्यों होता है? उसको आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उचित कदम उठायेंगे और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, जो अपनी ड्यूटी का पूरा अंजाम नहीं देते हैं, सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, यह मैं आपसे विश्वास कर के चलता हूं।

माननीय सभापतिजी, इसी तरह से यह अलाभकर कृषि जोतें हैं। अभी जो आपने भू-आवंटन किया है, वह चार बीघा, पांच बीघा का किया है। इसके अलावा जो भूमि है, वह भाइयों में बंटकर, भाइयों के बंटवारे के बाद इस तरह की रह जाती है कि वह अनइकोनोमिक हो जाती है। इस तरह से दो-तीन बीघों के टुकड़े रह जाते हैं जिनमें किसान कोई साधन जुटा कर पैदावार को नहीं बढ़ा सकता है। मेरा यह सुझाव है कि ऐसी जितनी भी जोतें है, अन इकोनोमिक होल्डिंग्स हैं स्टेट में, उनको आप प्रोत्साहन दें। इन किसानों के सामने कोई नमूना पेश करें इस बात का दो-चार नमूने के तौर पर उनकी कलेक्टिव फार्मिंग बना कर वे इस तरह से संयुक्त खेती कर सकें, जिससे वे साधन जुटा सकें। और आपको सरकार की तरफ से भी उनको साधन दिलाये जाये तो इस तरह और भी अधिक पैदावार राज्य में हो सकती है।

मान्यवर, इसी तरह से जहां तक मेरे जिले का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले के अन्दर न तो बहुत ही बिजली का विस्तार हुआ है और न वहां पर नहरें ही हैं। वहां अगर कृषि का कोई साधन है तो सब से अधिक कुआ है अथवा दूसरे नम्बर पर बांध है। अलवर जिले में काफी बांध हैं। राजाशाही के समय से और इन बांधों के जरिए काफी अच्छी सिंचाई होती है। बांधों के पेटे में जो जमीन आई है, जब बांध का पानी निकल जाता है, उसके बाद उनमें बहुत बड़ी अच्छी फसल गेहूं की हुआ करती थी लेकिन आज स्थिति क्या है? बहुत सारे बांध टूटे पड़े हैं जिनकी मरम्मत करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए ऐसे जितने बन्धे हैं कम से कम आप जब बिजली उतनी मात्रा में नहीं दे सकते, जब आपने हमारे यहां नहरों का कोई प्रावधान नहीं रखा है, तो इन बन्धों की मरम्मत तो करा दें जिससे कि खेती की पैदावार वहां का किसान बढ़ा सके।

इसके अलावा हमारे यहां पर साबी नदी पर बान्ध बनाने की बात अलवर जिले की जनता मुद्दत से आपके सामने,

(श्री रतीराम यादव)

कम से कम 15 साल से तो मैं कह सकता हूं हमारी पार्टी की तरफ से और अलवर जिले के किसानों की तरफ से यह मांग राज्य सरकार के सामने रखी जा रही है। साबी नदी का सारा पानी हरियाणा में चला जा रहा है, दिल्ली में जाकर तबाही मचाता है और साथ-साथ हमारे जिले के अन्दर हमारे क्षेत्र की फसलों, गांवों के धन-जन को बरबाद करके चला जाता है। अगर उस पर बान्ध बन जाय तो उससे दोहरा लाभ मिलेगा। एक तरफ तो हमारी फसलें बरबाद नहीं होंगी, हमारे गांव बहाव में नहीं जायेंगे और दूसरी तरफ जिले की बानसूर तहसील जो कि माननीय बद्रीप्रसादजी का क्षेत्र है, उनको पता है और उन्होंने भी मांग की है, बहरोड़ तहसील मंडावर तहसील, इन तहसीलों के अन्दर पानी की बड़ी समस्या है, सिंचाई के साधन नहीं है, पानी गहरा है इसलिये साबी नदी पर बान्ध बने तो इन तहसीलों को पानी मिल सकता है। उससे नहरें निकालकर वहां के किसान को फायदा पहुंचा सकते हैं। इससे दोहरे लाभ मिल सकते हैं इसलिए माननीय मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले में कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिये साबी का बान्ध सबसे अधिक उपयोग हो सकता है, आप उस बान्ध को बनवाने का भी प्रयत्न करें।

इसके अलावा किसान पैदा तो कर रहा है, खूब मेहनत करके बढ़ा रहा है पैदावार, लेकिन मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का भारी अभाव है। सारे राजस्थान में यह समस्या है। अलवर जिले में और भी अधिक समस्या यह है। इसलिए सड़कों के लिए प्रबन्ध होना आवश्यक है ताकि मंडियों तक किसान द्वारा आसानी से अपनी पैदावार लाई जा सके।

जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कारखाने हैं, आपकी बसें चलती हैं, आपके दूसरे और काम हैं बहुत सारे, सबके अन्दर यह बीमा योजना लागू है। जरा सा कहीं पर कुछ हो जाय नुकसान और फौरन क्लेम कर लो। आप आराम की नींद लेते रहें और आपको चिन्ता नहीं है कि आपके यहां नुकसान हुआ है। नुकसान का क्लेम कर लेते हैं। बल्कि यह होता है कि बड़े-बड़े पूंजीपति अपने आप आग लगा देते हैं और क्लेम कर लेते हैं। गंगानगर में कई घटनाएं हो चुकी हैं, रूई के ढेर में आग लगा दी और क्लेम कर लिया कि लाखों रुपयों का नुकसान हो गया आग के कारण। वह क्लेम कर लेता है और उसको मिल जाता है। तो इस किसान ने बेचारे ने क्या कसूर किया है, जिसके 2-3 बीघा की होल्डिंग है? उसने क्या कसूर किया है, जिसके 16 बीघा की होल्डिंग है जो कि मध्यम श्रेणी का किसान है? उसकी फसल कटकर तैयार है या कटने की तैयारी में है और एक दिन बादल आये और ओले पड़े और दूसरे दिन खेत में कुछ नहीं रहता है। क्या संरक्षण आपकी तरफ से उसको है जिस किसान को आप कहते हो कि पैदावार बढ़ाओ देश भूखों मर रहा है? वह किसान आपकी ललकार को सुनकर आगे आता है, मेहनत करता है, गर्मी और सर्दी में खड़े रहकर। फसल को उगाता है, फसल को तैयार करता है पर वह काटकर घर नहीं ले जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना को राजस्थान के अन्दर तुरन्त लागू किया जाय। मुझे पता लगा

(श्री रतीराम यादव)

है कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार भी कर रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विचार तक ही आप न रह जायं बल्कि अगली फसल से यह लागू कर दें तो मैं समझूंगा आपके मंत्रित्वकाल में अगले साल चुनाव होने वाला है न जाने आप कृषि मंत्री रहें या दूसरा पोर्टफोलियो आपको मिले या क्या हो, इसलिए इस श्रेय को अगर आप ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान जिन्दगी भर और उसकी पीढ़ियां भी आपको याद करती रहेंगी।

सभापति महोदय, पशु-पालन का जहां तक प्रश्न है मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव उस पर भी दिये हैं। आपकी प्रगति रिपोर्ट भी मैंने देखी है जिसमें आपने यह दिखाया है कि चार करोड़ पशु-धन हमारे राजस्थान के अन्दर है। दूसरी तरफ अगर पशुओं में बीमारी फैल जाय तो उनको बचाने के लिए आपके पास स्थिति क्या है? तो आपने दिखाया है, 309 चिकित्सालय और कुल 46 औषधालय। मैं सबको इकट्ठा मानता हूं क्योंकि वह सब दवाइयां देते हैं, पशुओं की बीमारियां ठीक करते हैं। यह कुल 355 हुए। अगर मैं यह हिसाब लगाऊं कि एक औषधालय पर कितने मवेशियों का भार पड़ता है तो 1,11,000 हुआ। आप पशु धन बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान के अन्दर पशु धन मैं यह मानता हूं कि किसानों की इन्कम का बहुत बड़ा सोर्स है और राजस्थान के अन्दर रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, तो फिर क्या उस पशुधन में जो भयंकर बीमारियां हर साल फैलती हैं उनसे रक्षा केवल इतने से औषधालयों से करना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह आवश्यकता से बहुत कम है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन औषधालयों को बढ़ाना चाहिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इस तरह के फ्लाइंग स्क्वाड बनाने चाहिए, चलते फिरते औषधालय आपको खोलने चाहिएं कि जब ऐसी संक्रामक बीमारियां फैलें तो जल्दी से जल्दी किसानों के पास पहुंच सकें और उनके पशुधन की रक्षा कर सकें।

सभापति महोदय, जहां तक चारे-पानी की व्यवस्था का प्रश्न है, उनके लिए अच्छे खाद्य पदार्थ का प्रश्न है प्रगति रिपोर्ट के अन्दर काफी आशाजनक बातें कही गई हैं, लेकिन उसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए अभी इस तरफ और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। हर साल हम यह देखते हैं कि हमारे देश में लाखों पशु केवल इस दाने-पानी की कमी से, केवल भूख के कारण, केवल प्यास के कारण हमारे राज्य से मध्यप्रदेश में चले जाते हैं अथवा राजस्थान के बाहर हरियाणा में जाते हैं। हमारे यहां अलवर जिले में हर साल यह भुगतना पड़ता है। यहां के लाखों मवेशी जाते हैं हरियाणा के अन्दर। वह वहां पर जमुना के खादरों में पानी के लिए जाते हैं तो बेचारे कितने ही रास्ते में मर जाते हैं। जाते समय कितने ही किसानों की फसलों को उजाड़ते हुए जाते हैं, भूखों मरते हैं। इसलिए यह गम्भीर समस्या है। पशुधन की वृद्धि करनी है, उसकी रक्षा करना है तो आपको उनके चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको चरागाह बढ़ाने पड़ेंगे आपको उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे पशुधन का संरक्षण होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रतीराम यादव)

इसी तरह से मैं दो-तीन बातें इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं पर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखे हैं, मत्स्य उत्पादन केन्द्र खोल रखे हैं, और उनके अन्दर जो आप काम कराते हैं, वह टेन्डर देकर कराते हैं अथवा विभाग के द्वारा कराते हैं। जिस तरह से भी कराते हों उनमें भारी भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले मेरे सामने बहुत सारे हैं जिसके कारण नतीजा यह निकलता है कि जो पैसा हमें उसके विकास में लगाना चाहिए, कहीं पर मेला है तो उसमें शेड बनाने हैं अथवा हास्पिटल में मवेशी है उनमें आउट डोर पेशेन्ट्स के लिए शेड बनाने हैं। यह सारे काम जो कराये जाते हैं उसका पैसा ज्यादातर उन भ्रष्ट अधिकारियों की, उन भ्रष्ट ठेकेदारों की जेबों में चला जाता है, और जो विकास होना चाहिए वह नहीं हो सकता है। मेरे पास लिस्ट तो बहुत सी है मगर 30 इस तरह के केसेज हैं राजस्थान के और टाइम पर जब आप चाहेंगे तो आपकी सेवा में हाजिर भी कर दूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इन सारे केसेज की जांच करायें और एन्क्वायरी कमेटी बैठायें तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से पशु-पालन विभाग का पैसा वेस्ट जाता है। मैं केवल दो-तीन केसेज अभी आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

परबतसर के अन्दर वाइडनिंग आफ टैंक्स का ठेका एक ठेकेदार नूर मोहम्मद को दिया और उसके अन्दर लीड शामिल नहीं था लेकिन इसके बाद में जो पेमेन्ट हुआ वह उसी हिसाब से कर दिया गया। यह फर्जी पेमेन्ट का मामला है और दोहरे पेमेन्ट का भी मामला है। सभापतिजी, समय बचाने के लिये मैं संक्षेप में बता रहा हूं, दोहरे पेमेन्ट का मामला है, फर्जी पेमेन्ट का मामला है और इल्लीगल पेमेन्ट का मामला है, इसकी जांच करवायी जानी चाहिए।

इसी तरह से जोधपुर में आपकी जो मिल्क सप्लाई स्कीम है उसके अन्दर रोड का आपने ठेका दिया। शिड्यूल्ड रेट से भी उसमें ज्यादा का पेमेन्ट किया गया जो कि गलत है। आहार शेड जानवरों के लिये बनाया गया और उसके अंदर प्लिन्थ एरिया के हिसाब से, चालीस पचास पर्सेन्ट के हिसाब से जो एस. एफ. टी. होना चाहिए उसके बजाय 100 पर्सेन्ट एस. एफ. टी. दे दिया गया है। इसी तरह से प्रोटेक्शन करने के लिये उसमें 25 हजार रुपया और दिया गया। मस्टर रोल फर्जी बनाया गया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, पेमेन्ट 90 हजार का ठेकेदार को किया गया, एक्सेस पेमेन्ट कर दिया गया, उसके बाद 25 हजार की क्या जरूरत थी? इस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में पशु धन विभाग का पैसा जाया हो रहा है इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं यह सारी लिस्ट जब आपका आदेश होगा तो आपको सौंप दूंगा और आप इनकी इन्क्वायरी करवायेंगे ऐसी मेरी आशा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, मैं एक दो मिनिट और लेकर खत्म कर देता हूं।

जयसमन्द झील जो उदयपुर में है उसका लीज हुआ था सात साल का, एक लाख रुपया सालाना के हिसाब से और मुझे पता लगा है कि उसका टाइम समाप्त हो गया है। आप जानते हैं कि जयसमन्द झील के अन्दर से कितनी मछलियां रोजाना

(श्री रतीराम यादव)

बाहर लाई जाती हैं, लाखों मन मछलियों का व्यापार होता है। उसको आपने एक लाख रुपये सालाना लीज पर दे दिया और आप यह समझते हैं कि आपने राज्य सरकार की बहुत बड़ी इन्कम बढ़ा दी। मैं समझता हूं कि अब यह लीज खत्म हो गई है इसलिए अगर भविष्य के अन्दर उसको दिया जाय तो टेन्डर इन्वाइट होने चाहियें और उसमें बाकायदा कम्पीटीशन होना चाहिए। जो ज्यादा बोली लगावे उसी को यह दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि 20, 25 लाख से कम कीमत की बोली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार नहीं मिले तो हम आपकी मदद करेंगे और निश्चित रूप से सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिये कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस झील को खुले टेन्डर से देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतीराम यादव : सभापतिजी, मेरा एक ही कट मोशन है, जहां तक डेयरी विकास की बात है, मैं समझता हूं कि प्रगति रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए निगम की स्थापना भी हो गई है, यह एक स्वागत योग्य कदम है और बहुत अच्छा कदम है। देश के अन्दर आज जहां हम यह कहते हैं कि खुशहाली हमारे देश के अन्दर थी और घी और दूध की नदियां बहती थी किसी जमाने में। आज स्थिति यह है कि हमारे बच्चों को और हमको पूरा दूध नहीं मिलता है। पहले तो इस बात से सन्तोष कर लिया था कि हम गुलाम थे, अंग्रेजों के कुत्ते दूध पी जाते थे और हमारे बच्चों को दूध नहीं मिलता था लेकिन आज तो हम आजाद हैं इसलिए जो भी प्रयत्न इस तरफ राज्य सरकार के हो रहे हैं उनको सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। कुछ कदम स्वागत योग्य जरूर हैं, लेकिन जो प्रयास सरकार कर रही है उनको और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिये मेरा सुझाव है कि आप किसानों को और पशुपालकों को विशेष तौर पर अधिक से अधिक ऋण की सहायता दिलावें। इसके साथ ही चारे का मुख्य प्रश्न है मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है मैंने कई जगह डेअरी फार्म पर जाकर व्यक्तिगत रूप से देखा है, और जो दूध देते हैं उनसे बात करके भी देखा है। अलवर जिले का तो मेरा तजुर्बा है कि दूध की जो रेट है, खुला भाव सवा दो रुपया प्रति लीटर है और दाना जो है उसका रेट बहुत ऊंचा है, चारे का भाव 12 रुपया मन है, कुट्टी का तो आप सोचिये कि इतना मंहगा चारा पशुओं को खिलाकर सवा दो रुपये लीटर उस दूध का भाव है जिसे वे खुला बेचते हैं डेयरी को रेट तो और भी ऊंची है। तो ऐसी हालत में किस प्रकार से डेअरी के धन्धे को प्रोत्साहन मिलेगा, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पशुओं के पौष्टिक आहार के लिये आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, अलवर में भी इस फैक्ट्री की आधारशिला रख दी गई है और कुछ दिनों में काम करने लग जायगी। यह जो कार्य हैं आपके अच्छे हैं लेकिन इस तरफ और भी सजग रहकर और अधिक तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि राजस्थान में दुबारा यह स्वप्न साकार हो सकेगा कि भारत के अन्दर दूध और घी की नदियां बहती थीं। इतना कहकर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं अपने कट मोशन द्वारा या भाषण में, उनकी तरफ आप ध्यान देंगे और जब आप अपना उत्तर देंगे तो इनका उत्तर देना भी नहीं भूलेंगे।

श्री सभापति : श्री जगमोहनसिंह !

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : सभापति महोदय, कृषि विभाग की मांगों पर

(श्री जगमोहन सिंह)

विचार चल रहा है, मैंने जो कट मोशन दिया है उसके लिये संक्षेप में निवेदन करूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहां पर 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और कृषि पर आधारित हैं। सभापतिजी, इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में और हमारे प्रदेश के अन्दर सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमारी जो खाद्य समस्या है वह बहुत कुछ हद तक हमारे काबू में आती नजर आती है। सिंचाई की दृष्टि से, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद काश्तकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ऋण देने की दृष्टि से राजस्थान के अन्दर इस वर्ष से कृषि उपज मण्डियों के विस्तार का जो काम किया गया है, हर तहसील लेवल पर, कृषि उपज मण्डी समिति बनाकर काश्तकार को राहत पहुँचाने की जो बात है, वह सराहनीय बात है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी जो मुख्य मुद्दा इन सब बातों को बढ़ाने का था वह यह था कि काश्तकार आर्थिक दृष्टि से मजबूत कैसे हों, उसकी आर्थिक दशा में किस प्रकार से सुधार हो और उसका आर्थिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठे। कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से बहुत कुछ किया गया लेकिन इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था कि काश्तकार की आर्थिक दशा सुधरे और वह आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठे, वह उद्देश्य समाप्त हो गया। आज आप किसी भी दृष्टि से देखिये, चाहे आपकी लोनिंग की पालिसी देखिये, बैंक रेट्स जो है काश्तकार को जो ऋण दिया जाता है उस पर बैंक रेट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आज 16 पर्सेन्ट तक काश्तकार को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज हो गया है। इसी तरह से कृषि के काम में आने वाली जो चीजें हैं गुड्स हैं, और औजार हैं, ट्रैक्टर हैं, डीजल है। इन सब की प्राइसेज बहुत हाई जा रही हैं। उसके रवैये के अन्दर कृषि उत्पादन के भाव बहुत नीचे स्तर पर गिर गये है जिससे काश्तकार के अन्दर एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक बहुत बड़ी निराशा का वातावरण बन गया है। किस स्थिति में काश्तकार पहुँचेगा—यह नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, इसके बारे में सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। देश के अन्दर जो कृषि उत्पादन की वस्तुएं हैं, कृषि उत्पादन से दीगर जो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उन सब के भावों में गिरावट आयी हैं। देश के अन्दर कृषि के अलावा दीगर जितनी उत्पादित वस्तुएं है, उनके भाव जो देखे जाते हैं, वह कोस्ट आफ प्रोडक्शन पर लगाये जाते हैं, और खर्च लगाया जाता है सारे टैक्सेज उसमें जोड़ने के बाद फिर उस इन्डस्ट्री वाले को, उसे पैदा करने वाले को मुनाफा कितना बनता है, वह मुनाफा उसमें जोड़ कर फिर भाव तय किये जाते हैं। यह एक आधार है सब कमोडिटीज के भाव तय करने का। लेकिन यह आधार कृषि पर आज तक लागू नहीं किया गया है। आज कपड़ा बेचने वाला है उसका सारा खर्च निकाल कर, जो टैक्सेज देने पड़ते हैं, सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्स–वह सब निकाल कर और प्रोफिट जोड़ कर भाव निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ यह कृषि इन्डस्ट्री है जिससे अस्सी पर्सेन्ट का भाग्य जुड़ा हुआ है, अस्सी पर्सेन्ट के जीवन का सवाल जुड़ा हुआ है,

(श्री जगमोहन सिंह)

उनको इस आधार को लागू कर के कीमत नहीं देना यह एक विचारणीय विषय है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि सारी बातों को ध्यान में रख कर, जिस तरह दीगर चीजों के भाव तय करते हैं, जैसे मशीनरी बनाने वाले है, वो मशीन बनाने में जितना खर्चा इन्डस्ट्री का है, वह वह लगायेंगे, सब तरह के टेक्सेज लगायेंगे, फिर कोस्ट निकालेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर कुछ किया जाना चाहिए।

खाद का सवाल है, खाद आज इतनी महंगी है। मैंने कई बार सवाल किया लेकिन वह लगा नहीं। खैर मैंने क्वेश्चन दिया है। मैं एक मुख्य मुद्दा पूछना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि एक्सपर्ट से पूछ कर साफ जवाब देंगे। खाद है, फर्टीलाइजर है, इसके अन्दर What is the cost of production of one bag of fertiliser, urea and other fertilisers ? आज बाजार में बिकने वाली खाद के एक बैग की कितनी कीमत है और उस पर कितना मार्जिन है, दोनों के अन्दर ? इस बात को बताने का कष्ट करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, यूरिया जो खाद है, उसकी कोस्ट आफ प्रोडक्शन 33 रुपये के आसपास बैठती है। अगर यह बात सही है तो इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा प्राफिट उन लोगों को देना–यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। हालांकि यह विषय जब गम्भीर रूप से आया तो खाद के भाव कम करने की बात को गई और कुछ भाव कम हुए हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि एक्चुअल कोस्ट आफ प्रॉडक्शन उस हिसाब से निकाली जाय और मार्जिन भी दे दिया जाय तब भी खाद की कीमत और गिरायी जा सकती है और सस्ती की जा सकती है।

दूसरा, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सीड्स की जो रेट्स हैं, उसी तरह से आप देखिये, आगामी आने वाले वर्ष में ज्वार, मक्की, इनकी जो रेट्स हैं वह बड़ी हाई तय की हैं, जो भी मौजूदा प्रिवलेन्ट प्राइसेज हैं उनसे करीब पांच गुना, आठ गुना, मेरे ख्याल में भाव हैं। हाई रेट्स पर बीज दिया जाने वाला है। यहां बहुत विचारणीय प्रश्न है–इस पर विचार किया जाना चाहिए और जो मौजूदा स्थिति है काश्तकार की रेट्स की स्थिति है उसके कन्टेक्स्ट में जो बीज के भाव हैं उनके भी मूल्य निर्धारण के अन्दर कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ताकि काश्तकार थोड़ा जी सकें। मान्यवर, इतने सारे डवलपमेंट के बाद भी आज जो कृषि है that completely depends on rains मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्ष में वर्षा न हो और रेनफाल न हो जाय तो आगे भी कृषि उत्पादन की वह स्थिति हो सकती है। आज देवी प्रकोप से, नेचरल केलेमिटी से काश्तकार को गारन्टी दिलाने वाला कोई नहीं है। क्रोप इन्स्योरेन्स वाली बात है, वह काफी दिनों से सरकार के विचाराधीन है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया हर चीज के नुकसान की गारन्टी दी जा सकती है, इन्स्योर की जा सकती है, तो क्रॉप जो वर्षा पर डिपेन्डेन्ट है, सारी वैज्ञानिक प्रगति हो जाने पर भी अगर वर्षा ज्यादा हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, शीत लहर आ जाती है तो क्रॉप को नुकसान हो सकता है और बात हो सकती है।

(श्री जगमोहन सिंह)

इसलिए आप इन्स्योरेन्स वाली बात सोचनी चाहिए और गारन्टी देने वाली बात है वह लागू को जानी चाहिए।

दूसरे, मान्यवर, मेरे जिले के सम्बन्ध में कुछ बातों के ऊपर मैं निवेदन करना चाहूंगा। कोटा जिले के अन्दर, मान्यवर, बारह तहसीलें हैं। चार तहसीलों के अन्दर चम्बल का कार्यक्रम है, चार तहसीलों को चम्बल से पानी मिलता है, और चार तहसीलों के अन्दर भी, मैं मानता हूं, आधी-आधी तहसीलों को पानी मिलता है। मेरा ख्याल है, कोटा जिले की कुल पापूलेशन पन्द्रह-सोलह लाख के आस-पास होगी, इसमें से चम्बल नहर के पानी की सुविधा है वह केवल मेरे ख्याल में दो लाख के करीब लोगों को, चार तहसील में रहने वाले लोगों को मिली है। बाकी आठ तहसील हैं वहां ड्राई एग्रीकल्चर है, उनमें छबड़ा, छीपा बड़ौद, अटरू, बारां, किशनगंज, शाहबाद, सांगोद– इस तरह बाकी तहसीलें है इन सारी की सारी का चम्बल से कोई सम्बन्ध नहीं है। वर्ल्ड बैंक का कार्यक्रम बहुत जोर से लागू करने की बात इस चम्बल क्षेत्र के अन्दर भी की गई। मान्यवर डेढ़ साल से यह कार्यक्रम चालू है। मेरी जानकारी में पहले कुछ हुआ हो, मैं ऐसा मानता हूं. अभी तो स्टाफ भर्ती का है, ऑफिसरों के टी. ए., डी. ए., व्हेटेज, विजिट्स– इस पर सारा कार्यक्रम डेढ़ साल से चल रहा है, बाकी कान्क्रीट बात की शुरुआत की गई हो– ऐसा नजर नहीं आता। मैं मंत्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगा, वह इस पर प्रकाश डालें, वास्तव में वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम के अन्दर कितना खर्च किया गया, पिछले दिनों और एक्चुअल काम पर कितना खर्च किया गया ताकि मालूम हो सके कि दीगर टी. ए., डी. ए.; पेट्रोल में कितना खर्चा हो चुका है। अमेरिका से जो हमने कर्ज लिया है और जिसके लिए जब यह बात हाउस में आयी तो कई भाइयों ने कहा था, अमेरिका से कर्ज लेना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लिया गया है। उसके बाद भी क्या किया जा रहा है सदन को जानकारी मन्त्री महोदय द्वारा मिलनी चाहिए। 8 तहसीलों में, कुछ तहसीलों में ए.आर.सी. स्कीम्स बनाई गई हैं, इस साल भी बारां अन्ता व छबड़ा में तीन ए. आर. सी. स्कीम विभाग की तरफ से मन्जूर की गई हैं। उसके लिए मैं मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन जो ए. आर. सी. स्कीम्स मन्जूर की गई हैं उनके साथ आर. ई. सी. का समन्वय नहीं किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज किसान कुए पर पम्प लगाना चाहता है, वह सोचता है कि डीजल पम्प लगा दूं या बिजली का पम्प लगाऊं। बिजली के पम्प के लिए कई वर्ष इन्तजार करना पड़ेगा। तो वे जो स्कीम लागू की गई हैं ए. आर. सी. वाली अभी तक केवल नाम मात्र को हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ए. आर. सी. के साथ आर. ई. सी. को कोआर्डिनेट करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में ए. आर. सी. की स्कीम्स मन्जूर हो गई हैं उनको आर. ई. सी. बनाया जाना चाहिए और जहां बन गई हैं उनको मन्जूर किया जाना चाहिए ताकि दोनों का कोआर्डिनेशन करके किसान को फायदा मिल सके।

मेरे क्षेत्र छीपाबड़ौद तहसील में अभी तक ए. आर सी. स्कीम नहीं बनाई गई है, सारे का सारा एरिया सूखा है, सिंचाई के

(श्री जगमोहन सिंह)

साधन नहीं हैं। इसलिए छीपाबड़ोद तहसील के लिए भी ए. आर. सी. स्कीम बनाई जानी चाहिए और उसके साथ आर. ई. सी. स्कीम बनानी चाहिए। अटरू तहसील में ए. आर. सी. और आर. ई. सी. स्कीम बहुत दिनों से चल रही है। वहां पर ट्यूब वेल खोदने की स्कीम थी, 15 ट्यूब-वेल्स खोदे गए थे। ट्यूब वेल्स खोदने की जो मशीन होती है वह उपलब्ध नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि जब भी मांग की जाती है तो कहते हैं राजस्थान में केवल एक ही मशीन है। इसके कारण बड़ी दिक्कत होती है। तो उस पंचायत समिति के लिए अब तुरन्त ही ट्यूब वेल की जो मशीन है, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बल्कि ए. आर. सी. स्कीम्स जो आई हैं उनको देखते हुए इस तरह की मशीन राजस्थान में उपलब्ध करायें ताकि इन स्कीम्स को लागू किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री भोपालसिंह !

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं डेयरी विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने राज्य में डेयरी विकास निगम कायम की जो कि राज्य के पूर्वी 5 जिलों को कवर करती है और पश्चिमी हिस्सों में अमूल के पैटर्न पर डेयरी का काम शुरू करेगी। यह हालांकि बड़ा काम किया है लेकिन फिर भी जो हमारा जैसलमेर है उसमें गत वर्ष दिसम्बर में चिलिंग प्लांट तो शुरू कर दिया था और आज भी चालू है लेकिन वह पोकरन में होने से और जिला बहुत बड़ा होने से वहां के रहने वाले लोग उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं।

जैसलमेर में अभी जो चिलिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी अनयूटीलाइज्ड है, शायद इसकी तरफ मंत्री महोदय इशारा करना चाहते हैं। मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी इलाकों में जहां पर गाय केवल की ग्रेजिंग पर आधारित रहती है और वहां पर हरे चारे का कोई इंतजाम नहीं होता, वहां पर गाय के इकानामिक्स को समझाना जरूरी है। दो कान्सीक्यूटिव वर्ष अच्छी वर्षा हो तभी लाभ हो सकता है वैसे गत वर्ष अकाल होने से गायें ड्राई रह गई और चिलिंग प्लांट शुरू होने के बावजूद भी उसमें पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाया। और इस साल हरा होने से गाय प्रेगनन्ट हुई और कम से कम 10 महीने ब्याहने में लगते हैं। अब एक महीने के अन्दर ब्याहने वाली हैं, उसके बाद पोटेन्शल क्या है, उसका पता पड़ेगा इसलिए आज जो कमी है वहां पर यूटीलाइजेशन कैपेसिटी की, उसके लिए किसी तरह से मिसगाइड नहीं करना चाहिए और जैसलमेर इलाके में जो पश्चिमी हिस्सा है...

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्तुत मांगों के पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री भोपालसिंह : जो अनयूटीलाइज्ड कैपेसिटी है चिलिंग प्लांट की उसका कारण यह है कि गत वर्ष बिल्कुल अकाल था और गायें सूखी रहीं और गाय पहले से ही ब्याही हुई थीं। वह 6 महीने चिलिंग प्लांट न होने के कारण बिल्कुल सूख गई थीं। इसलिए उसके पोटेन्शल का सही अंदाजा पास्ट पर्फारमेंस से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए पूरे जैसलमेर में जितनी गायें हैं, जो करीबन आज एक लाख से ऊपर हैं, जितनी ब्याहने योग्य हैं, वे सब मिल्किंगकाउज होंगी उनके दूध के लिए सरकार को बाजार कायम करना चाहिए। शायद हम बाजार बिना कायम हुए चलते थे। अब हमारे जिले में एक हिस्से में बाजार कायम होगा और पिछले एक साल से लोग लाभ उठा रहे हैं और जब दूसरों को पता पड़ा तो वे भी उत्सुक हो गए हैं और वे भी चाहते हैं कि उनका दूध भी बिकना चाहिए।

इसके अलावा जैसलमेर में इन्फास्ट्रक्चर स्ट बिल्कुल साफ है। वहां से बड़े-बड़े बार्डर रोड्स हैं, सभी अच्छे-अच्छे गांवों से मिलते हैं इसलिए इन्फास्ट्रक्चर के कारण जैसलमेर में इस साल अगर चिलिंग प्लांट नहीं लगाया जा सकता तो वहां पर कम से कम बल्क कूलर लगाने की व्यवस्था करें ताकि वहां का दूध खरीदा जा सके, बाजार कायम हो जाए और वहां के लोग, जो पिछले 10 साल से पीड़ित हैं, उनकी जो पर्चेजिंग पावर कम हो गई है, उसको वापिस सही किया जा सके। यह जरूरी इसलिए भी है कि पिछले दो सालों में बहुत मोटे तौर पर और सख्ती से वहां पर यह जो वसूली की जा रही है उससे वहां के लोगों की हालत बिगड़ गई है। उनकी हालत को ठीक करने के लिए जरूरी है कि उस दूध के लिये जो कि एक ही उनका आधार है बाजार क्रिएट किया जाय। मान लीजिए अगले साल अकाल पड़ जाता है; अगर दूध के लिए बाजार है तो गाय नहीं मरेंगी। अगर दूध को लेने वाला नहीं है तो शायद खतरे में पड़ जाएंगी। तो किसी तरह से भी जैसलमेर में बल्क कूलर लगाना चाहिए। इस साल गाय ब्याहेगी तो उसकी कैपेसिटी में एक्सेस से दूध आने वाला है।

वैसे डेअरी और क्राप प्राडक्शन दोनों काम्पलीमेंटरी चीजें हैं और जहां पर क्राप प्राडक्शन होता है उससे फोड लिया जा सकता है और चारा दिया जा सकता है। उसी तरह से गांव में बुलक पावर आर्गेनिक मैन्योर तैयार किया जा सकता है। एक ही जमीन पर उनका सुधार हो सकता है, उसके बावजूद भी जहां पश्चिमी हिस्से हैं, वहां दोनों के साथ चलने का लाभ नहीं है; वहां पर खेती को रोका जाना चाहिए। जे० के० बापू ने 1960 में रिपोर्ट दी थी एक कमेटी कायम की गई थी, जिस पश्चिमी राजस्थान में वहां के एकोलोजी डेटिरियोरेट होने के काजेज को फाइंड आउट करने के लिए और वहां की लैंड यूज कैपेसिटी के आधार पर लैंड मैनेजमेंट का पैटर्न कायम करने के लिए कहा गया था। उसकी फाइंडिंग्स 15 साल से पड़ी हैं उस पर पूर्णरूप से कदम उठाने चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आपको उनकी रिकमन्डेशन्स को क्रियान्वित करना चाहिये। उसमें से कुछ रिकमन्डेशन अमल की गयी हैं। यह बात ठीक है कि आपने डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की और मैं आशा करता हूं कि इन संस्थाओं के जरिये आप काफी विकास कर पायेंगे।

(श्री भोपाल सिंह)

और काफी प्रगति कर पायेंगे। हमारे यहां पर जो एनीमल है उनमें न्यूट्रीशन की कमी है उसमें विकास होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में यहां पर मिल्क इन टेक पर केपिटा एवेलेबिलिटी जो है 135 ग्राम पर डे है, जब कि होनी चाहिये 284 ग्राम्स। रिक्वायरमेन्ट इज 284 ग्राम। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब आप डेग्ररी डेवलपमेन्ट के काम को हाथ में ले रहे हैं तो आपको जैसलमेर के हिस्से के जो कैटल्स है उनकी हालत को सुधारना पड़ेगा। हमारा, सभापति महोदय, राष्ट्रीय लक्ष्य दुग्ध उत्पादन का 30 एम० टी० पर ईयर है। हमारे यहां पर क्रोस ब्रीड्स काउ 2500 किलोग्राम पर ईयर वाला 20 लाख व 2000 Kg. per lactation वाला, 20 लाख व एक लाख हमारे यहां बफेलो हैं उनकी भी आपको किस्म सुधारने की जरूरत है उसके लिये आपको एक्सपेरीमेन्ट्स करने चाहिये। क्रोस ब्रीडिंग करवा कर हमें ज्यादा उत्पादन करना चाहिए। जहां डेग्ररी का डेवलपमेण्ट हो वहां पर आपको क्रोस ब्रीडिंग कराना चाहिये। सभापति महोदय, तीन तरह से क्रास ब्रीडिंग होता है। पहला सलेक्टिव, दूसरा टेस्टिंग- इसके लिये अगर एवेलेबल नहीं हो फौरन बुल्स तो आपको अच्छी ब्रीड के बुल से भी क्रोस ब्रीडिंग कर सकता है इसके लिये आपको क्रोस ब्रीडिंग सत्र के लिये आपको सीमनबैंक्स की स्थापना करनी चाहिये। आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन ट्रेनिंग सैन्टर्स में सीमन का स्टाक होना चाहिये। इसके अलावा एनीमल्स में डिसीजेज को प्रोटेक्ट करने के लिये आपकी व्यवस्था होनी चाहिये। होस्पिटल हों वहां ताकि उनकी डिसीजेज को रोका जा सके। इसके अलावा सभापति महोदय, हमारी देशी इन्डियन गायें है वह विदेशी गायों की अपेक्षा मैच्योरिटी में लेट आती हैं। इसके अलावा यह भी कटु सत्य है कि जहां वर्ल्ड में 23 करोड़ कैटल पोपूलेशन, है हमारे यहां पर इन्डिया में उसकी 25 प्रतिशत कैटल होती है। लेकिन यहां पर गायें जो मिल्क देती हैं वह सिर्फ 5 प्रतिशत है उसका। जहां पर हमारे यहां की गाय की वार्षिक ईल्ड 157 पर किलो टू 200किलो ग्राम एवरेज है, वहां पर विकसित देशों में 3000 से चार हजार किलो प्रति लेक्टेशन पीरियड है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैच्योरिटी की जो एज है वह 18 महीने है। वह 18 महीने बाद ही जन्म के बछड़ा दे देती है। विदेशों में जो कैटल है वह डेढ़ साल बाद बछड़ा देने के बाद फिर हर साल बछड़ा देती है। और हमारे यहां पर साढ़े तीन साल मैच्योर होने के बाद पहला बछड़ा देती है। इसके बाद 18 माह बाद में ही बछड़ा देती है। इस प्रकार इनके अर्थ तंत्र में बहुत ही फर्क पड़ जाता है। इसलिये अगर हमें उनका विकास करना है तो हमें इसके लिये क्रोस ब्रीडिंग करना होगा विदेशों के एनीमल्स से। आपको चाहिए कि हमारे यहां पर जो आपने कैटल ब्रीडिंग चांदने में स्थापित किया है थरपारकर गायों के लिये लेकिन वहां पर सीमन बैंक की अभी तक स्थापना नहीं हुई है और न वहां पर ठीक ढंग से प्रजनन ही हो रहा है। विदेशों से अच्छे सांड आपको उपलब्ध कराने चाहिये ताकि नस्ल सुधार हो। नस्ल सुधार के लिये चार आवश्यक कदम है। पहला नस्ल सुधार ब्रीडिंग। दूसरा फीडिंग, तीसरा डिसीजेज कन्ट्रोल करना, और चौथा एफीसियेन्ट डेग्ररिंग एण्ड मार्केटिंग–यह आप चारों बातें करेंगे तो पशुओं क नस्ल

Page No 142

(142)

(श्री भोपाल सिंह)

अच्छी हो जायेगी और आपको बाद में बहुत लाभ होगा। अब थोड़ा मैं फोडर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज हमारे यहां जो गायों की संख्या है वह बढ़ रही है जब कि विदेशों में कैटल्स की संख्या 5 to 7% कम हो रही है। और वहां पर दूध के उत्पादन में 5 to 7% प्रति वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। वहां पर स्ट्रोंग कैटल्स होते हैं और यहां पर जो कैटल्स हैं वे कमजोर हैं। दूसरे विदेशों में कैटल्स को मीट और मिल्क दोनों काम में लेते हैं। जो ज्यादा दूध नहीं दे सकती हैं उन कैटल्स को मटन बनाने के काम में लिया जाता है। चूंकि हमारे देश में धार्मिक भावना से उन कैटल्स या सिर्फ मिल्क ही काम में लेते हैं इसलिये यहां पर जो कैटल दूध नहीं देती हैं फिर भी उन कैटल्स को जिन्दा रखते हैं। इसके लिये मेरा निवेदन है कि आपको कन्ट्रोल करना पड़ेगा और इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा फीड एण्ड फोडर के संबंध में निवेदन करना चाहता था। हमारे यहां पर पर्टिक्यूलर्ली फोडर की बहुत भारी समस्या है। अगर हमें पशुओं की नस्ल सुधारनी है तो हमें फोडर के लिये अच्छी घास, गाइण्टनेपिअर, सेवन घास वगैरह बोनी चाहिये, तथा इनके लिये खाद देना, रौजन से बचाना और इनटेन्सिव प्लान्टेशन की जरूरत है। चूंकि हमारे यहां की जो गायें हैं वह पोवर्टी लाइन के बिलो है इसलिये कि हमारे यहां वर्षा कम होने के कारण ग्रीन फोडर कम होता है इसलिये उनमें न्यूट्रीशनल डिफेक्ट होता है और विटामिन की कमी होती है। इसलिये हमें इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। हमें ओपटीमम दायरे में काम करना होगा। अभी तक हम रिच इन आल न्यूट्रियण्ट्स फीड में नहीं है। इधर अनाज में गिरावट आने से भी उसका असर उसकी कीमत में पड़ता है। लेकिन आज फीड की कीमत कम नहीं है। इसलिए अच्छे फीड की मांग को को-ार्डिनेट करने और सस्ते फीड प्रदान करने के लिये डेयरी विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। सभापति महोदय, अगर हम डेयरी का डवलपमेन्ट कर सकें और पाश्चरों को सस्ते फर्टीलाइजर टाइम पर दे सकें तो काफी पाश्चरों को लाभ हो सकता है। नहीं तो आज जो हमारे यहां हो रहा Free grazing वह ठीक नहीं है। सभी काम डवलपमेन्ट के हैफहैजर्ड वे में हो रहा है। आपको चाहिये इन पाश्चर्स पर ग्रो ग्रेजिंग रोक देनी चाहिये। फोल्ड्स का बराबर डवलपमेंट किया जाना चाहिये। आपको नर्सरीज का डवलपमेंट करना चाहिये। इस तरह से प्रचार के कदम उठाये जाने चाहिये कि जिससे इसमें काम करने का जनमत बने। हमारे यहां पर घास व गोबर की क्वालिटी है उसमें सुधार होना अत्यन्त आवश्यक है। नये कदमों के प्रसार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी कदम उठाये जाने चाहिये। आपको जैसा कि ग्रेजिंग फोल्ड्स के बारे में निवेदन किया प्रोजेक्टेड ग्रेजिंग व केरिंग कैपेसिटी के आधार पर लैण्ड्स की होल्डिंग्स बनानी चाहिये। आपको एक फेज प्रोग्राम लेना चाहिये। काउज को अच्छी तरह सस्टेन करना चाहिये। लेकिन अभी तक इस ओर हमारे यहां पर सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। हमने अभी तक इस ओर प्रेक्टिकल कदम नहीं उठाया है जो कि उठाया जाना जरूरी है, जो कि इकोलोजिकल बैलेन्स लाने के लिये

(श्री गोपाल सिंह)

जरूरी है, इकोलोजिकल सिस्टम को रेस्टोर करने के लिये जरूरी है, बढ़ते हुए डेजर्ट को रोकने के लिये जरूरी है। हर संभावना में तब्दिली लाने के लिये डिपार्टमेंट को बहुत सारे काम करने होंगे। जन प्रतिनिधियों को भी काम करना होगा। डिपार्टमेंट को ज्यादा जोश और समझ के साथ में इन्टेलीजेन्टली डील करना होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

I will take two minutes more.

जहां तक एनीमल की हैल्थ का सवाल है मेजर डिसिजेज पर तो कन्ट्रोल कर पाये जैसे रिन्डर पैस्ट, इन्जैक्शन वगैरह से। जो माइनर और दूसरी डिसिजेज हैं जैसे फुट एण्ड माउथ अभी प्रिवेलेन्ट है। जिस किसी पशु को यह बीमारी हो जाती है तो उस पशु का दूध सूख जाता है, बछड़ा मर जाता है। क्रास ब्रीडिंग का प्रोग्राम हाथ में लेते हैं तो उसके लिये वेक्सीन उपलब्ध होना चाहिये। इण्डियन वेटेरीनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट का उत्पादन इस दिशा में नाकाफी है। इसको बढ़ाना चाहिये ताकि गरीबों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके। यह नहीं होने से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रोका जाय ताकि आगे नस्ल अच्छी हो जाय और क्रास ब्रीडिंग को अपना पायें। यह एक्सोटिक नस्ल है, जो इस सम्बन्ध के मोस्ट ससेप्टिबल है उसके लिये फेटल डिसीज है। इसके लिये इफिशियेन्ट होस्पिटल्स की आवश्यकता है; वेटेरीनरी डिस्पेन्सरीज की आवश्यकता है। क्लिनिकल एण्ड इन्वेस्टिगेटिंग लैबोरेटरीज, इम्युनाइजेशन प्रोग्राम युनिट्स फोर प्रोड्यूसिंग बायोलोजिकल वेक्सीन एण्ड अदर प्रोडक्शन जहां डेयरी चलती हैं वहां इनकी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि पशुओं को हेल्थ की नीड को पूरा कर पायें।

इसके अलावा दूध के इफिशियेन्ट क्वालिटी कन्ट्रोल एण्ड इन्टीग्रेटेड प्रोग्राम्स होने चाहियें जिसमें प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सही होने चाहिये। क्वालिटी आफ मिल्क अच्छी होनी चाहिये ताकि कन्ज्यूमर को सही तरीके से पहुँच जाय। आज हमारा सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है। लेकिन इस ओर कदम उठाना है।

थोड़ा सा मैं शीप के बारे में भी कहना चाहूँगा। हमारे राजस्थान के भेड़ ऊन के उत्पादन का हमारे राष्ट्र के नेट प्रोडक्शन के अन्दर बहुत बड़ा भाग है और हिन्दुस्तान की ऊन में 40 पर्सेन्ट ऊन हम पैदा करते हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि भेड़ पालक ऊन के भाव गिर जाने से गरीब स्थिति में पड़े हुए हैं। पिछले कई सालों से, खास तौर से दो सालों से, नेसेसरी और इसेन्शियल कमोडिटीज के भाव बहुत ऊंचे रहे जो अब कुछ नीचे चले गये और उनकी ऊन के भाव भी काफी गिर गये। कहा जाता था कि भारत ऊन के गलीचों को एक्सपोर्ट करता रहा है, इसके व्यापारियों ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिये गवर्नमेंट पर दबाव डाला और निवेदन किया कि उनको रॉ मेटेरियल सस्ता मिलना चाहिये ताकि फोरेन मार्केट में गलीचों के मार्केट में वे कम्पीट कर सकें। ऊन रॉ फार्म में वहां जाती थी। उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी कायम की गयी ताकि यहीं रह जाय और सस्ते भाव में गलीचा उद्योग को मिल सके। यह सोशल जस्टिस के अनुकूल नहीं है, इसको रेगुलेट करना चाहिये। गरीब आदमी

(श्री भोपालसिंह)

मारा जा रहा है। गरीब के बारे में प्रोग्राम बनता है, प्लान बनाते हैं, पिछले दो सालों में इन भेड़ पालकों की जो स्थिति हुई वह बड़ी दयनीय रही। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया और कोई राहत नहीं पहुँचायी गयी। मैं चाहूंगा कि विभाग का सही तरीके से ध्यान जाना चाहिये और ऐसी स्थिति है तो उसको पलटने की कोशिश करनी चाहिये। साथ ही भेड़ पालक और भेड़ के लिये शीप सेंचुअरी एवं एक इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट के लिये बात करना चाहता हूँ। जैसलमेर में जो विभाग की ओर से शीप डवलपमेंट प्लॉन दिया गया है उसके लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायं। कुछ दिन पहले वहां पर वर्ल्ड बैंक से एक्सपर्ट आया था। वहां की स्थिति देखी। उसके दिल में यह आया कि कन्क्लूजन्स ठीक हैं डिटेल्स में जाना है, डाटा कलेक्ट करना है, उसको वेल्यू देना है, कोस्ट बेनिफिट रेशियो कायम करना है। इस सम्बन्ध में डाटा कलेक्ट करके प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

Thank you, sir.

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, पशुपालन के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें शूकर पालन और मांस कारखाने के सम्बन्ध में बताया गया है. अलवर स्थित शूकर मांस कारखाना को और अधिक गतिशील बनाने एवं राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से इस वर्ष 1974 में बहुउद्देशीय मांस कारखाने के रूप में परिवर्तन किया गया। अब यहां शूकर के अतिरिक्त भेड़, बकरी एवं मुर्गियों का तकनीकी तरीके से वध किया जाकर नियमित रूप से बेचने की व्यवस्था की गयी है" इसके साथ-साथ इसमें यह भी कहा गया है "इस बहुउद्देशीय मांस कारखाने द्वारा उत्पादित मांस के बेचान की व्यवस्था नियमित रूप से दिल्ली, आगरा एवं अन्य बड़े शहरों में की जा रही है। इसके साथ स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन से भी सम्पर्क स्थापित करके इसकी विदेशों में भी सप्लाई एवं बेचने की व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे है। ऐसी आशा की जाती है कि कुवेत, आबुदबई, साउदी अरबिया में इसके बेचान की नियमित रूप से व्यवस्था हो सकेगी" I doubt। इस बारे में मुझे पूरी शंका है जो आप कुवेत, आबुदबई; साउदी अरबिया में शूकर के मांस की बिक्री की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में यह सम्भावनायें बतायी गयी हैं, यह हाइपोथेटिक हैं और किसी बेसिस पर आधारित नहीं है। ऐसे मुल्कों में शूअर का मांस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो शायद छूना भी अच्छा नहीं मानते। मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शूअर के मांस को साउदी अरबिया में बेचने की जो बात कही है, मुझे उसमें शंका है कि वहां इसको पसन्द करेंगे। किसी अधिकारी की गलती से जो बात आ गयी हो और जो वास्तविकता पर आधारित न हो उसको डिलीट कर दें। उत्तर में स्पष्टीकरण कर दें, क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है।

पशुपालन विभाग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है "इस वर्ष 1975–76 (जनवरी 1975 तक) में 7,93,482 पशुओं

(श्री मूलचन्द डागरिया)

का उत्पादन हुआ जिनमें 1,08,713 सेने के लिये तथा 6,65,942 अण्डे खाने के उपयोग हेतु बेचे गये तथा 72,751 चूजे परिपालित किये गये जिनमें से 32,599 पक्षी प्रजनन एवं 27 724 पक्षी खाने के लिये बेचे गये। मैंने इसको केलकुलेट किया तो पाया कि 18,827 अण्डों का कोई हिसाब नहीं है और उनका कोई अकाउन्ट फार नहीं है। इसी तरह से 12,428 चूजों का भी अकाउन्ट फार नहीं है। इसके बारे में साइलेन्ट है। हो सकता है यह किसी और पर्पज़ के लिए हों और हो सकता है कि भूल गए हों। इसके बारे में भी हो सके तो जवाब के समय फर्मा दें तो ठीक रहेगा।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, जो श्वेत क्रांति की बात थी वह सरकार कर रही है। बहुत बड़ी तादाद में डेअरी विकास का काम हो रहा है लेकिन डेअरी टेक्नोलॉजी के विकास के लिये गवर्नमेंट आफ राजस्थान के पास कोई योजना है? जब करोड़ों रुपया हम खर्च कर रहे हैं, मेरी जानकारी से ऐसा लगता है कि यह सारी टेक्नोलॉजी आप बाहर से इम्पोर्ट करेंगे और अपने यहां कोई पर्मानेन्ट तरीके से ऐसा कर दें कि ज्यों-ज्यों विकास हो उसके साथ-साथ डेअरी टेक्नोलाजी का भी विकास होता रहे ताकि डेअरी विकास की बात करे। उसको आप कोआपरेटिव बेसिस पर करना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग में डेअरी का जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या तारतम्य हो, किस तरह का सामंजस्य हो, उनकी किस तरह से कोआपरेटिव बनेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन हो, और उनके लिए पैसे की क्या व्यवस्था हो, पशुधन की क्या व्यवस्था हो – इन सब बातों के साथ इसके विकास की बात करेंगे तो लाजिमी तौर पर दोनों डिपार्टमेंट का एक तरह से आपको कोआर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा। श्वेत क्रान्ति तो होगी ही कभी क्योंकि जिस गति से दुनियां बढ़ रही है उसमें हमें कुछ तो करके चलना पड़ेगा। जिस श्वेत क्रान्ति की बात बहुत दिनों से कही जा रही है उसमें भी आपको निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में पशुधन की जितनी हानि हुई है उतनी कभी नहीं हुई क्योंकि जगह-जगह जंगलों में, खेतों में और चरागाहों में हड्डियों के अम्बार लग रहे हैं। हम इसको बोन रिवोल्यूशन ही कह सकते हैं और सरकार कतई प्रभावशाली तरीके से इन जानवरों की समस्या को रोकने में असमर्थ रही है। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक तरफ तो आप डेअरी के विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरकार को यह भी जनून है कि every inch of land should be allotted हमारे मुख्य मंत्री हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा तगमा इस मामले में लेना चाहते हैं। आप हर इंच जमीन को अलाटेड फर्मा देंगे। तो क्या सरकार मानती है कि इस देश में जितने भी पशुपालक हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में उनके चराने के लिए चरागाह या भूमि भी है जिसके ऊपर वह जानवरों को पाल सकते हैं? वास्तविकता यह है कि खेती करने वाले लोगों के पास जमीनें हैं और कुछ ही लोगों के चरागाह हैं। जिन लोगों के पास पशुधन है, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके

(श्री मूलचन्द सामरिया)

पास खेती की जमीन नहीं होती है और हर इंच चरागाह की आप अलॉट कर देते हैं तो फिर पशुओं को किस तरह से बचा सकेंगे ? वह क्या खायेंगे, क्या दूध देंगे, कौनसा चारा आप ईजाद कर रहे हैं कि जो घर बैठे सस्ते मूल्य पर लोगों को मिले और उनके लिए लाभदायक हो ? अगर ऐसी कोई योजना है तो उसके ऊपर इसी रिपोर्ट में आप प्रकाश डालते। नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर इंच जमीन को अलाट करना चाहते हैं वह नहीं करें क्योंकि आप चरागाह अलाट करके खेती करना चाहते हैं तो उन्हीं में से किसी के पास दस बकरियां हैं, एक गाय है, एक भैंस है और सबके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। आप जब भी जमीन की बात करें तो पशुधन के बारे में अवश्य ही विचार करें।

माननीय सभापतिजी, इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की मौत के साथ-साथ पशुधन से बहुत बड़ी रेवेन्यू सरकार के पास आती है। दौसा में कृषि मंत्रीजी ने जिला कृषि अधिकारी कार्यालय की स्थापना की, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं क्योंकि बहुत लम्बे समय से इसकी वहां आवश्यकता थी वह पूरी हुई लेकिन वहां की डिमाण्ड को कोप-विथ करने के लिए वहां जिला पशुपालन अधिकारी के कार्यालय की आप और स्थापना करें तो इन आफिसेस का डीसेन्ट्रलाइजेशन होगा और किसानों को भी फायदा मिल सकेगा और आंशिक रूप से बिना देखभाल के जो पशुओं की हानि होती है उन पर भी रोक लगेगी।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब स्टेट मिनिस्टर भांडारेज पधारे थे तो हो सकता है उस समय तक उनको बजट के प्रावधानों के बारे में मालूम नहीं हो, उन्होंने यह घोषणा वहां की कि यहां वेटेरीनरी हास्पिटल भी स्थापित किया जायेगा। लेकिन गवर्नमेन्ट का कोई भी व्यक्ति चाहे स्टेट मिनिस्टर हो या केबिनेट मिनिस्टर हो उसकी कही हुई बात गवर्नमेन्ट की बात होती है इसलिए हमारे स्टेट मिनिस्टर की बात रखने के लिए ही सही मैं पशुपालन मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जो भी राज्य मंत्री ने भांडारेज में चाहे किसी भी वातावरण में यह घोषणा की है कि यहां पर वेटेरीनरी हॉस्पीटल खोला जायेगा तो जरूर खोला जाना चाहिए क्योंकि यह एक मिनिस्टर की बात का सवाल है। आखिर जब मिनिस्टर ने घोषणा की है तो उसको मेन्टेन किया जाना चाहिए क्योंकि मिनिस्टर की प्रतिष्ठा सरकार की प्रतिष्ठा है। अगर उन लोगों की घोषणा के प्रति यह सोचा जाये कि कुछ भी कह सकते हैं तो इसमें सरकार की साख भी द्रुत गति से गिरती जायेगी। इसलिए मैं बहुत पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि कम से कम मिनिस्टर की इज्जत के लिए उसकी घोषणा को पूरा करें और भांडारेज में पशु चिकित्सालय स्थापित करें।

इसके बाद कृषि वाली बात भी संक्षेप में कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा महनती किसान है। दिन और रात, जवानी और बुढ़ापे में औरत, मर्द, बच्चा जिस दिन से भी पैदल चलना सीखता है उसी दिन से न मौसम की परवाह कर, न सर्दी की और न गर्मी की, न उम्र की और स्त्री और

(श्री मूलचन्द सामरिया)

पुरुष में मेहनत करने वाला कोई तबका है तो किसान है और उस अधिक परिश्रमी दिन और रात मेहनत करने वाले किसानों के लिए अगर सरकार सिर्फ इतनी भी इनकम देने की व्यवस्था न कर सके किसी तरह से कि जो आज एग्रीकलचरल लेबर के लिए मिनिमम वेजेज है उसी रेश्यो से अगर इस देश के किसानों को जितने उसके फेमिली मेम्बर्स है उस हिसाब से मिनिमम वेज एग्रीकल्चरल लेबर के हिसाब से जो इनकम किसान की हो सकती है तो यहां का किसान सुखी समृद्ध और हो सकता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है कि इस बारे में भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से किसान के उत्पादन की कीमत कम हो रही है, जब मंत्री महोदय, शहरों में आते हैं और मजदूर वर्ग के सामने बातें करते हैं, 21 पाइन्ट प्रोग्राम की बाते करते हैं तो क्या बीस सूत्री कार्यक्रम कोई करिश्मा था? मजदूरों का उस कृषि उपज से कोई मतलब नहीं होता। तो मैं स्पष्ट रूप से मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कृषि उत्पादन के भाव गिर रहे हैं वह बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का करिश्मा था या कुदरती तौर पर फसल अच्छी होने का नतीजा है। इन दोनों में सत्य बात क्या है?—कम से कम इस बात पर आप स्पष्ट तौर से बात कह दें कि बीस सूत्री कार्यक्रम की वजह से या किसी की वजह से है। जब बीस सूत्री की वजह से हैं तो यह आप के हाथ में है आप इन गिरते हुए भावों को ऊपर उठादें और इसको कोम्पटीटेटिव बनाये जो अदर कम्पोडिटिज को कौम्पीट कर सके। अगर आपके आउट आफ कन्ट्रोल है, नेचुरल है, बरसात अच्छी होने से, मौसम अच्छा रहने से अच्छी पैदावार होती है तो सप्लाई और डिमाण्ड के सिद्धान्त के मुताबिक the prices will come down,

यह बात है तो फिर आप स्पष्ट कीजिए कि हमारे कन्ट्रोल से बाहर है। इस देश में उत्पादन कुदरत के हाथ में है और भाव भी कुदरत की तरफ से तय होकर आते हैं, हम तो केवल रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए हैं, हम तो केवल राज करने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाइन्ट से क्या सरकार मानती है कि यह ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम का करिश्मा है या ठीक ठीक उपज और अच्छी फसल का करिश्मा था। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि सुबह जब मन्त्री महोदय एक कृषि सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने बताया था कि 33 प्रतिशत भाव गिरे हैं। लेकिन यह मोटी सी बात है कि कुछ समय पहले, एक साल पहले, करीब दो सौ और सवा दो सौ तक गेहूं के भाव थे और आज 70-80) रुपये क्विन्टल के भाव हैं तो यह 33 प्रतिशत किस मेथमेटिक्स के हिसाब से हुआ? यह समझा सकें तो मैं उनका बड़ा आभार मानूंगा। इसी तरह से जौ का भाव जो पहले 120)रु० क्विन्टल का था और वही भाव अब तीस रुपये तक किसी कांग्रेसी सदस्य महोदय ने, माननीय सदस्य ने फरमाया था तो मैं भी तीस रुपया क्विन्टल मान लेता हूं और इस तरह से 30)रु० से 120)रु. के बीच में 33 पर्सेन्ट या 35 परर्सेन्ट भी भाव गिरे हैं वे किस तरह से हुए? इस बात को भी समझायें। जब सरकार ने गिरते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सपोर्ट प्राइस घोषित की तो कृषि मन्त्रीजी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

105) आपने कैसे जस्टीफाई मान लिया ? किस तरह से फर्माया कि इससे अधिक भी नहीं और इससे कम भी नहीं, यही उचित मूल्य होंगे ? इस बात को फर्माया आपने । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करू कि गेहूं के अलावा क्या किसी चीज की खेती नहीं करता पूरे राजस्थान का किसान? सिर्फ गेहूं की फसल ही पैदा करता है उसका तो 105) रु० की कीमत में कुछ गुजारा हो सकेगा जैसा कि आप लोग अपने अर्थ शास्त्रियों की राय के आधार पर कहते हैं, इससे किसानों की हालत खराब नहीं होगी लेकिन गेहूं के भावों के अलावा जो दूसरे उत्पादन हैं, जो के भाव के लिये क्या सपोर्टिंग प्राइज है, और इसके बाद चने के बारे में क्या है और जितनी फसलें हैं उन सब के बारे में, और कैश क्रोप हैं उन सब के बारे में क्या है? अन्य चीजों के गिरते हुए भावों को किस तरह से रोकना चाहते हैं । क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, आज से छः साल पहले जो मेसी-फर्गुसन ट्रैक्टर की कीमत 17 हजार थी, आज उसकी कीमत 57 हजार रुपये हो गई है। खाद की कीमत नेप्था की वजह से, कुछ विदेशों की पैट्रोलियम की पोलिटिक्स से प्रभावित हुई है । लेकिन मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता माननीय सदस्य ने यह फर्माया था कि इसकी प्रड्यूज की कीमत; जो प्राइज मेन्युफेक्चरिंग की है वह ज्यादा से ज्यादा 30-33) रु० पर बैठ जाती है उस लिहाज से काफी कटौती की जा सकती है। यह बात तो ठीक है कि नेप्था अरेबियन नेशन बनाते हैं पैट्रोल के रूप में, पैट्रोल जो हम मंगाते हैं उसको जिस रूप में चाहें काम में ले सकते हैं। पैट्रोल की बहुत सी चीजें बनती हैं लेकिन यह जो पानी की, सिंचाई की दरें हैं इसका कौन सा देश नीति निर्धारित करता है ? किसान बड़े आराम में है और आपने सिंचाई की दरें बढ़ा दीं। इसी तरह से बिजली की रेट बढ़ाई । आज जब कि किसानों की सारी एग्रीकल्चरल प्रोडयूज के भाव ढह रहे हैं और अन्य चीजों के भाव क्रमशः बढ़ रहे हैं ऐसे मौके पर इन आइटमों के भाव बढ़ाये जायें। इसके अलावा जितनी आवश्यक चीजें हैं क्या किसान उनको काम में नहीं लेता ? कृषि योग्य जितनी चीजें हैं, जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं उन सब को काम में नहीं लेता है ? तो फिर इन चीजों के भाव बढ़ाने का यही मौका है कि जब दूसरी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं आपने इन की रेट्स बढ़ा दी। इस बारे में भी मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ।

और, किसानों की प्रगति का मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक केस हुआ जिसको मैं बता दूं, आप इसको मजाक समझेंगे, लेकिन मैं सही निवेदन कर रहा हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा भी किसान पैदा हुआ जिसको आज से तीन साल पहले, छंगाणी साहब, स्टेट बैंक आफ जयपुर और बीकानेर से लोन मिला उस समय वह बीस साल का था और आज वह दस साल का हो गया है। उसकी उम्र अगेंस्ट नेचर के रूप में घट रही है। अब उसका खामियाजा किसी भले आदमी को भुगतान पड़ेगा जिनके खिलाफ केस बन जायेगा। जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो यह उम्मीद करते थे कि हमें काफी मात्रा में आवश्यकता के मुताबिक ऋण मिलेगा लेकिन अब किसान आज इतनी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

प्रोग्रेस कर रहा है। तीन साल में 21 के बजाय दस साल का रह गया और दूसरे लोगों पर 420 के केस बन जायं। उन गरीबों को ऋण दिला दिया तो आज प्रत्येक व्यक्ति ऋण लेते ही नाबालिग हो गया। पम्पिंग सेट उसके पास है और फिर हमारे किसी माननीय मंत्री, इस सरकार के माननीय मंत्री नाराज हो गए तो उनके खिलाफ केस चल जायं। आज वह दस साल का है और तीन साल पहले 21 साल का था। इस तरह का किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उन भले आदमियों के खिलाफ 420 के केस बन जाते हैं और आज नाबालिग के रूप में खड़े हो गए।

इसी के साथ में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार किसी प्रकार से अन्य मामलों में गारण्टी देती है....

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सदस्य का मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने सीधा नाम तो नहीं लिया, आप फरमाइये।

श्री हाजी जान मोहम्मद : जरा जोर से फर्माइये।

श्री मूलचन्द सामरिया : रहने दो, रहने दो। आप यह मानते हैं माननीय सभापतिजी, कि अगर समय पर व्यवस्था नहीं होगी किसान के लिए तो वह क्या करेगा। एक साल भर के लिए वही मौका होता है। इसलिए बैंक की गारण्टी दे करके भी अगर सरकार किसान के आवश्यकता के लिए ऋण को व्यवस्था कर सके मौके पर तो यह बहुत वाजिब होगा। सभापतिजी, आप जानते हैं कि जो लिक्वीडेशन आफ डेट का सरकार ने कदम उठाया है और छोटे किसानों के जो कर्ज थे उनकी माफी के लिए कानून बन चुका है। आज स्थिति यह है कि किसानों के लिए न तो कोई फसल के टाईम पर, न किसी आवश्यक टाईम पर कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। यहां तक है कि अगर उसके पास जेवर है सौ रुपये का, और किसी के पास उसके बदले में रुपया लेने जावे तो भी कोई पचास रुपये भी देने को तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार ने काफी अच्छी पब्लिसिटी करदी है कि कोई भी व्यक्ति कर्जदार नहीं है अमुक अमुक केटेगरी में, उनके कर्जों को तो आपने माफ करा दिया और उनकी पब्लिसिटि इतनी करदी कि लोग यही समझते हैं कि हर किसान का कर्जा माफ हो गया है। इसलिए हर किसान को आज कोई अपने पास फटकने देने को तैयार नहीं है। लेन देन बन्द है। अब सरकार सोचे कि उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर कर्जा देना पड़ेगा अन्यथा किसानों की हालत और भी खस्ता होती चली जाएगी।

साथ ही कृषि के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि भूमि का कटाव होता है। उसमें मेरे यहां पर हरीपुरा और सुमेरपुर में दोनों एनीकट्स की बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं। कृषि मंत्रीजी अगर आपके पास इस प्रकार का कोई साधन हो तो इस भूमि कटाव को ध्यान में रखते हुए और इस तरह की जो व्यवस्था करे मैं समझता हूं बहुत ही आवश्यक एनीकट है जिनका बनना बहुत जरूरी है, इसकी ओर आप ध्यान देकर बनवा दें।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आज कहीं बाढ़ से तबाही होती है कहीं अतिवृष्टि से तबाही होती है, ओला वृष्टि से होती है, अकाल से होती है। किसानों की तबाही कभी कभी फसल पक कर तैयार होने को हो उस समय भी हो जाती है। इस साल रौली जैसा रोग उसके पीछे पड़ गया है। मेरे क्षेत्र के कुछ स्थानों के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि कही अस्सी पर्सेन्ट, कही 70 पर्सेन्ट और कहीं 90 पर्सेन्ट नुकसान होगा और रौली रोग के बाद फसल खत्म हो जाती है, तो माननीय सभापतिजी, उसका चारा भी पशु नहीं खा सकते हैं और बिल्कुल ही बेकार हो जाती हैं। ऐसे मामले में जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता माननीय सदस्य ने कहा था कि फसल बोने के बाद अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, चाहे वह बरसात से होता हो, अति वृष्टि से, अनावृष्टि से हो या ओलों से हो या तूफान से हो अथवा किसी रोग से हो अगर उस पर किसान कण्ट्रोल नहीं कर सकता, सरकार के कृषि अधिकारी और सारे कृषि विभाग के खूब प्रयास के बाद भी वह नहीं बचा सकते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस हालत में रीजनेबल मात्रा में प्रीमियम लेकर भी अन्य लोगों की तरह जैसे उद्योग धन्धों में, कारखानों के लिए, मनुष्यों के लिए और सब तरह की मशीनों के लिए ट्रकों की बेसेज की जो बीमा योजना है उसी तरह का प्रयास सरकार को किसान के लिए करना चाहिए। जिस तरह की मार किसान पर पड़ती है वह बुरी होती है उसको बचाने के लिए सरकार को फसल बीमा योजना आवश्यक रूप से मंजूर करनी चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपनी विपत्तियों में आन्दोलन कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास पहुँच सकते हैं, यूनियन के द्वारा प्रेसराईज कर सकते हैं लेकिन जो किसान ढाणी ढाणी और एक-एक घर में बसे हुए हैं आन्दोलन करने के लिए उनके पास समय नहीं है। दिन भर वे अपनी खेती के काम में लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं इसलिए वे आन्दोलन नहीं कर सकते। वे आकर कहें और आपको मजबूर करें और आप उनकी बात को मानें, यह उनके लिए सम्भव नहीं है। यह तो कल्याणकारी सरकार है, जो किसानों को ऊंचा उठाना चाहती है, उनके रहन सहन के स्तर को, स्टेण्डर्ड आफ लीविंग को ऊंचा उठाना चाहती है, उनकी हैसियत को उठाना चाहती है। तो यह इस समाजवादी, क्रान्तिकारी और कल्याणकारी सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इन डूबते हुए किसानों को सहारा दे तो मैं समझता हूं कि यह सरकार अपना कर्त्तव्य निभा रही है।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, मैं कृषि उपज मंडी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो सभी प्रकार के चुनाव होते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं वे अपना काम चुने जाते ही प्रारंभ कर देते हैं। चाहे वह नगरपालिका का चुनाव हो, उनके सदस्यगण चुने जाने पर अपने चेयरमेन का चुनाव कर नगरपालिका का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार पार्लियामेंट, विधानसभा, पंचायत, जिला परिषद् के चुनाव होते हैं और जो सदस्य इनके लिए चुने जाते हैं वे शपथ लेते ही कार्य प्रारंभ कर देते हैं परन्तु सभापति महोदय, यहां कृषि उपज मण्डी के चुनाव तो अजीब तरीके के होते हैं।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उनके जो चुनाव होते हैं और जो सदस्य चुने जाते हैं वे तब तक कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते जब तक कि वह गजट में आया नहीं हो जाते हैं इस प्रकार जो इलेक्टेड मेम्बर होते हैं वे साल भर, 6 महीने, तक बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके नाम गजट में आया नहीं होते हैं और जो पहले के होते हैं वे ही कृषि उपज मंडी का काम करते रहते हैं। तो यह क्या तरीका है। इसलिए आप पाबन्दी लगाइये कि जैसे ही चुनाव होंगे, वे एक हफ्ते में या 15 दिन में गजट में आया, प्रकाशित हो जाएंगे। वहां के चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी और उनको इलेक्टेड डिक्लेअर कर दिया तो उसके साथ ही साथ अध्यक्ष का चुनाव भी करा दिया जाना चाहिये ताकि वे अपना काम शुरु कर सकें। फिर समझ में नहीं आता कि सरकार ने यह अडंगा क्यों फिट किया है? यह सरासर इल्लीगल तरीका है गैरकानूनी तरीका है। यह अव्यवहारिक कानून इस सरकार ने कैसे बना दिया है कि चुने हुए सदस्यगण, एक दो साल तक काम नहीं कर सकते और पुराने लोग ही गजट में आया न होने के कारण काम करते रहे। तो इस पर मंत्री महोदय आप गौर फरमायें और इस तरह का यह जो नियम है, इसको दुरुस्त समझते हैं या आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। तीन-तीन साल तक आया नहीं करें गजट में तो यह चुनाव कैसे हैं? आशा है मंत्री महोदय, इस नियम को देख कर उचित संशोधन करने का कष्ट करेंगे।

कृषि उपज मंडी जो टैक्स लगा रही है, इसके लिए सरकार को यह दलील है कि इसका उपभोक्ता से कोई लेना देना नहीं है। हम तो व्यापारी से यह टैक्स लेते हैं और ऐसा कौनसा व्यापारी होगा जो अपने पास में से निकाल कर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पैसा देगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि व्यापारी ने ऐसा कौनसा फंड बना रखा है। वह जो भी टैक्स देगा वह किसान के द्वारा उसको जो वस्तु बेची जाएगी या उसको मार्फत किसान की जो पैदावार बिकेगी, व्यापारी यह टैक्स उससे ही पैदा करेगा। या फिर कन्ज़्यूमर को बेचेगा उससे लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यापारी अपने पास से उस टैक्स को दे देगा। किसान के लिए व्यापारी ऐसा कब से उदार हो गया कि वह उसके विकास के लिए अपने जेब से टैक्स देगा और उसका भाव पर, अनाज के कीमत पर असर नहीं पड़ेगा। किसानों के कल्याण के लिए कृषि उपज मंडी टैक्स लगाती है और उस धन से गांव की सड़कें बनेंगी। पर यह बात समझ में नहीं आती कि यह टैक्स बिजनेस मैन पर लग रहा है; यह कैसे? जो टैक्स लगा है वह या तो किसान पर है या फिर कन्ज़्यूमर पर है, व्यापारी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। व्यापारी में ऐसी कौनसी धार्मिक प्रवृत्ति जागृत हो गयी, यह समझ में नहीं आता। कृषि उपज मंडी का जो टैक्स लगेगा वह सीधा ही कृषि उत्पादन पर लगेगा और उसी हिसाब से भाव कम, ज्यादा हो जाएंगे। व्यापारी यह टैक्स अपनी जेब से नहीं देगा। यह टैक्स लगाकर सरकार ने यह सोच लिया कि अब कोई सड़क की मांग नहीं होगी। सरकार के पास बहुत अच्छा जवाब हो गया कि सड़कों के लिए कृषि उपज मंडी के पास जाओ। रेवेन्यू सरकार लेती है। उसमें से किसानों को आप कुछ नहीं देना चाहते

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं। उस पैसे से आप सिटिज को फेसिलिटिज देंगे, बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में खर्च करेंगे, शहरों की सड़कों को चौड़ा करेंगे, फव्वारें लगाएंगे, शहर को सुन्दर बनाने में खर्च करेंगे और किसान जब अपने गांव के विकास के लिए आपसे कहेंगे तो आप जवाब दे देंगे कृषि उपज मंडी आपके विकास के लिए बनायी है। तो यह अजीब तरीका आपने निकाला है। आज अगर देखा जाये, यह सरकार अपने को समाजवादी कहती है, इसमें कोई शंका नहीं है कि यह सरकार समाजवादी है, कोई मिनिस्टर इसमें समाजवादी होगा या भूतपूर्व समाजवादी होगा परन्तु इस सरकार के साथ वह मुश्किल से ही समाजवादी रह पाएगा यह समाजवादी किसानों को हर मामले में काट रही है। इसी सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहता हूं यह जो मजदूरों और किसान की सरकार है, जो अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है उसने मजदूरों को जहां पहले 8.33 प्रतिशत बोनस मिलता था, उसको 4 प्रतिशत कर दिया है। तो यह समाजवादी सरकार कैसी है। ज्यों-ज्यों भाव गिरते जाते हैं मंत्री कहते नहीं अघाते हैं परन्तु इससे किसानों को क्या फायदा हो रहा है? यह किस तरह का समाजवाद है?

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ रिक्वेस्ट मैंने की है उस पर आप अगर वाकई विदाउट प्रिजुडीयस इन्डिपेन्डेन्ट तरीके से सोचें और उचित तरह से व्यावहारिक नीतियां अपनायें आप उन पर विचार कर के खास-तौर से किसानों के लिए सोचें। मैंने बार-बार निवेदन किया है कि यदि किसानों के लिए आप फसली बीमा योजना चलाते हैं तो वास्तव में किसानों के हित की एक बात आप करते है अन्यथा किसान भोला है उसको आप किसी तरह से चलायें यह आपकी मर्जी है।

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

श्री हाजी जान मोहम्मद : हमें भी समय दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभापति महोदय, नम्बर तो मेरा है।

श्री सभापति : ये तीन दिन से आज आये है। नाराज थे इसलिए....

श्री चेतराम : सभापतिजी, यह नाराज होने का तरीका हमें भी बता दीजिये ?....

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, आज की मांगों के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव है। सबसे पहले मैं कृषि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सभापतिजी, कृषि उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं द्वारा राज्य सरकार की ओर से बहुत कुछ प्रयत्न किये गये हैं ताकि अनाज अधिक पैदा हो और अनाज की जो समस्या है वह हल हो।

(5.48 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

लेकिन बांसवाड़ा जिले में कृषि उत्पादन सम्बन्धी जो कोशिशें सरकार कर रही है उसमें कई तरह की खामियां है, उनके बारे में सुझाव के तौर पर सभापतिजी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय को।

(श्री नाथूराम)

किसान को एक तो रासायनिक खाद नहीं मिलता है। साथ ही खाद के जो भाव है वे काफी ऊंचे हैं। आज किसान को बाजार से खाद खरीद कर देना पड़ता है। इसलिए कृषि विभाग से किसान को समय पर खाद मिलना चाहिये, समय पर बीज मिलना चाहिये ताकि किसान समय पर खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। लेकिन आजादी के 28 साल बाद भी देखा जाये तो किसान को खाद और बीज समय पर नहीं दिया जाता है। ग्राम सेवक द्वारा प्रचार कराया जाता है लेकिन व्यवहारिकता में उसका उपयोग नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक देखा जाय तो किसी भी जिले में, कोई भी गांव में, पशुओं का जो खाद है वह ढेर का ढेर पड़ा रहता है और वह खाद धूप में सूख जाता है, खाद का जो असली गुण होता है वह नहीं बच पाता है। पंचायत समितियों में विलेज वर्कर द्वारा प्रचार हुआ था लेकिन आज जगह-जगह पर पशुओं के खाद के ढेर के ढेर पड़े रहते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन के लिए आप जो भी प्रोग्राम बनावें उसमें सब से पहले खाद के लिए बनाना चाहिये और किसानों को यह बताया जाना चाहिये कि पशुओं का जो खाद है, उसको किस ढंग से रखा जाना चाहिये। इस खाद को इस ढंग से गड्ढा बना कर रखा जावे और उसको सड़ाने के लिए पानी बराबर दिया जाये और साथ ही कूड़ा कचरा, पत्तियां मिला कर इस खाद को ढक कर रखा जाये ताकि वह खाद अच्छा बन सके और वह खाद रासायनिक खाद से भी ज्यादा उपजाऊ होगा और उससे अनाज की पैदावार भी ज्यादा हो सकेगी। इसलिए आज कृषि विभाग को चाहिए कि अपने कृषि अधिकारियों, तथा ग्राम सेवकों को यह आदेश दे दे कि किसानों का खाद जो है बाहर इस तरह न पड़ा रहे। खाद को अच्छी तरह से हिफाजत के साथ में, ढक कर पानी से सड़ान्ध देकर जुलाई के महीने में उस खाद को खेत में डालें तो ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा। पत्तों का भी खाद बनाते हैं और कूड़ा-करकट का खाद बनाते हैं। रासायनिक खाद महंगा है, इसलिए उसको सस्ते दर पर देना चाहिए।

छोटे-छोटे किसानों के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और इस बारे में मैंने कृषि मंत्रीजी को पत्र लिखा और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र लिखा कि सरकार पहाड़ी क्षेत्र में ट्यूब वेल बनाये जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है। वहां पर जो ट्यूबवेल बनाये जा रहे हैं तो ट्यूबवेल के लिए नियम यह है कि डेढ़ हजार गैलन पानी आ जाय तो उस ट्यूबवेल को सफल मानते हैं। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में चट्टानें ज्यादा रहती हैं और हार्ड चट्टान आ जाने से ट्यूब वेल ज्यादा गहरे नहीं खोदे जाते हैं 100, 150 फीट खोदे जाते हैं और 200 से ज्यादा फीट तक नहीं खोदे जाते हैं। हार्ड रॉक आ जाता है तो पानी का सोरा है वह सूख जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में ट्यूब वेल से 3000 से 5000 गैलन तक पानी नहीं आ जाय तब तक उसको सफल नहीं मानना चाहिए। मैंने माननीय कृषि मंत्रीजी को पत्र लिखा, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र लिखा था कि इस नीति

(श्री नाथूराम)

में परिवर्तन करें। रेगिस्तानी एरिया में छोटे किसानों को यह फायदा करता हो लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सिंचाई के अन्य साधन नहीं हैं वहां पर ट्यूबवैल के लिए 5000 गैलन पानी जब तक न आ जाय तब तक उसको सफल नहीं माना जाए इसके लिए किसानों को 14,000 रु० का ऋण मिलता है और उसको मूलधन और ब्याज किश्तों में देना पड़ता है इसलिए अगर डेढ़ हजार गैलन वाले ट्यूब वैल को सफल मानेंगे तो उसका ब्याज भी नहीं भर सकेगा और न वह समय पर ऋण दे सकेगा। इसलिए, सभापतिजी; आपके द्वारा सरकार को निवेदन करूंगा कि ट्यूबवैल के खोदने की जो योजना है पहाड़ी क्षेत्रों में वह एक अच्छी योजना है। जहां पर कि सिंचाई के साधन नहीं है वहां पर अनाज का उत्पादन करने के लिए अच्छी योजना है। तो उस योजना को 5 हजार गैलन वाली बनायें। जब तक 5 हजार गैलन पानी न आने लगे तब तक ट्यूब वैल को सफल नहीं मानना चाहिए। इसलिए नियमों में परिवर्तन करना चाहिए।

बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र हैं और वहां पर दो-दो तीन-तीन बीघा जमीन कृषक लोगों के पास में है तो व्यवसायिक बैंक उनको ऋण नहीं दे पाती हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यह जो नियम आप बनायें तो वहां पर सरकारी तौर पर कुएं खोदे जाने चाहिए ट्यूबवैल ताकि छोटे-छोटे किसान उनसे पानी ले सकें और रेवेन्यू के साथ में जितनी उससे सिंचाई करेंगे वह अदा करेंगे। वह छोटे किसान हैं तो उनको ऋण बैंकों से नहीं मिलेगा। ज्यादा जमीन वालों को ऋण मिलेगा तो उनको भी दफ्तर और बैंकों की सीढ़ियों पर रात-दिन घूमना पड़ेगा और समय पर ऋण नहीं ले सकेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार ट्यूब वैल खोदें और उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दे और रेवेन्यू के साथ में उससे ऋण वसूल कर ले।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदिवासी क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण लेने की व्यवस्था की गई है वहां बड़ौदा बैंक है अथवा अन्य बैंक हैं। वह छोटे किसानों को ऋण नहीं देते हैं। वह बड़े-बड़े किसानों और जमींदारों को ही ऋण देते हैं। गढ़ी, बागीदोरा, और तलवाड़ा बांसवाड़ा की पंचायत समिति की स्कीम को मन्जूर किया गया है, लेकिन रिजर्व बैंक ने को-आपरेटिव को सपोर्ट करने के लिए जो स्टडी टीम भेजी थी उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है। मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो स्कीम बांसवाड़े में पी० एल० डी० की है। आदिवासी क्षेत्र में 80, 90 पर्सेन्ट छोटे किसान हैं और ऋण अगर व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिलायेंगे तो छोटे किसानों को ऋण नहीं दे पायेंगे इसलिए जो स्कीम कृषि उत्पादन के लिये मन्जूर की है वह पी० एल० डी० को देनी चाहिए ताकि छोटे किसानों को समय पर ऋण मिले और अनाज के उत्पादन में सहयोग मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इसी तरह से छोटे-छोटे किसानों के लिए कृषि उत्पादन के लिए ऐसी जो स्कीमें हैं वह आपको जल्दी से जल्दी तय करनी चाहिये। इसी तरह से इस पहाड़ी क्षेत्र में जो डी० पी० ए० पी०

Page No 155

(155)

(श्री नाथूराम)

की स्कीम चल रही है वहां पर नदी-नालों से अच्छी उत्पादन की जमीन का कटाव हो जाता है तो इसके लिए भू-संरक्षण का ज्यादा काम करके जो उत्पादन के लायक भूमि है उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं पशु-पालन के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का जो हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक भी डेअरी खोलने का प्रावधान नहीं है। वहां पर डेअरी खोलें ताकि वहां के लोगों को दूध मिल सके। बांसवाड़ा जिले में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है तो इस जिले के लिए डेअरी की योजना होनी चाहिए ताकि वहां पर माही डेम पर हजारों कर्मचारी काम करते हैं उनको दूध मिल सके पर जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको पशुपालन के लिए ऋण और अनुदान देना चाहिए और उनकी गरीबी मिटाने की कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों के पास में जमीन कम है उनको पशुपालन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जहां पर आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर ट्राइबल सब-प्लान करोड़ों का मन्जूर किए हैं लेकिन उसमें यह व्यवस्था नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं ट्राइबल सब-प्लान में से रकम एप्रूवल करा कर गरीब आदिवासियों को पशुपालन गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरहा पालने के लिए अनुदान देना चाहिये ताकि वह अपना गुजारा कर सके और दूध आदि के लिए व्यवस्था कर सकें और अपनी गरीबी मिटा सकें।

इसी तरह से जहां पर पशु चिकित्सालय नहीं है वहां पर पशु चिकित्सालय, डिस्पेन्सरी खोलनी चाहिए ताकि इलाज हो सके। जिस वक्त में बीमारियां फैलती हैं तो गांव में बैल मर जाते हैं और समय पर इलाज नहीं होता है। इसलिए, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पशु-चिकित्सालय खोलने चाहियें ताकि गरीब किसानों के पशुओं में बीमारी न हों।

इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र के लिए कृषि उत्पादन के लिए, डेअरी के लिए, पशु-पालन के लिए जितनी योजनाएं हैं उनके लिए ट्राइबल सब-प्लान से रकम ट्रांसफर करा कर उनकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां पर गरीबी मिटे।

श्री सभापति : श्री चेतराम।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : सभापति महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैंने आपके बजट के इस सब्जैक्ट पर कटमोशन्ज दिये हैं। उनके ऊपर मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति जी, भारत कृषि प्रधान देश है और यह आंकड़ों से सिद्ध है कि यहां की 80 प्रतिशत जन संख्या खेती पर निर्भर करती है। पशु पालन खेती का एक पूरक धन्धा है। वास्तव में खेत पर हम देखते है कि सिर्फ 6 महीने ही वह बिजी रहता है और बाकी का समय जो है वह पशु-पालन में लगाता है। राजस्थान विशेष कर और प्रान्तों से ज्यादा पशुधन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर अच्छे किस्म की गायें है अलवर, झुन्झुनू, सीकर के एरिया मे, हरियाणा टाइप की भैंसे विशेष प्रसिद्ध हैं, लेकिन हम यह देखते हैं कि हमारी राज्य सरकार इस पशुधन की

(श्री चेतराम)

तरफ कितना ध्यान दे रही है और कितना नहीं दे रही है। इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज किसानों को जो समस्याएं हैं, खेती के बारे में निवेदन करूं, वह हैं बीज की समस्या, सिंचाई के साधनों की समस्या, पशुधन के लिये इलाज की सुविधा और भूमि के कटाव को रोकना और पौध संरक्षण।

आज हम देखते हैं कि जो बीज किसानों को मिलता है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वैरायटी बीज नहीं होता है। जो बीज किसानों को मिलता है उसमें भी हम देखते हैं कि किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि जो बीज उनको दिया जाता है उसके दाम इतने ऊंचे होते हैं कि किसान यह सोचता है कि इतने ऊंचे दामों पर बीज लेकर वह खेती करेगा तो उसके मुकाबले में प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। वह पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर अपना मन बनाता है। बीज जो वितरण किया जाता है उसके बारे में भी कई प्रकार की समस्याएं उसके सामने आती हैं। इस ओर मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रथम तो यह निवेदन है कि रबी या खरीफ का जो भी बीज दिया जाता है वह कभी समय पर नहीं दिया जाता है। अक्सर पहली बरसात होती है उस समय किसान के पास जो भी बीज होता है, वह पहली जुताई के बाद या कहीं-कहीं पर दूसरी जुताई में उसको बो देते हैं, कहीं-कहीं पर तो एक जुताई भी नहीं दी जाती। आपका बीज बाद में वितरण होता है, तब तक किसान अपना बीज बो देता है और वह बीज उसके पास समय पर नहीं पहुंच पाता है। पंचायत समितियों के द्वारा जो बीज बांटा जाता है उसमें ग्राम सेवकों द्वारा किसानों के साथ जबरदस्ती की जाती है। वे उस बीज को ले तो लेते हैं किसी प्रलोभन से लेकिन खेती में काम नहीं लेकर घर में प्रयोग करते हैं। इसलिए पहली समस्या तो किसान की है वह यह है कि उसको समय पर बीज का वितरण होना चाहिए।

सभापति महोदय, एक शिकायत यह भी देखने में आई है कि किसान इस विश्वास के साथ बीज लेता है कि किसी अच्छे फार्म का बीज है, वैरायटी बीज है लेकिन हम देखते हैं जो बीज किसान को दिया जाता है, वह उसी इलाके के किसी किसान से खरीदा हुआ बीज होता है, उसी मापदण्ड के अनुसार जितनी चमक होनी चाहिए और जितना मोटा होना चाहिए; लेकिन वह फार्म से नहीं खरीदा हुआ होता है जो अच्छा बीज होना चाहिए वह नहीं होता है। इसलिए किसान की जो धारणा है कि राज्य सरकार उसको अच्छा बीज वितरण कर रही है, यह धारणा समाप्त होती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि किसी अच्छे फार्म का बीज उचित दाम पर उसको मिलना चाहिए न कि लोकल वहां के स्थानीय लोगों से खरीदा हुआ बीज।

दूसरी समस्या खाद की समस्या है। यद्यपि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष यह समस्या उतनी ज्यादा नहीं है फिर भी इसके भाव बढ़ गये हैं। भाव जो खाद के बढ़े हैं इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होकर केन्द्रीय सरकार की पालिसी पर आधारित है। लेकिन

(श्री चेतराम)

फसल के टाइम पर जो पीक सीजन होता है, उस समय उसका वितरण नहीं किया जाता है या फैक्ट्री से देर से उठाते हैं या डीलर के यहां से देरी होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में डीलर्स को पाबन्द किया जावे जिससे खाद का वितरण किसानों को समय पर हो सके।

माननीय सभापतिजी, सिंचाई के साधनों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। भारत की जो खेती है वह बरसात पर आधारित है, समय पर अगर बरसात हो जाय तो फसल भी समय पर हो जायगी और समय पर बरसात नहीं हुई तो फसल भी धोखा दे जायगी। अगर अधिक बरसात हो गई, फ्लड आ गया तो खेती नष्ट हो जाती है, इसलिए भारत की खेती तो भगवान की मर्जी पर निर्भर है। इसके अलावा राज्य सरकार का जो सिंचाई का तरीका है, मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई के जो साधन हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, कुओं से, बांध से, और नहरों से। सरकार ने नहरें बनवाकर जगह-जगह पानी पहुँचाया है। लेकिन बांधों की जो स्थिति है, हालांकि यह सिंचाई मन्त्रीजी का काम है लेकिन इनकी मरम्मत वगैरह का जो काम है वह कृषि से सम्बन्धित है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में पुराने बांध हैं, तीन चार सौ के लगभग बांध हैं, राजा महाराजाओं के जमाने में बनाये गये थे, और आज स्थिति यह है कि उनकी मरम्मत भी नहीं हो रही है जब कि सवाई माधोपुर जिले में दूसरे और कोई साधन नहीं है इसलिये इनकी मरम्मत वगैरह करवाने के लिए, माननीय सभापति जी, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति जी, इसके अलावा मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले में ट्यूब वैल लगाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। वहां पर पानी बहुत मात्रा में है लेकिन राज्य सरकार ने ट्यूब वैल लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं निवेदन करूंगा कि केवल दो तहसीलों को नादौती और खण्डहार को छोड़कर शेष स्थानों पर किसानों की सुविधा के लिये सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये ट्यूब वैल लगाने की कृपा करें। जो किसान विद्युत से सिंचाई के साधन प्रयोग में लाते हैं, हालांकि यह विद्युत मन्त्री जी से सम्बधित है लेकिन किसानों को जो बिजली दी जाती है, वहां पर देखा गया है कि मौके पर किसानों से तय कर लिया जाता है कि तुम्हारी इतने हौर्स पावर की मोटर है एक बोरी लेवी, तुम्हारी इतने हौर्स पावर की है, दो बोरी लेवी की। अगर नहीं देते हैं तो उनकी बिजली डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान लोग परेशान हो रहे हैं, हालांकि यह विद्युत मन्त्रीजी से सम्बधित है लेकिन कृषि की समस्याओं से भी संबंधित है इसलिए निवेदन कर रहा था।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय मन्त्रीजी से पशु-धन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में जो कुछ भी पशुधन है उसकी संख्या को देखते हुए वह बहुत ही नगण्य है। पशुधन के बारे में हमारी कई समस्याएं हैं। पंचायत समितियों पर जो डिस्पेन्सरिय

(श्री चेतराम)

उनमें डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके लिये मैंने पिछले साल भी माननीय मन्त्रीजी को निवेदन किया था और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जहां पर डिस्पेन्सरियों के अन्दर डाक्टर नहीं है वहां पर डाक्टर भेजे जायेंगे। मैं भी उनसे मिला था फिर भी दो तीन साल हो गये लेकिन डिस्पेन्सरियों में कोई डाक्टर नहीं भेजे गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि डाक्टरों का इन्तजाम किया जावे। इसके अलावा पशुओं की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक पर्टीक्युलर सीजन के अन्दर होती हैं। बरसात के टाइम पर तीन चार तरह की बीमारियां होती है, वह अलग-अलग एरिया में अलग-अलग तरह से होती है। वह अक्सर टाइम से सीजन के अन्दर होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन बीमारियों की रोकथाम के लिये पंचायत-समितियों के द्वारा इस तरह का प्रबन्ध किया जाय, टीके लगवाये जायं या और कोई इन्तजाम किया जाय जिससे पशुधन की हानि नहीं हो। अधिकतर ये बीमारियां बरसात के सीजन में होती हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है इसलिए इसका इन्तजाम किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति जी, लघु सिंचाई की जो योजना चल रही है, ए. आर. सी. स्कीम के तहत, वह स्कीम 65 लाख रु. की है। यह योजना दो तीन कारणों से क्रियान्वित नहीं हो रही है। मैंने माननीय मन्त्रीजी से भी निवेदन किया था और उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेन्टल हैड को लिखा जा रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहली परेशानी तो है कि लोन जो देते हैं, पहली योजना बनी और राज्य सरकार को जब लिखा तो उसकी इन्क्वायरी हुई। रिजर्व बैंक के अधिकारी आये और राजस्थान सरकार के अधिकारी गये। हमने रिक्वेस्ट की कि इसका स्पेसिंग कम कर दिया जाय तो उन्होंने कम करने के बजाय 200 से बढ़ा कर 230 कर दिया। हमनें पुन: लिखा कि हमने स्पेसिंग घटाने की रिक्वेस्ट थी लेकिन आपने बढ़ा दिया। तो दुबारा आफिसर गये और उन्होंने 230 से बढ़ा कर 260 कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि योजनाओं के पर्टीक्यूलर नार्म्स बने हुए हैं–यह मैं मानता हूं लेकिन कहीं-कहीं की भौगोलिक स्थिति है और स्थिति हैं उनके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। टोडाभीम ऐसी है, जहां दो पहाड़ हैं और जिसको कहते हैं वेलो पहाड़ी की जड़ में इतना पानी है कि वहां देखा जाय तो बीस पच्चीस जगह पर कुए बने हुए हैं, छः छः हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। वहां पानी की कमी नजर नहीं आती है। पानी की कमी नहीं होती हैं यह उनको बतलाया राजस्थान सरकार के अधिकारी गये, रिजर्व बैंक के अधिकारी आये उनको रिक्वेस्ट की कि इसको घटाना जरूरी है, और हम सोचते हैं कि यह 100 मीटर कर देनी चाहिए। लेकिन वह नहीं हुआ और इस कारण से इस स्कीम के सफल होने में दिक्कत आयी। मैं निवेदन करूंगा कि इसके सफल न होने का दूसरा कारण है सिंगल पर्पज लोन। ऐसा है कि स्कीम में लोन दिया जाता है उसमें दो तीन काम हैं। कुआ बनायें, कुआ बनायें तो उसमें मोटर लगायें। मोटर लगायें तो दूसरा काम करें जिसको रेट 2400,2500 हैं। दूसरे पानी पहुँचाने के लिए पाइप लाइन

(श्री चेतराम)

के लिए लोन मांगते हैं तो कहते हैं कि सिंगल पर्पज के लिए लोन नहीं मिलेगा। लोन लेना है तो कुआ बनाओ, मोटर लगाओ। मैं निवेदन करूंगा कि कुआ पहले बना हुआ है। मोटर पहले लगायी हुई है। फिर कुआ बनाने के लिए लोन कैसे लें। क्या झूठा लोन लें। मोटर पहले लगी हुई है। क्या झूठा मोटर लोन लिया जाय। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है पाइप लाइन। पाइप लाइन पर्टीक्यूलर टाइप की प्रेस्क्राइब की गई है। हमारे यहां तीन मील पाइप लाइन के द्वारा पानी जा रहा है, प्राइवेट पार्टी है उनसे तय किया हुआ था। उनको बतलाया गया, जो स्कीम है उसके हिसाब से गेज किया, उसका हिसाब पूरा दिया ताकि सफलता मिले। लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिली। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भौगोलिक स्थिति है और दूसरी तरह की परिस्थितियां हैं, तो जो नार्म्स बने हुए हैं, अगर आप इन स्कीम को सफल बनाना चाहते हैं तो नार्म्स में इन कन्डीशन्स को देखते हुए रिलेक्सेशन करना जरूरी है वरना इसका फायदा नहीं मिलेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मैंने एक कट मोशन दिया था उसमें टोडाभीम में मण्डी के लिए रिक्वेस्ट की थी। लेकिन जो साइक्लोस्टाइल्ड कापी मिली है इसमें टोडा भीम के बजाय टोडारायसिंह छप गया है। ओरिजिनल कटौती प्रस्ताव में टोडा भीम था। मैं निवेदन करूंगा कि टोडा भीम नगरपालिका क्षेत्र है, तहसील हैडक्वार्टर है, वहां पूरी तहसील का अनाज आकर बिकता है, खरीद-फरोख्त होती है। आपने नार्म्स बना रखे हैं कि 25 हजार का ट्रान्जेक्शन होना चाहिए, 25 हजार पर सेल्स टैक्स होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि यह कण्डीशन्स सभी पूरी हैं। लेकिन इसको चौहटन तहसील से लगा रखा है। वहां से प्रस्ताव पास कर दिया कि इसको अलग कर दिया जाय और यहां पर सब यार्ड बनाये। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको मण्डी बना दिया जाय।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है वह है किसानों के प्राडक्शन की कीमत की। आज हम देखते हैं कि राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं, राज्य सरकार के जो फार्म हैं उनमें जो बीज पैदा किया जाता है, उनके दाम बढ़ गये हैं। माननीय मंत्री जी ने आज प्रश्न के जवाब में बताया था कि हमारे फार्म के द्वारा बीज पैदा किया जाता है, उसमें संकर बाजरा के दाम में 65 पर्सेन्ट बढ़ोत्तरी हुई है, मक्का के दाम में 33 पर्सेन्ट बढ़ोत्तरी हुई है, रतना धान में 9 पर्सेन्ट बढ़ोत्तरी हुई है, जो में 7.5 पर्सेन्ट बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन खुद के बारे में माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया है कि 105 के भाव आप तय कर दें, हम पर बड़ा अहसान होगा। जब राज्य सरकार अपने फार्म के द्वारा बीज पैदा करती हैं, उनके दाम 33 पर्सेन्ट, 65 पर्सेन्ट तक बढ़ जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार इतना नहीं हो सकता कि कीटनाशक औषधियों में बी. एच. सी. के मूल्य 1973–74 के मुकाबले में वर्ष 1974–75 में तिगुने हुए हैं और वर्ष 1975 में 50 प्रतिशत की कमी की गई हैं किन्तु अन्य कीटनाशक

(श्री चेतराम)

औषधियों के भावों में 50 से 100 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं, मैंने निवेदन किया, जो इम्प्लीमेंट्स हैं; उनके दाम भी बढ़ गये हैं, मजदूरी के दाम 75 में बढ़ गये हैं। सिचाई पर लगे हुए मजदूर हैं उनकी मजदूरी बढ़ गई है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बढ़ोत्तरी हो गई है, सबकी कीमत बढ़ गई है-तो मेरी समझ में नहीं आता किसान की पैदावार है, उसके दाम क्यों कम हो गये। राज्य सरकार यह कहती है कि निश्चित रूप से कम होने चाहिए। माननीय मन्त्रीजी ने आज यह भी बतलाया था कि गेहूं की कीमत है वह 33 पर्सेन्ट कम हुई है। सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी ने जो भाव दिये थे, उन्होंने पिछले बारह महीने के भाव लेकर एवरेज बता दिया और छः महीने के भाव लेकर इस तरह फरवरी तक एवरेज निकाल लिया और उस एवरेज के हिसाब से बता दिया। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इस समय किसान की जो हालत है, क्या राज्य सरकार सोचती है कि आज जो भाव है इसमें जो एवरेज आया है 120 रुपए पर क्विन्टल का आ गया, 120.40 एवरेज आ गया, तो क्या राज्य सरकार इस भाव पर खरीदने को तैयार है। आप एवरेज पर खरीद लीजिये। किसान की हालत यह हो रही है कि 80 रुपये क्विन्टल के हिसाब से गेहूं बिक रहा है। सरकार द्वारा गेहूं 105 में खरीदा जा रहा है, उसमें यह हालत हो रही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह 105 के भाव से खरीद रहे हैं लेकिन किसान को 90 दे रहे हैं। किसान सोचता है कि 85 की जगह 90 मिल गये, मुझे पांच रुपये का फायदा हो गया....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री चेतराम : इस प्रकार किसानों का शोषण हो रहा है।

इसी तरह से बाजरे के भाव में, माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि 37 पर्सेन्ट की कमी हुई है। सभापतिजी, जो आज बाजरे के भाव हैं, जैसे मन्त्रीजी 68.93 पैसे बताया, फरवरी के महीने में बाजरे का भाव 60 रुपये क्विन्टल का भाव आज है। पिछली साल इन दिनों में जनवरी के महीने में 300.34 का भाव था, फरवरी में 197.75 का भाव था और मार्च में 188.78 का भाव प्रति क्विन्टल था। मेरी समझ में नहीं आता, इस तरह एवरेज निकाल कर एक तरह से किसान के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। इस प्रकार के केन्द्रीय सरकार के सामने आपने आंकड़े रखे कि यह एवरेज आ रहा है, यह दाम दे दें। इस प्रकार किसानों के साथ में ज्यादती हुई है।

इसी तरह से आंकड़े सभी चीजों के हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि आज भी देश की 80 प्रतिशत पापूलेशन खेती पर आधारित है, खेती पर या खेतिहर मजदूर हैं, 10 पर्सेन्ट जनसंख्या हैं वह खेती से पैदा होने वाले माल पर आधारित हैं। 90 प्रतिशत जनता जिस पर आधारित हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे। मैं सोचता हूं कि किसान की हालत खराब होती है, माली हालत खराब होती है तो निश्चित रूप से यह घाटे का सौदा होगा, वह प्रोडक्शन गिरायेगा, वह इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, खाने लायक प्रोडक्शन करेगा। जब आप उसको कुछ नहीं दोगे तो पैदावार कम होगी और पैदावार कम होगी तो मजदूर

(श्री चेतराम)

भूखे मरेंगे। इस तरह की हालत हुई तो भारत का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि अनाज के प्राडक्शन की कीमत है, वह गेहूं की कीमत 125 से कम नहीं होनी चाहिए और इस तरह सबके भाव निर्धारित किये जाने चाहिए। बस मेरा निवेदन यह है।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा): सभापति महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि काश्तकारों की बात चल रही है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि काश्तकार राजस्थान में बहुत परेशान है। वह काश्तकार जो गल्ला पैदा करता है, जो कि यहां मन्त्री साहबान व बड़े-बड़े अधिकारी साहबान को खिलाता है, इसलिए उसके साथ आपकी हमदर्दी होनी चाहिए। मन्त्रीजी को तो हमदर्दी है लेकिन बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको भी हमदर्दी होनी चाहिए। हमारे यहां कई तरह से रेगिस्तान है, कहीं कम है कहीं ज्यादा। जहां से मैं आया हूं पूर्वी राजस्थान से वहां इतनी बारिश होती है कि फसल गल जाती है। ज्वार वहां होती नहीं मक्का होती नहीं। आपको पता है कि गल्ला कितना सस्ता है। (80,85 व 90) प्रति क्विंटल बिक रहा है जो दो ढाई सौ रुपये का भाव था। बेचारे काश्तकार पर तरह-तरह का टैक्स लगा दिया। चाहे मूंगफली हो, गन्ने हो, मिर्ची हो सब पर कर लगा दिया, वह देगा कहां से? सैटलमेंट होता है, लगान कायम होता है लेकिन उसके पास क्या जरिया है? इधर प्राइसेस घटती हैं उधर पटवारी जाता है। सरकार काश्तकारों पर 1½ गुना, दुगुना लगान लगाती है उस पर फिर सरचार्ज। वह तो माफ होना चाहिए। तो जो सरचार्ज लगा रखा है वह माफ होना चाहिए, यह कानून के खिलाफ है।

हमारा एरिया पिड़ावा है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आज 27 साल तक सरकार ने क्या किया? सरकार ने कौनसी योजना बनाई? कोई नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं, राजस्थान में कितने ही करोड़ खर्च कर रहे हैं लेकिन कोटा व हमारी तरफ कितना किया है? ठीक है, होना चाहिए लेकिन झालावाड़ को आपने बिल्कुल नजरअन्दाज कर रखा है। बिजली नहीं, नहर नहीं, कुए जरूर हैं। काश्तकार खेती करना जानता है लेकिन साधन नहीं और उसके अलावा ट्यूबवेल्स भी नहीं हैं। अगर स्कीम लागू की जाती है तो ट्यूबवेल्स खोदे जा सकते हैं तो मैं कृषि मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पिड़ावा के अन्दर ट्यूब वेल्स की स्कीम लागू करें।

काश्तकार को बहुत सी तकलीफ है। अब तो पटवारी की मर्जी है चाहे तो एक किश्त में वसूल करे चाहे दो किश्तों में। जो रिश्वत देता है उसकी दो किश्तें करता है जो नहीं देता है उससे पूरा लगान वसूल किया जाता है। न तहसीलदार सुनता है न कलेक्टर। गल्ला सस्ता है, वह पहले ही परेशान है। अपना पेट काटकर देता है। आप नोट कर लें।

काश्तकार जिसको रीढ़ की हड्डी समझते हैं उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं? जिसकी कमाई का अन्न आप खाते हैं, उसका तो ध्यान रखना चाहिए। शहरों में रहने वाले एम० एल० एज० की किसान से क्या हमदर्दी हो सकती है? हमारे कृषि मन्त्री निहायत समझदार हैं, खेती करना

(श्री हाजी जान मोहम्मद)
जानते हैं और काश्तकारों की तकलीफों को समझते हैं इसलिए कितने काश्तकार हैं उनकी मदद करने की कोशिश करें....

श्री शंकरलाल : एम० एल० एज० में सभी शामिल हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : एक किस्म एम० एल० एज० का है जो गांवों में रहता है दूसरा शहरों में, उनका क्या मतलब है काश्तकारों से ? जहां तक ट्रैक्टर्स का सवाल है जैसा बिश्नोईजी ने कहा, इनको सस्ता किया जाय ताकि गरीब किसान को-आपरेटिव सोसाइटी बनाकर लेना चाहे है तो ले सके। मेहरबानी करके इसकी प्राइस को कम किया जाए ताकि उसको मौका दिया जाए ट्रैक्टर खरीदने का। ट्रैक्टर से वह ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा कर सकेगा।

इसके अलावा हमारे यहां अफीम पैदा होती है उसकी खेती को बीमारी लग जाती है। कितनी ज्यादती है कि पटवारी उनका पट्टा काट देता है—

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अफीम की खेती बन्द हो गई।

श्री हाजी जान मोहम्मद : अभी चोट लगी है, हमारे यहां तो चालू है, मैं तहसील पिड़ावा की बात करता हूं। हमारे यहां आहू नदी है उस पर कोई बन्ध नहीं है। जहां और जगह करोड़ों रुपये लगाए जाते हैं हमारे यहां एक पैसा नहीं लगाया जाता है। मैं माथुर साहब से निवेदन करना चाहता हूं वह कृषि मन्त्री हैं वह यदि वहां पर एक आध बन्धा बनवा देंगे तो हजारों काश्तकारों का फायदा होगा। (श्रीमती सुमित्रा के कुछ कहने पर) हमारी कौन मानेगा ? जब चौधरी साहब आपकी ही नहीं मानते हैं तो हमारी कौन मानेगा ? हमारे यहां जब बारिश हो जाती है तो जमीन कट जाती है। मेहरबानी करके मेढ़बन्दी करें ताकि कटे नहीं। ऐसी स्कीम लागू की जाए कि जमीन कटे नहीं और पैदावार बढ़े।

इसके अलावा काश्तकारों को बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं तो उनको बन्दूक की जरूरत पड़ती है लेकिन पुलिस लाइसेन्स नहीं देती। पिड़ावा का काश्तकार बन्दूक रखना चाहता है। बड़ी बन्दूक नहीं, ऐसी बन्दूक ताकि अपनी खेतीबाड़ी की रखवाली कर सके लेकिन न एस. पी., न तहसीलदार न कलेक्टर सुनता है। मेहरबानी करके नोट करें। इन लोगों की जो जायज मांगें हैं वह तो आप मान लें तो ठीक रहेगा। इसके लिये मैं आपको गुजारिश करूंगा कि मन्त्री महोदय कलेक्टर को यहां से आदेश भेजें और कलेक्टर को आप जोर देवें ताकि उन लोगों को बन्दूकों के लाइसेन्स दिये जावें। सभापति महोदय, मैं थोड़ा डेयरी के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जिला झालावाड़ में कुछ लोगों ने हरियाणा से पशु लाकर डेयरी का काम वहां पर शुरू किया है। लोग भैंसें लेकर आये। उन लोगों ने मुझे कहा कि दूसरे जिलों में डेयरी खुल रही है हमारे यहां पर डेयरी की स्कीम खुलनी चाहिए। उन लोगों ने मुझसे यह भी कहा था कि आप हमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से मिलाओ। मैं उनको आपके पास लेकर आऊंगा। उन लोगों ने 20-25 भैंसें हरियाणा से खरीद कर डेयरी का काम शुरू किया है। अगर आप दूसरी जगह डेयरी

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

का काम शुरू कर सकते हैं तो झालावाड़ में क्यों नहीं खोल सकते हैं।

सदरे मोत्तरम, दूसरी जो गुजारिश मैं करना चाहता हूं वह है आपने हमारे यहां पर बिजली की कोई नयी लाइन नहीं खोली है और न ही काश्तकारों को बिजली का फायदा दिया है। आप एक तरफ तो काश्तकारों को फायदे पहुँचाने की बात करते हैं दूसरी तरफ आप काश्तकारों को कोई इन्सेन्टिव नहीं दे पा रहे हैं। आपने बिजली का फायदा कुछ खास-खास इलाकों में या शहरों के दिया है लेकिन आपने देहात में कोई काम नहीं किया है। काश्तकारों की हालत बहुत खराब है। उनमें बहुत भारी रोष फैला हुआ है। वहां आज झालावाड़ में गल्ला आ गया है और अनाज के भाव गिरने लग गये हैं। वहां पर 80-90 रुपये क्विन्टल अनाज हो गया है। आपको चाहिये कि काश्तकारों के लिये 125 रुपये गेहूं के भाव तय किये जायं। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि काश्तकारों को अपने अनाज के भाव ठीक मिलें। इसके लिये आपको कलेक्टर को आॅर्डर देना चाहिये। लोगों से लेवी लो लेकिन उनको लेवी के अनाज के पैसे आज दिन तक नहीं मिले हैं।

श्री शिवचरण माथुर : कहां नहीं मिले।

श्री हाजी जान मोहम्मद : हमारे उधर नहीं मिले। लोग बेचारे रोते घूम रहे हैं। यह बहुत भारी ज्यादती है।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री हाजी जान मोहम्मद : सदरे मोतरम, देवपुरा साहब आ गये हैं, मैंने उनसे भी कई बार बिजली के बारे में अर्ज किया है आपने आज दिन तक कोई नये बिजली कनेक्शन काश्तकारों को नहीं दिये हैं। आपने सिर्फ एक कन्हैयालाल पटेल के फार्म पर तीन लाख रुपये लगा कर बिजली दी इसके अलावा आपने बिजली के लिये कोई खर्चा झालावाड़ जिले में नहीं किया है। अब मेरी गुजारिश है कि आप हमें वहां के लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली कनेक्शन दें। कम से कम एक लाख रुपया तो आप वहां के लिये खर्च कर रहे हैं। आपने दूसरे इलाके में करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। माही प्रोजेक्ट के लिये और राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के अन्दर आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो फिर आप झालावाड़ के लिये क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर वहां की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको वहां पर सड़कों का, सिंचाई का, और बिजली का विकास करना चाहिये। इसके अलावा हमारे वहां पर डेयरी खोली जानी चाहिये। आखिर हम भी तो यहां के निवासी हैं।

श्री शंकरलाल : आपने देवपुरा साहब से कहा पर चौधरी रामनारायणजी से नहीं कहा।

श्री हाजी जान मोहम्मद : रामनारायण चौधरी साहब तो मुझे चचा-चचा कहते है वे मेरी कही हुई बात टालते ही नहीं। इसलिये हमारी आपको दरख्वास्त है कि आप कुछ तो झालावाड़ की जनता के लिये करो। नहीं तो आज किसान बहुत ही जागरूक हो गया है। किसान बहुत ही परेशान है उन्हें आप राहत दिलावें। आखिर हमारी आपको कुछ तो बात माननी चाहिये, हम भी सत्तर हजार की आबादी वाले लोगों से जीत कर आये हैं।

श्री शंकरलाल : आप बड़े काबिल हैं इसलिये आपको जिता कर भेजते हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जो मैंने अर्ज किया है उस पर गौर फर्मा कर झालावाड़ जिले की जनता के विकास के लिये कार्य करें।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने कृषि, पशुपालन और डेयरी के सम्बन्ध में मांगों पर अपने कट मोशन प्रस्तुत किये है। सबसे पहले मैं कृषि पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। सभापति महोदय, हमारा जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है उसका जो पहला सूत्र है उसमें यह लिखा हुआ है कि हमें कृषि की पैदावार को बढ़ाना है। और इसके साथ-साथ में इन्फ्लेशन को रोकने के लिये भी हमें उपाय करना है। सभापति महोदय, प्रकृति की बड़ी कृपा रही और राज्य सरकार के प्रयासों तथा किसानों की मदद से हमारे यहां पर कृषि का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ। सभापति महोदय, सन् 75-76 में हमारे यहां पर 75 लाख टन खाद्यान्न पैदा करके हमने एक रिकार्ड कायम किया। लेकिन यहां पर स्थिति इन्फ्लेशन की यह रही कि अनाज के भाव गिरने लग गये।

सभापति महोदय, खाद्यान्नों के लगातार भाव गिरने की वजह से तथा काश्तकार को दूसरी फैसीलिटीज नहीं मिलने के कारण किसान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है जिससे आज किसानों में भारी चिन्ता फिक्र हो रही है। अब स्थिति यह है कि ऊन तो सस्ती मगर ऊन की बनी हुई चीजें महंगी, कपड़ा महंगा, कॉटन चीप है लेकिन कपड़ा बहुत अधिक महंगा हो गया है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसी पालिसी लेडाउन करे जिससे कि काश्तकार को नुकसान नहीं हो। अगर इस पर आपने गम्भीरतापूर्वक नहीं सोचा तो मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से कि अब किसान ज्यादा दिन तक इस हालत को टोलरेट करने वाला नहीं है। आपको दूसरी फैसीलिटीज किसान को देनी पड़ेगी। आप जितना कपड़ा बाजार में ला रहे हैं उसके लिये आपको विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा चीप हो। इसके लिये हमें कोशिश करनी चाहिये। आपको किसानों के लिये मोटा कपड़ा देना चाहिये क्योंकि किसान मोटा कपड़ा ही पहनता है और वह टिकाऊ भी ज्यादा होता है। अगर इस प्रकार की कोई किसानों को राहत दिलाने की आप योजनायें क्रियान्वित करेंगे तो ही आप किसानों को सन्तोष दिला सकते है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को, जो कि भूमिहीन हैं, जमीनें तो एलॉट जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप को उसके साथ-साथ किसान को दूसरी फैसीलिटीज जैसे सस्ती बिजली, सस्ती खाद और उन्नत किस्म के बीज भी समय पर दें। नहीं तो आज जो सीमान्त और लघु कृषक हैं या भूमिहीन कमजोर वर्ग के किसान हैं जिनको कि आपने अभी जमीन दी है वह पनप नहीं सकेंगे। आप उन्हें फर्टीलाइजर्स चीप रेट्स पर दें अन्यथा यह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

छोटे कृषक दूसरे कृषकों के कोम्पीटीशन में कहीं भी नहीं टिक पायेंगे। बाद में एक स्टेज यह आ सकती है कि यह लघु और सीमान्त कृषक–काश्तकारी छोड़ कर शहरों में भाग जायेंगे और वहां पर जाकर मजदूरी करेंगे। They will be squeezed out. इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरता से सोचे। और उस पर गम्भीरता से मनन करने के पश्चात् कुछ कार्यवाही करें। क्योंकि हम यह स्थिति पैदा कर रहे हैं, अधिक से अधिक जमीन देना चाहते हैं, अच्छा है देनी चाहिये भूमिहीनों को, हम भी यह चाहते हैं कि उनको सुविधायें दें जिससे कम्पीटीशन में स्टेन्ड कर सकें।

दूसरी बात यह है कि बीज जो हमारे यहां बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में वितरित हुआ है, संकर बाजरे का, उसमें से 33 क्विन्टल खराब बीज था। डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर आये–ग्रोन दी स्पॉट, मौके पर उन्होंने उसको देखा और इस बात को मान गये कि 33 क्विन्टल बीज दूनी पंचायत समिति में डिस्ट्रिब्यूट किया गया उसके कारण वहां के किसानों की फसल बरबाद हो गयी। कुछ भी पैदा नहीं हुआ। प्रश्न भी मैंने पूछा और जवाब यह दिया गया कि जांच हो रही है। जांच हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला और किसानों का जो नुकसान हुआ उसको किस प्रकार से कम्पेन्सेट करने जा रहे हैं? कम्पेन्सेशन के लिये इसलिये कह रहा हूं कि हमारे जिले में इस प्रकार के बीज के वितरण के कारण संकर बाजरे के बीज पर विश्वास हट गया। उनमें विश्वास पैदा करने के लिये आवश्यक है कि जिनको बीज वितरित किया गया है उनको कम्पेन्सेन्ट करना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि बाड़मेर जिला 13 हजार स्क्वायर मील में फैला हुआ है, उसमें जिला कृषि कार्यालय नहीं है। पांच साल पहले डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस, बाड़मेर और जैसलमेर को मिलाकर बना था. इकोनोमिक मेजर्स एडोप्ट किये तो बाड़मेर से उसको हटा दिया गया। डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये बाड़मेर में कृषि कार्यालय की आवश्यकता और भी बढ़ गयी है क्योंकि हम उन कार्यक्रमों को सफल करना चाहते हैं। सब जिलों में जिला कृषि कार्यालय होना चाहिये ताकि हर जिले में कन्ट्रोल और नियन्त्रण बना रहे इसके हुए बगैर डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम पूरे नहीं हो सकते। इतना बड़ा जिला नियन्त्रण नहीं कर सकते बिना जिला कृषि अधिकारी के। बार-बार कृषि अधिकारी आये और जाये यह सम्भव नहीं है। इससे डी. पी. ए. पी. के काम में बाधा उपस्थित होती है। आप अर्थाभाव का कारण बता देते हैं। आवश्यक कार्य है और अर्थाभाव के कारण यह पूरे न हो सकें तो यह हमारे साथ में अन्याय होगा।

जिला कृषि उपज मण्डी मुख्यालय बाड़मेर नगर को कृषि उपज मण्डी के लिये जमीन दी गई वह एक किसान से ली है। वह जमीन कृषि की जमीन थी, कोई आबादी की जमीन नहीं थी। महावीर कोलोनी में जो जमीन दी थी उससे वह 10 टाइम्स अधिक दामों की है। विधान सभा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

मैं प्रश्न भी उठाया था। उन्होंने एडमिट किया है। कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुँचाने के लिये और 350 रुपये के हिसाब से कीमत देनी पड़ी। इसकी जांच करनी चाहिये और जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाना चाहिये। यह भी आपसे निवेदन है।

लघु एवं सीमान्त कृषक कौन है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषक कौन होगा? कौन कितनी जमीन प्राप्त करने वाला लघु किसान होगा और सीमान्त कृषक होगा? यह स्पष्ट नहीं है। लघु और सीमान्त कृषक की जो डेफिनेशन एक्ट में आयी है वह डेफिनेशन है उसमे 3.7 हैक्टेयर, जो 22 बीघा जमीन होती है, और 44 बीघा जमीन होती है लघु कृषक के लिये। हमारे यहां 75 बीघा है। अगर कन्सीडरेशन करें तो स्टेन्डर्ड एकड़ का करें। सीमान्त कृषक की डेफिनेशन स्पष्ट करनी चाहिये कि कौन लोग फेसिलिटी उठा सकेंगे और किनको देना चाहते हैं। डेजर्ट एरिया के लिये स्पष्टीकरण करना बहुत ही आवश्यक है।

अब बाड़मेर मुख्यालय के बाड़मेर नगर में चिलिंग प्लांट लगाने के लिए कट मोशन रखा। डी.पी.ए.पी. का कार्यक्रम चल रहा है। वह धीमी गति से चल रहा है। पहले कार्य शुरु हुआ। मेम्बर तक तय नहीं किये गये। दिसम्बर 75 में तय किये हैं। फिर मीटिंग क्या करेंगे? एक मीटिंग हुई है। फण्ड्स जो प्रोवाइड किये गये वे बहुत कम किये गये। हमारे जिले में विद्युत् के बारे में फन्ड्स प्रोवाइड नहीं किये। जालोर में किये। दूसरे कार्यक्रम के लिये तो प्रोविजन्स हैं, लेकिन विशेष कार्यक्रम के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये कोई प्रगति डी.पी.ए.पी. में नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि डी.पी.ए.पी. में खर्च करने जा रहे हैं 4।। करोड़ रुपया, 2 वर्ष हो गये, किस प्रकार से करेंगे? प्रान्त को शेयर देना पड़ता है। आप हमारे जिले में खर्च नहीं करने जा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण करें। जिला बालोतरा के लिये चिलिंग प्लॉन्ट मन्जूर किया। मुख्यालय बाड़मेर नगर में भी स्थापित करें 20 हजार लीटर की केपेसिटी का। यह बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। फण्ड्स की डिफिकल्टी नहीं हो सकती। 4।। करोड़ रुपया आ रहा है तो आप एक्स्टेन्ड कर सकते हैं। बाड़मेर नगर में होने से चौहटन, शिव के क्षेत्र तक 20 हजार लीटर से भी अधिक दूध बाड़मेर टाउन को थोड़े अर्से में सप्लाई कर सकेंगे यह मैं याद दिलाना चाहता हूँ।

अब पशुपालन के सम्बन्ध में जो मेरी खास समस्या है, मुझे दिखता है कि आप मेरी समस्या का हल अवश्य ही करेंगे! क्योंकि मैंने कल ही प्रश्न पूछा था। राजस्थान प्रान्त में एक बाड़मेर जिला ही ऐसा जिला है कि जहां पशु चिकित्सालय का भवन नहीं है। मैं इस प्रश्न को बराबर 5 सालों से लगातार उठा रहा हूं। जहां पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, 22 लाख पशु बाड़मेर जिले में हैं, वहां मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय का भवन भी नहीं है। तो आप हमारी इस समस्या को हल करके हमें सन्तोष दिलायेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री सभापति: श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय; आज की डिमाण्ड्स के

(श्री मोहरसिंह)

मुतल्लिक 8 कटमोशन्स मैंने रखे हैं। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में कृषि, पशुपालन और डेयरी तीनों मांगें एक ऐसे तबके से ताल्लुक रखती हैं जो कि देश और प्रान्त के जीवन का आधार है। किसान शान्ति के टाइम में जो बहुतायत से अन्न पैदा करता है और फौज में जाकर देश की बाउन्ड्रीज की रक्षा करता है। किसान के ऊपर देश को आगे बढ़ाने का बड़ा भारी दायित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन आज जिस प्रकार से किसान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यह वास्तव में गम्भीरता से सोचने की बात है। सभापति महोदय, सेशन के शुरू से ही माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रश्नों के रूप में किसान की दिक्कतों को हाउस में दर्शाया गया, भाव के कारण किस प्रकार से किसान दुखी है, किसान न्यूनतम सिंचाई सुविधाओं से किस प्रकार परेशान है, साथ ही साथ में टैक्सेज की मार से किसान दब रहा है। जमीन प्राप्ति हेतु जो फार्म्स राजस्थान कैनाल में भरे गये उनकी कीमतें बढ़ाकर किस प्रकार से दबे हुए किसान को दबाने की कुचेष्टा की जा रही है यह विभिन्न सदस्य महानुभावों द्वारा बार बार सदन के अन्दर प्रतिबिम्बित किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी सभापति महोदय, मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई माकूल जवाब किसान के स्तर को आगे बढ़ाने की बात तो दूर रही, किसान जिन्दा रहे, इन्सान की जिन्दगी वह बसर कर सके इसके लिए भी कोई माकूल जवाब हमारे सामने नहीं आया।

(6. 53. सायं)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई, सभापति, पीठासीन)

माननीय सभापतिजी, यह डिमाण्ड और भी ज्यादा महत्व रखने वाली बनती जा रही है जब देश के अन्दर एक तरफ प्रधान मंत्री जी के बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शोर हो रहा है। एक तरफ देश के अन्दर जो इमर्जेन्सी लगी हुई है, दूसरी तरफ गरीबों की संख्या, जिन्दा रखने के लिए जो लाइन है, उससे नीचे 67. 67 तक पहुंच चुकी है और तीसरी तरफ ज्यादा महत्व यह डिमाण्ड इसलिये रखती है कि आज हमारे संजय गांधी जगह-जगह भाषणों में और प्रवचनों में यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि वाम पंथी और दक्षिण पंथी विचारों को छोड़ो। एक तरफ प्रधान मंत्री कह रही हैं कि बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से गरीबों को ऊंचा उठाया जाये और दूसरी तरफ यह प्रवचन कि वाम पंथी दक्षिण पंथी भावनाए छोड़ें। देश को आप किधर ले जा रहे हैं? इस विरोधाभास माहौल में आज हम विचार कर रहे हैं कि कृषि और किसान की तरक्की कैसे हो? पशुओं की तरक्की कैसे हो, डेयरी फार्म की तरक्की कैसे हो? माननीय सभापति महोदय, आज किसान को सबसे ज्यादा आकर्षण भाव का है। किसान अपनी जिन्स अधिक पैदा करके अपना उत्पादन ज्यादा बढ़ाना चाहता है लेकिन उत्पादन बढ़ाने के बाद जब अपना जीवनयापन करने के लिये पैसा प्राप्त करने के लिए उत्पादन बेचने जाता है तो जैसे मोर अपने पैरों की तरफ देखकर रोता है उसी तरह से किसान की हालत हो जाती है। वह किसान जो 18 घन्टे काम करता है, जो रात को भी सपनों में चौंक पड़ता है, फागुन का महीना है उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि दयासिन्धु कान्नी का सर मत लीज्यो। जब से वह बीज डालता है और अनाज पैदा करके लाता है

Page No 168

(168)

(श्री मोहरसिंह)

रात दिन उसके सामने दिक्कतें और अनेक परेशानियां मुंह बाये खड़ी रहती हैं दिक्कतों से अनाज पैदा करके अपने घर में डालता है और फिर दो पैसे प्राप्ति के लिये बाजार की तरफ जाता है तो उसको क्या भाव मिलता है ? किसान हृदय माननीय सदस्यों ने इसके लिये बड़ी चिन्ता प्रकट की है, इस बात की तो मुझे खुशी है लेकिन ट्रेजरी बेंचेज, मंत्रीमण्डल या केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के अभी तक कान पर जूं नहीं रेंगी है। 250 रुपये के भाव में लिया हुआ अन्न है, आज उसको जो भाव मिल रहा है वह कितना नीचा है ? पिछली साल का लिया हुआ कर्ज उसे चुकाना है। यह जिंदगी है जिसमें किसान चल रहा है । यह हालत है जिसको हमें महसूस करना चाहिए।

मैं मिनिस्टर साहब को जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि वह दिल्ली में जाकर जोर डालें इस बात के लिए कि कृषि की उन्नति क्या हम इन भावों से कर सकेंगे ? क्या लाभ है किसानों को जिनकी जिन्दगी रात और दिन मुसीबतों में कटती है। उसको चौथाई भाव आप आज दे रहे हैं । पहले का लिया हुआ कर्जा उसको अभी भी देना है, अगली फसल तक के लिए खाने को रखना है। मैं देख रहा था अभी-अभी आपके डिपार्टमेंन्ट ने पांच नक्शे पेश किये है, सिंचित क्षेत्रफल (कुल), खाद्यान्नों का उत्पादन, उर्वरकों की खपत (एन. पी. के. तत्वों में), नकदी फसलों का उत्पादन और गन्ना उत्पादन टनों में। है कोई नक्शा आपके पास में भावों के गिरावट का कि भावों में गिरावट कितने प्रतिशत हुई ? क्या आपका विभाग अधूरा काम नहीं कर रहा है ? क्या आपका विभाग खिलवाड़ नहीं कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा है किसानों के साथ पुरजोर शब्दों में कह रहा हूं कि क्या किसानों के साथ यह गद्दारी नहीं है ? क्या किसानों के साथ यह पूरी तरह से शोषण का तरीका नहीं अपनाया जा रहा है ? सभापति महोदय, इस प्रकार से आज किसान परेशान है, भावों में टूट है और फिर कहा जाये कि उत्पादन बढ़ाओ । हां ठीक है उत्पादन हम बढ़ायेंगे। किसान भी आज खुशहाल होना चाहता है। हम किसान हैं, हमें जिन्दा रहना है। हम भी जिन्दा रहना चाहते हैं और देश की जनता को जिन्दा रखना चाहते हैं। हम भी देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं, देश को रोशन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बर्बाद भी नहीं होना चाहते हैं। हम भी जिन्दा रहना चाहते हैं। हमारे भी बच्चे हैं। हमें भी किसी तरह से आगे बढ़ना है, अपनी संतानों को बढ़ाने के लिए सही ढंग से काम करने के लायक जिन्दा रखना चाहते हैं। जिन्दगी का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं । तो यह भावों की दिक्कत मैंने आपके सामने रखी।

इसके साथ में जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उन पर भी आप नजर डालकर देखें। मैं क्या बताऊं, गन्ना किसान के पास है और गन्ना लेकर मिल वाले के पास जाता है तो भाव खूब सस्ता लेकिन चीनी खरीदें तो मंहगी। कपड़ा खरीदें तो महंगा; कपास बहुत सस्ता। कोई बोलने वाला नहीं, कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं। उसकी समस्याओं की ओर देखने वाला नहीं और वजन सारा उसी पर डाल दिया जावे ? इसलिए सभापति महोदय, हमने कभी उसको देश का अन्नदाता नहीं समझा, कभी हमने उसको

(श्री मोहर सिंह)

देश का रक्षक नहीं समझा। सारे फजियात उस पर डाल दिए लेकिन उसकी तकलीफ को कभी नहीं देखा इसीलिए तो आज भावों में गिरावट है। यह सचाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि कृषि मंत्रीजी दिल्ली जावें और दिल्ली में बात करके इस बात की घोषणा करें कि हम भावों में किसान को नहीं लुटने देंगे। अब तक तो लुटने दिया लेकिन अब नहीं लुटने देंगे। जब वह अपनी चीज बेचता है तो मिट्टी के भाव और जब उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने जाता है तो चान्दी के भाव। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां जा करके, जगजीवन-रामजी से मिल कर, जो पोजेंट्री लॉबी है पार्लियामेंट में, सेंट्रल केबिनेट में मंत्री हैं उनके साथ में गुफ्तगू करके, उनसे वार्तालाप करके किसानों के लिए कोई राहत दिला कर हमें संतोष दिलायें। हम किसान की उन्नति चाहते हैं, हमें भी कुछ खाने को मिलेगा, हमें भी जिन्दा रहने का मौका मिलेगा। हमारी जिन्दगी भी खुशहाल बन सकेगी। वह चीज करके बतायें।

सभापति महोदय, भावों के बारे में बार बार कहा गया है और अब इतना ही कह देना चाहता हूं कि हम लोग चुपचाप नहीं बरदाश्त करेंगे, इस खिलवाड़ को चाहे आपकी इमर्जेंसी हो और चाहे आप कुछ भी सिर पर लाकर डाल दें लेकिन किसान को जिन्दा रहना है तो वह चुप नहीं रहेगा। यह आपको करना पड़ेगा। कृषि मन्त्री साहब, यह जिम्मेदारी है आपको, आप जा करके दिल्ली में साफ तौर पर वार्तालाप करके कोई न कोई हमारे लिए रास्ता तय करें और हमें साफ और से बतावें कि किसानों की अब तक ठगाई तो हो गई लेकिन आयन्दा सरकार सचेत है और किसानों को गेहूं के साथ-साथ,जो है, चना है, कपास उनका है इस तरह के किसानों को जिन्दा रखने के लिए भाव देना चाहती है और इस प्रकार से किसानों की पैदावार में इतना इजाफा करना चाहती है। हम आपके मुखारबिन्द से यह सुनना चाहते हैं यह हाउस का सत्र क्लोज हो उसके पहले-पहले।

इसके साथ-साथ; सभापतिजी, बहरहाल हम जिन्दगी जी रहे हैं, हम जिन्दा हैं; हमें जिन्दा तो रहना ही है इसलिए किसान का वैसे काम कृषि उत्पादन है, उसकी बढ़ोतरी के साथ उसका पशु-पालन का धन्धा भी है। उसमें ज्यादा तरक्की करने के लिए दूसरा धन्धा डेयरी वगैरह का है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी फिजा में, ऐसे माहौल में, बहुत बुरी तरह कष्ट में होने के बावजूद किस तरह से आगे बढेगा किसान, यह हैं कुछ मौलिक प्रश्न। यह हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके ऊपर विचार करना है आपके डिपार्टमेन्ट को, आपके अधिकारियों को सभापतिजी, आपके मार्फत मैं मन्त्रीजी से साफ कह देना चाहता हूं कि 17 पर्सेन्ट जमीन अभी तक सिंचित बनाई जा सकी है राजस्थान में। सभापति महोदय, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोड़ा है पानी का न मिलना। आज सारा राजस्थान निर्भर है उस पर। अगर बारिश हो गई तो दाना पैदा हो गया, वर्षा नहीं हुई तो डिपार्टमेन्ट यह कह देगा कि वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया। अब की दफा अनाज ज्यादा पैदा हो गया है क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई लेकिन आपने इसमें क्या चार चांद लगा दिए? आपने

(श्री मोहर सिंह)

कौनसा इजाफा कर दिया? आपने कौनसी तरक्की कर दो? वर्षा हुई तो नाज विशेष हो गया, नहीं हुई वर्षा तो अकाल पड़ गया। इसके साथ आपके भी तो कुछ फर्जियात हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके भी तो कुछ कर्त्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। किस तरह से किसान ज्यादा अन्न पैदा करे? अन्न ज्यादा पैदा करने के लिए सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए नहरें चाहिए लेकिन नहरें लाने के लिए आप कहते हैं, पैसे की दिक्कत है। उसके साथ-साथ ट्यूब वैल हैं। ट्यूबवैल्स में भी काफी परेशानियां हैं। कनेक्शन मिलने में परेशानी, कनेक्शन चालू करने में परेशानी, कनेक्शन टूट जाय तो दो-ढ़ाई हजार रुपये बिना वापस जुड़े नहीं। ये सारी चीजें हैं। कोई कहेगा लाओ प्रमाण। एक प्रमाण तो मैं बताता हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब टाइम निकालिये और चलकर देखो शेखावाटी और राजगढ़ के इलाके को। मैं साबित कर दूंगा इस बात को। लोगों ने कर्जा लिया। बड़ी मुश्किल से कनेक्शन मिला, मोटरें लगाई। एक बार जली फिर ठीक कराई क्योंकि सिंचाई का काम चालू रखना है, माननीय सभापति महोदय, यह हालत है ट्यूबवैल्स की। जो बिजली कुए पर है सिंचाई हेतु उनके सम्बन्ध में बड़ी मुश्किल हो रही है। दो-चार दिन पहले राजगढ़ के लोग मिले थे और आज शेखावाटी के लोग मिले तो कहने लगे कि भाई बड़े नुकसान जा रहे हैं। मैंने हरियाणा के किसानों से पूछा था, जिला महेन्द्रगढ़ में काफी ट्यूबवैल्स हैं। वहां एक बिजली के कुए वाले किसान से हिसाब पूछा कि बताओ कि सौ में से कितने प्रॉफिट में चल रहे है, कितने बराबर चल रहे हैं और कितने लॉस में चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 25 पर्सेन्ट प्रॉफिट में चल रहे हैं, 25 बराबर में चल रहे हैं और 50 डेफिसिट में चल रहे हैं। वहां की हालत बताऊं, आज किसान ग्राम-ग्राम में कुए से मोटर व अन्य सामान बाहर निकाल कर डालने को तैयार है। क्या करें परेशानी है। 4300) रु० दे दिए और आज फिर कहते हैं कि तुम्हारा एवरेज और निकल आया है। बताइये जो दो मण दाणा पैदा करना चाहता है, वह आपके विभाग की तरफ देख रहा है, कैसे कुआ खुदाये? किस तरह से बिजली का कनेक्शन मिले? कैसे उसकी हालत सुधरे? यह वस्तुस्थिति है। आप यों ही आंख मींच कर मत बैठ जावें, इसका परीक्षण कीजिए, सर्वे कराइये, बीस, तीस, चालीस कुओं को देखिए कि क्या हालत है वास्तव में। किस तरह से किसानों को कुओं की सिंचाई ने घाटे में डाल दिया है। देश की पैदावार, कृषि का उत्पादन जो है वह आज भी नहीं बढ़ सकता है। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, जहां सिंचाई की व्यवस्था की यह हालत है वहां कैसे देश आगे बढ़ सकता है हम लोग बराबर मानसून पर निर्भर रहते हुए तंग आ चुके हैं। जैसे हमारा इलाका है, जिस तरह से मानसून पर जिन्दा रहना हमने सीखा है, उसके अन्दर रहते हुए भी हम चाहते हैं कि कुछ हमारी खेती की तरक्की हो। आपने विभाग बनाया बीज देने के लिए, आपने विभाग बनाया प्रशिक्षण देने के लिए, आपने विभाग बनाया कि जो बीमारी लग जाय तो उसके लिए किस प्रकार से इन्तजाम कर दिया जायगा। आपने विभाग बनाया गरीब आदमी कर्जा ले ले, ऋण ले के को-ऑपरेटिव सोसायटी के जरिये और

(श्री मोहर सिंह)

टाइम पर बीज डाल दे खेत में ताकि उसके खेत में नाज पैदा होगा। लेकिन इन सारी चीजों के अन्दर किसान को कितनी सहायता मिली इसका विश्लेषण करें तो इनका लाभ नहीं के बराबर मिल रहा है। जहां बीज के वितरण का सवाल है टाइम पर बीज नहीं मिलता, ठीक बीज नहीं दिया जाता और ठीक कीमत पर बीज नहीं दिया जाता, सही बीज नहीं दिया जाता। इस साल इमर्जेन्सी लागू हुई तो भी लोगों को बीज लेने में तकलीफ दी गई थी। पिछले साल का मालूम है चने की बुवाई का मौका था लोग कहते-कहते थक लिए कि टाइम हो गया है, बीज का इन्तजाम कर दो, चने की बुवाई का मौका आ गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से बीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में बीज मिल भी जाय तो डालें कैसे? न किसानों में बहुत सों के पास बैल हैं और न कोई और साधन है। एक तरफ हम नारा दे रहे हैं कि गरीबों को ऊंचा चढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ गरीब किसान हैं, छोटा किसान है जो जिन्दगी से मजबूर है किसी से बांटें पर जमीन लेकर बोना चाहता है लेकिन उसको ऋण नहीं मिल पाता। पैसा पास में नहीं है। खरीदे तो कैसे? आखिर को-ऑपरेटिव सोसायटी के पास पहुंचता है। मन्त्री और जो कोषाध्यक्ष हैं ऊपर उनके पास जाता है कि मुझको चार सौ, पांच सौ रुपये तो दिला दो। तू मेम्बर है? मेम्बर तो हूं, अच्छा जब आएगा तब मिलेगा। जब बुवाई का टाइम हो चुका तब बीज पहुंचता है। टाइम निकलने के बाद को-ऑपरेटिव का कर्जा दिया जाता है और टाइम निकल जाने के बाद जब दूसरी फसल आवे तब वसूली की जाती है। यह को-ऑपरेटिव का ढंग है। को-ऑपरेटिव्ज को, गरीबों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। गरीबों को और दबोचा जा रहा है।

जब अनाज निकलता है, पकता है तो उस वक्त कई बीमारियां लग जाती हैं। यह बीमारी नागौर से चली और शेखावाटी तक पहुंची और हमारे यहां तक आ गयी है। हमारे यहां पर बाजरा की फसल बहुतायत से होती है और एक बीमारी इसकी जड़ में लग जाती है। यह बीमारी बाजरे को नहीं बढ़ने देती है। आपके विभाग को बार-बार कहलवाया लेकिन इस रूखड़ी बीमारी की आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। नागौर जिले से लेकर हिसार तक यह बीमारी फैल गयी है। बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से यह बीमारी ज्यादा न हो लेकिन किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो रहे हैं। बाजरे के अन्दर यह रूखड़ी की बीमारी है वह नुकसान पहुंचा रही है। इसी प्रकार सिट्टे में भी बीमारी लग जाती है जिससे बाजरे का दाना जहरीला हो जाता है। इस तरह की परेशानियां आज किसानों के सामने हैं, उनके लिए कोई माकूल इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। खेती की तरक्की के अन्दर इस तरह की बाधाएं आ रही हैं उनके लिए दो शब्द कह देना चाहता हूं। प्रोत्साहन देने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए, कृषि उत्पादन ज्यादा हो इसके लिए किसानों को ऋण, बीज, दवाइयां और खेती की तरक्की के लिए जो नई-नई टैकनिक हैं, उनका प्रशिक्षण किसानों को दिया जाये चाहे

(श्री मोहर सिंह)

वह सिंचाई का इलाका हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे अर्द्ध मरुस्थली इलाका हो। जो खेती के इलाके हैं वहां पर सारी सुविधाएं दें तब ही जो आपका नारा है गरीब को ऊंचा उठाने का, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है और खेती की तरक्की हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

थोड़ा समय और लूंगा। इसी के साथ ही पशुपालन किसान को जिंदा रखने वाला है। खेती के साथ पशु का होना जरूरी है। रेगिस्तान के किसानों के लिए जिन्दा रहने के लिए तीन चीजें हैं: पहला खेती से अनाज की पैदावार, दूसरा पशुधन और तीसरा उससे प्राप्त होने वाला दूध। असली घी को तो, सभापति महोदय, जब से डालडा चला है कोई पूछता ही नहीं। किसान को घी की जो पैदावार थी वह आज बन्द हो गई है। जब से वेजीटेबल चला है घी को कौन पूछता है। यह स्थिति हो गई है पशुपालकों की। मान्यवर, इस इलाके के पशुओं को भी बचाना आवश्यक है यदि आप किसानों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो। इसलिए वहां के पशुओं को बचाने के लिए वेटेरिनरी अस्पताल खोले जाने चाहिये। तरह-तरह की बीमारियां उन में होती हैं उनका सही ढंग से इन्तजाम होना चाहिये। उनको उत्तम दवाइयां नहीं मिलती हैं। पशुओं को कई संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। मुंह की बीमारियां हो जाती हैं, खून की बीमारी पैदा हो जाती है। पशुओं की बीमारियों का युद्ध-स्तर पर मुकाबला किया जाना चाहिये। कई जगह अस्पताल नहीं मिलते हैं और हैं भी तो टूटे-फूटे जहां पर कि उन बीमारियों का मुकाबला नहीं हो पाता है। पशुपालन के लिए सही ढंग से, उत्तम ढंग से पशुओं को आगे बढ़ाने और जो पशु अच्छी नस्ल के हैं उनको जिन्दा रखने की हम अभी तक उचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। इसलिए इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

आम तौर पर कहा जाता है कि दूध का भाव ठीक हो मगर सही ढंग से इसका इन्तजाम होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। यह काफी इलाका रेगिस्तानी है। वहां के किसानों की इससे आमदनी में बढ़ोतरी हो सकेगी। इसलिए इसके ऊपर पशुपालन विभाग ध्यान दे ताकि लोगों को डेयरी फार्म के लिए अच्छी नस्ल की गाय मिल सकें। इसके लिए सांड खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियत ऋण को देनी चाहिये ताकि किसान दूध के काम में तरक्की कर सकें। हमारा इलाका है वह हरियाणा से मिलता है और हरियाणा की अच्छी नस्ल की गाय भी वहां पर है। इसलिए यहां पर डेयरी की व्यवस्था करें ताकि किसानों को अपनी आय बढ़ाने का साधन मिल सके। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक और सेन्टर राजगढ़ में भी खोला जाये। वैसे मन्त्री रामनारायण जी वहां पर गये थे उस समय भी लोगों ने उनसे मांग की थी। 7 हजार फौजी वहां पर हैं, यह वह इलाका है जहां पर ढाई हजार फौजी पेन्शनर रह रहे हैं, यह वह इलाका है जिसने बीकानेर के स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए 250 स्वतंत्रता सेनानी दिये थे। इसलिए यह इलाका तरक्की के लिहाज से महत्व रखता है। यहां के पशुओं की नस्ल अच्छी है, हरियाणा के इलाके के पशुओं की यहां पर नस्ल है इसलिए वहां के पशुओं के विकास के लिए एक डेयरी सेन्टर वहां पर

(श्री मोहरसिंह)

खोलने का कष्ट करें। कभी क्षेत्रीय तौर पर भी सोचा जाना चाहिये। आम तौर पर क्षेत्रीयता की बात नहीं करनी चाहिये। आशा है कि मंत्री महोदय निष्पक्ष ढंग से इस मांग पर विचार करेंगे, पूरा ध्यान देंगे और राजस्थान के हर भाग को समान ढंग से आगे बढ़ावेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ पुनः यह कहता हुआ सभापति महोदय, आपके जरिए से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ है, किसान ही तो हमारा प्रदेश है, किसान की अगर कमर टूट जाएगी, किसान की जिन्दगी का स्तर अगर कमजोर हो जायेगा तो यह इलाका आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए खेती की तरक्की के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान को हर तरह की सहायता दी जाए, उसके उत्पादन का सही ढंग से वितरण किया जाये और उसके उत्पादन के ऐसे भाव दिये जायें जिससे कि वह जिन्दा रह सके और अपनी जिन्दगी को बेहतर ढंग से बिता सके इन्हीं शब्दों के साथ यह उम्मीद करता हूं कि किसान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उधर ट्रेजरी बेन्चेज पर भी कई किसान सदस्य बैठे हैं, उधर किसान मेम्बर ज्यादा हैं, इसलिए वे भी किसानों के साथ होने वाली जितनी दिक्कतें हैं उनको दूर करावें और चाहे तो दिल्ली से आर्डर लावें या कोई कमेटी बनावें जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए और इस सरकार को मजबूर कर दें, उनको वापिस लेने के लिए। यह सहन नहीं किया जा सकता है कि हमारे किसान भाइयों के साथ ज्यादती हो। इसलिए सभी किसान मेम्बर इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों और इस प्रकार की चीज इस सदन के अन्दर लावें जिससे कि हम किसान को कह सकें कि यह सरकार किसान के खिलाफ नहीं, किसान के खिलाफ यह गवर्नमेंट नहीं है, किसानों को आगे बढ़ाने वाली यह सरकार है, इसके कार्य करने की गति धीमी जरूर है, परन्तु किसानों का गला घोटने वाली सरकार यह नहीं है। इसलिए आपके जरिए, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इन तीनों मांगों के ऊपर किसान के दृष्टिकोण से विचार करेंगे और किसान को आगे बढ़ाने के प्रोग्राम अपने भाषण में बताएंगे।

श्री सभापति : श्री किशोरीलाल।

श्री किशोरीलाल शर्मा (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि, पशुपालन और डेयरी पर अपने विचार प्रकट करूंगा। मान्यवर, मैं खाद्य मन्त्रीजी और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन गत वर्षों में कृषि के क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता प्राप्त की है। कई तरह के उन्नत बीज, रासायनिक खाद और औषधियों के प्रचार और प्रसार से हमारे देश के काश्तकार को राहत मिली है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि इतने दिन शुक्र की दिशा थी और काश्तकार सुख और चैन ले रहा था, लेकिन अब शनि की दशा आई है और वह बड़ी मुश्किल में गुजर रहा है। मैं उनकी कुछ कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मान्यवर, आज काश्तकार खुशहाल है तो देश भी खुशहाल है और यदि काश्तकार गरीब है तो देश गरीब है। काश्तकार

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

देश की बहुत बड़ी मजबूत रीढ़ है। उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। गत वर्ष सरकार को इस बात की चिन्ता थी कि काश्तकार का जो उत्पादन है उसके भाव बहुत ऊंचे हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस वक्त अभी काश्तकार बहुत चिन्तित है, क्योंकि जो उसके उत्पादन की चीजें हैं उनका भाव इतना गिरा है कि काश्तकार बहुत मायूस है, चिन्तित है और अपने आप को दुःखी पाता है, क्योंकि कृषि के उपकरण जो हैं उनके भाव बहुत ऊंचे हो गये हैं। खाद के भाव दुगुने हो गये हैं और मजदूरों की मजदूरी ज्यादा बढ़ी है। मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए इसके लिए इन्कारी नहीं हो सकती है, लेकिन उसका सारा भार काश्तकार पर पड़ता है।

गत वर्ष जहां लेवी का प्रश्न था तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि देश को अन्न की आवश्यकता थी, 200, 250 का भाव था, उस समय सरकार ने 105 में काश्तकारों से नाज खरीदा। काश्तकारों ने नाज दिया और उस मुश्किल को टाला, लेकिन अब काश्तकार गेहूं 80 में बेच रहा है, 38 में जो बेच रहा है और 60 में मक्का बेच रहा है और ज्वार का भाव भी बहुत नीचे गया है। इस प्रकार मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कपड़े की कीमत ऊंची है और दूसरी ओर जो उनके दैनिक काम में आने वाली चीजें होती हैं उन सबके भाव ऊंचे हैं तो केवल काश्तकार के उत्पादन की चीजों के भाव नीचे रखेंगे और भाव को गिराकर रखेंगे तो वह काश्तकार को कमजोर करने के सिवाय क्या हो सकता है? तो खास तौर से मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार के उत्पादन की चीजों के भावों को संतुलित रखना चाहिए, जैसे कि गेहूं का 105 का भाव रखा गया है, लेकिन उस पर खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। काश्तकार को आज कोई कर्जा नहीं देता है तो मजबूर हो कर उसको गेहूं को बाजार भाव में बेचना पड़ रहा है। जो व्यापारी तय करता है उसी भाव में काश्तकार को अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं। खाद्य निगम सिर्फ शहरों में हैं। गांवों में कहीं व्यवस्था नहीं है। न तहसील हैडक्वार्टर पर है। कहां काश्तकार जाय? सरकार बताती है कि 105 में गेहूं खरीदेंगे और भारत के कृषि मन्त्रीजी ने घोषणा की कि 105 में गेहूं खरीदना चाहेंगे, लेकिन खरीद कौन रहा है? कौनसी एजेन्सी है? किस तहसील हैड क्वार्टर पर ऐसी व्यवस्था हुई है कि जहां पर जाकर काश्तकार दे? तो इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। काश्तकार के उत्पादन का भाव नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरता है तो काश्तकार गरीब होगा और देश भी गरीब होगा।

इसके साथ ही आज हमारे जो आंकड़े हैं यह बताते हैं कि हमने उत्पादन बहुत बढ़ाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन जो जंगलों में थी या दूसरी जगह पड़ी हुई थी, चरनोट में थी वह काफी निकल गई है उसका उपयोग किया गया है, जिस पर खेती नहीं होती थी उसका एलॉटमेंट हुआ है तो उन आंकड़ों से हम कह सकते हैं कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन दर असल उत्पादन घटा है प्रति बीघा जो उत्पादन बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ कर घटा है। हमारे विशेषज्ञों ने मेक्सिकन गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की बात कही कि उसमें सफलता

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

मिली है। इससे इन्कार नहीं करना चाहता लेकिन आज जिस प्रकार सिंचाई के साधन बढ़े हैं, खाद के साधन बढ़े हैं, लेकिन जो जमीन की उर्वरा शक्ति थी वह कम हुई है। हमारी जमीन ऊसर हुई है, हजारों बीघा जमीन जो नहरों से सिंचित है वह ऊसर होती जा रही है और काश्तकार ने जो महंगा बीज उस जमीन में डाला है वह भी पैदा नहीं होता है। इस ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना जरूरी है। सिंचाई मन्त्री महोदय नहीं हैं, लेकिन खास तौर से जो सिंचाई के अधिकारीगण बैठे हुए हैं उनसे और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर जल्दी ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि हम अमेरिका को करोड़ों रुपया देते हैं अब और देना पड़ेगा इससे हिन्दुस्तान के काश्तकार को जमीन का आसरा छोड़ कर दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ सकता है। यह स्थिति हमारे देश में आ रही है। इससे बड़ा सजग और सतर्क रहना है।

इसके साथ ही अभी दो वर्ष पहले बाढ़ नदी को आई, जो फ्लड आया उसमें जो अच्छी भूमि थी उस भूमि पर काफी मात्रा में रेत बिछ गई। मेरे क्षेत्र की बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उदय-सागर के नीचे जितने गांव हैं उनकी काफी जमीन कटी है। वहां पर रेत बिछ गई है। इसके अलावा सलूम्बर तहसील के अन्दर जयसमन्द के नीचे 14, 15 फोट पानी नाले में चलता उससे कई गांव प्रभावित हुए और वहां की जमीनों पर रेत बिछ गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक आदिवासी गांव है सलूंबर तहसील में बांसेड़ो ग्राम है वह सारे का सारा रेत में धंस गया है। काश्तकारों की ऐसी हैसियत नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है वह रेत को हटा सकें। 10-10, 15-15 फीट रेत बिछ गई है। इसलिए मैं खास तौर से हमारे खाद्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृपा करके देखें और जो काश्तकारों की भूमि नष्ट हुई है उसको सुधारने के लिए आप मशीनें भेजें और रेत हटाने की बात करें ताकि काश्तकारों को राहत मिल सके।

मुझे यह कहते हुए बड़ा ही दुःख होता है कि आज हमारे यहां काश्तकारों की जमीनें ली जा रही हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उदयपुर शहर के पास भुवाणा और सुमागपुरा के काश्तकारों की जमीनें राज्य सरकार लेने जा रही है। जमीन एक मात्र काश्तकार का सहारा है। दूसरा जरिया नहीं है। खेती के सिवाय और दूसरा काम नहीं है। उनकी जमीन लेने की योजना चल रही है, वह इसलिए चल रही है, कि विद्या भवन के वैज्ञानिक अनुसन्धान वहां पर किये जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वैज्ञानिक अनुसन्धान अवश्य किये जाने चाहिए, लेकिन आप धरियावद में जायं जहां पर हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है, जहां पर काश्तकारों का कब्जा नहीं है, सरकारी जमीन है वह ली जाय और वहां पर फार्म खोला जाय, लेकिन जो बसे हुए काश्तकार हैं सदियों से, जिन्होंने सिंचाई के साधन जुटाये हैं, लाखों रुपये खर्च किये हैं, उस जमीन को लेने की बात की जा रही है। मैं खास तौर से कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा करके कृषि की रक्षा करें और काश्तकारों को बचायें।

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

इसके साथ-साथ काश्तकारों को खाद और बीज देने की बात मैं कहूंगा। यों तो हमने हर प्रकार से काश्तकार को कर्ज से मुक्त करने की बात की है। व्यापारी इस बात के लिए सजग और सतर्क हो गया है। काश्तकार को बीज, खाद और खेती सुधार के लिए कोई पैसा नहीं देता है। सहकारी मंत्रीजी यहां पर बिराजे हुए हैं मैं उनसे आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जो सहकारी समितियां खाद और बीज वितरण करने की व्यवस्था करती हैं, लेन-देन की बात करती है, वह समय पर लोन नहीं बांटती हैं सड़ा-गला अन्न लेकर काश्तकार बोता है. अच्छा बीज नहीं पा सकता है। इससे उसका उत्पादन कमजोर होता है। जब बीज बो देता है तब आप कहते हो कि यह कर्जा मन्जूर हुआ है लो। तो मैं आपको बताऊं कि वह कर्जा काश्तकार खेती में नहीं लगाकर दूसरे धन्धे में लगाता है और रुपयों की वसूली का टाइम आता है तो न तो खेत में उत्पादन अच्छा होता है और न कर्जा ही वह चुका पाता है। खाद, बीज देने के मामले में जो सहकारी समितियों को काम सौंप रखा है वह उन्हें समय पर करना चाहिए, और समय पर करने के लिए खास तौर से कृषि मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका एक सामन्जस्य हो। आज कृषि और सहकारिता का सामन्जस्य नहीं है। एक दूसरे का विरोधाभास है और जो कृषि में उत्पादन बढ़ाने की बात है; उनको जो काम दिया जाता है वह समय पर पूरा नहीं होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि दोनों में एक प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए। तभी खेती की तरक्की हो सकती है।

माननीय सभापति जी, जहां पर हरित क्रान्ति की आवश्यकता है देश में, उसी तरह से श्वेत क्रान्ति का भी उतना ही महत्व है। हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिराजी ने भी कहा है कि हरित क्रान्ति आवश्यक है और श्वेत क्रान्ति भी उतनी ही आवश्यक है। मैं यह मानता हूं कि सरकार ने इस ओर बहुत प्रयत्न किये हैं। शहरों में जो डेयरी खोली गई हैं उनके लिये आपने साधन जुटाये हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं तो गांवों के अन्दर इसका कोई प्रसार नहीं हुआ है। अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सही मायने में गरीब काश्तकार और गरीब गांवों में निवास करते हैं। हजारों लाखों गांव हैं उन गांवों के अन्दर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पशु पालन की कोई व्यवस्था नहीं है। संकर प्रजनन केन्द्र गांवों में खोलने चाहिए। मैं माननीय कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा जो पशु मन्त्री जी भी हैं, कि संकर प्रजनन केन्द्रों का गांवों के अन्दर बिल्कुल अभाव है।

श्री रामगोपाल : पशु मन्त्री नहीं, पशुपालन मन्त्रीजी।

श्री किशोरीलाल शर्मा : हां, पशुपालन मन्त्रीजी कह दीजिये। कुछ भी कहिये उनको वे बहुत सूझ बूझ के मन्त्री हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर भी वह पशुपालन के साधन पहुंचाने की कृपा करें। जहां पर संकर प्रजनन केन्द्र नहीं हैं जिनके खुलवाने की व्यवस्था करायें आपने मरुस्थल के अन्दर चिलिंग प्लान्ट खोले हैं, जोधपुर और जैसलमेर के अन्दर

(श्री किशोरीलाल शर्मा)
और जयपुर में भी डेयरी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस बात की हमको प्रसन्नता है लेकिन आप उस क्षेत्र को भी देखें। जो क्षेत्र पहले से ही उन्नत हैं उनको तो आप अवश्य उन्नत बनावें लेकिन जो पिछड़ा हुआ और पहाड़ी इलाका है, वहां पशु धन को देखें तो बकरी ही उनके लिये गाय है। वहां की हालत को किस तरह से सुधारा जा सकता है, इसलिए आप कृपा करके वहां भी प्रजनन केन्द्र खुलवायें। इसके अलावा मवेशियों में भी आये दिन बीमारियां होती हैं और पशु मरते रहते हैं उसके लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आपने एक औषधालय खोल रखा है लेकिन न तो वहां पर कोई डाक्टर है, न पूरा स्टाफ है, न उपकरण हैं और न वहां पर पूरी दवाइयां ही मिलती हैं। माननीय मन्त्री महोदय, वह केवल नाम मात्र का अस्पताल है। हम यह शो करें कि पशु धन अच्छा हो सकता है, इससे लोगों की गरीबी दूर हो जायगी, यह नामुमकीन बात है इसलिए आपकी जो बजट की धन राशि है, वह शहरों के लिये सीमित न करते हुए गांवों को दीजिये। गांवों के अन्दर पशुधन के विकास के लिये कार्यवाही करेंगे तो कुछ सुधार हो सकेगा। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप चल पशु-औषधालय चलवाइये ताकि डाक्टर लोग गांवों के अन्दर जाकर पशुओं को देख सकें और उनको दवाइयां देकर उनका इलाज कर सकें।

इसके अलावा आपने जो चिलिंग प्लान्ट खोला है वह पहाड़ी इलाकों में जहां आदिवासी रहते हैं वहां भी खोलने को कृपा करें ताकि दूध जो गर्मी से खराब हो जाता है वह वहां पहाड़ों पर खराब नहीं हो और किसानों को और पशुपालकों को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं हो। जहां भी आप देना चाहें पहाड़ी इलाके में चिलिंग प्लान्ट शुरू करें सराड़ा, सलूम्बर, गिरवा, खेरवाड़ा इनके अन्दर आप व्यवस्था कीजिये ताकि किसानों को रोजमर्रा की इन्कम का एक जरिया मिले, उनकी गरीबी मिट सके और अपनी जिन्दगी को खुशहाल बना सकें।

माननीय सभापतिजी, एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह कि एक माननीय सदस्य ने जयसमन्द झील की मछलियों की चर्चा की थी। ऐसा मालूम हुआ है कि कपूर साहब का ठेका वहां पर समाप्त होने जारहा है। हमने आपको निवेदन किया था कि उनके ठेके को समाप्त किया जाय क्योंकि वहां पर करीब 25 सौ आदिवासी लोग बैठे हुए हैं। अधिकतर वहां के भील लोग हैं, उनकी जीविका मछलियों पर आधारित है। न तो उनके पास कोई जमीन है और न कोई जीविका का दूसरा साधन है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जयसमन्द झील को व्यावसायिक रूप न देते हुए उन गरीब आदिवासियों की भलाई के लिये उनकी एक सोसाइटी बनाकर उनको आप यह काम दीजिये। राजकोष में हर तरह से धन भरा जाय केवल यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ऐसे काम भी होने चाहिएं जिससे वहां के लोगों को कोई राहत मिल सके। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वहां की ठेकेदारी प्रथा को जिन्दा रखा जाय। हमें गरीबों को भी राहत पहुंचानी है, इसलिए अब किसी भी ठेकेदार को ठेका नहीं देकर वहां के भीलों को वहां काम दिया जाय और उनको राहत पहुंचाई जाय।

(श्री किशोरीलाल शर्मा)

यह कहते हुए मैं खास तौर से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आपने जो पशु चिकित्सालय खोले हैं, मैं गिरवा की बात कहना चाहता हूं कि बम्बोरा और कुरावड़ और जगत ये भी बड़े-बड़े गांव हैं वहां पर मवेशी बीमार होते हैं तो उनको लेकर उदयपुर जाना पड़ता है। बीच में तीस मील के दायरे में कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि बम्बोरा कुरावड़ और जगत ऐसे स्थान हैं जहां पर पशु-चिकित्सालय खुलने चाहिए ताकि वहां के पशुओं को जिन्दा रखा जा सके। यह कहते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पशु क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है बहुत कुछ काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मन्त्रीजी ने आज हमको एक पुस्तिका दी है 'प्रधान-मन्त्री-किसानों के बीच-एक खुली बातचीत' उसके अन्तिम शब्द मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जो प्रधान-मन्त्री ने किसानों को कहा है "आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। किसान की मेहनत से ही भारत जिन्दा है। देहात की जनता का जीवन खुशहाल हो, उसे ज्यादा सुख और आराम मिले इसमें देहात में रहने वाली देश की अधिकांश जनता का ही नहीं हमारा भी हित है, देश का भी हित है।" सभापति महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने जो कृषि के मूल्यों में गिरावट आ रही है उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की, कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि माननीय मन्त्रीजी या भारत सरकार को इस बारे में चिन्ता नहीं है, यह तो मैं नहीं मानता। अभी भी देहली में कृषि मन्त्री जी गये थे और केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री जगजीवनरामजी से उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी। माननीय सभापतिजी, चण्डीगढ़ में कामागाटा मारू नगर में जो कान्फ्रेन्स कांग्रेस कमेटी की हुई थी वहां पर भी इस बात को कहा गया था कि एक तरफ तो उपभोक्ता को उचित मूल्य में अनाज मिलना चाहिए और दूसरी तरफ दूसरी और अन्य चीजों के मूल्य भी स्थिर रहने चाहिएं और ऐसा ही एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में भी पास किया गया था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार इस सम्बन्ध में चिन्तित है कि कुछ हद तक जो भावों में गिरावट आ रही है उनमें स्थिरता लाई जाय और किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। सभापति महोदय, इसके साथ ही दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि वैसे तो किसी भी चीज का मूल्य डिमाण्ड और सप्लाई पर निर्भर करता है जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी डिमाण्ड गिर जाती है और भाव भी गिर जाते हैं। इसी तरह से किसी चीज की डिमाण्ड ज्यादा है और सप्लाई कम हो तो उसके भाव ऊंचे हो जाते हैं। यह जो प्रक्रिया है डिमाण्ड और सप्लाई की, जब किसानों की वस्तुओं के भाव गिरते हैं तो साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि दूसरे जो रिलेटिव गुड्स है उसके भी भाव गिरने चाहिएं। हम यह तो करें

(श्री शंकरलाल)

कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले लेकिन जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके भाव भी गिरने चाहिएं। अगर उनके भाव भी गिरते हैं, और किसानों को भी उचित मूल्य मिलता है तो ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर धान मिलेगा और किसान को भी इस बात की गिला नहीं होगी। किसान को गिला इस बात की होती है कि किसान के उत्पादन की चीजों के भाव गिर जाते हैं और दूसरी चीजों के भाव उतने के उतने रहते हैं। हमारे कृषि मन्त्री, रसद विभाग के भी मन्त्री हैं, आपको यह भी पता है कि दूसरी जो चीजें हैं, जैसे किसान के लिए खाद की जरूरत हुई, किसान के लिए बीज की जरूरत हुई, किसान को दूसरे उपकरण लेने पड़ते हैं, किसान को कपड़ा खरीदना पड़ता है—इन चीजों के भाव गिरे नहीं हैं और किसान के उत्पादन की चीजों के भाव गिरे हैं। इसलिए सोचना यह चाहिए कि किसान के उत्पादन की चीजों के भाव स्थिर रहें, साथ-साथ दूसरी चीजें हैं उनके भाव गिरें जिससे उपभोक्ता के ऊपर असर न पड़े। इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। हम यह चाहते नहीं है कि दूसरी चीजों के भाव नहीं गिरें और किसान के उत्पादन की चीजों के भाव गिरें। अगर किसान के उत्पादन की चीजों के भाव गिरें तो दूसरी चीजों के भाव भी गिरें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे राज्य के अन्दर कदम उठाये गये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह कदम पर्याप्त नहीं है। आज बीस सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज किसान, जिसको हम लघु किसान कह दें, सीमान्त किसान कह दें, छोटा किसान भूमिहीन कह दें, कृषि मन्त्रीजी, आपको मैं ही नहीं, राजस्थान के लोग समाजवादी मन्त्री मानते हैं, आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे किसान हैं इनको आपने कर्ज से मुक्ति दिला दी लेकिन आज कर्ज देने वाला गांव में साहूकार नहीं रहा है, दूसरी एजेन्सी खड़ी आपने की नहीं जो कर्ज दें। आज काश्तकार जो काश्त करना चाहता है, जो काश्त से कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहता है, उसकी उपेक्षा करते हैं तो छोटा काश्तकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ा कर कृषि उत्पादन बढ़ायेगा कहां से, जब उसके पास पैसा नहीं है बीज के लिए, खाद के लिए पैसा नहीं है, जिनकी इतनी कीमत है। दूसरे उपकरण खरीदने को उसके पास पैसा नहीं है। जिससे वह कर्ज लेता था वह देने वाला रहा नहीं है। आपने कर्ज मुक्ति का कानून तो बना दिया, लेकिन दूसरी एजेन्सी खड़ी की नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस समय कर्ज मिलता था उस समय आप बीज और खाद उधार दे दिया करते थे। अब तो हालत यह हुई है कि बीज केश पर मिलेगा। खाद की बात छोड़िये, खाद केश पर मिलता है। बीज उधार मिलता था, अब कहा गया है कि बीज केश से खरीदना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक काश्तकार के लिए दूसरे ढंग की एजैन्सी खड़ी नहीं करते हैं, आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था कीजिये कि छोटे काश्तकार, लघु काश्तकार को बीज और खाद उधार पर दिया जा सके। अगर उधार नहीं देंगे तो चाहे आपने जमीन अलॉट कर दी, आप कह दें कि

(श्री शंकरलाल)

उत्पादन बढ़ायें, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ सकता है क्योंकि समय पर बीज और खाद मिलना नामुमकिन है। इसलिए एजेन्सी जब तक खड़ी न कर दें तब तक उधार पर देना पड़ेगा। मैं यह सब काश्तकारों के लिए नहीं कहता, लेकिन जिनको आप सीमान्त, लघु, छोटे काश्तकार कहते हैं उनके लिए व्यवस्था कर दें।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, लेवी की बात आयी। इसके सम्बन्ध में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित लेवी के बारे में मैं एक स्पेसिफिक इन्सटान्स मन्त्री महोदय के समक्ष लाऊं। मेडिया गांव के अन्दर गेहूं की इस साल की लेवी ले ली, इस साल की ली, लेकिन उसके साथ उसके पहले की भी ले ली और वह पुलिस के मार्फत ले ली। आपका मेरे पास पत्र आया था जिस सरकारी अधिकारी ने ऐसा किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। गई साल की लेवी ली गई और उसके अलावा लेवी में जो ज्यादती हुई—मैं उसके बारे में नहीं कहता। लेकिन स्पेसिफिक इन्सटान्स के अन्दर आपने मान लिया था कि इसमें ज्यादती हुई है; तो उसमें आपको एक्शन लेना चाहिए।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने कृषि उत्पादन के जितने आंकड़े दिये हैं, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि हमारी कृषि है वह मानसून पर निर्भर करती है–इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमारा जो कृषि विभाग है, इस प्रकार की स्थितियां काम में लाये कि मान लीजिये मानसून फेल हो जाता है तब भी हमारा किसान है, एग्रीकल्चरिस्ट है वह किसी हद तक प्रोड्यूस कर सके हैं। यह तभी हो सकता है, जब अण्डर ग्राउन्ड वाटर निकालें, कुए हैं वह बनाने का काम हाथ में लें। सभापति महोदय, मुझे यह देख कर खेद हुआ, कृषि मन्त्रीजी क्षमा करेंगे, हमें जो प्रगति रिपोर्ट दी है, इसमें जहां लघु सिंचाई की बात आयी है, इसमें दो लाइन लिख कर रह गये।

"विभागीय लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1975-76 में 19,000 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का अनुमान है। सन् 1976-77 में कृषि विभाग की लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा 30,000 अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।"

अनुमान है, लक्ष्य है! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुओं के जरिये जहां सिंचाई हो सकती है और पानी उपलब्ध है वहां कुओं के लिए पैसा दें, ऋण भी दें एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से। मुझे याद है, पहले कुओं के लिए ऋण दिया जाता था, आज नहीं दिया जाता है। काश्तकारों के पास दूसरा पैसा नहीं है। कुओं से पानी उपलब्ध हो ताकि वह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ावें–इसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए। ए. आर. सी. की स्कीम है, उसका फैलाव करना चाहिए और अन्डर ग्राउण्ड वाटर है उसको टेप करना चाहिए। केवल मानसून पर निर्भर रहने से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

साथ ही, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, सॉइल कन्जर्वेशन का काम है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। आज पाली जिले का मुझे अनुभव हुआ है, लेकिन पहले जो

(श्री शंकरलाल)

मेरा निर्वाचन क्षेत्र था जैतारण, वहां के काश्तकार आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहा सॉइल कन्जर्वेशन का काम हुआ, वह बढ़िया हुआ। अभी जो संचालक हैं, पहले डिप्टी डाइरेक्टर थे जोधपुर के, और सॉइल कन्जर्वेशन के इन्चार्ज थे, उनको याद होगा कि जैतारण में सॉइल कन्जर्वेशन का बढ़िया काम हुआ। पाली के अन्दर कई काम सॉइल कन्जर्वेशन के फेमिन वर्क में हुए, लेकिन वह अधूरे पड़े हुए हैं। अगर वर्षा आ गई तो अधूरे काम पड़े हैं वह वह जायेंगे, और जो बने हैं वह काम के नहीं रहेंगे। डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम में जो काम चालू किये, लाखों रुपया उनमें लगा रहे हैं सर्वे कर रहे हैं, नये नये काम बढ़ाये हैं, लेकिन विभिन्न काम हैं सॉइल कन्जर्वेशन के, उन पर पैसा खर्च कर दें तो उपयोगी काम होगा। जो अधूरे काम हैं उनको पूरा कर लें, आगे के लिए डी. पी. ए.पी. की सर्वे करें लेकिन लाखों रुपया सर्वे पर खर्च करें और एक्चुअल काम पर खर्च न करें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोत्साहन मिलने वाला नहीं है।

इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूंगा यह एक्सटेंशन प्रोग्राम है यह अभी लागू किया है। ठीक है ग्राम सेवक के माध्यम से किसानों के कान्टेक्ट में आयेंगे- यह अनुभव से मालूम होगा, लेकिन हमें जो ग्राम सेवक का अनुभव रहा है उसके अनुसार अगर आप स्ट्रिक्ट सुपरवीजन नहीं करेंगे तो वह डायरी भर देगा और कागजों पर लिख देगा। इसलिए स्ट्रिक्ट सुपर-वीजन के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी।

हमारी पंचायत समितियां हैं, उनके पास दूसरा काम नहीं है सिवाय मास्टरों को तनख्वाह देने के। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की सारी स्कीम में इनको एसोशियेट कीजिये। डी. पी. ए. पी. मशीनरी है, दूसरी एजेंसी है इन्हें पंचायत समिति से जोड़िये। इनके पास कितनी जीप आ गई हैं, उनमें इधर-उधर फिरते हैं। पूछते हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सर्वे कर रहे हैं। इनको पंचायत समितियों को आप इसमें एसोशियेट कीजिये। उनका अमला है उसकी मदद लेनी पड़ेगी।

साथ ही यह जो बीमारियां होती हैं, रोली की बीमारी पाली जिले में फैली हुई थी, उससे किसानों को नुकसान हुआ है। बड़ी उम्मीद थी कि इस साल अच्छी फसल होगी। लेकिन रोली की बीमारी से, मैंने स्वयं गांवों में देखा है, गेहूं के पौधे लाल लाल हो गये हैं। रोली की बीमारी हो गई इसलिए ऊपर के बीज सूख गये और कोई उत्पादन नहीं हुआ। इसका समय पर कंट्रोल करना चाहिए अगर कृषि विभाग असमर्थ रहा है। मैं कृषि मंत्री से कहूंगा कि मैंने पूछा, मालूम किया, तो कहते हैं साहब पाली जिले में इस बीमारी की घोषणा कलेक्टर ने नोटीफिकेशन से कर दी कि इस जिले में रोली का रोग है। मेरा निवेदन है, आपने घोषणा कर दी वह तो ठीक किया गया लेकिन आपने उसका इलाज क्या किया? कहते हैं एक बार रोली की घोषणा होने के बाद उसका उपाय नहीं होता है। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए रोली जैसी बीमारी को जब भी आपको पता लगे तो आसपास के एरिया में दवाइयों छिडकाव करें नहीं तो रोली होने के बाद रोला हो जाता है। कृषि विभाग ने इस मामले में कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए, बिल्कुल फेल

(श्री शंकरलाल)

हुआ है और इस बीमारी को रोकने में असमर्थ रहा है।

दूसरी बात, हमारी जो कृषि भूमि है उपजाऊ भूमि है, उसकी रक्षा करने की तरफ कृषि विभाग को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। यह विभाग का कर्त्तव्य है। मैं नहीं कहता कि कृषि भूमि में पाली में जितनी फैक्ट्रीज बनी हैं उनको हटाने का काम कृषि विभाग का है लेकिन उसके पानी से पूरी पाली व अहोर पंचायत समिति की सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो गई, कुए बेकार हो गए सिंचाई के और उसके लिए दोनों पंचायत समितियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए कि हमारे यहां पर जो कुए और कृषि भूमि हैं वह फैक्ट्रीज के पानी से बिल्कुल बेकार हो गई, और उत्पादन गिर गया लेकिन कृषि विभाग ने कभी भी सरकार के सामने यह चीज नहीं रखी कि हमारी कृषि भूमि बरबाद हो रही है। इतना ही नहीं, सैकड़ों पशु मर गए जहां पशुओं ने पानी पिया तो मर गए, बच्चे मर गए। लेकिन इस बारे में विभाग मौन रहा। वह शायद अपना काम यही समझता है कि बीज देना, खाद देना, बीज अच्छा हो या नहीं। मुझे अनुभव है जब कभी विभाग से बीज मिला और मैं पंचायत समिति की मीटिंग में गया तो सरपंचों ने यही शिकायत की कि विभाग से अच्छा बीज नहीं मिला। मैंने यहां मैं खुद लेकर देखूं तो खरीफ की फसल में मैंने स्वयं बीज लिया लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे भी उस बीज से उतना उत्पादन नहीं हुआ। पास में जो दूसरा खेत था जिसने दूसरा बीज काम में लिया, उसका उत्पादन मुझसे अच्छा रहा। तो प्रश्न यह है कि बीज देना ही काफी नहीं समझें, लेकिन वह अच्छा हो। आपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया होगा लेकिन थैलियां कहां-कहां से खराब आती हैं, किसान चिल्लाता है। खाद दें तो उचित मूल्य पर दिलाने की व्यवस्था करें; इस समय काला बाजार होता है, उसको रोकें। यह सब आपके विभाग की जिम्मेदारी है।

अब मैं पशु पालन विभाग के बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि बहुत समय हो गया है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो पशु पालक हैं उनकी समस्याओं के बारे में पहले हमारे मुख्य मंत्री जब मोहनलाल सुखाड़िया थे, उन्होंने उस समय कमेटी बनाई थी, पूनमचंद बिश्नोई और मैं उसके सदस्य थे। उसमें निर्णय लिया गया कि पशुपालक जिनको रेबारी कहते हैं जो जालौर व पाली जिले में भी हैं जिनके पास चरने की जमीन नहीं, एलाटमेंट के अन्दर प्रावधान नहीं, उनको चरागाह के लिए कोई जमीन का एलाटमेंट हो और पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय प्रावधान था कि खेती करने के बाद मुफ्त मवेशी उन खेतों में चरा सकते थे लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने किसानों को खातेदारी अधिकार दे दिए तो किसान भी उनको खेती करने के बाद चरने नहीं देते और वाजिब भी है। एक खातेदार खेत का मालिक है, वह क्यों चरने देगा लेकिन रेबारियों और राइकों की समस्या पैदा हो गई, जगह-जगह सर फूटने लगे। जब बहुत खेती होती है और ये लोग जाते हैं चराने के लिए तो झगड़ा पैदा होता कि हमारी खड़ी फसल राइकों ने चरा दी। तो इस समस्या का स्थाई

(श्री शंकरलाल)

हल निकालना पड़ेगा, आपको उन लोगों को चराई के लिए जमीन का एलाटमेंट करना पड़ेगा। पशु पालकों के लिए पशु चराने का प्रावधान नहीं है। अगर आप पशु व पशुपालकों को जिंदा रखना चाहते हैं और झगड़ा मिटाना चाहते हैं तो पशुओं के लिए अलग चरागाह एलॉट करने का प्रावधान करना पड़ेगा।

आपने जो चयन करने की बात कही कि कुछ गांवों का चयन किया, पता नहीं किस आधार पर चयन किया है। इसके अलावा जो मेले लगते हैं बहुत से पंचायत स्तर पर और बहुत से पंचायत समिति स्तर पर लगते हैं, लेकिन इन सारे मेलों का कृषि विभाग द्वारा सुपरवीजन इस प्रकार का होना चाहिए कि चाहे किसी भी स्तर पर मेला लगे, आपके विभाग को वहां जाना चाहिए और वहां पर कोई दूसरा पशु बीमारी वाला न आए, इस चीज की पूरी सावधानी बरतें। कई जगह से शिकायतें आई कि जहां भी पंचायत या पंचायत समितियों के मेले लगाए जाते हैं, वहां ऐसे पशु आते हैं कि बीमारी आगे फैल जाती है। आप अपनी जिम्मेवारी समझें, कन्ट्रोल करें और योजनाबद्ध तरीके से मेले हों जिससे वे लाभदायक हों। जैसे मैं देख रहा हूं आपका हाथ घंटी की तरफ जा रहा है। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि वहां की स्थानीय समस्यायें हैं, वह है कृषि उपज मंडी। मैं कृषि उपज मंडी का विरोधी नहीं हूं। मेरा रेगूलेटेड मार्केट में विश्वास है लेकिन यह जो शुल्क ले रहे हैं आज तक पाली में क्या किया? कहीं उसके लिए यार्ड बनाया, मंडी बनाई, क्या सुविधा दी? लोग कहते हैं कि शुल्क किस बात का दें? दूसरी बात, आपकी कई बार घोषणायें हुई कि हम छोटे-छोटे व्यापारियों को या छोटे-छोटे आदमियों को तंग नहीं करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, शायद पाली आपकी नजर में नहीं। मंडी के चुनाव हुए थे, उसको भंग करके प्रशासक बनाया और डिप्टी डाइरेक्टर जोधपुर को बनाया। वह पाली की मंडी को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कन्ट्रोल नहीं कर सकता, वह प्रशासक जोधपुर में बैठा रहता है और सचिव वहां एक तरह से खुदा है, चाहे छोटे आदमियों को नोटिस दे दें चाहे ठेले वालों को नोटिस दे दें, कई मुकदमे पाली में चल रहे हैं छोटे-छोटे व्यापारियों के खिलाफ क्योंकि वे लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। 19-2-76 को पाली जिलाधीश कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी, वहां पर आपके प्रशासक जो कृषि उपज मंडी के हैं, डिप्टी डाइरेक्टर जोधपुर श्री मेहता आए थे, मंडी का सचिव भी मौजूद था, मुझे भी वहां आमंत्रित किया था और व्यापारियों के प्रतिनिधि थे, निर्णय लिया गया। सभापति महोदय, उसमें यह निर्णय लिया गया था और, सभापति महोदय, मैं भी उस मीटिंग में हाजिर था। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आप उन निर्णयों की क्रियान्विति के संबंध में कार्यवाही करें। मैं उसमें आपको सहयोग दूंगा। उस मीटिंग में यह निर्णय हुआ था कि जो लोग बाजार में 100 रुपये तक तीन हजार रु० तक के अनाज का व्यापार करेंगे उन्हें लाइसेन्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभापति महोदय, पहले इसमें सिर्फ पांच सौ तक के व्यापारी के लिये ही

(श्री शंकरलाल)

लाईसेन्स नहीं लेने की छूट थी, उस मीटिंग में यह निर्णय लिया कि 500 से लेकर तीन हजार तक का कोई भी व्यक्ति डील करेगा या अपने पास स्टॉक में रखेगा तब तक उसको लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि आपने उन निर्णयों की क्रियान्विति नहींकरके उन आर्डर्स को आपने विथड्रा कर लिये और आपने वापिस उन लोगों को नोटिसे देने शुरू कर दिये हैं। और आपको डी० एस० ओ ने उसे नोटिसेज देकर परेशान कर दिया है। उन्हें वह कह रहा है कि अगर उन्होंने लाइसेन्स नहीं लिये तो उनके खिलाफ में मुकदमे चलाये जावेंगे और मुकदमें चलाने की कार्यवाही भी शुरू हो गयी है।

सभापति महोदय,इसलिये मेरा राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि पाली में जो 19-2-76 की मीटिंग में जो निर्णय लिये थे उन निर्णयों के अनुसार आप आदेश जारी करें और जो मुकदमे चलाने की बात है उसको समाप्त किया जाये। इसके अलावा राज्य सरकार को चाहिये कि कलेक्टर को और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दें कि कृषि उपज मन्डी के लिये जो निर्णय लिये गये थे 19-2-76 को उन्हें तुरन्त लागू किया जावे तथा जो मुकदमे चलाने की बात है उन्हें विथड्रा किया जावे। इसके अलावा में तो राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन अधिकारियों के एक्सप्लेनेशन काल करे तथा उनके खिलाफ में कार्यवाही करें। जिन लोगों ने लाइसेन्स नहीं लिये थे वह परेशान हो रहे हैं और अब वे स्टे आर्डर के लिये दरख्वास्त दे रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है आप उन लोगों को रोकिये जो जनता को परेशान कर रहे हैं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जो कृषि उपज मण्डी टैक्स लगाया है उसके लिये तो मैं आपको सहयोग दूंगा लेकिन फिर आप जब टैक्स लेते हैं तो आपको कृषि उपज मन्डी के लिये यार्ड बनाना चाहिये। दूसरे कृषि मन्डी के लिये डेवलपमेन्ट के काम करने हैं, आप करिये वरना आप अगर सिर्फ टैक्स ही वसूल करते हैं और वहां पर मन्डी विकास का कोई कार्य नहीं करते हैं तो मैं आपके मन्डी टैक्स का विरोध करूंगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर आप मन्डी विकास के लिये टैक्स लेते हैं तो आपको चाहिये कि आप वहां अच्छी तरह से मण्डियों का विकास करे। इसके अलावा मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने आज वहां पर कृषि उपज मण्डियों में प्रशासनिक अधिकारी रख रखे हैं उसमें मेरा सुझाव है कि आप इन सरकारी अधिकारियों को ही क्यों रखते हैं? इसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि को ही क्यों नहीं रखते है? क्या राज्य सरकार के अधिकारी ही उसका अच्छा काम कर सकते हैं? क्या वही अच्छे प्रशासक हैं? मैं समझता हूं कि वह लोग अच्छे प्रशासक इन मन्डी समितियों के नहीं हो सकते और वह लोग इनका भला नहीं चाहते हैं उनको इसमें विश्वास नहीं है और स्थानीय लोग जो होते हैं वह क्योंकि इसमें विश्वास रखते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि वह लोग आपके कृषि उपज मन्डी समिति के इन्स्टीटयूशन को बहुत अच्छी तरह से चला सकेंगे और उसका विकास भी बहुत अच्छो तरह से उनके हाथों हो सकता है।

श्री सभापति : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, मैंने भी कृषि विभाग, डेयरी विभाग और पशु पालन विभाग की मांग पर कुछ कट मोशन प्रस्तुत किये हैं। मैं इस बात को मानता हूं, यह बात सही है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद में कृषि के क्षेत्र में हमारे यहां बहुत कुछ प्रगति हुई है। इसके अलावा मैं इस बात को भी सही मानता हूं कि हमारी आजादी के बाद कृषि के उन्नत किस्म के बीजों और अच्छे फर्टीलाइजर्स का तथा बिजली वगैरह का यूज ज्यादातर खेती के कामों में हुआ है। इससे हमारे देश में पैदावार बढ़ी है। सिंचाई के साधन बढ़ाकर; हमने हमारे कृषि क्षेत्र में पैदावार को बढ़ाकर अच्छी उपलब्धि हासिल की है। लेकि ; सभापति महोदय, पिछले साल से हमारे राजस्थान में किसान के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ा है वह भार यह है कि किसान की पैदावार का मूल्य गिर रहा है। भाव गिरने की वजह से किसान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हमारे देश के एग्रीकल्चर कमीशन ने भी यह सिफारिश की थी कि खाद्यान्न का मूल्य 105 रुपये प्रति क्विन्टल वाजिब है। उसके बाद में हमने अखबारों में यह पढ़ा कि कृषि मन्त्री जी दिल्ली गये हैं इसके लिये। वह वहां जाकर मिले होंगे। पर मिलने के बाद भी हमने अखबारों में यह पढ़ा कि कृषि मन्त्री जी ने भी कृषि आयोग ने जो मूल्य 105 रुपये तय किया था उसको कान्ट्राडिक्ट नहीं किया। सभापति महोदय, मैं कृषि मन्त्री जी को इस बात से सहमत नहीं हूं। कृषि मन्त्री जी की यह राय है कि 105 रुपये प्रति क्विन्टल अनाज का नकभाव ठी है। मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। सभापति महोदय, मैंने अखबारों में यह भी पढ़ा कि कृषि आयोग ने अनाज के भावों को 105 रुपये इसलिए किया है कि भावों में स्थिरता आ जावे। इस बात से यह बात जाहिर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किसानों को राहत देने की नहीं है। उनको यह खतरा था कि कहीं भाव ऊंचे नहीं हो जायं इसलिये कृषि आयोग ने यह फैसला किया। लेकिन यह बात बिलकुल जाहिर है कि 105 रुपये क्विन्टल अनाज के भाव किसी भी हालत में उचित नहीं हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने सिर्फ इसी भय से कि कहीं अनाज के भाव राइज नहीं हो जावें उसके लिये भाव निश्चित किये। इस बात के लिये मैं राज्य सरकार से प्रिन्सीपली एग्री नहीं करता। राज्य सरकार ने अगर यह भाव तय किये थे तो राज्य सरकार को चाहिये था कि किसानों को दूसरी तरह से कोई आल्टरनेटिव निकाल कर फायदा पहुंचावे, जिससे कि किसान को नुकसान नहीं हो। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने इसके लिये कोई आल्टरनेटिव नहीं सोचा। क्या राज्य सरकार ने किसानों की हालत के बारे चिन्तन किया? मैं समझता हूं इस बारे में राज्य सरकार ने कोई संकेत बजट में नही दिया है। इस बारे में राज्य सरकार ने कोई कदम किसानों के हित के लिये नहीं उठाये हैं। भाव गिरते बराबर जा रहे हैं लेकिन किसानों को सब्सीडाइज करने के लिये राज्य सरकार ने कोई उपाय अभी तक नहीं किये हैं जो उसको करने चाहिये थे। किसानों के अनाज का मूल्य नहीं घटे इस पर कोई विचार नहीं किया है। सभापति महोदय, अनाज के गिरते भावों के माहौल से किसान आज घबरा गया है

(श्री गोपालसिंह)

और उसकी आर्थिक हालत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। आज वह अपने कर्ज को नहीं उतार सकने के कारण दया का पात्र हो गया है। सभापति महोदय, आज आजादी के बाद पहली बार किसानों को यह महसूस हो रहा है कि उनका कोई रखवाला नहीं है। इधर तो, सभापति महोदय, उसके प्रोडक्शन के भाव गिर गये और दूसरी ओर राज्य सरकार ने उससे वसूलियां करना शुरू कर दिया है। इसलिये किसान की हालत बहुत खराब हो गयी है। मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह कृषि सम्बन्धी मांगों पर अपने विचार व्यक्त करे तो इसका जवाब भी देने का कष्ट करें। मैं प्रिन्सीपली इस बात को गलत मानता हूं कृषि आयोग ने जो अनाज के भाव 105 रुपये तो तय कर दिये लेकिन उसके साथ किसानों के लिये उन्होंने कोई आल्टरनेटिव मदद का रास्ता नहीं निकाला। किसानों को किस प्रकार से फायदा हो सकता है इसके बारे मे राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय जवाब देते वक्त इस बारे में भी जवाब दें कि इसके बारे में राज्य सरकार की क्या थिंकिंग है। वह किसान की किस तरह मदद करे जिससे कि कृषि आयोग ने जो 105 रुपये अनाज के भाव तय किये हैं उनसे कोप बिद कर सकें।

सभापति महोदय, कृषि को बढ़ावा देने में सिचाई बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। इसमें लघु सिंचन के कार्यक्रम जो होते हैं उनके बारे में राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये। इसमें छोटे-छोटे आइटम होते हैं अगर उनकी ओर ध्यान दें तो भी किसान को राहत मिल सकती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने, जो कि मेरे पूर्व वक्ता थे, कहा था कि लघु सिंचाई योजनाओं का कोई ख्याल नहीं किया गया और बजट में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि राज्य सरकार लघु सिंचाई योजनाओं पर विचार कर रही है। पर क्या व्यवस्था कर रही है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती है उसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया। सभापति महोदय, हमारा सीकर जिला कृषि में पिछड़ा हुआ है। सीकर जिले को हम दो भागों में बांट सकते हैं एक वह हिस्सा जो कि रेगिस्तानी हिस्सा है। दूसरा वह इलाका जहां पर अच्छी खेती हो सकती है लेकिन वहां पर पानी नीचे है। उसमें जमीन में पानी नीचे स्ट्रेटा में है। इसलिये वहां पर खेती नहीं हो पा रही है। लेकिन, सभापति महोदय, अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने वहां पर सर्वे करके यह रिपोर्ट दी है कि पानी नीचे है उसको अगर ऊपर लाया जावे तो अच्छी खेती हो सकती है, वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं मैंने इस बारे में मन्त्री महोदय को पत्र लिखा तथा जिलाधीश को भी पत्र लिखा। उसमें मैंने बताया कि खन्डेला और उसके आस पास के इलाके में नीचे बहुत पानी है। अगर राज्य सरकार वहां पर ट्यूब वैल लगा दें तो उस एरिया में काफी खेती हो सकती है। लेकिन मेरे पत्र के जवाब में यह लिखा हुआ आया कि वहां पर ट्यूब वेल लगाने में 60-70 हजार रुपये का खर्चा होता है। यदि वहां के किसान ट्यूब वेल लगाने के पैसे दे सकते हैं तो वहां पर ट्यूब वेल लगाये जा सकते हैं। सभापति महोदय, आप तो जानते ही हैं कि किसानों के बस की बात तो है

(श्री गोपालसिंह)

नहीं कि वह 60-70 हजार रुपये खर्च करके वहां पर ट्यूब वेल लगालें। यह तो राज्य सरकार ही लगा सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर राज्य सरकार सीकर जिले के किसानों को राहत देना चाहती है तो वहां पर ट्यूब वेल लगाने के बाद करीब 500 से लेकर 1000 एकड़ भूमि में खेती हो सकती है जिससे बहुत उत्पादन हो सकता है और यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार दूसरे जिलों के लिये प्रोविजन करते हैं उसी तरह सीकर जिले के लिये भी कुछ प्रोविजन करो।

माननीय सभापतिजी, मैं इस मौके पर भू-संरक्षण के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सीकर का खंडेला इलाका ऐसा इलाका है जिसमें पठार का ज्यादा इलाका है। वहां पर यदि भू-संरक्षण के काम किये जायें, पानी को रोक सकें तो सिंचाई के लिये ज्यादा पानी उपलब्ध होगा, मैदानी इलाका बनेगा और खेती को भी बढ़ोतरी होगी।

खण्डेला के आस पास ऐसे गांव हैं जहां पर थोड़ा सरकार पैसा लगाये, तो छोटी-छोटी जगहों पर पानी रुकेगा और सॉइल का इरोजन भी रोका जावेगा। इस प्रकार से इन छोटे-छोटे इलाकों में भू-संरक्षण के कामों को आगे बढ़ा कर उस क्षेत्र के किसानों के लिये आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं।

नीम के थाने के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। खण्डेला का तो है ही यह भी ऐसा ही इलाका है। वहां पर भी पानी को रोका जाय तो सोइल इरोजन भी रुकेगा। और हरियाणा से कम्पीट भी कर सकते हैं।

माननीय सभापतिजी, इसके साथ में डेयरी डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पूर्वी राजस्थान के छः जिले डेयरी विकास में लिये गये हैं अजमेर, सवाई माधोपुर, टौंक, भरतपुर, अलवर और जयपुर। सीकर जिले को नहीं रखा गया है। सीकर जिला भी डेयरी के लिये उतनी ही पोटेन्शियेलिटी रखता है जितनी कि और जिलों की है। इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सीकर जिले को भी इस योजना में सम्मिलित करें। जयपुर से जुड़ा हुआ इलाका है।

एनीकट की भी बड़ी सम्भावनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, समय की सीमितता को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जैसा झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां निवेदन किया था।

माननीय सभापति महोदय, खेत के अन्दर जब किसान खेती करता है तो यह देखना पड़ेगा और राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि किस-किस फसल के अन्दर कौन-कौन से रोग लगे हुए हैं और उनका उपचार किस ढंग पर करना है।

(श्री रामगोपाल)

अन्यथा; माननीय सभापति महोदय, यदि हमने समय पर व्यवस्था नहीं की तो हम उत्पादन नहीं कर पायेंगे और किसान को बड़ा भारी नुकसान होगा। किसान को नुकसान होता है तो उत्पादन, जिसके ऊपर हमारा देश आधारित है, पर भी असर पड़ेगा।

मैं ध्यान यह दिलाना चाहूंगा सरकार का, सभापति महोदय, कि राजस्थान के अन्दर ऐसे-ऐसे जिले हैं जहां अफीम की खेती होती है, जैसे कोटा जिला, झालावाड़ जिला, उदयपुर डिविजन के अन्दर चित्तौड़गढ़ जिला। ये ऐसे जिले हैं जहां पर अफीम की खेती होती है। माननीय सभापतिजी, इस वर्ष फसल में जो बीमारी लगी है उससे फसल की यह हालत हो गयी है कि खड़ी-खड़ी फसल सूख गयी है। जब किसान दूध निकालने के लिये डोड़ी के चीरा देता है तो बहुत कम मात्रा में दूध निकलता है डोड़ी से और डोड़ी पीली पड़ जाती है। किसान को उस फसल में उत्पादन नहीं मिलता है। यह मानना पड़ेगा और यह निश्चित रूप से सही है, माननीय सभापति महोदय, कि जिस समय दुबारा अगले साल के लिये किसान को लाइसेन्स लेना पड़ता है तो उसकी अफीम की औसत पैदावार को देखा जाता है। औसत से कम उत्पादन हुआ है तो उसका लाइसेन्स खत्म कर दिया जाता है और वह वंचित हो जाता है उस फसल को आयन्दा करने के लिये। इस प्रकार से किसान प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से उस बीमारी का उपचार करना आवश्यक हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय पर सतर्कतापूर्वक ऐसी बीमारी का उपचार करें। यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान का वह क्षेत्र, जहां अफीम की खेती होती है, आदिवासियों का क्षेत्र है। कोटा क्षेत्र है वहां आदिवासी अफीम की काश्त करते हैं, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में आदिवासी अफीम की खेती करते हैं, उनकी कमर टूट जावेगी। इस प्रकार से, सभापति महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका समय पर उपचार करिये। एक बार और जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि जब अफीम की खेती का मूल्य मिलता है तो कम मिलता है किसान को। उत्पादन में ज्यादा लागत लगती है और उसका मूल्य कम मिलता है। अगर किसान के पास ज्यादा आमदनी है तो व्यवस्था ढंग से कर पाता है अन्यथा उसको बड़ी मुश्किलात आती है। जब सरकार खरीदती है और किसान को पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है तो किसान की हालत कमजोर हो जाती है। राजस्थान सरकार इसको नहीं खरीदती केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को पुरजोर शब्दों में केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये और सिफारिश करनी चाहिये कि अफीम का मूल्य लागत कीमत से कम है। सरकार इसकी मूल्य-वृद्धि कराने में सम्पूर्ण रूप से कोशिश करके मूल्य बढ़ावे।

किसान जब अपनी खेती की प्रोड्यूस का प्रोडक्शन करता है तो वह भाव तुलवाने की कोशिश करता है। तो यह देखना पड़ेगा कि उसके आस पास कौन-कौन सी मंडियां हैं? वह उत्पादन का सही मूल्य ले पाता है या नहीं? साथ ही कोटा जिले के उस क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां से मैं आता हूं। वह क्षेत्र

(श्री रामगोपाल)

आदिवासियों का क्षेत्र है, शाहबाद। बारां मंडी में आकर किसान का माल बिकता है। सौ मील दूर से आदिवासी माल लाने की कोशिश करें तो भी नहीं ला सकता है। व्यापारी लोग उस माल को वहीं खरीद कर उसका शोषण करते हैं इसलिये उसको उत्पादन का ठीक मूल्य दिलाने के लिये वहां पर मंडी रखनी पड़ेगी मैंने बराबर इस सम्बन्ध में प्रश्न किया है। भीलवाड़ा एक जगह है जहां मंडी की स्थापना हो सकती है।

पशुपालन विभाग की ओर से जो सुविधायें जनता को और किसानों को उपलब्ध नहीं होनी चाहियें वह उपलब्ध हो नहीं पाती हैं।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, जो जंगल का एरिया है उसमें मवेशियों की भारी संख्या रहती है। उस संख्या को देखते हुए हमें चिकित्सा की व्यवस्था करना जरूरी है। पिछले वर्ष शाहबाद के अन्दर एक पशु चिकित्सालय आपने खोला है उसके लिए मैंने पिछले वर्ष भी धन्यवाद दिया और इस वर्ष भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक गरीब किसान अपने मवेशियों को पचास मील के फासले पर शफाखाने में नहीं ले जा सकता। अतः जो नाहरगढ़ का क्षेत्र है जहां काफी आदिवासी रहते हैं और मवेशियों की भी काफी संख्या है और वहां उनकी जीविका का आधार है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नाहरगढ़ के अन्दर एक पशु चिकित्सालय की आप जरूर व्यवस्था करें।

इसी प्रकार से आगे यह भी कहना चाहता हूं कि सीताबाड़ी शाहबाद का ऐसा क्षेत्र है जहां प्रति वर्ष एक जबरदस्त मेला लगता है और लाखों की तादाद में उस मेले में मवेशी आते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था पंचायत समिति की ओर से होती है। राज्य सरकार अपने विभाग की ओर से इस मेले को लगाने की कोशिश करे तो राज्य सरकार को काफी आमदनी होगी, और मेला भी अच्छे ढंग से लगेगा और उस क्षेत्र का विकास भी होगा। पंचायत इसलिये उसकी आमदनी नहीं बताना चाहती है कि अगर पंचायत ज्यादा आमदनी बताये तो पंचायत को उसका नुकसान होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत की आमदनी जितनी है उतनी पूरे शाहबाद की आमदनी नहीं है। लेकिन पंचायत वाले नहीं चाहते कि इस मेले को विभाग वहां लगाये। मैं निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से और आसपास से जो मवेशी आते हैं उनकी ओर से भी यह कहना चाहूंगा कि अगर सरकार की तरफ से मेले की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से काफी फायदा सरकार को होगा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सीताबाड़ी का जो मेला है जो प्रति वर्ष लगता है वहां लाखों की तादाद में पशु आते हैं उसकी व्यवस्था सरकार विभाग की ओर से करे और उसका विकास करे।

सभापति महोदय, डेयरी विकास का जो कार्यक्रम राजस्थान में कई हिस्सों में चल रहा है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति से जुड़ी हुई है और किसानों से बहुत गहरा सम्बन्ध है। सभापति महोदय, डेयरी का विकास होगा तो निश्चित रूप से अच्छे जानवर विकसित होंगे और किसान भी अच्छा उत्पादन कर पायेंगे। इसी प्रकार से राजस्थान में डेयरी का विकास ज्यादा करना चाहिए।

(श्री राम गोपाल)

(8.24 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष; पदासीन)

जहां विकास करने में सुगमता हो वहीं पर डेअरी का विकास करना जरूरी है मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और विशेषतौर से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना पड़ेगा कि सदन में जितने माननीय सदस्य बोले हैं वह कृषि और पशुपालन पर बोले हैं लेकिन भेड़ व ऊन के मर्मी हैं उनको उत्तर देने के लिए मसाला मुश्किल से होगा इसलिए मैं मसाला उनको देना चाहता हूं। भेड़ों की अच्छी प्रकार व्यवस्था कीजिए व आज आपकी भेड़ें भटकती फिर रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपका पश्चिमी इलाका है उसमें भेड़ों की सख्या काफी है। ऐसी व्यवस्था हो कि उनको पूर्वी राजस्थान की ओर न जाना पड़े। और भेड़ें भटकती फिरती हैं। इसके कारण लड़ाइयां होती हैं और अनेक लोगों की हत्याएं तक हो जाती हैं। आप देखिए कि भेड़ें क्यों भटकती फिरती

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो भेड़ की ऊन है, ऊन का उत्पादन होता है उसके लिए उद्योग लगाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि अफीम के बारे में मैंने ज्यादा जोर दिया है उस बारे में ध्यान रखें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि, पशुपालन तथा डेयरी की मांगों के सम्बन्ध में 21 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार यहां प्रस्तुत किये। मुझे सबसे पहले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना है कि उन्होंने राजस्थान में जहां कुछ ह्यूमन फैल्योर्स की चर्चा की वहां कृषि, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में जो बहुत बड़े पैमाने पर उन्नति हुई है उसकी भी चर्चा की और सराहना की एक माननीय सदस्य जब कृषि विभाग के बारे में चर्चा करते हुए टिप्पणी कर रहे थे तो उन्होंने यहां तक कहा कि अब तक तो किसान इतना आगे बढ़ गया है कि अब कृषि विभाग की भी आवश्यकता नहीं रही है। वह खेती की तकनीक को इतना अधिक समझ गया है कि कृषि विभाग की कोई जरूरत उसको महसूस नहीं हो रही है। ऐसा उनके कहने से आभास होता था कि अब कृषि विभाग यदि वाइन्ड-अप भी कर दिया जाये तो खेती का विकास अपने आप हो जावेगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन की ओर माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1952 में जब से हमारे देश में योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ उसके बाद खेती की टेक्नालॉजी को हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया है उसी का परिणाम है कि खेती में इतना विस्तार हुआ। मैं बहुत आंकड़े देकर आपका समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि काफी समय हो गया है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 1952 में जब से योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय राजस्थान में कुल मिलाकर 29 लाख टन अनाज पैदा होता था लेकिन आज हम 75 लाख टन अनाज तक की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। एक वर्ष ऐसा भी आया जब की 88 लाख टन

(श्री शिवचरण माथुर)

अनाज राजस्थान में हम पैदा कर चुके. उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कृषि में जहां किसान की मेहनत सबसे पहली बात है, इन्द्र भगवान की कृपा दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वहां यह भी महत्वपूर्ण है कि आज खेती के क्षेत्र में जो विज्ञान और तकनीक का प्रादुर्भाव हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम सामने आया है। 1966-67 में हमारे यहां हाई यील्डिंग वेरायटी बीज आया राजस्थान में उसका प्रादुर्भाव हुआ उसके बाद में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि प्रोडक्शन में आशातीत वृद्धि हुई है। 1966-67 में कुल मिलाकर हाई यील्डिंग वेराइटी के अन्दर जो एरिया था वह 17 हजार हैक्टर था वह बढ़कर 1973-74 में 10 लाख 54 हजार हैक्टर हो गया और इस वर्ष 11 लाख 30 हजार हैक्टर हो गया। इस वर्ष गत वर्ष से करीब-20 प्रतिशत अधिक है। मैं ऐसा मानता हूं कि हाई यील्डिंग वैराइटी बीज का आना और सिंचाई के साधनों का अधिक बढ़ाना यह सब ऐसे कारण हैं कि जिससे हम कृषि के उत्पादन का ठोस आधार राजस्थान में बना पाये हैं। वैसे तो माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो वर्षा पर बहुत निर्भर करता है खेती के मामले में, और यदि अच्छी तरह से वर्षा हो जाती है तो हमारा उत्पादन ऊपर हो जाता है और वर्षा कम होती है तो हमारा उत्पादन नीचे आ जाता है। हम तकनीक के साधनों को बढ़ाकर ऐसी स्थिति में राजस्थान को लाना चाहते हैं जिससे हम मिनिमम आप्टीमम लेवल आफ प्रोडक्शन कायम कर सकें जिससे राजस्थान खेती के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान ऐसी स्थिति में है कि यह देश में अच्छा अन्न उत्पादन करने वाले प्रदेशों में बन सकता है। हरियाणा और पंजाब की अन्न उत्पादन की एक सीमा बनती जा रही है। मैं नहीं कहता कि अब कोई पोटेंशियलिटी वहां नहीं रही है, अभी पोटेंशियलिटी की काफी गुंजाइश है लेकिन एक तरह से सिचुएशन की स्टेज बन चुकी है। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां नये आयाम लागू हुए हैं और जो खेती के साधन बढ़ाने में प्रोग्रेसिव है।

राजस्थान कैनाल की पहली स्टेज की पूर्ति, उसके साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेन्ट और उसके कमाण्ड एरिया का डेवलपमेन्ट, राजस्थान कैनाल की दूसरी स्टेज की शुरूआत और उसकी पूर्ति के सारे साधन बनाना, माही और दूसरे प्रोजेक्ट की शुरुआत ये सब बातें इस ओर संकेत करती हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं इस मायने में कि राजस्थान में एक स्थाई धरातल कृषि उत्पादन का कायम कर सकें।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी सारी तवज्जह और वैज्ञानिक जानकारी के बावजूद, भी आज दुनियां के मुकाबले हमारा देश काफी पिछड़ा हुआ है. काफी आवश्यकता अभी भी आगे बढ़ने की है, यह कुछ फीगर्स मैं यहां प्रस्तुत करता हूं मेरे पास 1974-75 की फर्टीलाइजर स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है उसमें दिये हुए हैं। चावल के उत्पादन के क्षेत्र में दुनियां में हमारा देश सबसे अधिक एरिया चावल का कवर करता है। जितना चावल दुनियां के अन्दर पैदा होता है उसका जितना

(श्री शिवचरण माथुर)

एरिया है उसमें 28 परसेंट एरिया हिन्दुस्तान में है और उसमें हम नम्बर वन हैं। लेकिन सारे वर्ल्ड के एवरेज में, जो एक हैक्टर का है वह 23 क्विन्टल पर-हैक्टर है उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान का एवरेज 16 क्विन्टल पर हैक्टर है और जापान में अधिक से अधिक उपज राइस की 58 क्विन्टल पर हैक्टर हो चुकी है। यानी हमारे से 362 पर्सेंट अधिक नेशनल एवरेज का जापान पैदा करता है।

मैं गेहूं के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि दुनियां के एरिया के लिहाज से हिन्दुस्तान का नम्बर तीसरा है। पहला नम्बर चीन का है, दूसरा नम्बर यूनाईटेड स्टेट्स का है और तीसरा नम्बर हिन्दुस्तान का आता है। जितना क्षेत्रफल सारी दुनिया में व्हीट का आता है उसका 9 पर्सेन्ट हिन्दुस्तान में देखने को मिलता है लेकिन हमारी यील्ड पर-हैक्टर 11.06 नेशनल एवरेज आती है जब कि दूसरे देशों में 16 क्विन्टल पर-हैक्टर है। बैल्जियम 20 क्विन्टल का एवरेज प्राप्त कर चुका है। इसी प्रकार काटन के मामले में भी एरिया वाईज हिन्दुस्तान अपना प्रथम स्थान रखता है और 33 मिलियन हैक्टर जमीन काटन में हिन्दुस्तान में है और उसका उत्पादन कुल मिला कर के 1.55 क्विन्टल पर एकड़ का है जब कि वर्ल्ड का 4.03 का है और यू.एस.ए. का एवरेज 9.38 पर एकड़ है। इसी प्रकार शुगरकेन में एरियावाईज हिन्दुस्तान पहले नम्बर पर है 11.6 मिलियन हैक्टर में हिन्दुस्तान में शुगरकेन है जब कि हमारा एवरेज है। 516 क्विन्टल है पेरू में 167 क्विन्टल पर हैक्टर वहां का नेशनल एवरेज है, तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि अभी तक तो कृषि विभाग की बहुत जरूरत है और कृषि विभाग की टेक्निक का ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिक और उनके सम्पर्क में आने वाले हजारों लाखों किसानों को मैं समझता हूं कि यहां ज्ञान और विज्ञान समझाने की बहुत गुंजाइश है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रम हमारा है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हम दुनियां के स्तर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। जनसंख्या की स्थिति यह है कि 33 करोड़ से 66 करोड़ हो चुकी है। पर यूनिट प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इस लिहाज से आगे बहुत कठिनाई पड़ जाएगी। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह इस भ्रम को निकाल दें उनके दिमाग से कि हमें टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं है और हमें वैज्ञानिकों की आवश्यकता नहीं है। यह हो सकता है कि ह्यूमन फेल्योर हो सकते हैं, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो सोशियल एनवायरनमेंट है और आज सिस्टम आफ गवर्निंग ऑफ स्टेट्स है, हमारे बीच में उसका सिस्टम आफ गवर्निंग आफ स्टेट्स हैं, रेजिडिमेंट है, एक पर्टीक्यूलर काम को चलाया जा सकता है लेकिन यहां पर नई तरह की तकनीक को अडाप्ट कर सकें, उसके सारे के सारे सिस्टम को समझाने के लिए आज देश की जो स्थिति है उसमें जो बड़े पैमाने पर नई तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान है उसको किसानों तक पहुँचाने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है कि हम इस बात को शुरू करें। आज तक जो कुछ भी खेती के सम्बन्ध में, पशुपालन के सम्बन्ध में एक रिसर्च के तौर पर, एक सेन्टर के तौर पर यूनिवर्सिटी में हम जो एकेडेमिक इंस्टिट्यूशन्स रखते हैं उनके ज्ञान को दरअसल

(श्री. शिवचरण माथुर)

किसानों तक जितना पहुँचना चाहिए, पशुपालकों के पास जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा है और व्यवहार में जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, कि जो हमारे तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं उनको व्यवहारिक ज्ञान उतना नहीं है कि किसानों तक वह पहुँचा सकें, इस बात के अन्दर भी, छोटी से छोटी बात को उसमें साधनों की कमी आती है। आप जानते हैं कि सब कामों के अन्दर साधनों की कमी आती है। अभी पदमपुर से आने वाले माननीय सदस्य पंजाब और हरियाणा से यहां का कम्पेरिजन कर रहे थे कि वहां पर यह होता है, यह होता है। किसानों को यह सुविधा देते हैं लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि राजस्थान में पांच साल में कम से कम तीन साल अकाल में निकलते हैं और एक साल अच्छी और एक साल साधारण फसल होती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के फिस्कल कांस्ट्रेंट्स हैं और हर योजना फिस्कल कांस्ट्रेंट के कारण बहुत ही मोडरेट इस प्रकार की बनती है। जो भी हमारे कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता हैं, जो उनका वैज्ञानिक ज्ञान है उसको वे स्वयं समझ कर और किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम कृषि प्रसार का चम्बल के एरिया में और राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में सन् 1974 की खरीफ के वर्ष से चालू किया गया और कुल मिला कर प्रारम्भ में पांच पंचायत समितियों में किया था। उसमें कुछ हमने मूलाधार यह रखा था कि कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता हैं, ग्राम सेवक हैं, हमारे फील्डमैन हैं वह हमारी यूनिवर्सिटी से निकलने वाला जो हमारा सब्जेक्ट मेटर स्पेशियलिस्ट का है, उसको खेतों में प्रेक्टिकली पहुँचाना है, किसानों तक पहुंचाना है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह शंका की थी कि ये लोग किसानों तक जाते नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने जो कार्यक्रम रखा है, जो व्यवस्था की है वह इस प्रकार की है, कि ग्राम सेवक हों या दूसरे कार्यकर्त्ता हों उस कार्यक्रम के अनुसार उनको पहुंचना ही पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस कार्यक्रम को समझने की चेष्टा करें तो उसके लिए किसान के पास जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। जो कार्यक्रम बनाया गया है, जो सुपरवीजन का तरीका बनाया गया है उसमें वह अवॉइड कर नहीं सकता। उसको जाना ही पड़ता है किसान के पास और जो कार्यक्रम बनाया गया है, जो प्रोग्राम है उसकी प्रेक्टिकल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और किसान उस सम्बन्ध में क्या कहता है यह वापिस ट्रेनिंग देने के समय में उस सब्जेक्ट पर, रिसर्च के लिए कहना पड़ेगा। कोई गुंजाइश नहीं है कि वह अवॉइड कर सके। इससे निकल कर बाहर नहीं आ सकता। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आप कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स पर खुद जाकर देखें प्रेक्टिकली जाकर देखें। हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सम्भवत: अतिशयोक्ति पूर्ण लगती हो लेकिन मैंने स्वयं ने देखा है, मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को देखा है। हमने खुद ने जाकर ट्रेनिंग संस्थाओं में देखा है और उसमें हमें निश्चित रूप से लगा कि ग्रामसेवक का जैसे सीधा सम्बन्ध किसान से बनने लगा है। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि लिमिटेड क्षेत्र में यह काम शुरू किया था और उसके अच्छे परिणाम आए तो इससे और अधिक प्रभावित होकर हमने पिछली

(श्री शिवचरण माथुर)

रबी से तय किया कि इस को चार जिलों में और लागू करें। गंग और भाखरा केनाल एरिया है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन उससे भी हमें ऐसा लगा कि जिस तेजी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं सारे राजस्थान को तीन चार साल में कवर करने की बात सोचते हैं तो इस प्रोग्राम के मोमेंटम को देखते हुए देर होने की आशंका नजर आती है। इसलिए हमने बीच में इसी रबी की फसल से फरवरी, 76 में 12 और जिलों को इसमें शामिल किया। मैं समझता हूं कि कृषि प्रसार के कार्यक्रम के अन्तर्गत कई राज्यों में अग्रणी प्रदेशों में आ गया है। उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। कुछ हमारी मैनपॉवर है उसका जिक्र किया है, हमने मैनपॉवर बढ़ाई नहीं है। हमारा ग्रामसेवक जो अभी एकमात्र मेल प्रेक्टिस का घर बन गया था, उसमें परिवर्तन किया है। उसको कहा गया है आप अधिक से अधिक सक्रिय होकर खेती के काम को देखिए। पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट की इनीसियल स्टेज पर कम्युनिटी डेवलपमेन्ट प्रोग्राम को लेने के वक्त जो काम किया था और खास तौर पर खेती पर तवज्जह देने की बात करते थे। तो यह प्रायोरिटी की बात हमने कही और मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम जो इतनी तेजी से लागू किया गया है मुल्क के दूसरे इलाकों से आने वाले लोग, अभी आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री जी यहां पर आए थे, वहां के आफिसर्स की टीम यहां पर आए थी और कई बाहर के लोग यहां पर आते आए हमारे कृषि प्रसार कार्यक्रम से वे बहुत ही प्रभावित हुए हैं और वे कहते हैं कि राजस्थान ने अपने सीमित दायरे में एक अच्छा काम शुरू किया है। मैं आपका सहयोग चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं आप स्वयं जाकर देखें 17 जिलों में जो ये योजनाएं चल रही हैं, उन जिलों में, जहां यह योजना चल रही है, आपको दावत है, निमन्त्रण है। जहां कोई कमी है, उसको आप देखें और में उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मेरा विश्वास है कि जिससे तकनीक को किसानों के पास ले जा सकते हैं और उस तकनीक पर उसको, किसान को जो प्रतिक्रिया है, उसे तकनीक को बताने को कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने सदन में यह चर्चा की कि कमांड एरिया के लिए जो डेवलपमेन्ट कार्यक्रम हैं केनाल और जो चम्बल और राजस्थान कमांड एरिया में चलाया गया है, उनमें केवल स्टाफ पर ही ज्यादा खर्च किया गया है और सिवाय गाड़ियां दौड़ाने, टी. ए., डी. ए. उठाने के कुछ काम नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यहां पर कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि जितने टारगेट्स हमारे थे उनको शत प्रतिशत एचिव नहीं कर पाये हैं। शुरू-शुरू के काम में कई दिक्कतें थीं। चम्बल एरिया में जो कार्यक्रम चलाया गया है, वहां आज से 14 साल पहले बांध बना था, नहरें बनी थो, वहां पर कमांड एरिया का काम नहीं हुआ था। बहुत बड़े एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज चम्बल के एरिया में, चम्बल के इलाके में एक लाख एकड़ क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की समस्या है।

(श्री शिवचरण माथुर)

वहां पर किसानों को राजी करना, और वे डेवलपमेन्ट के लिए कन्विन्स हों, और जो दिक्कतें हैं उनको मान कर काम करना आसान काम नहीं था। जो भी लोग बाहर से आये हैं, उन्होंने हमारी दिक्कतों को समझा है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं चम्बल एरिया में डाइरेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कुल मिला कर वर्ष 74-75 में 10 लाख 54 हजार का आउट-ले था उसमें से 74-75 में 7 लाख 19 हजार रुपये व्यय किये गये, और 42 लाख 8 हजार में से 16 लाख 3 हजार रुपये डाइरेक्शन पर खर्च किये गये। इसी प्रकार 21लाख 40 हजार का जो आउट-ले वर्ष 74-75 में था, उसमें से 8 लाख 59 हजार रुपये व्यय किये गये। 75-76 में आउट-ले 28 लाख 94 हजार था, उसमें से 13 लाख 7 हजार खर्च किये गये। इसके मुकाबले इरिगेशन और ड्रेनेज में बताना चाहूंगा, 74-75 में 82 लाख 50 हजार का टार्गेट था, उसके मुकाबले 66 लाख खर्च किये गये। वर्ष 75-76 में 318 लाख का टार्गेट था वहां करीब 180 लाख खर्च होगा। और इस के लिये 46 लाख का टार्गेट था, उसके मुकाबले 61 लाख खर्च होगा, और आज मैं स्वयं देख कर आया हूं, वहां पर अच्छी रोड्स बनी हैं। सारी कैनाल के वर्क्स ठीक हो रहे हैं, पक्का किया जा रहा है, लाइनिंग किया जा रहा है। वहां पर जो ड्रेनेज की समस्या हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। जो एडवान्स सर्वे और प्लानिंग होता है उसको भी किया है। इसी प्रकार राजस्थान कैनाल की प्रोग्रेस चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कमांड एरिया के डेवलपमेन्ट में प्रगति हुई है और इसको सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया है। परसों ही भारत के कृषि मन्त्री जब उदयपुर में थे, मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि एक बार जब इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस क्षेत्र के विकास के बारे में हम सोचते नहीं है। होता क्या है पानी कम्पाउन्ड कर लेते हैं। उस पानी को रोकने के बाद, उसका उपयोग नहीं होने से जमीन कितनी खराब हो जाती है, उसके बारे में हमारा ध्यान नहीं होता है। और इरिगेशन विभाग इस बात को नजर अन्दाज कर देता है। उन्होंने यह स्वीकार किया और यह कहा कि अब सिद्धान्त यह स्वीकार कर लिया गया है जहां भी मीडियम और बड़े प्रोजेक्ट बनाये जाएंगे उनके साथ ही कमांड एरिया के डेवलपमेन्ट का काम साथ में लिया जायगा। पानी का बांध बांध रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं तो उस पानी की एक एक बूंद का उपयोग हमें करना है क्योंकि खेतों के लिए जैसे खाद, बीज महत्वपूर्ण है, और दूसरी चीजें महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से पानी भी महत्वपूर्ण है। और उस पानी की एक एक बूंद प्रोडेक्शन में लगे, उसका उपयोग हो, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि उसका सही उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। यह मैंने आपसे कमांड एरिया के डेवलपमेन्ट के बारे में निवेदन किया।

उपाध्यक्षजी, यहां पर माननीय सदस्यों ने कई बातों का जिक्र किया है। यहां पर ए. आर. सी का सवाल आया। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर रिफाइनेन्सिग कार्पोरेशन की स्कीम्स है, उनमें कितनी क्या-क्या

(श्री शिवचरण माथुर)

योजनाएं बनायी गयीं, मैं जानकारी के लिए माननीय सदस्यों को निवेदन कर दूं। कुल मिला कर के राजस्थान में 146 स्कीम्स का सर्वे किया गया है और इन 146 स्कीम्स को लगातार ए. आर. सी. को भेजा गया है। माननीय शोभारामजी कह रहे थे कि हमें यह चाहिए था कि ए. आर. सी स्कीम्स को बम्बई में रिजर्व बैंक में परस्यू करने के लिए एक एक्टिव लाइजन एस्टेब्लिश करना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने लाइजन को इफेक्टिव तौर से एस्टेब्लिश किया है। मेरे पास अभी फीगर्स नहीं हैं कि इस वर्ष ए. आर. सी. की कितनी लोनिंग है, परन्तु मैं जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता कि पिछले डेड़ वर्ष में ए. आर. सी. के लोनिंग में हम आगे बढ़े हैं जितने पिछले वर्षों में नहीं बढ़े थे। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में राजस्थान सब से नीचा था लेकिन आज हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। स्पेशल इर्रिगेशन स्कीम्स के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। राजस्थान में जहां जहां भू-जल उपलब्ध है, उसको ऊपर निकाल कर खेती के काम में ले सकें, उसका सर्वे करा कर किसान के खेत में लाने की हम चेष्टा करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस मामले में सतर्क है और उसी के अनुसार काम करना चाहते हैं।

माननीय सदस्यों ने यहां पर यह बात कही कि बीज समय पर नहीं आता है। बीज आता है तो पूरी मात्रा में नहीं आता है। मैंने दो साल से यह चेष्टा की है कि राजस्थान में हम जहां तक संभव हो सके अपने सोर्सेज से बीज का उत्पादन कर के हाई ईल्डिंग वेरायटीज के बीज का वितरण करें। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष गेहूं का बीज राजस्थान में बाहर के सोर्सेज से 8 हजार क्विन्टल गेहूं का बीज किसानों को वितरित करने के लिए क्रेश प्रोग्राम चलाया। इस बात की चेष्टा की है कि हम राजस्थान में अपने सोर्सेज से गेहूं का अच्छा बीज उत्पादित करें और किसानों को बांटे। आपको प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रयत्नों से 45 हजार क्विन्टल का अपने सोर्सेज से राजस्थान में हमारे फार्मों से इकट्ठा करने का रिकार्ड कायम हुआ है। 8 हजार क्विन्टल बाहर के सोर्सेज से मंगवाया था। इसके अलावा भी गेहूं का बीज किसानों को बांटा है। बीज खरीदने का जो वक्त था, आप जानते ही हैं उस वक्त प्राइसेज बहुत ऊंची थीं। और हमने किसानों को उस समय 195 रुपये क्विन्टल के भाव से यह बीज इकट्ठा करके दिया। यह जो कीमत है बीज की वह आज के भाव के मुकाबले मंहगी मालूम होती है, परन्तु उस वक्त के भावों के संदर्भ में इसको देखें तो इसके सिवाय और कोई प्राइस उचित नहीं हो सकती थी। जिस भाव से खरीदा है उससे भी आज जो लो प्राइस है, उससे कम्पेरिजन करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। यह हाई ईल्डिंग वेराइटीज का बीज है, परन्तु इस बात को कोई एप्रीसियेट नहीं करता है। यह सिलेक्टेड अपग्रेडेड बीज है। इससे पैदावार बढ़ती है और इससे खेती के क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ है। इस बात को न समझ कर अच्छी वेरायटी को आर्डिनरी फूड ग्रेन से इक्वेट करते हैं, उससे मुकाबला करने की चेष्टा करते हैं। मैं यह

(श्री शिवचरण माथुर)

निवेदन करना चाहूंगा कि आर्डिनरी फूड ग्रेन से इसको इक्वेट न करें। राजस्थान में कोई आपको इस तरह का सीड नहीं दे सकता है। यह निश्चित बात है जो गेहूं के 175/195 के भाव थे वे और ऊपर की ओर जा रहे थे किन्तु 26 जून को इमरजेंन्सी की घोषणा के साथ ही प्राइसेज गिरी और आज मालूम होता है जो भाव चल रहे हैं वे उनके मुकाबले बहुत ही कम लग रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, और सीड प्रोडक्शन के फीगर्स में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं 1974-75 में खरीफ में 3000 क्विन्टल सीड हमने पैदा किया था वहां 75-76 में वह बढ़कर 4500 क्विटल हुआ। 50 पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ रबी में हमने 60 हजार क्विन्टल पैदा किया। यह 33 पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ है। कुल मिलाकर दोनों फसल का एक साल में 32 पर्सेन्ट इनक्रीज हुआ है।

सीड डिस्ट्रिब्यूशन हमने 1974-75 में खरीफ में 7000 क्विटल किया और 1975-76 में 11265 क्विन्टल किया जो कि 59 पर्सेन्ट इन्क्रीज था। रबी में 1974-75 में 28640 क्विन्टल किया और 1975-76 में 38760 क्विन्टल किया जो कि 35 पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ। टोटल दोनों का 80 पर्सेन्ट इन्क्रीज था।

इसी तरह से फर्टीलाइजर के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में भी यह कहा गया कि कीमतें बढ़ीं। इसमें कोई शक नहीं है जून 74 से अप्रत्याशित रूप से फर्टीलाइजर की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन यह हमारे हाथ में बात नहीं थी। मैंने सुबह ही एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि फर्टीलाइजर की कीमतें बढ़ना और घटना हमारे देश की सरकार के हाथ में नहीं है। हमारी मजबूरी थी, जिससे फर्टीलाइजर की कीमतें बढ़ती रहीं। इसके बावजूद भी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि खरीफ में 1974-75 में 21114 मेट्रिक-टन्स फर्टीलाइजर कन्ज्यूम हुआ और 1975-76 में 31,038 मेट्रिक टन कन्ज्यूम हुआ जो कि 50 पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ। इसी प्रकार से रबी में जहां 1974-75 में 37,346 मेट्रिक टन कन्ज्यूम हुआ उस के मुकाबले में 1975-76 में 46,216 मेट्रिक टन कन्ज्यूम हुआ जो कि 25 पर्सेन्ट इन्क्रीज था।

प्लान्ट प्रोटेक्शन के लिए बताऊं हमने 15 लाख हैक्टेयर में खरीफ में प्लान्ट प्रोटेक्शन मेजर्स लिये थे 1974-75 में और 1975-76 में 20,50,000 हैक्टेयर में प्लान्ट प्रोटेक्शन मेजर्स लिये गये जो कि 37 पर्सेन्ट इन्क्रीज था। इसी प्रकार रबी में 1974-75 में 21 लाख हेक्टेयर पर प्लान्ट प्रोटेक्शन मेजर्स राजस्थान में लिये गये और 1975-76 में 29,50,000 हेक्टेयर पर प्लान्ट प्रोटेक्शन मेजर्स लिये जो कि 50 पर्सेन्ट इन्क्रीज है।

इसी प्रकार से उत्पादन की बात कहना चाहता हूं। हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के फीगर्स हैं जो एक फोरकास्ट आता है उसकी जानकारी बताना चाहता हूं। खरीफ के प्रोडक्शन के बारे में अन्दाजा जो 1974-75 का था उसमें राइस की एक लाख टन की पैदावार हुई थी वह बढ़कर 2,22,000 टन तक का फीगर हो गया है। मेज जो 1974-75 में 4,76,000 टन थी वह 7,82,000 टन हो गई जो कि

(श्री शिवचरण माथुर)

75 पर्सेन्ट इन्क्रीज है। खरीफ की पल्सेज में 74-75 में 1,33,000 टन का प्रोडक्शन था वह 5,44,000 टन हो गया जो कि 309 पर्सेन्ट इन्क्रीज हुआ। इसी प्रकार से ग्राउन्ड नट्स का प्रोडक्शन भी 1,30,000 टन के मुकाबले 1,73,000 टन हो गया जो कि 33 पर्सेन्ट इन्क्रीज है। इसमें राइस और खरीफ की पल्सेज का आल टाइम हाई रिकार्ड प्रोडक्शन है।

यह फीगर्स इसलिए दिये हैं कि जहां एक तरफ वर्षा एक इम्पोर्टेन्ट फेक्टर है वहां नई कृषि की विधियों का प्रसार और तकनीकी ज्ञान भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आपको समझना चाहिए। इस बात को नजरअन्दाज कर देते हैं तो एक फासला जो सब के सामने आता है उससे हम दूर हो जाते हैं।

यहां पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि आज किसानों की जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनके भाव एक साथ नीचे चले गये। मैंने आज प्रातः ही इस बात को निवेदन किया था कि जून 1974 के बाद में जो एक साथ प्राइसेज ने अनप्रेसिडेन्ट जम्प किया था वह कोई नेचुरल जम्प नहीं था। वह आर्टिफिशल मार्केट मेकेनिज्म उसमें था। 136 और 142 रुपये क्विन्टल गेहूं के भाव थे, उस समय माननीय सदस्य इसी सदन में नाज मिलने के लिए कितनी चिन्ता करते थे 60,000 टन पर मध्य के हिसाब से फेयर प्राइस शाप्स के लिए। वह 195 रु० क्विन्टल तक पहुंच गया। लेकिन इमर्जेन्सी के बाद फिस्कल टाइटनेस की गई, एन्टी इन्फ्लेशन मेजर्स थे वह गवर्नमेन्ट ने लिये तो उसके साथ-साथ प्राइसेज एक प्रकार से नीचे आना शुरू हुईं। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इससे पहले के साल में जब बाजार में गेहूं का भाव 175 170 था तो प्राइस कमीशन ने 105 का भाव तय किया था और आज जब भाव गिरना शुरू हुए इमर्जेंसी के बाद तो मैं समझता हूं कि एक निश्चित स्थिति भावों में आना जरूरी है, भावों में स्थिरता आना जरूरी है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की दृष्टि से, इस वक्त हम यह कहें भारत सरकार से कि 105 के बजाय 125 होना चाहिए तो किसी लाबी को फीड करने वाली बात हो जाती है, और मैं समझता हूं कि यह व्यवहारिक बात नहीं होती है। इसलिए राज्य सरकार ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन ने जो रिकमन्डेशन्स दी हैं उनके बारे में साफ कहा था कि प्राइसेज इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हम स्पष्ट रहे हैं इस बात के लिए कि प्राइसेज 105 से नीचे किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। भारत सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज पार्लियामेन्ट में भारत सरकार ने अपनी नीति की घोषणा की है जिसमें यह तय किया गया है, रबी की फसल के गेहूं की सपोर्ट प्राइस के जो भाव होंगे और प्रोक्योरमेन्ट प्राइस के जो भाव होंगे वह 105 रुपया क्विन्टल के हिसाब से होंगे। राजस्थान के लिए 2 लाख टन का टार्गेट निर्धारित किया गया है। जो बोनस की स्कीम पिछले साल थी वह बोनस की स्कीम एक प्रकार से कन्टीन्यू रहेगी। जितना अधिक टार्गेट बढ़ेगा उसी हिसाब से प्रपोर्शनेटली बोनस मिलेगा। उस बोनस

(श्री शिव चरण माथुर)

की रकम को हम किसानों के काम के लिए ही खर्च करना चाहते हैं। पहले भी राजस्थान सरकार को जो बोनस दिया है वह किसानों के ही हित में खर्च किया गया है। पंचायत समितियों को हमने इसी आधार पर दिया है कि पंचायत समिति स्तर पर किसानों के काम में आने वाली चीजों पर वह खर्च करें। राजस्थान सरकार को 87 लाख रुपया पिछली रबी का बोनस मिला था उसको ज्यों का त्यों भारत सरकार से आने के बाद पंचायत समितियों को जितना कलेक्शन उन्होंने किया था, उस हिसाब से दिया है। राजस्थान सरकार ने उसको अपने कन्सोलिडेटेड फण्ड में रख कर अपने उपयोग में नहीं लिया है। इस लिए यह आलोचना कि राजस्थान सरकार ने बोनस की रकम अपने पास में रख ली और किसानों को नहीं दी मैं समझता हूं कि आधारहीन है और केवल आलोचना के लिए आलोचना की जाती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने यह भी तय किया है, और भारत सरकार ने जो स्टेटमेन्ट आज पार्लियामेन्ट में दिया है उसमें यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि चने और जौ के भाव आज बहुत नीचे गिर रहे हैं, और यह कहा गया है उस नीति की घोषणा के साथ कि यदि आवश्यकता हुई तो इन पर भी सपोर्ट प्राइस आपरेशन्स करना चाहते हैं। भारत सरकार की तरफ से उनके लिए क्या सपोर्ट प्राइस होगी यह अभी तय नहीं किया गया है। इसके इम्पलीकेशन्स को एक्जामिन कर रहे हैं। पिछली बार जब 18 तारीख को मैं दिल्ली गया था, भारत के कृषि मन्त्री जी ने बुलाया था तो मैंने उनसे कहा था कि केवल गेहूं के ही भाव नीचे नहीं गये हैं बल्कि जौ के भाव भी नीचे गये हैं और चने के भाव भी नीचे गये हैं इनमें भी प्राइस सपोर्ट आपरेशन करने वाली बात तय की जानी चाहिए। तो आज सिद्धान्त रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, अब कितनी सपोर्ट प्राइस होगी इसकी बहुत जल्दी ही घोषणा वहां पर होने वाली है।

तो यह वाजिब है माननीय सदस्यों की चिन्ता कि जहां पर किसानों की उत्पादित वस्तुओं के भाव स्थिर हुए हैं वहां पर उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं के भाव स्थिर नहीं हुए हैं। इसमें हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि कपड़ा है और जो सामान है उनके काम में आने वाला उनके भाव इस प्रकार से स्थिर किये जाने चाहिए। भारत सरकार ने इस बात पर विचार किया है। आम लोगों में बंटने वाला कपड़ा जो है उसकी क्वालिटी को उन्होंने सीमित किया है और भाव भी सीमित किये हैं मार्च, 1975 से पहले जो कपड़ा आता था वह एक प्रकार से बाजार में आता ही नहीं था। भारत सरकार ने टैक्सटाइल मिलों के कन्ट्रोल को टाइटन किया है, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जनता कपड़ा जो आता है जो कि आम तौर पर साधारण जनता के वितरण के लिए आता है उसकी पहले की अपेक्षा क्वालिटी अच्छी है।

राजस्थान सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि आम तौर से उपभोक्ताओं के काम में आने वाली जो चीजें हैं या किसानों के काम में आने वाली चीजें हैं उनके भाव कम हों। हम अपनी सीमा में हर बात की कोशिश के लिए तत्पर हैं और

(श्री शिव चरण माथुर)

मैं समझता हूं राष्ट्र-स्तर पर निर्णय होता है इसलिए केवल स्टेट अपने निर्णय को लागू नहीं कर सकती। हमने सारे संभव प्रयत्न किये हैं लेकिन फिर भी जो कुछ भी स्थिति है वह आपके सामने है। सीमेन्ट के भाव स्थिर रहे हैं। ट्रैक्टर के भाव बढ़े हैं; उसके बारे में भी हमने कई बार भारत सरकार को निवेदन किया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : भारत सरकार को तो आप फर्माओ ही मत। हरियाणा और अपने यहां भी चार हजार का फर्क है।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो मेरी सीमा का प्रश्न नहीं है। मेरी सीमा के बाहर की बात है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सीमेन्ट के भाव कहां गिरे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय; मैं थोड़ा सा समय माननीय सदस्यों का और लेना चाहूंगा। कई माननीय सदस्य कृषि प्रसार के सम्बन्ध में जिक्र कर रहे थे। उसके जो इम्पेक्ट सामने आये हैं, थोड़े से अच्छे हैं जो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं। चम्बल के एरिया में जहां पर गेहूं की उपज 12 क्विन्टल पर-हेक्टेयर एवरेज आती थी इस प्रोग्राम को इन्ट्रोड्यूस करने से पहले और प्रोग्राम को इन्ट्रोड्यूस करने के बाद में उसमें आम तौर पर 14.97 क्विन्टल पर हेक्टेयर एवरेज हो गया है। इसके अलावा कान्ट्रेक्ट फार्मर्स का एवरेज जहां 12 क्विन्टल पर-हेक्टेयर का एवरेज था वहां अब एवरेज 25.50 क्विंटल पर-हेक्टेयर हो गया है। यह कोई फीगर्स ऐसे नहीं थे, माननीय सदस्य श्री शोभारामजी ने कहा कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेन्ट्स पर फीगर्स आने चाहिए। इसी प्रकार से जो फालोअर कल्टीवेटर्स थे उनका एवरेज इस प्रोग्राम को इन्ट्रोड्यूस करने से पहले 20-30 क्विन्टल पर-हेक्टेयर का एवरेज था और इस प्रोग्राम के बाद में 22.99 क्विन्टल पर हेक्टयर हो गया है। इस तरह के उत्साहजनक फीगर्स हमारे सामने आये हैं। मैं समझता हूं कि उनको आगे ले जाने की बात करनी चाहिए।

दूसरी समस्या, यहां पर डेयरी के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने काफी बातें कहीं। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने हमको डेयरी के सम्बन्ध में बहुत प्रोत्साहित किया और जो कुछ भी कार्यक्रम शुरू किये गये हैं उनकी तारीफ की गई। मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम में राजस्थान आगे आने वाले वर्षों में देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बन सके, ऐसी हमारी आशा है। केवल इसी से हमको सन्तोष नहीं कर लेना है, हमने अपने तौर पर यह व्यवस्था की है कि राजस्थान में जितने भी दुग्ध उत्पादक हैं उनके दूध का मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है, आज की स्थिति में केवल इतना ही किया गया है कि उसका प्रॉपर मार्केटिंग हो ताकि किसानों को यह महसूस होने लगे कि उनको उनके दूध का उचित मूल्य मिल रहा है। पहले जो सरप्लस दूध होता था उसको उनको दूकानों पर सस्ता बेचना पड़ता था अब हमने पूरी तरह से इस बात की व्यवस्था की है, कि उनको आवश्यक मार्केट प्रोवाइड कर दिया है और जितने भी डेयरी के प्रोजेक्ट हैं, डेयरी डिपार्टमेन्ट की तरफ से या डेयरी डवलपमेन्ट कार्पोरेशन की तरफ से, सबसे पहले जो कार्यक्रम हमने

(श्री शिवचरण माथुर)

हाथ में लिया वह यह था कि दूध उत्पादकों को उनके दूध का अच्छा मूल्य मिले और इस बात की कोशिश की कि हर एक गांव के स्तर पर एक सहकारी समिति हो और जितने भी दूध उत्पादक हैं वे सारे के सारे उस सहकारी समिति के सदस्य हों उनके दूध को वे स्वयं जाकर कलेक्ट करते हैं और उसका पैसा भी इकट्ठा करके उनको देते हैं। माननीय शोभाराम जी ने कहा कि डेयरी प्रोग्राम को आप जयपुर में ही बैठकर करेंगे तो निगम का घाटा कैसे पूरा होगा? मैं उनके विचारों की कद्र करता हूं, और उनके अनुभव की कद्र करता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने यह प्रोग्राम चालू किया उस समय यह पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर चल रहा था, उसमें कई कमियां थीं, कन्वर्शन सेन्टर्स नहीं थे और जब तक दूध को कन्वर्ट करके उसके बाइ-प्रोडक्ट्स नहीं बनाये जायं तब तक उत्पादक को उसके दूध का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमने यह किया कि जितना दूध हम जयपुर में बांट सकें उतना जयपुर में बांटे, हमने सोचा कि उसको जयपुर में बांटने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। जब लीन सीजन में दूध कम होता है, उसके अलावा उसको बाइ-प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाहर भेजना शुरू किया। गर्मी के मौसम में दूध उपलब्ध होता है। उसके खराब होने के चान्सेज रहते हैं तो हमने बाइ प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया जिससे उसका उचित मूल्य मिल सके। इस तरह से जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम जो पिछले दस पन्द्रह साल से घाटे में चल रही थी और करीब एक करोड़ का होने का कारण यह था कि दूध का प्रोपर कीपिंग नहीं था और दूसरी बात हमारे पास कोई बड़ा संयन्त्र भी नहीं था जिससे कि हम बाइ प्रोडक्ट्स बना सकें, यही कारण था कि उसको घाटा हुआ। पिछले वर्ष यह घाटा 26 लाख रुपये का था और वह केवल इसी आधार पर था कि दूध उत्पादकों से सही लिन्क नहीं था अब किसानों से सही लिन्क जोड़कर दूध इकट्ठा करना शुरू किया है। पहले हम मुश्किल से 1 हजार लीटर दूध इकट्ठा कर पाते थे, जो अब 27-28 हजार लीटर तक पहुंच गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि दूध में पाउडर मिलाते हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि अब हम दूध में कोई पाउडर नहीं मिला रहे हैं। किसानों के यहां से जो दूध आता है उसी को प्रोसेस करके, पेस्चूराइज करके हम आपकी सेवा में पेश कर देते हैं और उसको जयपुर में ही सप्लाई नहीं करते बल्कि सात हजार लीटर प्रति दिन दिल्ली भी भेजा जाता है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि एक लाख दस हजार लीटर दूध प्रतिदिन दिल्ली जा रहा है और अच्छी प्राइस हम किसान को ट्रान्सफर करते हैं। किसान को अब उसके उत्पादन की अच्छी प्राइस मिलने लगी है, वे अब अच्छी नस्लों के पशु रखने लग गये हैं, उन्होंने अच्छी नस्ल के गाय, बैल रखना शुरू कर दिया है। मैंने अजमेर के इलाके में देखा भी था कि उन्होंने अच्छी क्रास-ब्रीड की गाय रखना शुरू कर दिया है क्योंकि दूध का अब उनके लिये एक अच्छा मार्केट बन गया। यह तो मैंने दूध का अच्छा बाजार उपलब्ध करने की बात की। मैं समझता हूं यही काफी नहीं है। कई प्रदेश ऐसे हैं अभी तक जो पर-केपिटा कन्जम्प्शन में हमारे से आगे हैं। एक समय था जब हमारे यहां सबसे ज्यादा था। फिर अभी

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धि 292 ग्राम है जब कि सारे देश का पर केपिटा कन्जम्प्शन 112 ग्राम ही है। लेकिन इससे भी हम सन्तोष नहीं कर सकते। हमारे यहां पर और भी अधिक दूध बढ़ाने की क्षमता मौजूद है। हमारे यहां पर राठो, थरपारकर, कांकरेज, गिर आदि गायों की उत्तम नस्लें पायी जाती हैं, उनको हम बढ़ा सकें तो मैं समझता हूं कि दूध का उत्पादन बढ़ाने में हमारी क्षमता बढ़ेगी। हमने यह तय किया है कि हमारी जो खुद की ब्रीड है उनको इम्प्रूव किया जायेगा, और सलेक्टेड ब्रीड से जो नान-डिस्क्रिपिट ब्रीड है जो आधा सेर, तीन पाव दूध देती हैं उनमें क्रास ब्रीड का प्रोग्राम किया जायगा जिससे उनमें अधिक दूध देने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, अजमेर के आसपास चले जाइये, वहां क्रास ब्रीड काउज बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगी। अजमेर में एक समय ऐसा था, पचास हजार, पचपन हजार तक दूध पहुँच गया था। वहां काफी दूध पैदा होता है।

यहां अलग अलग जगह से आने वाले माननीय सदस्यों ने मांग की कि उनके क्षेत्र में चिलिंग प्लान्ट लगाना चाहिए, उनके क्षेत्र में डेअरी का काम शुरू करना चाहिए। हमने राजस्थान के हर क्षेत्र को किस प्रकार डेअरी के प्रोग्राम में कवर करें-उस पर काफी चर्चा की, करते रहे और काफी सोचने विचारने के बाद, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी योजनायें बनाई हैं, जिनके अन्दर छब्बीस के छब्बीस जिले डेअरी प्रोग्राम में शामिल हो जायं। हमने योजना रखी है जो फीडर डेअरी है वह अजमेर; बीकानेर; जोधपुर, जयपुर, अलवर में हैं, इनके आस पास हम फिलहाल उस दूध को इकट्ठा करने के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल कर रहे हैं। वहां प्रोसेस करके, इकट्ठा करके फीडर डेअरी में ला सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। यह सब जगह हो जायेगा। हमने ग्रुप बना दिया है, हमारी जो बीच की डेअरी है उसको जिलों से जोड़ दिया है। जैसे-जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा हम और फैसेलिटी बढ़ायेंगे। बीकानेर फीडर डेअरी, इसमें बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर जोड़े हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में दूध इकट्ठा होगा और बीकानेर फीडर डेअरी है, वहां वह इकट्ठा होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा और मार्केटिंग होगा। जोधपुर की डेअरी है, उसके साथ में नागौर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली को जोड़ा है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां दूर दूर से दूध आता है, यहां जो चिलिंग सेन्टर का सवाल आता है तो पाली में चिलिंग की व्यवस्था के लिए चिलिंग सेन्टर कायम किया है। तो इनसे और दूध इकट्ठा होना शुरू हो गया। एक वक्त था जब जोधपुर में दूध इकट्ठा नहीं होता था, मुश्किल से सात आठ हजार होता था, अब 29-30 हजार लीटर दूध इकट्ठा हो रहा है। जोधपुर के अन्दर पोकरण का चिलिंग सेन्टर ऊंचा उठा है। अकाल के वक्त में काउज एलीमिनेट हो गई थी, वह अब इस स्टेज में फिर आ रही हैं कि सम्भव है, पोकरण अपनी पूरी क्षमता पर फिर काम करेगा। दुबारा चिलिंग का काम करने लगेगा। तीसरा अजमेर का डेअरी प्लान्ट है उसमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट ही है। जयपुर का डेअरी प्लान है, इसमें जयपुर

(श्री शिवचरण माथुर)

झुंझुनू, टोंक, सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको संयुक्त रखा है। इसके अलावा अलवर में है, भरतपुर में है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दो जिले हैं। चित्तौडगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कट मोशन मूव किया था कि वहां डेअरी शुरू होनी चाहिए। हमने भीलवाड़ा और चित्तौड़ को एक साथ कर दिया है। कोटा के साथ में कोटा, बून्दी और झालावाड़-तीनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया गया है। उदयपुर डेअरी में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर-तीनों को जोड़ कर डेअरी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। यह मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। इनका अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है जहां डिस्ट्रिक्ट्स का दूध इकट्ठा होकर दूध इकट्ठा होगा और उसको प्रोसेस करके आगे भेज देंगे। राजस्थान में डेअरी विकास का जहां तक सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि करीब-करीब 43 करोड़ रुपये की योजना राजस्थान के पूर्वी जिलों में, जो पांच बड़ी डेअरी लगा रहे हैं, लगने वाली है। 11 करोड़ रुपये की योजना पश्चिमी राजस्थान में स्थित होगी। इसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। हमने सोचा, छोटे किसान हैं, सीमान्त किसान हैं उनके लिए डेअरी के कार्यक्रम को बहुत बड़े पैमाने पर लेना चाहिए। हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं और निवेदन किया है कि राजस्थान के अन्दर जो हमारा विशिष्ट योजना सेल है, स्पेशल स्कीम आर्गेनाइजेशन हमारा है, उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि राजस्थान के सारे क्षेत्र में कहीं न कहीं, कोई न कोई विशिष्ट योजना बनाई जाय और इस प्रकार सिफारिश की है कि हर जिले में योजना मिल जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक योजना हमारी है, भारत सरकार ने भी दो तीन दिन पहले इस योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना बड़ी योजना है, यह योजना स्पेशल स्कीम ऑफ एनीमल हसबेन्ड्री डवलपमेन्ट की है। एनीमल हसबेन्ड्री डवलपमेन्ट की एक विशेष योजना है, जो हमने डेअरी के अलावा बनाई है। उसमें जो ग्रुप हैं, मैं बताना चाहता हूं। ग्रुपवाइज यह योजना शुरू की थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर सवाई माधोपुर, टोंक में वह शुरू की गई है। टोटल आउट ले होगा वह 8 करोड़ 39 लाख रुपये का होगा। इसमें कुल मिला कर 45,750 स्माल, मार्जिनल फार्मर लाभान्वित होंगे। सब्सीडी का कम्पोनेन्ट इसमें 4 करोड़ 66 लाख का है और लोन का कम्पोनेन्ट 3 करोड़ 62 लाख का है। इस प्रकार शीप के प्रोडक्शन में और भेड़ उत्पादन में बढ़ोतरी की योजना है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जालोर और सिरोही कहीं नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : आ रहा हूं सुनिये। अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर....

श्री उपाध्यक्ष : आप भेड़ में आ गये।

श्री शिवचरण माथुर : भीलवाड़ा, बीकानेर इसमें 4 करोड़ 86 लाख का आउट-ले होगा। सब्सीडी का कम्पोनेन्ट 1 करोड़ 80 लाख का है और लोन का कम्पोनेन्ट 3 करोड़ 6 लाख का है। पोल्ट्री की योजना में अजमेर और उदयपुर को सलेक्ट किया गया है. इससे पांच लाख बेनिफिशियरी लाभान्वित होंगे। इसका 3 करोड़

(श्री शिवचरण माथुर)

27 लाख का टोटल आउट-ले होगा, जिसमें से 94 लाख 90 हजार का सब्सीडी का कम्पोनेन्ट होगा और 2 करोड़ 32 लाख 66 हजार का लोन का कम्पोनेन्ट होगा। पिगरी के लिए अलवर और भरतपुर को सलेक्ट किया गया है। वहां पहले से प्लान्ट लगा हुआ है उसको फीड करने के लिए अलवर भरतपुर के 400 बेनिफिसियरी होंगे। उसमें 7 करोड़ 59 लाख का टोटल आउट-ले होगा। इसमें से 2 करोड़ 33 लाख का सब्सीडी का कम्पोनेन्ट होगा और 5 करोड़ 26 लाख का लोन का कम्पोनेन्ट होगा। इस प्रकार कुल मिला कर यह प्रोग्राम है स्पेशल स्कीम फार एनीमल हुजबेन्ड्री डवलपमेंट, 16 करोड़ 50 लाख 52 हजार का इसमें टोटल आउट ले होगा। इसमें से 7 करोड़ 44 लाख का सब्सीडी का कम्पोनेन्ट है और 9 करोड़ 6 लाख का लोन का कम्पोनेन्ट है। 'ए' और सी' और दूसरी बैंकों के माध्यम से वह मिलेगा। मैं सोचता हूं, राजस्थान के लिए यह डेअरी प्रोग्राम है, यह अच्छे पशुओं का साधन दिलाने के लिए, धन दिलाने के लिए है और बैंकों के माध्यम से यह मिलेगा, इससे स्माल फार्मर और मार्जिनल फार्मर लाभान्वित होंगे। हमने बड़े फार्मर्स की चिन्ता नहीं की है। वह अपने साधन से गाय आदि खरीद सकते हैं। छोटे किसान, सीमान्त किसान, खास करके अच्छी नस्ल की गाय, भैंस, भेड़ नहीं खरीद सकते, उनको खरीदने में सहायता देने के लिए हमने इस प्रकार का प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के अन्दर काफी बड़े पैमाने पर डेअरी प्रोग्राम को हाथ में लिया है और बड़े पैमाने पर नस्ल सुधार का काम हाथ में लेना चाहते हैं।

पशु पालन के सम्बन्ध में बोलते हुए अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि पशु चिकित्सालय होना चाहिए, और चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि जितना डेअरी प्रोग्राम का विस्तार राजस्थान में होगा, तो स्वतः ही चिकित्सा की सुविधा भी पहुँचेगी। हमारा बेसिस यह है। इसके मुताबिक हमने पशु चिकित्सालय खोले हैं इसके अलावा एनीमल हैल्थ बढ़े-इसके लिए दवाइयों और वेटरनरी कम्पाउन्डर, जितने साधन सुविधायें होंगी उनको लेकर मोबाइल यूनिट हफ्ते में एक बार वहां जायेगी और वहां एनीमल एलमेंट को देखेगी और बीमारियों से रोक थाम कर पशुओं को सम्भालेगी। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति है, वहां पर कम्पाउण्डर होगा, उसको फर्स्ट ऐड में ट्रेनिंग दी जायगी, ट्रेनिंग दी भी जा रही है, उनको आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन में भी ट्रेनिंग दी जायगी। अमूल का जिस पैटर्न पर विकास हुआ है उसका विकास उस पैटर्न पर करना चाहते हैं। जयपुर में पांच छः महीने से सरकारी समितियों का निर्माण शुरू किया है और बहुत बड़े पैमाने पर मिल्क का कलेक्शन शुरू किया है। एक लाख का कलेक्टर आज बढ़ कर हो गया है। इसका कारण है, सहकारी समितियों का निर्माण मोबाइल यूनिट का निर्माण। मैं बता दूं कि कोई सहकारी समिति ऐसी नहीं है जिसका कलेक्शन चार सौ लिटर से कम हो। अब यह जनता का प्रोग्राम बन गया है। यह बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा माननीय शोभाराम जी ने चेतावनी दी, मैंने हमेशा हाउस में तो इस बात को

(श्री शिवचरण माथुर),

माना है कि हम इतनी तेजी से नहीं बढ़े कि कभी ऐसी नौबत आ जाय जैसे जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम में घाटा आया है। यह स्कीम सरकारी स्कीम ही नहीं रहने वाली है। आज इसलिए है कि हमारे सरकारी आदमी इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली दूध पैदा करने वाले किसानों को यह डेअरी बनने वाली है। सहकारी समिति के आधार पर, ग्राम स्तर पर सहकारी समिति का निर्माण कर जिला स्तर पर यूनियन बनेगी-वह डेअरी की मालिक होगी। आज देखा होगा कि अलग-अलग संघ बने हुए हैं। जो संघ बने हुए हैं, यह अल्टीमेटली जाकर संघ ही इसके मालिक होंगे। हम तो केवल इतनी मदद करना चाहते हैं कि जो पैसे का साधन है उसको इकट्ठा किया है उसके माध्यम से हम डेयरीज को खड़ा कर देना चाहते हैं और उसमें सारी बातें पैदा करना चाहते हैं जिससे घाटे में न जायं। यहां पर यह भी कहा गया कि घाटे को रोकने की गारन्टी क्या है। सबसे पहली बात जयपुर मिल्क सप्लाई की है उसके घाटे के लिए हमने तय किया है कि तीन सालों तक जब तक हमारा पूरा डेअरी प्लॉन बनकर तैयार न हो जाए तब तक उसमें कुछ घाटा हो सकता है उसका राज्य सरकार ने प्रावधान रखा है। तो मैं कह सकता हूं जिस स्थिति में हमारा प्लान है उसमें घाटे कि गुंजाइश निरन्तर कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि प्राफिट आने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य है राजस्थान के उपभोक्ताओं को अच्छा दूध सप्लाई करना। थोड़ी देर बाद आपको उस दूध का स्वाद करने का अवसर मिलेगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि डेयरी का जो प्रोग्राम है, उसमें जितनी भी दिलचस्पी आप रखते हैं रखें लेकिन केवल आप इसको एक आलोचना की दृष्टि से लें तो हो सकता है कि न हम आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं आते हों लेकिन रचनात्मक सुझाव हम आपसे चाहते हैं और हस्तक्षेप चाहते हैं, कन्स्ट्रक्टिव इन्टरवेंशन चाहते हैं वह किया जाए, हमारी मदद की जाय यह प्रोग्राम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से उन्नत करने में एक माध्यम बन सकेगा, इसमें दो राय नहीं।

तीसरी बात है हमारी कृषि उपज मण्डी समितियों के बारे में। इन समितियों का कार्यक्रम इतना तेजी से आगे बढ़ा है और उस बारे में आपकी स्पेशल दिलचस्पी है। हरएक सदस्य ने कम से कम अपने पंचायत समिति स्तर पर मण्डी समिति की स्थापना का जिक्र किया है। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और कहना चाहता हूं कि जितना आप सोचते हैं उससे अधिक तेजी से चलाना चाहते हैं और आज करीब 113 मण्डियां घोषित होने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत शीघ्र ही कम से कम हरेक पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर एक मण्डी समिति कायम की जाए, इसमें किसी ने कहा किसी ने नहीं कहा लेकिन एक नाम रखा है वह है कम से कम अपने प्रशासन को चलाने के लिए खुद खर्च करें। 2000) रु० प्रति माह खर्च ज्यादा से ज्यादा मण्डी के प्रशासन पर आजाता है याने 24—25 हजार रुपए प्रति वर्ष और 100 पर एक रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए का टर्नओवर ही

(श्री शिवचरण माथुर)

होगा। 25 लाख रुपए का टर्नओवर उस इलाके में होता हो तो सब जगह मण्डी समितियों में बहुत शीघ्र स्थापित कर देंगे। वैसे हमारे विभाग ने दो साल का फेजिंग किया है लेकिन हम तेजी से बढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें सारे गांवों का विकास छिपा हुआ है। मन्डी समितियों के माध्यम से जो ग्रामीण इलाकों में तरक्की होने वाली है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते लेकिन दो तीन साल बाद आपको मालूम पड़ेगा कि देहाती इलाकों को सड़कों से जोड़ने का काम; सारा विकास तेजी से होगा।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मन्डी समितियों की समस्यायें रखी हैं, उनको मैं बहुत शीघ्र कल ही, देखूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा लेकिन जहां तक पाली में निर्माण कार्य न होने की बात है, उसका मूल कारण यह है कि वहां काम नहीं चल रहा है, रेगुलेशन ही नहीं हो रहा है। मन्डी की जमीन तय नहीं हुई है आपका सहयोग चाहते हैं जमीन दिलाने में और सब बातों में सहयोग मिलेगा तो मन्डी समितियों का काम तेजी से आगे बढ़ेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : स्थानीय विधायक का सहयोग नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य, जो डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और बहुत ही अनुभवी और विषय के ज्ञाता हैं, उन्होंने सुझाव रखे हैं, वह आयोग के चेयरमैन हैं, उनकी मैं कद्र करता हूं और उनसे मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा हमारा सोइल कन्जर्वेशन और वाटर कन्जर्वेशन का काम एक प्रकार से रिवर बेसिस पर होना चाहिए लेकिन इसमें दो तीन सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा। जिस जगह पर पानी की ओरिजिनल नदी होती है, अधिक से अधिक पानी होता है तो वहां अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, उसके बाद फ्लो करने की इजाजत मिलनी चाहिए। रेकलेस तरीके से हम जहां मनाया बन्धे को बांध देते है और खाली नहीं किया तो डाउन स्तर पर क्या स्थिति होगी ? नतीजा यह हुआ कि नीचे कुआं सूख गया। तो डिटेल्ड सर्वे करने के बाद में इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने टेक्निकल कमेटीज बनाई हैं। दरअसल में हम उन कमेटियों को सिफारिशों का इंतजार कर रहे है। इससे डी. पी. ए. पी. के काम को भी बल मिलेगा। पिछली बार जिलाधीशों की मीटिंग बुलाई थी और इन बातों को डिस्कस किया था सर्वे के लिए कहा गया कि डी. पी. ए. पी. में सर्वे का काम चल रहा है। उनके पास फन्ड्स भी नहीं है। आधार उसका यह है कि अकाल पड़ता रहता है तो अकाल सामने आ जाता है और विभाग से कामों का प्लान नहीं बनता है न बराबर सर्वे होता है तो हमने यह सोचा है कि अब भी अकाल की स्थिति के लिए राजस्थान में तो ईअरमार्क्ड फंड्स हैं करीब 50 करोड़ के 5 साल के लिए, 10 करोड़ साल के हिसाब से, वह पैसा हमें मिलेगा, वर्क्स प्लान तैयार हो तो काम हाथ में लेने की सुविधा मिलेगी। तो टोपोग्राफिकल सर्वे भी जरूरी है। सारा काम तैयार हो डी. पी. ए. पी. के कामों में ऐसी बात नहीं है कि प्रावधान नहीं है। 10 प्रतिशत काम हाथ में लेने

(श्री शिवचरण माथुर)

का प्रावधान है। कहीं पर भी सर्वे के बाद में कम से कम 10 प्रतिशत काम शुरू कर सकते हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे उनको डी. पी. ए. पी. में प्रारम्भ करना चाहेंगे।

बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के लिए कहा कि वहां एक सेलाइन एरिया बढ़ता जा रहा है, वह उनके लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय उनके लिए भी है और हम लोगों के लिये भी है। मैं यह आदेश दे रहा हूं उसका काफी डिटेल्ड सर्वे करा कर सेंट्रली स्पान्सर्ड स्कीम तैयार करें क्योंकि राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर सेलाइन एरिया का डेवलप होना ही पहला उदाहरण है। उसको मीट करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसके बाद में उस दिक्कत को भी दूर कर सकेंगे।

श्री रतीराम यादव: मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। फसल बीमा योजना और पाइलट प्रोजेक्ट।

श्री शिवचरण माथुर: फसल बीमा योजना के बारे में बीमा कम्पनीज से बातचीत की थी और उन्होंने जो टर्म्स दी हैं वे किसान के लिए लाभदायक है या नहीं उसके इम्पलीकेशन्स को एग्जामिन कर रहे हैं। अगर वे ऐसे टर्म्स दें कि पैसा तो चला जाए और लाभ नहीं हो सके तो क्या फायदा? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर किसान के हित की बात होगी तो सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

जहां तक सवाल है कि 26 जनवरी को प्रोजेक्ट डाइरेक्टर को मेरिट सर्टिफिकेट क्यों दिया गया, इस बारे में तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की। मैं समझता हूं उनको शायद कोटा के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर के बारे में सुनी सुनाई जानकारी है।

श्री रतीराम यादव: यह प्रश्न नहीं है, काम की जानकारी है। प्रश्न यह है कि जो राजस्थान नहर के अन्दर प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हैं उनको जो पारितोषिक मिला है उनके नीचे जो फील्ड लेवल पर काम करने वाले लोग हैं उन तक दिया गया है, वह नीति कोटा में क्यों लागू नहीं की गई है?

श्री शिवचरण माथुर: की है।

श्री रतीराम यादव: क्या इन्क्वायरी कर लेंगे?

श्री शिवचरण माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में प्रोजेक्ट है उसके डाइरेक्टर को दिया गया है। उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है उस पर पहले सभी बातों पर विचार किया जाता है उसके बाद में दिया जाता है। उनको 26 जनवरी को मेरिट के आधार पर दिया गया था। उसमें केवल एक इसी विभाग को नहीं पशुपालन विभाग के लोगों को, दूसरे लोगों को भी दिया गया है।

श्री रतीराम यादव: मेरा यह निवेदन है कि कोटा वाले डाइरेक्टर को ही क्यों दिया गया? वहां पर और भी तो स्टाफ होगा उसने भी तो काम किया होगा उन्हें क्यों नहीं दिया गया?

श्री शिवचरण माथुर: इसके लिये तो मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक कमेटी

(श्री शिवचरण माथुर)

बनी हुई उसमें बड़े-बड़े सेक्रेटरी मेम्बर हैं वह मेरिट के आधार पर रिकमेन्ड करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुंशीलाल महावर!

श्री मुन्शीलाल महावर (राज्य मन्त्री भेड़ व ऊन) : उपाध्यक्ष महोदय; माननीय कृषि मन्त्रीजी ने कृषि पशुपालन और डेयरी विभागों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में भेड़ व ऊन विभाग की मांगों के संबंध में माननीय सदस्यों ने भेड़ों के विकास के संबंध में कई कट मोशन प्रस्तुत किये। जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और अपने कीमती सुझाव प्रस्तुत किये उनके लिये मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भेड़ व उन के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि राजस्थान में करीब 85 लाख 50 हजार भेड़ें हैं उनमें से करीबन 45 प्रतिशत भेड़ें ऐसी हैं जिनसे कि ऊन पैदा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में राजस्थान एक शीप डिस्ट्रिक्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ लोकतन्त्र की हामी कहलाती है।

एक माननीय सदस्य : तो यह शीप स्टेट हुई यानी भेड़ राज्य।

(व्यवधान)

श्री मुन्शीलाल महावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार भेड़ों के विकास के लिये और ऊन के विकास के लिये शीघ्र ही कुछ कदम उठाने जा रही है। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर राजस्थान में 12 प्रसार केन्द्र हैं, 20 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं और 6 भेड़ प्रजनन केन्द्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ों के सम्बन्ध सबसे बड़ा काम है वह भेड़ों के प्रजनन के बारे में है। हमारे यहां पर 6 भेड़ प्रजनन केन्द्र चल रहे हैं और उनमें विदेशों से लायी हुई शीप्स भी हैं। हमारे यहां पर जयपुर ब्रीडिंग फार्म में एक मेरीनो नस्ल के मेन्डे हमने विदेशों से मंगाये हैं। मालपुरा में हमारा जो बड़ा फार्म है वहां पर क्रास ब्रीड का कार्यक्रम होता है। वहां पर हम देशी भेड़ों से क्रोस ब्रीडिंग का काम करते हैं। इसी प्रकार एम्कोरा नस्ल की भेड़ों के मेन्डे भी हमने विदेशों से मंगाये हैं जिनसे हम क्रास ब्रीडिंग करवा रहे हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हम लाठी सीरीज की भेड़ों का भी क्रास ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं और हमारे यहां पर भेड़ों के विकास के लिये सबसे बड़ा वृहद् स्तर पर एक फार्म फतेहपुर में है। इसमें 8700 एकड़ भूमि है। यहां पर हमने रशियन भेड़ों, मेरीनो नस्ल की भेड़ों को रखा है और हमारे यहां पर भेड़ों के विकास के लिये तेजी से कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें हमने 17 एकड़ भूमि में वामन घास और सीमन घास लगायी है। इसमें हमने 2500 वृक्ष भी लगाये हैं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

हमने मेरीनों भेड़ से संकर भेड़ें तैयार करायी हैं। इस प्रकार हम क्रास ब्रीडिंग

(श्री मुन्शीलाल महावर),

का काम तेजी से कर रहे हैं। वहां पर 4500 भेड़ें हैं। इनमें कृत्रिम गर्भाधान के काम को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने फार्म लगाये हैं, भेड़ों के चरागाह के विकास कार्यक्रम की बहुत बड़ी योजना भी सरकार ने बनायी है। इसमें हम सौ एकड़ के फार्म बनायेंगे।

(शोरगुल : अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ों के विकास के साथ,

श्री रामगोपाल : यह संकर भेड़ कैसी होती है।

श्री मुन्शीलाल महावर : देशी और बाहर की नस्ल की भेड़ों की क्रास ब्रीडिंग से होती हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर पहले चरागाहों पर कम जोर दिया था, भेड़ों के न्यूट्रेशन के लिये पर, चरागाहों पर भी अब जोर दिया जा रहा है। यहां पर डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत राजस्थान में जोधपुर, चुरू, जालोर में हमने पाश्चर लैण्ड डवलपमेन्ट के काम भी किये। इसके अलावा...

(व्यवधान : अश्रव्य)

इसके अलावा भीलवाड़ा में कोरीडेला भेड़ का सोनाड़ी नस्ल से क्रोस ब्रीडिंग कराकर उनसे अच्छा मटन मिल सके इसके भी कार्यक्रम राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं। इसके अलावा अच्छी ऊन प्राप्त होने के लिये उनमें अच्छी किस्म की वृद्धि कराने के लिये भेड़ व ऊन विभाग ने कुछ कदम उठाये हैं। राज्य सरकार ने वूल मेकिंग की फैसीलिटीज के बारे में अच्छी ऊन की तथा क्वालिटी हो और क्वान्टिटी भी अधिक हो और ऊन उत्पादकों को पूरा मूल्य मिले इसके लिये भी राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है। माननीय सदस्य भोपालसिंहजी ने अपने सुझाव दिये। हमारी राज्य सरकार जैसलमेर में तीस हजार एकड़ पाश्चर लैण्ड के लिये विचार कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज ऊन में ज्यादा मन्दी आने के कारण राज्य सरकार ने इस ओर कदम उठाये हैं। वहां ऊन के कारपेट भी बनाया जाता हैं, लेकिन हमें ऐसी सूचना मिली है कि उनमें भ्रष्टाचार होता है और ऊन उत्पादकों को उनकी पूरी कीमत नहीं मिलती है इसलिये राज्य सरकार ने वूल मार्केट को आर्गेनाइज करने की योजना बनायी है। ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे उत्पादकों का एक्सप्लाईटेशन नहीं हो सके। इसके लिए राज्य सरकार बिचौलिये को समाप्त करने के लिये एक निगम बनाने का विचार कर रही है ताकि जो होजरी और ऊन के धागे वगैरह में बिचौलिये हैं उनका शोषण करते हैं वह नहीं हो सके। इधर जब भेड़ों में महामारी फैली थी तो राज्य सरकार ने अपनी सूझ बूझ से उस बीमारी पर काबू पाया और दूसरी बीमारी को रोका गया। इसके अलावा अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, जोधपुर, और भीलवाड़ा में भी भेड़ो के लिये राज्य सरकार कदम उठा रही है। इन जगहों पर पशुओं के विकास के लिये राज्य सरकार जो कार्यक्रम कर रही है उनमें भेड़ों का विकास भी किया जायेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भेड़ों के विकास के लिये, ऊन के विकास के लिये राज्य सरकार काफी कदम उठा रही है। अजमेर, जैसलमेर,

(श्री मुन्शीलाल महावर)

बाड़मेर, पाली, चुरू, नागौर, भीलवाड़ा आदि दस डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके लिये 486 लाख रुपया मंजूर किया गया है। भारत सरकार से 186 लाख का अनुदान प्राप्त होगा। 14400 लघु कृषकों को भेड़ पालन और उनके विकास की योजना के अन्तर्गत फायदा होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान कृषि और डेरी विकास में तथा कृषि उपज मंडियों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मैं यह कह सकता हूं कि भेड़ और ऊन के विकास में भी राजस्थान पीछे नहीं रहेगा यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अतः जो माननीय कृषि मंत्रीजी ने मांगें रखी हैं उनको पारित किया जाय।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना बहुत ही जरूरी समझता हूं वरना भ्रान्ति बनी रह जावेगी। पदमपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रिसर्च उदयपुर को ट्रान्सफर हो गयी है। उन्होंने साधारण तौर से कह दिया। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि हर तरह की रिसर्च चाहे फण्डामेन्टल हो या साधारण युनिवर्सिटी में ट्रान्सफर कर दिया जाना चाहिये। केवल राजस्थान और जम्मू-काश्मीर ही ऐसे प्रान्त हैं जहां से कि यह ट्रान्सफर नहीं हुई थी। बाकी सब जगह हो गई है। जब तक ट्रान्सफर नहीं होती है तब तक आई. सी. आर. की ओर से ग्रान्ट भी नहीं मिलती है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने स्वीकार किया है कि सारी रिसर्च ट्रान्सफर हो जानी चाहिये। जब कृषि मंत्री फखरुद्दीनअली साहब थे, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी थी युनिवर्सिटी को रिसर्च ट्रान्सफर कर दी जावे। यह नहीं होगी तो जो ग्रान्ट आई. सी. ए. आर. से मिलने वाली है उसमें बाधा आवेगी। भारत सरकार से लगातार कहा जाता रहा है। पहले भी मीटिंग हुई थी नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर की जिस में भारतीय कृषि मंत्री जगजीवन रामजी ने कहा था :

"Rajasthan is the only State which does not yet have a well organised agricultural university."

रिसर्च के काम को पूर्ण नहीं मानता है। राष्ट्रीय स्तर पर पोलिसी को स्वीकार करते हुए रिसर्च को तेजी से बढ़ाने के लिये यह फैसला लिया गया कि फण्डामेण्टल रिसर्च हो या एडॉप्टिव रिसर्च हो और कोई रिसर्च हो उसको युनिवर्सिटी को ट्रान्सफर कर दिया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिसर्च के ट्रान्सफर होने के बाद उदयपुर में एक मात्र कृषि युनिवर्सिटी है राजस्थान की जिसको अधिक मात्रा में धन उपलब्ध होगा और इस रिसर्च का विकास आगे बढ़ेगा।

माननीय सदस्य ने आसान तरीके से कह दिया कि एक आदमी को अकमोडेट करना था, आर. एन. माथुर को अकमोडेट करने के लिये रिसर्च को ट्रान्सफर कर दिया। यह गलत बात कही है। इस सम्बन्ध में भ्रान्ति को मैं दूर करना चाहता था। युनिवर्सिटी में तो 60 साल तक सर्विस का मौका रहता है। जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरिट के अनुसार प्रमोशन मिलेंगे लोगों को। युनिवर्सिटी में रिसर्च

(श्री मुन्शीलाल महावर)

जाने से बहुत लाभ है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं को यह कृषि के विकास के हित में ट्रान्सफर की गयी है। मुझे यही भ्रान्ति दूर करने के लिये जानकारी देना था। अब मैं आप से निवेदन करता हूं कि जो मांगें मैंने प्रस्तुत की हैं उनको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,58,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,56,08,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,29,47,000, रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग पारित की गयी।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26 मार्च, 1976 के म. पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 9.46 शुक्रवार दिनांक 26 मार्च, 1976 के म. पू. 4 बजे तक लिए स्थगित हुई।)

Page No 212

(212)

परिशिष्ट-1 (क)

तारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची

केन्द्रीय सतर्कता दल की 13-3-76 तक की विशिष्ठ उपलब्धियां

चैक किये गये कनेक्शनों की कुल संख्या	2001
काटे गये कनेक्शनों की कुल संख्या	259
केस जो पुलिस में दिये गये	43
यूनिट्स (अनुमानित)	6631,084
धनराशि (अनुमानित)	रु० 14;36,791.54

परिशिष्ट 'ख'

केन्द्रीय सतर्कता दस्ते द्वारा चैकिंग किये गये एच. टी. उपभोक्ताओं की सूची

क्र० सं०	उपभोक्ता का नाम व पता
1	2
1.	मै० ओरियन्टल पावर केबिल लिमिटेड, केबिल नगर, कोटा।
2.	;; बेडला फ्लोर मिल्स, कोटा।
3.	,, कोटा कोल्ड स्टोरेज, कोटा।
4.	;, वुल्स दीप, कोटा।
5.	,; कोटा स्टील रि-रोलिंग मिल्स, कोटा।
6.	;; राजस्थान स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स, भीलवाड़ा।
7.	,; राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट लिमिटेड, भीलवाड़ा।
8.	;; मेवाड़ टेक्सटाइल्स, भीलवाड़ा।
9.	,, जे० के० सिन्थेटिक्स, कोटा।
10.	;; जोधपुर वुलन एण्ड स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स, जोधपुर।
11.	,, अशोका फाउन्ड्री, जयपुर।
12.	;; प्रिमियर वेजीटेबिल प्रोडक्ट, जयपुर।
13.	;, जयपुर आयल प्रोडक्ट, जयपुर।
14.	;; रोहतास इन्डस्ट्रीज, जयपुर।
15.	;; मुरली रोलिंग मिल्स, जयपुर।

1	2
16.	मै० जे० एस० रोलिंग मिल्स, जयपुर।
17.	,, जय ड्रिंक्स, जयपुर।
18.	,, कैप्सटन मीटर्स, जयपुर।
19.	,, उमा एन्टर प्राइजेज, जयपुर।
20.	,, जवाहर मिनरल्स, उदयपुर।
21.	,, जिंक स्मेल्टर, उदयपुर।
22.	,, बजाज सिमेन्ट फैक्ट्री, उदयपुर।
23.	,, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी।
24.	,, रामनारायण गोयल एण्ड बद्रर्स, अलवर।
25.	,, जयभारत आयल मिल्स, खैरथल।
26.	,, हनुमानदास सुगनकुमार, गंगानगर।
27.	,, बिरला सिमेन्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़।
28.	,, मेहता वेजीटेबल प्रोडक्ट, चित्तौड़गढ़।

परिशिष्ट 'ग'

1. मीटर की बोड़ी सील तोड़ कर अथवा खोलकर मीटर के विभिन्न पुर्जों को क्षतिग्रस्त कर मोटर बन्द करना अथवा धीरे करना।
2. लाइन से डाइरेक्ट कनेक्शन करना।
3. मीटर का कांच ढीला कर अथवा तोड़कर विभिन्न प्रकार से मीटर धीरे करना अथवा बन्द करना।
4. मीटर के बाहर तार निकालकर कनेक्शन करना।
5. टर्मीनल सील तोड़कर लाइन और लोड के तार उल्टे लगाना अथवा विभिन्न प्रकार से मीटर धीरे अथवा बन्द करना।
6. मीटर से ढक्कन अथा पैकिंग में छेदकर मीटर बन्द करना।
7. मीटर बोर्ड खोलकर, बोर्ड के पीछे क्रनेक्शन डाइरेक्ट करना अथवा मीटर बन्द करना।
8. पी० टी० के फ्यूज उड़ा देना।
9. तेल या एसिड डाल कर मीटर जला देना।

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम नयावास (तहसील विराट नगर) को नवीन ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव

356. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर के ग्राम धवली के उप-ग्राम नया बास को पृथक् नवीन ग्राम घोषित किये हेतु जाने सन् 1964 से सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त ग्राम कायम किये जाने हेतु पंचायत समिति, तहसील एवं जिलाधीश, जयपुर से बहुत वर्ष पूर्व रिपोर्ट आ चुकी है ? यदि हां, तो सरकार कब तक निर्णय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। जिलाधीश, जयपुर ने दिनांक 25-11-68 को प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जो परीक्षण करने पर दिनांक 7-1-1969 को अस्वीकृत कर दिया गया।

तिलवाड़ा पशु मेला स्थल का विकास

358. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तिलवाडा पशु मेले से राजकीय कोष को कुल मिला कर कितनी आमदनी प्रति वर्ष मिलती है ? गत पांच साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में राज्य सरकार ने इस मेला स्थल को विकसित करने (उदाहरणार्थ) नल योजना या विद्युतिकरण या पथ-निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की ?

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग की आय की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मेला स्थल को विकसित करने के लिये मास्टर-प्लान बनाया जा रहा है।

(215)

सूची "क"

वर्ष	आमद	खर्च
1971	82,772.30	16,288.48
1972	1,05,536.20	14,523.50
1973	1 04,115.27	13,399.00
1974	1,62,254.17	24,352.87
1975	73,019.11	28,106.87

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे

359. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अनुसूचित जाति एवं जन जाति व भूमिहीन कृषकों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने में किस-किस किस्म की कितनी-कितनी भूमि बीघों में जिलेवार आबादी में परिवर्तन करनी पड़ी ?

(2) इस परिवर्तन से चरागाहों, श्मशानों, कब्रिस्तानों, देवस्थानों, जोहड़ों व अन्य सार्वजनिक कार्यों में आने वाली भूमियों पर क्या असर पड़ा ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन कृषकों आदि को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध करवाने में विभिन्न किस्म की भूमि, जिसका आबादी में परिवर्तन किया गया है, की जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त परिवर्तन से चरागाह, श्मशानों, कब्रिस्तानों, देवस्थानों, जोहड़ों व अन्य सार्वजनिक कार्यों में आने वाली भूमियों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

क्र० सं०	नाम जिला	सिवाय चक भूमि (बीघों में)	गोचर भूमि (बी	वन भूमि (बीघों में)	कस्टोडियन भूमि (बीघों में)	परियोजना भूमि (बीघों में)	गैर मुमकिन भूमि (बीघों में)	अवाप्त भूमि (बीघों में)	पुनर्वास भूमि (बीघों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	झुंझुनू	158-00	1232-4	—	—	—	—	—	—
2.	श्रीगंगानगर	193-00	40	—	—	—	—	—	—
3.	बाड़मेर	1242-17	456-10	—	—	—	249-8	—	—
4.	सिरोही	74-15	6-03	6-15	—	—	—	—	—
5.	अलवर	697-04	842-08	23-18	64-6	—	—	57-14	—
6.	नागौर	494-02	815-09	—	—	—	201-14	—	—
7.	भीलवाड़ा	1048-00	246-10	12-01	—	20-00	—	—	—
8.	उदयपुर	906-18	451-17	13-18	—	—	—	18-09	—
9.	चुरू	100-08	215-08	208-13	—	—	13-09	74-09	—
10.	बांसवाड़ा	1358-03	971-05	228-14	—	0-17	—	23-10	54-10
11.	टोंक	395-00	431-00	1-00	—	—	—	—	—
12.	सीकर	588-16	1641-00	48-09	—	—	94-01	—	—
13.	बून्दी	432-10	117-00	37-10	—	—	—	—	—
14.	पाली	460-10	358-10	8-00	—	3-04	—	35-05	3-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	झालावाड़	349-12	387-16	66-07	—	—	0-03	4-19	—
16.	जालोर	561-09	1320-14	—	—	—	50-00	11-00	—
17.	भरतपुर	873-00	718-06	217-17	134-00	—	271-12	—	—
18.	जैसलमेर	41-10	9-01	—	—	—	—	—	—
19	अजमेर	156-10	113-05	0-02	—	—	—	—	—
20.	जयपुर	783-01	1614-01	301-07	—	—	—	19-13	—
21.	सवाई माधोपुर	199-00	266-01	10-00	—	—	—	4-00	2-00
22.	डूंगरपुर	725-10	136-15	—	—	—	—	1-05	—
23.	कोटा	1743-09	106-02	176-11	—	—	197-19	—	—
24.	बीकानेर	199-03	229-07	—	—	—	325-09	14-15	—
25.	चित्तौड़ गढ़	744-00	538-00	2-10	—	—	17-00	6-00	—
26.	जोधपुर	387-00	5-00	23-00	—	—	—	1-00	—
	कुल योग	14913-07	14521-03	1368-12	221-06	24-10	1400-15	271-19	159-10

पंचायत समिति छीपाबड़ौद के फील्डमैन के विरुद्ध शिकायतें

360. श्री रामगोपाल (किशन गंज) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री घासीलाल फील्डमैन, पंचायत समिति छीपाबड़ौद, जिला कोटा के विरुद्ध अनियमितताओं आदि की शिकायतें राज्य सरकार को समय-समय पर क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई हैं ? यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

जी नहीं। श्री घासी लाल, फील्डमैन, पंचायत समिति छीपाबड़ौद, के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पिड़ावा तहसील कार्यालय का भवन

361. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि तहसील पिड़ावा की बिल्डिगें रिपेयर नहीं होने की वजह से गिर रही हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने आज तक इन बिल्डिगों की मरम्मत के लिये बजट क्यों नहीं रखा ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील पिड़ावा की बिल्डिग गिरने वाली है और बारिश में सारे कर्मचारी रिकार्ड को बचाने के लिये परेशान रहते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील के दफ्तर की पिछली दीवार गिरने वाली है और उसके गिरने से बहुत से गरीब लोगों की जान का खतरा है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने इसका कोई इन्तजाम सोचा है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिड़ावा तहसील के सरकारी भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं, तथा यहां के सरकारी भवनों की मरम्मत का उत्तरदायित्व इस विभाग का नहीं है।

(2) इसका इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

(3) इसका इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

(219)

फालना की जल प्रदाय योजना

362. श्री मोहन राज (बाली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फालना की जल-प्रदाय योजना केवल गांव की तत्कालीन आबादी को ध्यान में रखते हुये ही बनाई गई थी और अब पीने के पानी की बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि फालना की पिछले 10 वर्षों में कई नये उद्योग स्थापित होने से एवं मजदूरों, कारीगरों व विद्यालय की संख्या बढ़ जाने से आबादी काफी बढ़ गई है और जो एक टंकी (ओवर हैड टैंक) पानी की बनी हुई है उससे आबादी के खुडाला व फालना दोनों क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच सकता ?

(3) क्या राज्य सरकार पीने के पानी की इस समस्या को मिटाने हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) फालना की जल प्रदाय योजना दिनांक 19-3-65 को 8,000 व्यक्तियों को प्रति दिन 1.20 लाख गैलन जल वितरण करने के लिये स्वीकृत की गई थी। वर्षा न होने की स्थिति में योजना में जल की उपलब्धि में कमी होती है।

(2) जी हां। जल की आवश्यकता बढ़ी है। टंकी की क्षमता आवश्यकतानुसार ठीक है एवं उससे पेय जल का अधिक वितरण उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध होने पर किया जा सकता है।

(3) एक नया कुआ बनाया जा रहा है।

सीकर जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

363. श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना किस-किस तहसील के लिये स्वीकृत हुई ? मय ग्रामों के नामों व किस दिनांक से स्वीकृत हैं नाम व तारीख दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या इन योजनाओं को दो सालों में ही पूरा करना था ? यदि हां, तो देरी होने का क्या कारण था ?

(3) सीकर जिले की मिनी व अन्य कितनी योजनाएं बिजली की विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) सीकर जिले की जिन तहसीलों के लिये ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं उनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सभी योजनायें 2 वर्ष में नहीं पूरी होनी थी। विभिन्न योजनाओं को पूरा करने की अवधि उपरोक्त सूची में दर्शायी गई है।

(3) फतेहपुर व लक्ष्मणगढ़ पंचायत समितियों की छोटी (मिनी फार्म) योजनायें विचाराधीन हैं।

1. Name of the R. E. C. Scheme:— NEEM KA THANA
2. Year of sanction: 72-73
3. Estimated cost of the Scheme: 46. 011 lacs.
4. Villages included in the Scheme: 36 Nos.
5. Completion period : 4 Years.

1. Patan	19. Lakha ki Nangal
2. Khar Kharapancho	20. Jhalara
3. Meena ka Nangal	21. Dayal ki Nangal
4. Dalapat pura	22. Gaonli
5. Mathooka	23. Biharipur
6. Hanthali	24. Mawanda Kalan
7. Kishorepura	25. Jeelo
8. Dunga ki Nangal	26. Mankri
9. Ram Singh ki Dhani	27. Masdholi
10. Salodra	28. Mahawas
11. Shimli	29. Bhagoth
12. Bihar	30. Govindpura
13. Kunwar ki Nangal	31. Chala
14. Dabla	32. Theekriya
15. Dokan	33. Harjanpura
16. Charanwas	34. Basri Khurd
17. Napawali	35. Basri Kalan
18. Natha ki Nangal	36. Chhapar

1. Name of the REC Scheme : DANTA RAMGARH
2. Year of sanction : 73-74
3. Estimated cost of the Scheme : 46.652 lacs

4. No. of villages covered in the schemes : 56 Nos,

5. Completion period : 4 years,

1. Ralsota
2. Nimera
3. Tambakupura
4. Maksudpura
5. Khandelsar
6. Chihala
7. Raghunathpura
8. Sawaipura
9. Kochhor
10. Roopura
11 Lachhamenpura
12. Reta
13. Khatiwas
14. Dookiya
15. Dowti
16. Barsinghpura
17. Ladhana
18. Raipura
19. Roopgarh
20. Mohanpura
21. Dudwa
22. Dheejpura
23. Kantiya
24. Neemawas
25. Dalatpura
26. Heerwas
27. Bajyawas
28. Ballopura
29. Chak Khandelsar
30. Karpura
31. Chak Ladhana
32. Chak Tilokpura
33. Chak Chihala
34. Ganora
35. Dantla
36. Khora
37. Kailas
38. Dheengpur
39. Sooratram-ki-Dhani
40. Bhagwanpura
41. Samer
42. Ladpur
43. Shyami ki Dhani
44. Kerpura
45. Lamiya
46. Chak Nailas
47. Nadacharanwas
48. Dhani Chatan Das
49. Majipura
50. Gordhanpura
51. Mandha
52. Mandni
53. Sanwalpura
54. Aloda
55. Chak Majipura
56. Dhariyawas

1. Name of the R. E. C. Scheme: SRIMADHOPUR
2. Year of sanction: 1975-76
3. Estimated cost of the scheme: 51-778 lacs
, Villages included in the scheme: 72 Nos.

5. Completion period: 4 Years

1. Jalalpur
2. Kolwa
3. Lisariya
4. Chak Mau
5. Pujari-ka-Bas
6. Tiwari-ki-Dhani
7. Fatehpura
8. Padampura
9. Norangpura
10. Sheapura
11. Dhalyawas
12. Kheri Charnan
13. Jankipura
14. Sanwatpura @ Bulthana
15. Sawaipura @ Pujari-ka-Bas
16. Khatudra
17. Soorpura
18. Sanwatpura @ Jata-ki-dhani
19. Samoton ka-Bas
20. Shahpura
21. Madhoka-Bas
22. Dulepura
23. Sujana
24. Samrathpura
25. Hameerpura-Kalan
26. Balwar
27. Sukhsingh-ka-Vas
28. Bhadwari
29. Kalyawas
30. Jharli
31. Bhooranpura
32. Udalwas with Rooppura
33. Thoi
34. Karadka
35. Seelpur
36. Gopalpura
37. Malot
38. Aspura
39. Kalyanpura
40. Devipura
41. Khiroti Manroppura
42. Hathideh Hardas-ka-Bas
43. Naren
44. Garh Taknet
45. Surehi
46. Hathora
47. Jairampura
48. Chak Jairampura
49. Chak Jaswantpura
50. Kishanpura
51. Barsinghpura
52. Seepur
53. Dharampura
54. Chak Khandela No. 1
55. Chak Khandela No. 2
56. Chak Basri
57. Chak Dulepura 1
58. Pratappura
59. Chak Hod
60. Chhajna
61. Chak Chhaajna
62. Seel-ki-Bara
63. Chak Dulepura No. 2

64. Biharipura
65. Chak Kishanpura
66. Charanwas
67. Charanwas
68. Chak Bhauji-ki-Dhani
69. Charanwas @Bhoppura
70. Kasarda
71. Ranipura
72. Ramdas-ka-Basa

1.	Name of the R. E.C. Scheme :	PEEPRALI
2.	Year of sanction	1974-75
3.	Estimated cost of the scheme;	14. 139 lacs
4.	Villages included in the Scheme :	27 Nos.
5.	Completion period :	2 years.

1. Ranoli
2. Todimadhopura
3. Shishyee
4. Palsana
5. Tilokpura
6. Dadia
7. Tarpura
8. Shyosinghpura
9. Kudli
10. Hardyalpura
11. Piprali
12. Suyahasan
13. Bajor
14. Shyampura
15. Dase-ki-Dhani
16. Gokulpura
17. Radhakishanpura
18. Dabipura
19. Deogarh
20. Harsh
21. Dhani Salamsingh
22. Ghandpura
23. Jagmalpura
24. Nani
25. Sarmathpura
26. Keleara
27. Bari

1.	Name of the R. E. C. Scheme :	KHANDELA
2.	Year of sanction :	1975-76
3.	Estimated cost of the Scheme :	12. 669 lacs
4.	Completion period :	2 Years
5.	Villages included in the scheme :	9 Nos.

1. Gurara
2. Sevli
3. Paniharwas
4. Guwaria
5. Fatehpura

Page No 224

(224)

6. Bahadurpura
7. Chhara
8. Govindpura
9. Udaipura

फागी एवं चाकसू तहसीलों का भू-जल सर्वेक्षण

364. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या फागी; चाकसू तहसील का भू-जल सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? सर्वेक्षण रिपार्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे। यदि नहीं, तो क्या सरकार अब सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है और वह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा।

(2) क्या सरकार उक्त सर्वेक्षण कर उसके अनुसार ऐसी कोई लघु सिंचाई योजना बनाकर उत्पादन बढ़ाने के बारे में विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ऐसी योजना चालू हो सकेगी ? इसके अतिरिक्त कुए बनाने, जीर्ण-शीर्ण कुओं की मरम्मत कराने व आधुनिक कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने हेतु कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा ऋण दिलाने की ऐसी कोई ठोस योजना विचारार्थ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति चाकसू का भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1975-76 में कराया गया है। सर्वेक्षण अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न हीं नही उठता। पंचायत समिति का भी सर्वेक्षण वर्ष 1975-76 में करवाने का कार्यक्रम था किन्तु मानसून जल्दी आ जाने के कारण मानसून से पूर्व सर्वेक्षण नहीं हो सका। अतः पंचायत समिति फागी का भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1976-77 में करवाया जा रहा है। यह कार्य जून 77 तक पूरा हो सकेगा।

(2) सर्वेक्षण के परिणाम आने पर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है।

नागौर जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

365. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में अन्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में नागौर जिले की कौन कौन सी योजनाएं मन्जूर होकर चालू हो चुकी हैं ?

(2) इस वित्तीय वर्ष में कौन कौनसी ग्रामीण विद्युतिकरण की योजनायें विचाराधीन हैं ?

(श्रीमती गौरी पूनिया)

(3) नागौर जिले की कौनसी पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनका ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के दृष्टिकोण से अब तक सर्वेक्षण नहीं हो पाया है ? इसके क्या कारण रहे ?

(4) पंचायत समिति, मकराना के कुछ गांवों को ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत लेने का आवेदन पिछले कितने वर्षों से विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत मेड़ता पंचायत समिति योजना का कार्य वर्ष 1975 के जून माह से चालू किया गया।

(2) लाडनूं पंचायत समिति व कुचामन पंचायत समितियों का सर्वे हो चुका है और उनकी योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(3) इस जिले की मकराना, जायल, नागौर व मण्डवा पंचायत समितियों का ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना के दृष्टिकोण से अब तक सर्वे नहीं हो पाया है। इन पंचायत समिति की भू-जल सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अध्ययन के पश्चात् इन पंचायत समितियों का सर्वे कराया जाना सम्भव होगा। जिले में 132 के० वी० के सब स्टेशन के अभाव में और योजना बनाना सम्भव नहीं है।

(4) मकराना में 132 के० वी० सब स्टेशन बनाने के पश्चात् ही इस पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना बनाना सम्भव होगा।

भू. पू. लेखाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

356. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ के अध्यक्ष भूतपूर्व लेखाधिकारी श्री आर. एस. शर्मा, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप दिनांक 10-9-74 में एक लिखित पत्र द्वारा लगाए थे ? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 20-9-74 को उक्त आरोप को स्वीकारा है ? कृपया उक्त पत्र की प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को इस मामले को लेकर वहां से हटा दिया गया था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(4) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध आपातकालीन स्थिति में राजस्थान सेवा नियम नं० 244 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

उत्तर

(1) जी हां। श्री कुलदीपसिंह, अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ ने अपने एक परिपत्र दिनांक 10-9-74 में ये आरोप लगाये थे कि मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान के कार्यालय में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है एवं नई नियुक्तियां, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के लिये लेखाकारों को परेशान किया जाता है। पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी ने उक्त परिपत्र के सम्बन्ध में एक पत्र अध्यक्ष राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ से लिखा था जिसमें मुख्य लेखाधिकारी ने कहा था कि वे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि इस प्रकार की शिकायतों के लिये भविष्य में अवसर नहीं आवेगा। इस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान लेखा सेवा के अन्य अधिकारियों के साथ तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी श्री आर० एस० शर्मा के सेवाभिलेख की जांच स्क्रीनिंग कमेटी ने की थी। उक्त समिति ने इनकी अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति के लिये सिफारिश नहीं की।

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ

(राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त)

रंग विहारीजी का मन्दिर,
हवा महल के सामने,
जयपुर—302002

दिनांक 10 सितम्बर, 1974

परिपत्र

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संघ के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी, राज. में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। नई नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के लिये लेखाकारों को अत्यधिक परेशान किया जा रहा है।

(227)

कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर स्थिति को नियन्त्रण में करने का प्रयास किया गया एवं मुख्य लेखाधिकारी महोदय को भी इस सम्बन्ध में उचित वातावरण पुनः स्थापित करने हेतु कहा गया है, किन्तु गिद्ध दृष्टि में परिवर्तन इतना शीघ्र सम्भव होने की सम्भावना नही है।

अतः रोष प्रकट करने हेतु संघ जिला इकाइयों से अनुरोध है कि मुख्य लेखाधिकारी के सम्मान में जो परम्परागत स्वागत उनके यात्रा समय में आप करते आये हैं उनको तुरन्त बन्द कर दें।

ह०
(कुलदीपसिंह)
अध्यक्ष

From: Chief Accounts Officer, Rajasthan, Jaipur. *No. F. (10) (a) 74*
Dated Sept. 20, 1974

To,
Shri Kuldeep Singh,
President,
Rajasthan Subordinate Accounts Service Association, Jaipur.

Dear Sir,

Your pamphlet issued on 10th September, 1974 has come to my notice through some official of my office. It has pained me very much to know that the Rajasthan Subordinate Accounts Service Association has such a feeling about the higher officers of this Department. I am looking into the matter.

Some such rumours had also reached me earlier in a very vague manner. I have taken some concrete steps to see that nobody has such source of complaint in future. Some vital change in the higher cadre is already in your notice. I am further looking into the matter and assure you that there will be no such source of grievance. I hope the Association will also co-operate in the matter and will look into the whole matter in a proper perspective. We should think in a constructive manner and should not spoil the image of the cadre.

I encourage the Association to do its best and make efforts in creating a healthy atmosphere for the betterment of the cadre You or any member of the Sangh can always approach me if there is any grievance at any stage as well as if there is any suggestion for betterment of the cadre and for creating a healthy and better atmosphere.

Yours faithfully,
Sd/-
(R. S. Sharma)
Chief Accounts Officer,
Rajasthan, Jaipur.

True Copy

No. 4 Spl/74 Dated 21-9-74

CWCS to all District Presidents and Executive Body members, Rajasthan Subordinate Accounts Service Association, in continuation of my circular dated 10-9-1974. They are requested to offer their views addrssed to me.

Sd/-
(Kuldip Singh)
President,
Raj. Sub. Accounts Service Association,
Jaipur.

गंभीर नदी के खानुआ पुल (तहसील रूपवास) को बाढ़ से क्षति

367. श्री नत्थासिंह (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में गम्भीर नदी के खानुआ, तहसील रूपवास पुल को वर्ष 1972 की भयंकर बाढ़ ने तोड़ दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पुल के पुनर्निर्माण की कोई योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(229)

उत्तर

भरतपुर रूपवास मार्ग पर खानुआ पुल वर्ष 1969 में गम्भीर नदी में आयी बाढ़ से टूटा है। अर्थाभाव के कारण पुनः पुल निर्माण संभव नहीं हुआ है।

अलवर जिले में जंगलात की काबिल काश्त भूमि

368. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की जंगलात विभाग की कुछ जमीन सिवाय चक में तबदील करने के लिये सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस किस जमीन का प्रस्ताव कब से विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलास्तरीय जंगलात कमेटी ने अपने प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजे हैं ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रस्तावित जंगलात की जमीन काबिल काश्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही फैसला करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, निम्नलिखित रूंधों की वन भूमि को राजस्व में रिलीज करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है:—

(1) रूंध बडोद–	दिसम्बर, 1974 से
(2) रूंध बांदीपुल दुलावा–	मार्च, 1976 से

(2) जी हां, जिलास्तरीय कमेटी, अलवर ने उपरोक्त अनुसार अपने प्रस्ताव भेजे हैं।

(3) मामले विचाराधीन हैं एवं यथा शीघ्र निर्णय लिये जायेंगे।

राज्य में नगर विकास न्यासों को आर्थिक सहायता

369. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में नगर विकास न्यास कहां कहां कब से हैं ? राज्य सरकार और कहां कहां बनाने का विचार रखती है ?

(2) नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष सरकारी अधिकारी ही बनाने का क्या कारण है ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(3) क्या न्यासों का अब तक का कार्य सरकार संतोषजनक मानती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) राज्य सरकार न्यासों को आर्थिक सहायता किस आधार पर देती है ? चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक न्यास को कितनी कितनी धनराशि किस हेतु दी गई ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यासों के नाम एवं जिस दिन उनका गठन किया गया, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अभी कोई नया न्यास गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रशासनिक एवं न्यासों के हित के कारण जिलाधीशों को अध्यक्ष बनाया गया था।

(3) जी हां। नगरों का नियोजित विकास हो रहा है।

(4) नगर न्यासों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

राजस्थान में गठित नगर न्यासों की सूची

क्रम संख्या	नाम नगर विकास न्यास	गठन का दिनांक
1.	जयपुर	26-12-1960
2.	जोधपुर	1-11-1960
3.	ब्यावर	2-10-1975
4.	पुष्कर	18-12-1975
5.	पाली	2-10-1975
6.	हिण्डौन	1-7-1964
7.	गंगापुर	15-3-1964
8.	श्री गंगानगर	15-1-1973
9.	सीकर	1-11-1974
10.	भीलवाड़ा	18-9-1967
11.	अजमेर	1-11-1967
12.	अलवर	4-6-1960
13.	उदयपुर	1-11-1960
14.	चित्तौड़गढ़	25-9-1967
15.	नाथद्वारा	29-2-1976
16.	भरतपुर	16-10-1961
17.	बीकानेर	1-11-1960
18.	कोटा	9-7-1970

तहसील मुख्यालयों को विद्युत् लाइन से जोड़ने की योजना

370. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में 132 के. वी. लाइन ले जाने की घोषणा कब हुई एवं इस दिशा में कार्य शुरू कब हुआ ? क्या-क्या प्रगति इस सम्बन्ध में अब तक फुलेरा कार्यालय खुलने से लेकर सब कामों में हुई है एवं कितना-कितना व्यय इस सम्बन्ध में किया गया है ?

(2) नागौर जिले में व राजस्थान में तहसील मुख्यालयों को विद्युत् लाइनों से जोड़ने की राज्य सरकार की घोषणा अब भी कायम है ? यदि हां, तो घोषणा होने के वर्ष से इस वर्ष की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रगति हुई है एवं शेष रहे तहसील मुख्यालयों को कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1974-75 में नागौर जिले में मकराना को फुलेरा से 132 के. वी. लाइन से जोड़ने का विचार किया गया था। अब इस लाइन की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण एवं योजना आयोग से प्राप्त हो गई है और उपयुक्त धन राशि का प्रावधान भी चालू वर्ष व अगले वर्ष के बजट में रखा गया है। लाइन की सर्वे भी करा ली गई है। सर्वे कार्य पर अब तक रु. 9698.11 खर्च किये गये हैं।

(2) जी हां। सभी तहसील मुख्यालयों को विद्युतिकृत करने के प्रयास जारी हैं। अब तक 186 तहसील मुख्यालय विद्युतिकृत हो चुके हैं। अब 10 मुख्यालयों का विद्युतिकरण बाकी है जो ट्रांसमिशन लाइनों से बहुत दूर है।

अनूपगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में चीनी का वितरण

371. श्री बेगाराम (रायसिंह नगर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रायसिंह नगर तहसील से 1974-75 में अप्रेल तक 151 बोरी चीनी अनूपगढ़ तहसील और उसके ग्रामीण क्षेत्र में वितरण के लिये किसी व्यक्ति को दी गई थी परन्तु उसने उस चीनी का वहां वितरण नहीं किया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस मामले की जांच एस. डी. एम. श्री हुल्दिया से कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। रायसिंह नगर तहसील में माह दिसम्बर, 74 से मई, 1975 तक की अवधि में अनूपगढ़ तहसील और उसके ग्रामीण क्षेत्र में चीनी जिस व्यक्ति को वितरण हेतु दी गई थी उसके द्वारा वह चीनी जनता में वितरित नहीं की गई।

(खाद्य मन्त्री)

इस हेतु पुलिस में मुकदमा (एफ. आई. आर.) दिनांक 27-6-75 को दर्ज करवाया गया है। पुलिस द्वारा तफतीश जारी है। पुलिस द्वारा जांच हो जाने के बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जावेगी। अतः फिलहाल श्री हल्दिया से जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

झालरापाटन नगरपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

372. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन नगरपालिका प्रशासक श्री किशोरीलाल व ई. ओ. श्री लोकेन्द्रनाथ सक्सेना के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने तथा अन्य कार्यों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार एवं पक्षपात व दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो कब कब और इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों अधिकारियों की उदासीनता के कारण नगरपालिका का कार्य अव्यवस्थित हो चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 2-1-76 एवं दिनांक 2-2-76 को लिखित शिकायत पेश होने पर उनकी जांच परगना अधिकारी, झालावाड़ द्वारा करवाई जा रही है।

(2) उपरोक्त जांच हो जाने के बाद ही इस बाबत कुछ मालूम पड़ सकेगा।

डूंगरपुर जिले के तालाबों से नहरें

373. श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) डूंगरपुर जिले में ऐसे कितने तालाब हैं जिनमें अथाह पानी भरा हुआ है और जिन तालाबों की नहरें नहीं होने से इस पानी का उपयोग किसानों को नहीं मिल पा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार इन तालाबों की नहरें बना कर पानी का लाभ किसानों को देने की कोई योजना रखती है ?

(3) यदि हां, तो यह कार्य किस विभाग द्वारा कब प्रारम्भ कराने की योजना है ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में सिचाई विभाग के अधीन सभी तालाबों में भरे पानी का उपयोग सिचाई के लिए मिल रहा है। केवल डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत स्वीकृत तीन कार्यों पर नहरों का काम प्रगति पर होने के कारण इन ब्रांचों की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है।

(2) कार्य प्रगति पर हैं व जून 1976 तक पूर्ण किये जावेंगे।

(3) इन नहरों को पूरा करने का कार्य सिचाई विभाग कर रहा है ?

नागौर जिले में गाँवों के रास्तों पर अतिक्रमण

374. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले रास्तों का माप सैटलमेंट के समय से ही निर्धारित होता है ?

(2) यदि हां, तो सैटलमेंट के नियमों के अनुसार इन रास्तों की कम से कम चौड़ाई कितनी होनी चाहिये ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि नागौर जिले में इस प्रकार के शायद ही कोई रास्ते हों जिन पर अतिक्रमण कर सकड़ा नहीं कर दिया गया हो ?

(4) यदि हां, तो रास्तों पर अतिक्रमण कर सकड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं रास्तों को यथा संभव सैटलमेंट के अनुसार चौड़ा रखने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(5) क्या रास्तों की देखभाल व निगरानी तहसीलदार व एस.डी.ओ. की ड्यूटी का अंग नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) यह सही है कि नागौर जिले के अधिकांश रास्तों पर लोगों ने अतिक्रमण कर उन्हें थोड़ा बहुत सकड़ा कर दिया है।

(4) रास्तों के अतिक्रमण को हटाने के लिये पहले से ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन प्रावधान किये हुये है।

(5) जी नहीं।

विद्युत् निरीक्षक कार्यालय जयपुर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों की पदोन्नतियां

375. श्री भरतलाल (वामनवास) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विद्युत् निरीक्षक कार्यालय, जयपुर में दिनांक 10-2-75 के पश्चात् विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां हुई हैं ? यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को 40 पोइन्ट रोस्टर के अनुसार पदोन्नतियां दी हैं ?

(2) विद्युत् निरीक्षक कार्यालय में 10 फरवरी, 1975 के पश्चात् हुई पदोन्नतियों की सूचना कृपया निम्न तालिका में सदन के पटल पर रखें:—

पद व श्रेणी	पदोन्नति की तिथि	रोस्टर पोइन्ट संख्या	पदोन्नत किये गये कर्मचारी का नाम	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति का कर्मचारी है या नहीं।
1	2	3	4	5

(3) क्या पदोन्नतियां करते समय अनुसूचित जाति, जन-जाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अलग से बना कर सुरक्षित रोस्टर पोइन्ट के अनुसार पदोन्नति देने का प्रयास किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त विभाग में अनुसूचित जाति, जन-जाति का 28 प्रतिशत के हिसाब से विभिन्न पदों का कोटा पूरा है ? यदि हां, तो नाम, जाति तथा पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पदोन्नतियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जिन पदों के लिये योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे उन्हें छोड़ कर सभी पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां की गई हैं। केवल हैल्पर के पद पर इस वर्ष में एक नियुक्ति करनी बाकी है। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

तालिका

	पद व श्रेणी	पदोन्नति की तिथि	रोस्टर पोइंट संख्या	पदोन्नति किये गये कर्मचारी का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का कर्मचारी है या नहीं ।
	1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ लिपिक तृतीय श्रेणी एक पद	22-4-75	एक	श्री मांगीलाल भांभी	अनुसूचित जाति
2.	वरिष्ठ लिपिक	9-1-76	दो	श्री बसन्तीलाल शर्मा	नहीं
3.	निरीक्षण सहायक	20-11-75	दो	श्री महेशचन्द्र अग्रवाल	नहीं

प्रश्न संख्या 4 की सूची

इस विभाग में अक्टूबर 1971 के पश्चात् जब रोस्टर प्रणाली शुरू हुई नये स्वीकृत पदों पर अनुसूचित जाति/जन-जाति का 28 प्रतिशत के हिसाब से विभिन्न पदों पर नियुक्तियां व पदोन्नतियां की गई हैं।

क्रम सं०	पद	स्वीकृत पद संख्या	नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम	जाति
1.	निरीक्षण सहायक	10	1. श्री बाबूलाल	हरिजन अनुसूचित जाति
			2. श्री कालूलाल	मीना अनुसूचित जन-जाति
			3. श्री चरणसिंह	जाटव अनुसूचित जाति
2.	कनिष्ठ लिपिक	9	1. श्री मांगीलाल	भांभी अनुसूचित जाति
			2. श्री छाजूराम	वलाई अनुसूचित जाति
			3. श्री मालचन्द	कोली अनुसूचित जाति
3.	हैल्पर	13	1. श्री सत्यपालसिंह	अनुसूचित जाति
			2. श्री भानूराम	भील अनुसूचित जाति।

एक स्थान रिक्त है और इसकी पूर्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भादरा तहसील के गांवों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

376. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भादरा तहसील के कोलोनाइजेशन क्षेत्र से 30 गांव आउट ऑफ फ्लो लाइन थे इन गांवों में से 7 गांवों के काश्तकारों को आउट आफ फ्लो लाइन घोषित कर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का कार्य शुरू है ?

(2) क्या भादरा तहसील के 23 गांव जो आउट ऑफ फ्लो लाइन हैं अभी तक उनको बाहर घोषित नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कोलोनाइजेशन क्षेत्र से आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित करने से पहले इन गांवों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते ?

(4) राज्य सरकार तहसील भादरा के उपरोक्त 23 गांवों को कोलोनाइजेशन क्षेत्र से आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित कर इन गांवों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार कब तक प्रदान कर देगी ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम कूदन (सीकर) में बगीची की जमीन का मामला

377. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कूदन, तहसील सीकर के खसरा नं० 206, 213, 212 में एक दादूपंथी संप्रदाय का मकान बना हुआ है और उसे बगीची के नाम से पुकारा जाता है जो लगभग दो सौ वर्षों से आबाद है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बगीची का उक्त खसरा नम्बर में एक ट्यूब वैल भी है जिससे $3\frac{1}{2}$ बीघा भूमि सिंचित होती है और उसकी उपज बगीची की व्यवस्था में काम आती है ? अगर हां, तो इस समय उस स्थान व ट्यूब वैल तथा सिंचित भूमि पर कौन काबिज है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बगीची का मालिक दोनों पैरों से अपाहिज है और गुजर बसर का अन्य कोई जरिया नहीं है तथा उसके कब्जे में भूमि की गिरदावरी संवत् 2019 से 2032 तक उसी के नाम दर्ज है ? अगर हां, तो उसे बेदखल की कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है ? क्या उसे नियमन करने हेतु प्रार्थना-पत्र

(श्री दीपंकर)

तहसील और जिलाधीश को दिये गये थे, परन्तु खारिज कर दिये गये हैं ? अगर हां, तो, इसका क्या कारण रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

परन्तु यह सही नहीं है कि दादुपंथी संप्रदाय के साधु 200 वर्ष से आबाद है। श्री जीवनदास ने जो बयान दिये उनसे यह जाहिर होता है कि यह बगीची उनके गुरू श्री कालीदास ने लगभग 60-65 वर्ष पहले बनाई थी।

(2) यह सही नहीं है कि आराजी ख० नं० 206, 213, 212 में ट्यूब वैल लगा हुआ है। एक कुआ अतिक्रमण शुदा भूमि पर लगा हुआ है जिस पर बिजली भी लगी हुई है। इस कुए से अतिक्रमण शुदा भूमि एवं श्री मोटाराम पुत्र तेजा व कुशला पुत्र जोधा जाट की भूमि सिंचित होती है।

(3) जी हां। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 में श्री जीवनदास की काश्त उक्त खसरा नं० में दर्ज है। इसके पश्चात् सं० 2020 से 2030 तक काश्त दर्ज की गई है परन्तु नाम व्यक्ति जिसने काश्त की है दर्ज नहीं हैं। 2031 व 2032 में श्री भरतदास चेला जीवनदास की काश्त 4 बीघा में होना दर्ज है। उक्त भूमि गैर मुमकिन श्मशान बंजड़ जोहड़ व गैर मुमकिन आबादी रेकार्ड में दर्ज है। इस कारण नियमानुसार इसका नियमन नहीं किया जा सकता और इसी कारण बेदखली की कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने बेदखली करने का निर्णय दिनांक 17-11-75 को दिया जिसके विरुद्ध अदालत जिलाधीश में अपील पेश होने पर निर्णय तहसीलदार सीकर दिनांक 17-11-75 बहाल रखा जा कर अपील खारिज की जा चुकी है।

बिजली की बढ़ी हुई दरें

378. श्री नारायणसिंह मसूदा (मसूदा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में टेरिफ रेट बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत ?

(2) इस बढ़ी हुई दर का भार जिन बड़े उद्योगों को रियायती दर पर विद्युत दी जा रही है उन पर तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर इसका क्या भार होगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस बढ़ी हुई दर का लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

239

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(4) क्या इससे उपभोक्ता वस्तुओं के भाव में वृद्धि नहीं होगी।

उत्तर

(1) जी हां। जून, 1974 में विद्युत की दरों में संशोधन किया गया था? उस समय की वर्तमान दर, संशोधित दर व प्रतिशत वृद्धि बताते हुए तालिका 'अ' संलग्न है।

(2) बड़े तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर संशोधित दर का भार उपरोक्त सूची में अंकित प्रतिशत वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

सूची "अ"

टेरिफ तालिका

1	2	पुरानी दर (शुद्ध) पैसों में 3	विद्मान दर (शुद्ध) पैसों में 4	प्रतिशत वृद्धि 5
1.	घरेलू : (i) प्रकाश	37.7	38	0.8
	(ii) शक्ति	22.3	25	12.1
2.	वाणिज्यिक : (i) प्रकाश	43	50	16.3
	(ii) शक्ति	22.3	30	34.5
3.	कृषि	13.3	21	57.9
4.	पथ प्रकाश	30.8	33	7.1
5.	लघु एवं मध्यम उद्योग	14.52	21	44.63
6.	बड़े उद्योग			

डिमांड चार्जेज

पहले 600 के.वी.ए.	रु०	8.25 प्रतिमाह प्रति के.वी.ए. (बिलिंग डिमांड का)
अगले 1200 के.वी.ए.	रु०	8.00 "

अ. वन पार्ट टेरिफ

	(प्रति यूनिट)
पहले 5,00,000 यूनिट्स प्रति माह	18 पैसे
अगले 10,00,000 यूनिट्स प्रति माह	16 पैसा

2	3	4	5
1800 के.वी.ए. से अधिक एनर्जी चार्जेज	रु० 7.50 ,,	15,00,0 0 यूनिट्स प्रति माह से ऊपर सभी बी. टू पार्ट टैरिफ	14 पैसा
प्रथम 50,000 के. डब्ल्यू. एच प्रति माह	7.00 पैसा प्रति के. डब्ल्यू. एच.		
अगले 1,00,000 ,,	6.75 ,,	डिमांड चार्जेज	
अगले 3,00,000 ,,	6.50 ,,	रु० 16.00 प्रति के. वी. ए. प्रति माह (बिलिंग डिमांड का)	
5,00,000 के. डब्ल्यू. एच. प्रति माह से अधिक	6.25 ,,	एनर्जी चार्जेज	
15 %. सामान्य अधिभार किये गये चार्जेज पर	कुल उपभोग	प्रथम 2,00,000 यूनिट्स प्रति माह	15 पैसा प्रति यूनिट
		अगले 3,00,000 यूनिट्स प्रति माह	14 पैसा प्रति यूनिट
		अगले 5,00,000 यूनिट्स प्रति माह	13 पैसा प्रति यूनिट
		10,00000 यूनिट्स प्रति माह से अधिक समस्त	11 पैसा प्रति यूनिट

कस्बा नादौती शहर तथा गुढाचन्द्रजी में राष्ट्रीय मार्ग के पास बने मकानों की तोड़-फोड़

379. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि अलवर, सवाई माधोपुर राज्य उच्च मार्ग, तहसील नादौती के कस्वा नादौती शहर तथा गुढ़ाचन्द्रजी में होकर जाता है ?

(2) क्या यह सच है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर के अधिकारियों, कर्मचारियों ने उक्त ग्रामों में सड़क के पास बने बहुत से मकान तोड़े-फोड़े हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों (नाम पता आदि) के हैं और उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन ज़ातियों के कितने हैं ?

(3) इन मकानों को तोड़ने-फोड़ने आदि का सरकार का क्या उद्देश्य है ? क्या सरकार इस सड़क को पक्का बनवा कर मरम्मत कराने की योजना बना चुकी है ? यदि हां, तो किस प्रकार तथा कितना धन व्यय किया जावेगा ? यदि कोई योजना नहीं है तो गरीबों के बने मकानों को तोड़कर उन्हें बेघरवार कर क्या लक्ष्य पूरा करना चाहती है ?

उत्तर

(1) यह राज्य उच्च मार्ग नं 22 है। यह मार्ग नादौती कस्बा शहर, गुढ़ाचन्द्रजी ग्राम के आबादी क्षेत्र से बाहर होकर निकलता है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भवनों की तोड़-फोड़ नहीं की है। अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई के बाद जिन्हें बेदखल किया है, उनकी सूची संलग्न है।

(3) सरकार का उद्देश्य अनधिकृत कब्जों को हटाने का था। मेटल रोड पहले से ही बनी हुई है। न्यूनतम आवश्यकता योजना के अन्तर्गत 27 किलोमीटर में डामर कार्य स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 8)

गंगापुर नादौती गुढ़ा चन्द्रजी रोड से अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया गया, उनकी सूची

	नाम	जाति	निवासी	बेदखली के फैसले की तारीख	कब्जा लेने की तारीख	सड़क के मार्ग से कब्जा लेने की दूरी
1.	श्री घासी वल्द धूजी	महाजन	गुढ़ा चन्द्रजी	23-2-74	16-2-76	12.81 मीटर
2.	श्री भौरया व गोपाल मिसरा नारायण	माली	,,	18-2-74	,,	42 फीट
3.	श्री श्याम सुन्दर पुत्र रामकुमार	—	,,	,,	,,	,,
4.	श्री सुवालाल पुत्र गुड्या	कोली	नादौती	17-12-75	,,	41
5.	श्री गिर्राज पुत्र सावर्तसिंह	—	,,	17-1-76	,,	,,
6.	श्री केदार पुत्र कंवर	ब्राह्मण	,,	,,	,,	,,
7.	श्री अनूपसिंह पुत्र लखपतसिंह		,,	17-12-75	,,	,,
8.	श्री केदारलाल पुत्र बच्चूलाल		,,	17-1-76	,,	,,
9.	श्री मदनलाल पटवारी		,,	,,	,,	,,
10.	श्री जगदीश पुत्र बच्चूलाल	महाजन	,,	,,	,,	,,
11.	श्री बद्री पुत्र गिर्राज	सुनार	,,	17-12-75	,,	,,
12.	श्री मन्नूसिंह पुत्र सम्पतसिंह		,,	17-1-76	,,	,,
13.	श्री प्रहलादसिंह पुत्र छीतरसिंह		,,	,,	,,	

Page No 244

(244)

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि प्राप्ति हेतु भरे गये फार्म

380. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि प्राप्ति हेतु भरे गये फार्मों की जांच में सख्ती बरती जारही है ?

(2) क्या इस सिलसिले में यह सही नहीं है कि पेन्शन याफ्ता कई फौजी अफसरों को अधिक पेन्शन प्राप्तकर्ता बतला कर उनके फार्मों को अस्वीकार कर दिया जाता है ?

(3) इसी प्रकार क्या प्रौढ़ विद्यार्थियों के फार्मों को भी विद्यार्थी बतला कर अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है ?

(4) अगर हां, तो क्या सरकार इन्हें अन्य रोजगार देने की गारन्टी देकर ऐसा करती है ?

(5) किसी वजह से सन 1953 की वोटर लिस्ट में नाम न आने से क्या कितने ही कदीमी वासिन्दगान के फार्मों को अस्वीकार नहीं किया जाता है ?

(6) क्या कुछ घुमक्कड़ जातियां, जो सन् 1953 के बाद स्थाई तौर से यहां कहीं रहने लगी हैं, इस भूमि से वंचित न रह जावेंगी ?

(7) जो गरीब आदमी फार्म भरने के बाद और फोटो अटेस्टेशन से पहले मजदूरी करने हेतु अपना ग्राम छोड़ कर अन्य जिलों जैसे हरियाणा, पंजाब में चले गये, उनके फार्मों को केन्सिल करने से पूर्व क्या उन्हें एक बार पुन: 15-20 दिन का वक्त और दिया जा सकेगा ?

(8) अगर हां, तो क्या जांचकर्ताओं के पास फौरन इस मुतल्लिक आदेश भिजवा दिये जायेंगे ?

(9) क्या उप-आयुक्त उप-निवेशन के द्वारा इस प्रकार के अब तक कैंसिल कर दिये गये फार्मों को आयुक्त उपनिवेशन स्तर पर पुन: आवेदनकर्ताओं को एक मौका और देकर पुन: दुरुस्त मान लिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

बाड़मेर जिले में पशु चिकित्सा पर व्यय

381. श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पशु संख्या को देखते हुये पशु-चिकित्सा पर जिला बाड़मेर में प्रति वर्ष सबसे कम व्यय किया जा रहा है ?

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर जिले की पशु संख्या व उनकी उत्पादन शक्ति को ध्यान में रखते हुये इस मद में अधिक व्यय करने हेतु कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पूरे राज्य के प्रावधानानुसार धनराशि का जिलों में औचित्य के अनुसार आवंटन किया जाता है।

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा (जयपुर) में कार्य करने वाले मजदूरों का वेतन

382. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा (जयपुर) में कुल कितने व्यक्ति रोजाना मजदूरी पर कार्य करते हैं तथा इनका न्यूनतम वेतन क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उनको प्रति व्यक्ति 3.50 रु. मजदूरी मिलती है ?

उत्तर

(1) ग्रास फार्म नर्सरी पर 8 आदमी और 7 औरतें प्रतिदिन कार्य करती हैं जिनकी न्यूनतम दैनिक मजदूरी पुरुष 4-50 रु० औरत 3-50 रु० है।

(2) दैनिक मजदूरी पुरुष को 4-50 रु० और औरत को 3-50 रु० मिलती है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-76)

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जोधपुर का गठन

94, श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सत्य है कि अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर के गठन के पूर्व जोधपुर नगर के विकास का कार्य सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी जोधपुर करती थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, जोधपुर के गठन के पूर्व जोधपुर नगर विकास का कार्य डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जोधपुर करता था ?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(3) यदि हां, तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जोधपुर सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, जोधपुर एवं अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर का गठन कब से हुआ ?

(4) क्या यह सत्य है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर के गठन के पूर्व डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जोधपुर एवं सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, जोधपुर की सरप्लस इन्कम की धनराशि 9,78,258 रु. राजस्थान राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फण्ड में वर्षों से जमा पड़ी है जिसे अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर को कभी की मिल जानी चाहिये थी ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त राशि के देने के संबंध में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर के चेयरमेन ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1147 दिनांक 30-1-70 10212 दिनांक 6-9-72, 2134 दिनांक 2-7-75 एवं अनेक स्मरण पत्रों द्वारा शासन सचिव, नगर आयोजना विभाग को निवेदन किया परन्तु राज्य सरकार अब तक पूर्णतया निष्क्रिय बैठी रही ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों एवं उनके उत्तरों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(6) उपरोक्त राशि को राज्य सरकार द्वारा वर्षों से अपने पास रोकने के कारण जोधपुर नगर के विकास को अत्यन्त बाधा पहुंची है अतएव यह राशि मय ब्याज के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर को कब तक वापस दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) क्रमशः गठन दिनांक 1-4-30, 1-4-1956 एवं 1-11-1960 को हुआ ।

(4) नगर विकास न्यास ने यह राशि बतलाई है लेकिन यह सरप्लस है या नहीं-यह जांच करवाई जा रही है । धनराशि दिये जाने के बारे में वित्त विभाग से परामर्श किया जा रहा है ।

(5) नगर विकास न्यास, जोधपुर को उक्त पत्र प्राप्त हुआ है तथा जमा राशि का सत्यापन अंतिम तौर पर होने पर न्यास को देने के औचित्य पर विचार किया जायेगा । इस मामले में निष्क्रियता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अनेकों जगह से पुराने वाउचर से मिलान ठीक बैठने पर ही अंतिम निर्णय हो सकेगा ।

(6) मामला अभी विचाराधीन है । वित्त विभाग से परामर्श जारी है व यथाशीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा ।

(247)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 13-3-76)

बस्सी सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

97. श्री ओंकार लाल चौहान (झालावाड़) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. रजि. 2611 एल. के आपत्ति-पत्र सार्वजनिक सूचना दिनांक 15 मई, 1973 द्वारा आमन्त्रित किये गये ? यदि हां, तो इसमें जिलाधीश के सर्वे नम्बर वाले कितने व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि 15 मई, 1973 के पश्चात् इस समिति ने एक्स्टेन्शन योजना में अतिक्रमण करवा दिया है ? यदि हां, तो उसको हटाने में नगर विकास न्यास द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? पत्रावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस समिति में बाहर के व्यक्ति भी भू-खण्ड आंवटन में शामिल हैं ? यदि हां, तो बस्सी के निवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जांच की जा रही है। जांच से पूर्व कोई भी कार्यवाही संभव नहीं है।

(3) इस कच्ची वस्ती में अभी तक सभी दावों का निर्णय नहीं हो पाया है। अतः बाहर के किसी भी व्यक्ति को आवंटन किए जाने का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता।

बस्सी सीताराम पुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि० द्वारा भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत तथा अनुमोदित की गई सूची

क्र. सं.	नाम एवं पिता/पति का नाम	क्र. सं.	नाम एवं पिता/पति का नाम
1.	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र मांगीलाल	6.	श्री किशना पुत्र श्री चन्दा
2.	,, देवकी पत्नी श्री प्रेम जी	7.	,, तुलसी पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण
3.	,, राम दयाल पुत्र श्री गणेश	8.	,, वरदीचन्द पुत्र श्री रामनाथ
4.	,, नत्थू पुत्र श्री धन्नू खां	9.	,, जुम्मन खां पुत्र श्री सोलेखां
5.	,, मोती पुत्र श्री रामू	10.	,, रघुनारायण पुत्र श्री छुट्टनलाल

क्र. सं. नाम एवं पिता/पति का नाम	क्र. सं. नाम एवं पिता/पति का नाम
11. श्री मुन्ने खां पुत्र श्री नूरे खां	45. श्री हरि किशन पुत्र श्री राम किशोर
12. ,, सलीम पुत्र श्री खालू खां	46. ,, रामलाल पुत्र श्री गंगा राम
13. ,, सद्दीक पुत्र श्री मौले खां	47. ,, देवू पुत्र श्री रूडा
14. ,, सलीम पुत्र श्री सुक्खा राम	48. ,, जीवन पुत्र श्री लक्ष्मण
15. ,, मांगीलाल पुत्र श्री मुरलीराम	49. ,, सविता पत्नी श्री बनजी
16. ,, अमरसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह	50. श्रीमति तुलसीदेवी पत्नी श्री भूरा
17. ,, गंगाराम पुत्र श्री चौथूराम	51. श्री भंवरलाल पुत्र श्री धौंकल
18. ,, गणेश पुत्र श्री गंगाराम	52. ,, बाबूलाल पुत्र श्री नारायण
19. ,, जीवन राम पुत्र श्री नारायण	53. ,, बंसी पुत्र श्री पूर्ण
20. ,, कालू खां पुत्र श्री अली मोहम्मद	54. ,, अब्दुल अजीज पुत्र श्री लालींखा
21. श्रीमती नारंगी पत्नी श्री रामचन्द्र	55. ,, बन्सीराम पुत्र श्री जगन्नाथ
22. श्री उमराव पुत्र श्री मुक्खां राम	56. ,, प्रताप पुत्र श्री चौथू
23. ,, भूरे खां पुत्र श्री मौले खां	57. ,, कन्हैया लाल पुत्र श्री रूड मल
24. ,, श्री गोपालसिंह पुत्र श्री अमनसिंह	58. ,, शंकर पुत्र मोतीराम
25. ,, बोदूराम पुत्र श्री हनुमान	59. ,, पांचूराम पुत्र श्री गोविन्दराम
26. ,, लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री काना	60. ,, श्रवण पुत्र श्री मांगीलाल
27. ,, रामेश्वर पुत्र श्री भौंमा	61. ,, कन्हैया लाल पुत्र श्री मोतीराम
28. ,, पीरबक्ष पुत्र श्री इमामबक्ष	62. ,, मंगल राम पुत्र श्री गोविन्दराम
29. ,, शंकर पुत्र श्री रामू	63. ,, हनुमान पुत्र श्री सूजा
30. ,, सुखदेव पुत्र श्री हनुमान	64. ,, रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
31. ,, अनूपसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह	65. ,, मांगू पुत्र श्री बीजा
32. ,, हनुमान पुत्र श्री भूरा	66. ,, रामदेव पुत्र श्री बोदूराम कुमावत
33. ,, शेरसिंह पुत्र श्री गणेशसिंह	67. ,, भोमाराम पुत्र श्री मांगीलाल
34. ,, वेद प्रकाश पुत्र श्री लीलाचन्द	68. ,, ज्ञानसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह
35. ,, कन्हैयालाल पुत्र श्री गोपीराम	69. ,, सुवालाल पुत्र श्री मुरलीराम
36. ,, काना पुत्र श्री छोटू	70. ,, गिरधारीसिंह पुत्र श्री पृथ्वी
37. ,, मोती पुत्र श्री नारायण	71. ,, फूसाराम पुत्र श्री संन्डराम
38. श्रीमति शकूरी पत्नी श्री शौकत अली	72. ,, गंगा सहाय पुत्र श्री गौरीलाल
39. श्री भीवां पुत्र श्री गणेश	73. ,, बाबू खां पुत्र श्री करीम खां
40. ,, राम नारायण पुत्र श्री काना	74. ,, जीवन पुत्र श्री मांगीलाल
41. ,, गरीबदास पुत्र श्री मांगीलाल	75. ,, मालसिंह पुत्र श्री रामचन्द्र
42. ,, करीम खां पुत्र श्री कादर खां	76. ,, चिरंजीलाल पुत्र श्री गोविन्दराम
43. ,, मोती पुत्र श्री कानाराम	77. ,, रामदेव पुत्र श्री भूरा
44. ,, भंवरलाल पुत्र श्री लालाराम	78. ,, बाबूलाल पुत्र श्री गणेश

क्र. सं. नाम एवं पिता/पति का नाम	क्र. सं नाम एवं पिता/पति का नाम
79. श्री जगदीश पुत्र श्री नारायण	113. श्री राजू पुत्र श्री घीसाराम
80. ,, सवाईसिंह पुत्र श्री कानसिंह	114. ,, रूपनारायण पुत्र श्री सुवालाल
81. ,, रामनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	115 ,, कल्याण सहाय पुत्र श्री शिवसहाय
82. ,, शेरसिंह पुत्र श्री सागरसिंह	116. ,, सुवालाल पुत्र श्री बालूराम
83. ,, नोला पुत्र श्री ईश्वर	117. ,, सबीर पुत्र श्री मौला बक्ष
84. ,, भंवरलाल पुत्र श्री कानाराम मीणा	118. ,, विजयसिंह पुत्र श्री भैंरूसिंह
85. ,, नाथूलाल पुत्र श्री लादू	119. ,, गनी खां पुत्री श्री महबूब
86. ,, घन्ना पुत्र श्री लच्छू	120. ,, नानू पुत्र श्री भैंरू
87. ,, जगदीश पुत्र श्री गोविन्दराम	121. श्रीमती भोमीकादेवी पत्नी श्री शिवकिशोर
88. ,, जोहरी पुत्र श्री चोथमल	122. श्री खैराती पुत्र श्री चांद खां
89. ,, नवल पुत्र श्री चोथू	123. ,, भंवर पुत्र श्री लालाराम
90. ,, ओमप्रकाश पुत्र श्री मालाराम	124. ,, बुद्धराम पुत्र श्री भूराराम
91. ,, नानगराम पुत्र श्री बिरदीचन्द	125. ,, सुलतान पुत्र श्री गंगासिंह
92. ,, रामस्वरूप पुत्र श्री कल्याण	126. ,, संतोषकुमार पुत्र श्री गणेश
93. ,, ताजमोहम्मद पुत्र श्री खाज खां	127. ,, लल्लूराम पुत्र श्री किशनाराम
94. ,, मेवाराम पुत्र श्री गिरवरराम	128. ,, नानगराय पुत्र श्री लल्लूराम
95. ,, भगवान पुत्र श्री थूरा	129. ,, दुर्गालाल पुत्र श्री रामसहाय
96. ,, श्री लूणाराम पुत्र श्री रतनलाल	130. ,, चतरसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
97. ,, रामसिंह पुत्र श्री बदलू	131. ,, अब्दुल फय्याज पुत्र श्री रहमान
98. ,, महादेव पुत्र श्री गणेश	132. ,, रूपनारायण पुत्र श्री हरबक्ष
99. ,, रामू पुत्र श्री भैंरूलाल	133. ,, भूराराम पुत्र श्री खोगाराम
100. ,, प्रभू पुत्र श्री नाथू	134. ,, विरधा पुत्र श्री बालूराम
101. ,, भौंरीलाल पुत्र श्री नाथू	135. ,, कल्याण पुत्र श्री खायोराम
102. ,, छोटू पुत्र श्री नाथू	136. श्रीमती जमना पत्नी श्री घन्ना
103. ,, मुन्शी पुत्र श्री नानग	137. श्री सिमकंचसा पुत्र श्री तुलसीराम
104. ,, लल्लूलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल	138. ,, सुन्दरलाल पुत्र श्री जीवणराम
105. ,, भीमा पुत्र श्री मोठू	139. ,, माधोसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह
106. ,, छीतर पुत्र श्री लच्छूराम	140. ,, जगदीश पुत्र श्री चुन्नीलाल
107. ,, कल्याण पुत्र श्री मुरलीराम	141. ,, तारासिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह
108. ,, मोती पुत्र श्री मुरलीराम	142. ,, मूलचन्द पुत्र श्री सूंडाराव
109. ,, बाबूलाल पुत्र श्री सुखराम	143. ,, जेनु पुत्र श्री करीम खां
110. ,, अजमेर पुत्र श्री मोदूराम	144. ,, शासन पुत्र श्री ईदन
111. ,, बन्शी पुत्र श्री घीसा	145. ,, पन्ना पुत्र श्री बालूराम
112. ,, विशनसिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	146. ,, वी. के. लारेन्स पुत्र श्री के. [लारेन्स]

क्र. सं नाम एवं पिता/पति का नाम	क्र. सं. नाम एवं पिता/पति का नाम
147. श्री हनुमान पुत्र श्री चतरू	181. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री किशन दास
148. ,, नन्दकिशोर पुत्र श्री कल्याण बक्ष	182. श्रीमती मनफुल्ली पत्नी श्री राम जोशी
149. ,, कालू पुत्र श्री भूरा	183. श्री सत्य नारायण पुत्र श्री दामोदर लाल
150. ,, भैंरू पुत्र गिरधारीलाल	184. ,, शंकर लाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर
151. ,, काना पुत्र श्री हरिराम	185. ,, बजरंग लाल पुत्र श्री मालीराम
152. ,, ओंकार पुत्र श्री हनुमान	186. ,, राम गोपाल पुत्र श्री कन्हैया लाल
153. ,, ईश्वरदास पुत्र श्री नारूमल	187. ,, मेगाराम पुत्र श्री भुवानजी घोगी
154. ,, मनभरी पुत्री श्री रघुनाथ	188. ,, रामेश्वर पुत्र श्री प्रेमजी
155. ,, नानू पुत्र श्री गोविन्दराम	189. ,, डोगर मल पुत्र श्योदास
156. ,, शीला पत्नी श्री इब्राहीम	190. ,, नत्थू मल पुत्र श्री भ्रावतराम
157. ,, गंगासिंह पुत्र श्री विजयसिंह	191. ,, सरदार ज्ञान सिंह पुत्र श्री केसर सिंह
158. ,, सुलतानसिंह ड्राईवर	192. श्रीमती शान्ति पत्नी श्री मदन लाल
159. ,, भैंरूसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह	193. श्री हरदास मल पुत्र श्री बड़ोमल
160. ,, महावीर पुत्र श्र बन्नाराम	194. ,, राम प्रसाद पुत्र श्री रूप नारायण
161. ,, सीताराम पुत्र श्री रामनारायण	195. ,, महेश कुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र
162. ,, लालचन्द पुत्र श्री रामदेव	196. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार
163. ,, सीताराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	197. श्री चोथमल पुत्र श्री विजयनाथ
164. ,, मूल सिंह पुत्र श्री बने सिंह	198. ,, रछपाल पुत्र श्री सज्जन सिंह
165. ,, गुल्ला पुत्र श्री चीमां	299. ,, सुल्तान सिंह पुत्र श्री राम गोपाल
166. ,, राजू पुत्र श्री कन्हैया लाल	200. ,, कपूरी देवी पत्नी बनवारी लाल
167. ,, नारायण सिह पुत्र श्री भूर सिंह	201. ,, बाबू खां पुत्र श्री इस्माइल खां
168. ,, गोरधन पुत्र श्री श्रीनारायण	202. ,, गुलाब देवी पत्नी कन्हैया लाल
169. ,, मथुरा पत्नी श्री सूरज सिंह	203. ,, किरण सिंह पुत्र भंवर सिंह
170. ,, हनुमान पुत्र श्री परताव	204. ,, लाल चन्द पुत्र श्री भंवर लाल
171. ,, राधेश्याम पुत्र श्री नाथूलाल	205. ,, किरण देवी पत्नी श्री ताराचन्द
172. ,, छोटू पुत्र श्री लादू	206. ,, सिरह मल पुत्र श्री चोथमल
173. ,, हनुमान पुत्र श्री गणेश	207. ,, सम्पत बाई पत्नी श्री समीर मल
174. ,, दुर्गा लाल पुत्र श्री छाजूराम	208. ,, नाथू लाल पुत्र श्री छीतर मल शर्मा
175. ,, सुन्दर पुत्र श्री रामदेव	209. ,, शिव शंकर पुत्र श्री दुर्गा लाल
176. ,, भैरू पुत्र राम बक्ष	210. ,, ईश्वर लाल पुत्र श्री श्याम सुन्दर
177. ,, हीरा सिंह पुत्र श्री हयात सिंह	211. ,, जीवत राम पुत्र श्री हरचन्दराय
178. ,, हीरालाल पुत्र श्री छाजूराम	212. ,, प्रारम प्रकाश पुत्र श्री काकाराम
179. ,, पारस मल पुत्र श्री घीसीलाल	213. ,, अब्दुल करीम पुत्र अब्दुल बक्ष
180. ,, पदम चन्द पुत्र श्री पूनम चन्द	214. ,, नसीर अहमद पुत्र श्री नत्थू

(251)

क्र. सं. नाम एवं पिता/पति का नाम	क्र. सं. नाम एवं पिता/पति का नाम
215. श्री मो० यासीन खां पुत्र श्री अलादीन	218. श्री हनुमान पुत्र श्री जगन्नाथ
216. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री मुन्ना लाल	219. श्री मती पार्वती पत्नी श्री मिट्ठू जी
217. श्री शिवचरण पुत्र श्री लल्लू	

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-3-76)

गुंवार के भाव

129. श्री रावतराम आर्य (छापर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों के चूरू, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में मोटे अनाज का विशेष कर गुंवार का उत्पादन अच्छा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि गत साल सरकार ने काश्तकारों को बीज के लिये गुंवार 284) रु. क्विन्टल तकाबी के रूप में दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में गुंवार के भाव 70) रु. क्विन्टल हो गया है जिससे काश्तकारों को बड़ा नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो गुंवार की ठीक कीमत दिलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या सरकार एफ. सी. आई. को गुंवार का स्टाक करने के लिये प्रेरित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। गत वर्ष 1974-75 में नहीं बल्कि वर्ष 1973-74 में गुंवार के बीज के लिए 284) रु० क्विन्टल पर तकाबी दी गयी थी।

(3) जी हां। काश्तकारों को सभी खाद्यान्नों की ठीक कीमत दिलाने हेतु सरकार प्रयत्नशील है।

(4) जी नहीं। भारत सरकार ने गुंवार की सरकारी खरीद के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की। अतः एफ. सी. आई. द्वारा इस जिन्स को खरीदने का कोई विचार नहीं है।

———

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 344 की सूची)

	गांव	जिला
1.	दरोली के आसपास	उदयपुर
2.	चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा एवं शम्भूपुरा के आसपास	चित्तौड़गढ़
3.	ब्यावर के आसपास	अजमेर
4.	कोटपूतली, भेसलाना के आसपास	जयपुर
5.	फलोदी	सवाई माधोपुर
6.	लाखेरी, सतुर एवं इन्द्रगढ़ के आसपास	बून्दी
7.	मोडक के पास	कोटा
8.	पिन्डवाड़ा, बनास केवली	सिरोही
9.	कालींजरा एवं तलवाड़ा के आसपास	बांसवाड़ा

253

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्र. स. 186 को सूची)

क्र. सं.	नाम कृषक	नाम ग्राम
1.	श्री बीरबल रामफूल वगेरह	बिहारीपुरा
2.	श्री दयाचन्द	भामूवास
3.	श्री चान्दावत	सुलतानपुरा
4.	श्री गनपतसिंह	सुलतानपुरा
5.	श्री पन्नेसिंह	सुलतानपुरा

क्र. सं.	नाम कृषक	नाम ग्राम
1.	श्री नारायण	बिलोताकलां
2.	श्री जयनारायण	रामुपुरा
3.	श्री रामजीलाल	डीडबाना
4.	श्री जैग्या	सीमा
5.	श्री मोर्या	पालून्दा
6.	श्री सगरा	पालून्दा
7.	श्री भीमसिंह	बरेड़ी
8.	श्री रामफूल	मन्डावरी
9.	श्री श्रवण	रामपुरा
10.	श्री मूलचन्द	रामपुरा

Page No 254

(254)

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्र. सं. 187 की सूची)

पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रहे अधिकारियों की सूची

प्रश्न 1 के भाग (6) की सूची

क्र. सं.	नाम	पद	अवधि
1.	श्री रामावल्लभ शर्मा	जिला रसद अधिकारी	21-2-74 से 12-5-74
2.	श्री अब्दुल लतीफ खां	"	21-2-74 से 20-4-75
3.	श्री उगमराज लोढ़ा	"	21-2-74 से 31-7-74
4.	श्री चुन्नीलाल	"	21-2-74 से 20-4-75
5.	श्री रोशनलाल	"	21-2-74 से 19-6-74
6.	श्री रामावतार शर्मा	"	21-2-74 से 31-7-75
7.	श्री बृजमोहन भागल	"	22-2-74 से 3-7-74
8.	श्री बनवारीलाल गुप्ता	"	22-2-74 से 20-4-75
9.	श्री परसराम पुरोहित	"	11-3-74 से 19-4-75

(255)

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्र: सं. 188 की सूची)

तहसील विराट-नगर में भिन्न-भिन्न मद से किये गये अपूर्ण कार्यों की सूची

क्रमांक	नाम सड़क	मद	वर्ष	व्यय धन राशि
1.	विराट-नगर से भातेला	अकाल राहत	1975	83,000/-
2.	भीलवाडी से वाड उदयसिंगपुरा	अकाल राहत	1973	49,088/-
3.	मेटल रोड़ माइल 54 से कुहाडा	अकाल राहत	1973	1,04,663/-
4.	नथरंगपुरा से पालडी	ओरीजनल वर्क	74-75	23,621/-
5.	मेड से ओराखाड खामी	न्यूनतम आवश्यकता योजना	75-76	190/-
6.	साहबाड से बाराजोरी	अकाल राहत	1973	81,264/-
7.	साहबाड से बिशनगढ़	अकाल राहत	1973	1,20,000/-
8.	मनोहरपुर से सुराना व ओरा	"	"	1,76,660/-

256.

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 189 की सूची)

OFFICE ORDER

Shri Gopi S/o Ram Dev (Beldar) is hereby promoted as a mason on adhoc basis with effect from the date of joining. The promotion was made against the clear vacancy of Shri Pratap Mason.

Sd/-
Asstt. Engineer, PWD. B & R,
Assembly Sub-Dn Jaipur.

No. 549 to 51 Dated 15-7-72

1. Copy submitted to the Executive Engineer, B & R, City Dn. I, Jaipur with ref. to his No. 5705 dt. 4-7-72
2. Copy to Shri Gopi Beldar for information
3. Copy to Overseer City Road Sec. Jaipur for information.

Sd/-
Asstt. Engineer, PWD.,
B & R, Assembly Sec. Jaipur

Sd/-True copy.
Asstt. Engineer, B & R,
City Sub-Dn. I, Jaipur.

257

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्र. सं. 201 की सूची)

बाढ़ सहायता के लिये सड़क कार्यों पर वर्ष 1975-76 के लिये मंजूर राशि जिलेवार

क्रम संख्या	जिले का नाम	मंजूर राशि रुपये (लाखों में)
1.	अजमेर	14.00
2.	अलवर	7.00
3.	बांसवाड़ा	2.00
4.	भरतपुर	49.00
5.	बूंदी	12.00
6.	चित्तोड़गढ़	9.00
7.	डूंगरपुर	1.00
8.	जयपुर	22.00
9.	जालोर	4.00
10.	झालावाड़	10.00
11.	जोधपुर	5.00
12.	कोटा	19.00
13.	नागौर	16.00
14.	पाली	11.00
15.	सवाई माधोपुर	9.00
16.	सिरोही	4.00
17.	टौंक	4.00
18.	उदयपुर	2.00
	कुल	200.00

सूची—च

फरवरी, 1976 तक व्यय धनराशि की सूची

क्रमांक	नाम जिला	व्यय धन राशि (लाखों में)
1.	चित्तौड़गढ़	1.51 लाख
2.	झालावाड़	1.63 लाख
3.	कोटा	1.42 लाख
4.	पाली	4.20 लाख
5.	सवाई माधोपुर	0.12 लाख
	योग ..	8.88 लाख

(259)

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्र० सं० 203 की सूची अ)

31 दिसम्बर, 75 तक विद्युतिकृत ग्रामों की सूची
(ग्रामीण विद्युतिकरण बकानी योजना)

1.	कोटडाधटा	27.	नानर
2.	महेशपुरा	28.	पीपल्यानगा
3.	सूरजपुरा	29.	मोतीपुरा
4.	दमकपुरा	30.	रीजोन
5.	लोडाखेड़ा	31.	जीतापुरा
6.	कोटरा राहीं	32.	देवडूंगरी
7.	बरखेडा कलां	33.	दूधालिया
8.	मोया खेड़ी	34.	गोपालपुरा
9.	न्यू खेड़ी	35	देवनगर
10.	बड़ाई	36.	लाल्याखेड़ी
11.	बरखेड़ा खुर्द	37.	सूरी I
12.	अमझार खुर्द	38.	कोली II
13.	कांकरीया	39.	राताडूंगरी
14.	कर्ल गांव	40.	ब्रह्मपुरा
15.	अरवाड़ा	41.	गाडागांव
16.	मोर खेड़ी	42.	नयान्याड़ला
17.	कोली	43.	नयान्यागूजरान
18.	राजपुरा	44.	मोलक्याखुर्द
19.	खेरीया	45.	मोलक्या कलां
20.	चारडूंगरी	46.	जगपूरा
21.	सावंलपुरा	47.	पून्याखेड़ी
22.	रटलाई	48.	बांसखेड़ी
23.	खांचरोद	49.	शिवपुरा
24.	मोतीपुरा	50.	उम्मेदपुरा
25.	भूमेड़ा	51.	कोटरा
26.	देवर	52.	खटकर

विद्युतिकृत होने बाकी हैं

1. पाडल्या I
2. पाटरी खेड़ा
3. भालता
4. किशनपुरा
5. भूपूरा
6. दीन्याखेड़ी
7. राजपूरा II
8. पाडल्या II
9. बरखेड़ी
10. भूमकी
11. बगवाड़ा
12. रामनिवास
13. रामपूरिया
14. झोडी
15. कुशलपुरा
16. बोरझरी
17. आगरिया
18. दौलतपुरा
19. नरसिंहपुरा
20. अमरपुरा
21. उमरिया
22. भूरी II
23. नारायणपुरा
24. रांकड़ा
25. पांचनखेड़ी
26. बहूरी खुर्द
27. बहूरी कलां
28. बींद खेडा

सूची 'ब'

ग्रामवार दिये गये कृषि व अन्य कनेक्शनों की सूची

क्र०सं०	ग्राम के नाम	कृषि हेतु पम्प	लघु उद्योग	मकान (घरेलू उपयोग)	व्यावसायिक (दुकान आदि)
1	2	3	4	5	6
1.	कोटरा घटा	4 नं०	—	4 नं०	1 नं०
2.	महेशपुरा	3 नं०	—	—	—
3.	बड़ाय	3 नं०	1 नं०	21 नं०	2 नं०
4.	अमझार खुर्द	2 नं०	—	—	—
5.	नानोर	5 नं०	—	—	—
6.	लोडाखेड़ा	1 नं०	—	—	—
7	देवर	11 नं०	—	11 नं०	—

261

1	2	3	4	5	6
8.	गरवाड़ा	8 नं०	—	2 नं०	—
9.	रेटलाई	1 नं०	3नं०	23 नं०	—
10.	सांवलपुरा	—	—	6 नं०	—
11.	खेरिया	1 नं०	—	—	—
12.	गोपालपुरा	1 नं०	—	—	—
13.	मोतीपुरा	7 नं०	—	—	—
	योग····	47 नं०	6 नं०	97 नं०	26 नं०